विधि परीक्षा प्लानर
पारिवारिक विधि
(Family Law)
हिन्दू & मुस्लिम विधि
Hindu & Muslim Law
Diglot Edition

प्रधान सम्पादक

आनन्द कुमार महाजन

लेखन एवं संकलन

विधि परीक्षा विशेषज्ञ समिति द्वारा

सम्पादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

फोन : 9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com

All rights reserved with Publisher

प्रकाशन घोषणा

प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने रूप प्रिंटिंग प्रेस, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर, वाई.सी.टी. पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव एवं सहयोग सादर अपेक्षित है।

मूल्य : 295/-

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

विषय-सूची

हिन्दू विधि (Hindu Law)

- साधारण उपबंध (General Provision 5-11
- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (The Hindu Marriage Act, 1995) 12-63
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (The Hindu Succession Act, 1956) 64-78
- हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956) 79-83
- हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956) 84-101

मुस्लिम विधि (Muslim Law)

- साधारण उपबंध (General Provision) 102-105
- मुस्लिम विधि के श्रोत (Sources of Muslim Law) 105-107
- मुस्लिम विधि की विचार पद्धतियाँ (Schools of Muslim Law) 107-108

- निकाह (Marriage) 108-118
- मेहर (Dower) 119-122
- तलाक (Divorce) 123-133
- जनकता, धर्मजत्व और अभिस्वीकृति (Parentage, Legitimacy and Acknowledgement)..134-135
- अवयस्कता एवं संरक्षकता (Minority and Guardianship)..............................135-138
- भरण-पोषण (Maintenance)..138-139
- हिबा (उपहार) (Gift)..139-143
- वसीयत (Wills) 143-144
- वक्फ (Waqf)..145-146
- हक शुफा (Pre-Emption)..147-148
- विरासत (Inheritance)..148-148
- उत्तराधिकार (Succession) 149-149
- विविध (Miscellaneous) 150-160

Trend Analysis of Hindu Law Question Papers

No.	Examination Name and Year	Total Paper	No. of Question	Total Questions
A.	Uttarakhand Public Service Commission			
	UK (J) 2002-2021	12	22	264
B.	Bihar Public Service Commission			
	BPSC (J) 2008 - 2021	6	10	60
	BPSC (APO) 2009 - 2020	5	10	50
C.	Rajasthan Public Service Commission			
	RJS 2013-2021	6	4	24
D.	Higher Judicial Service			
	UP (HJS) 2009-2021	8	4	32
	MP (HJS) 2013-2020	8	6	48
	BIHAR (HJS) 2015-2021	3	3	9
	RAJASTHAN (D.J.) 2012-2016	3	2	6
E.	UGC (NET) Law 2009-2023	40	5	200
F.	UPHESC Law 2016 & 2021	2	3	6
G.	Rajsthan SET 2023	1	3	3
	Total =	94		702

नोट- उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के सम्यक विश्लेषण के उपरांत हिन्दू विधि के समस्त अधिनियम के 94 प्रश्न-पत्रों के 702 प्रश्नों का आद्वितीय संकलन प्रस्तुत किया गया है।

Trend Analysis of Muslim Law Question Papers

No.	Examination Name and Year	Total Paper	No. of Question	Total Questions
A.	Uttarakhand Public Service Commission			
	UK (J) 2002-2021	12	11	132
B.	Bihar Public Service Commission			
	BPSC (J) 2008 - 2021	6	10	60
	BPSC (APO) 2009 - 2020	5	8	40
C.	Rajasthan Public Service Commission			
	RJS 2013-2021	6	2	12
D.	Higher Judicial Service			
	UP (HJS) 2009-2021	8	3	24
	MP (HJS) 2013-2020	8	2	16
	BIHAR (HJS) 2015-2021	3	2	6
	RAJASTHAN (D.J.) 2012-2016	3	2	6
E.	UGC (NET) Law 2009-2023	40	3	120
F.	UPHESC Law 2016 & 2021	2	3	6
G.	Rajsthan SET 2023	1	3	3
	Total =	94		425

नोट- उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के सम्यक विश्लेषण के उपरांत मुस्लिम विधि के 94 प्रश्न-पत्रों के 425 प्रश्नों का आद्वितीय संकलन प्रस्तुत किया गया है।

हिन्दू विधि/(Hindu Law)

अध्याय -1

साधारण उपबंध (General Provision)

1. **Hindu Law is**
हिन्दू विधि है
(a) Civil Law/सिविल विधि
(b) Personal Law/वैयक्तिक विधि
(c) Constitutional Law/संवैधनिक विधि
(d) Criminal Law/दाण्डिक विधि

29th BPSC (J) 2017

Ans. (b) : हिन्दू विधि वैयक्तिक विधि है। हर धार्मिक सम्प्रदाय अपनी पृथक वैयक्तिक विधि द्वारा शासित होता है। मुसलमानों पर मुस्लिम विधि, ईसाइयों पर ईसाई विधि, यहूदियों पर यहूदी विधि और पारसियों पर पारसी विधि लागू होती है।

2. **Who amongst the following had said while defining the hindu law that"Hindu Law is law of Smritis"?**
निम्न में से किसने हिन्दू विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि 'हिन्दू विधि स्मृतियों की विधि है'?
(a) Derret/डेरेट
(b) Salmond/सामण्ड
(c) Maine/मेन
(d) K.P. Rangaswami/के. पी. रंगास्वामी

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : सर हेनरी मेन ने हिन्दू विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि ''हिन्दू विधि स्मृतियों कि विधि है।''

3. **Who among the following is known as founder of Hindu Law?**
निम्न में से किसे हिन्दू विधि का प्रणेता कहा जाता है?
(a) Narad/नारद
(b) Manu/मनु
(c) Yajnavalkya/याज्ञवल्क्य
(d) Vigyaneswara/विज्ञानेश्वर

BPSC (APO) 2012

Ans : (b) हिन्दू विधि का प्रणेता तथा प्रथम विधिवेत्ता 'मनु' को कहा जाता है।
विज्ञानेश्वर - भिताक्षरा विधि के रचयिता।
याज्ञवल्क्य - दायभाग विधि के रचयिता।

4. **According to Manu, which of the following are the sources from which knowledge of Hindu Law is to be derived?**
मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं जिनसे हिन्दू विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है?
(a) Shruti/श्रुति
(b) Smriti/स्मृति
(c) Approved usage/मान्यता प्राप्त प्रथा
(d) Purans/पुराण

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (b) मनु के अनुसार स्मृति से हिन्दू विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

5. **Manu Smriti is related with:**
मनु स्मृति का सम्बन्ध है
(a) Economics/अर्थशास्त्र से
(b) Political Science/राजनीति शास्त्र से
(c) Medical Jurisprudence/चिकित्सा शास्त्र से
(d) Law/विधि से

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (d) : 'मनु स्मृति' मनु द्वारा लिखी गयी हिन्दुओं का एक धर्मशास्त्र है, जिसमें विधियों का उल्लेख है। मनु स्मृति हिन्दू विधि के प्राथमिक स्रोत है।

6. **Dayabhaga' is authored by**
'दायभाग' के रचनाकार हैः
(a) Vijnaneshwara/विज्ञानेश्वर
(b) Yagyavalkya/याज्ञवल्क्य
(c) Jimutavahana/जीमूतवाहन
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नही

BPSC (APO) 2011
Uttarakhand (J) 2009

Ans. (c) : 'दायभाग' जीमूतवाहन द्वारा रचित एक निबंध है, जिसमें मुख्य रूप से हिन्दू विधि से सम्बन्धित विभाजन एवं उत्तराधिकार से सम्बन्धित नियम वर्णित है। दायभाग शाखा बंगाल एवं असम में प्रचलित है।

7. **The author of Dayabhaga was**
'दायभाग' के प्रवर्तक (लेखक) थे

(a) Vijnaneshwara/विज्ञानेश्वर
(b) Jimutavahana/जीमूतवाहन
(c) Vashishtha/वशिष्ठ
(d) Narada/नारद

Bihar (J) 2020
Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. Which of the following is a school of Hindu Law?
निम्नलिखित में कौन हिन्दू विधि की शाखा है:

(a) Mitakshara /मिताक्षरा
(b) Dayabhaga /दायभाग
(c) Both (a) and (b)/ (a) और (b) दोनों
(d) None of the above/उपरोक्त में कोई नहीं

Bihar (HJS) 2015

Ans. (c) : हिन्दू विधि की दो शाखायें है (1) मिताक्षरा शाखा और दायभाग शाखा। दायभाग का प्रचलन बंगाल में हुआ और मिताक्षरा शाखा का प्रचलन भारत के अन्य भागों में हुआ। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति की प्रमुख टीका है और इसकी रचना 11वीं शताब्दी के अंतिम काल में विज्ञानेश्वर द्वारा की गई। दायभाग किसी एक संहिता की टीका नही है किन्तु यह सभी संहितों का सार संग्रह है। यह मिताक्षरा के लगभग 200 वर्षो पश्चात् जीमूतवाहन द्वारा लिखी गयी।

9. 'Jimutavahana' is known for his work
'जिमूतवाहन' अपनी इस कृति के लिए जाने जाते हैं

(a) Nirnaya Sindhu/निर्णय सिंधु
(b) Dayabhag/दायभाग
(c) Dayatatva/दयातत्व
(d) Dattak Mimansa/दत्तक मीमांसा

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (b) : 'जिमूतवाहन' अपनी कृति 'दायभाग' के लिए जाने जाते हैं, जिसका प्रचलन बंगाल में हुआ।
दत्तक मीमांसा एवं दत्तक चन्द्रिका, दत्तक विधि पर प्रमुख ग्रंथ है तथा दत्तक मीमांसा के लेखक नन्द पंडित है।

10. The principles of Mitakshara School apply to the whole of India, except
मिताक्षरा स्कूल के सिद्धान्त पूरे भारतवर्ष में लागू होते हैं केवल-को छोड़कर।

(a) Bengal/बंगाल (b) Maharashtra/महाराष्ट्र
(c) Gujarat/गुजरात (d) Assam/असम

BPSC (APO) 2011

Ans : (a & d) हिन्दू विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकार विधि को लागू करने के लिए सम्बन्धित दो स्कूल–
(1) दायभाग (2) मिताक्षरा है।
दायभाग जीमूतवाहन द्वारा रचित लेख से उत्पन्न हुआ है वही मिताक्षरा याज्ञवलक्य स्मृति जो कि विज्ञानेश्वर द्वारा रचित लेख से उत्पन्न होता है।
जहाँ दायभाग बंगाल एवं असम में प्रवर्तनीय है, वहीं मिताक्षरा शेष भारत में प्रवर्तित है।

11. Mitakshara is a commentary on/मिताक्षरा टिप्पणी आधारित है

(a) Manu Smriti/मनु-स्मृति पर
(b) Yajnavalkya Smriti/याज्ञवल्क्य-स्मृति पर
(c) Narada Smriti/नारद-स्मृति पर
(d) Parashara Smriti/पराशर-स्मृति पर

30rd BPSC (J) 2018
Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : हिन्दू विधि के अन्तर्गत मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है।मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है, जो असम एवं बंगाल को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है। मिताक्षरा शाखा के अन्तर्गत महिला सहदायिकी की सदस्यता नहीं होती है और पुत्र को अपने पिता के पैतृक सम्पत्ति में जन्मजात अधिकार प्राप्त होता है जो दायभाग में नहीं है

12. Which of the following is NOT a feature of 'Mitakshara Coparenary/'निम्नलिखित में से कौन-सी मिताक्षरा सहदायिकी की मुख्य विशेषता नहीं है

(a) Unobstructed heritage/अबाधिक विरासत
(b) Obstructed heritage/बाधित विरासत
(c) Unpredictable and fluctuating interest/अननुमेय और परिवर्तनशील हित
(d) Community of interest and unity of possesion/समुदाय का हित और स्वामित्व की एकता

UGC (NET) June, 2020

Ans. (b) : हिन्दू विधि के अन्तर्गत मिताक्षरा सहदायिकी की मुख्य विशेषताएँ –
1. सामुदायिक स्वत्ववाद तथा कब्जे की एकता,
2. परिवर्तनशील हित,
3. जन्मसिद्ध अधिकार,
4. उत्तरजीविता द्वारा न्यायगमन,
5. विभाजन का अप्रतिबंधित अधिकार।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम घमंडी राम के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णीत किया कि मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत सहदायिकी विधि द्वारा सृजित की जाती है और पक्षकारों के कार्य द्वारा सहदायिकी निर्मित नहीं की जा सकती।
(1) सहदायिकी में समान पूर्वज सहित तीन पीढ़ी के सदस्य पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र सम्मिलित होते है।
(2) सहदायिक किसी भी समय सम्पत्ति का बटवारा करा सकते है।
(3) सहदायिकी के अंतर्गत भी सहदायिकी हो सकती है तथा एक मात्र जीवित सहदायिक सहदायिकी का निर्माण कर सकता है।

13. Who among the following is the author of the famous work 'Mitakshara'?
निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध कृति 'मिताक्षरा' के लेखक है?

(a) Aparark/अपरार्क
(b) Bhoja/भोज
(c) Vijnaneswara/विज्ञानेश्वर
(d) Parasara/पारासर

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : हिन्दू विधि की दो शाखाएँ है—
1. मिताक्षरा शाखा
2. दायभाग शाखा
'मिताक्षरा' के लेखक विज्ञानेश्वर है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित एक उच्च कोटि का भाष्य है, जिसका प्रचलन बंगाल को छोड़कर भारत के समस्त भागों में हुआ।
दयाभाग के लेखक - जीमूतवाहन।

14. Vijnaneshwara is a famous commentator of
विज्ञानेश्वर एक विख्यात टीकाकार है:
(a) Manu Smriti/मनु स्मृति के।
(b) Narad Smriti/नारद स्मृति के।
(c) Yagyavalkya Samiti/याज्ञवल्वय स्मृति के।
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (c) : विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित मिताक्षरा याज्ञवल्वय स्मृति पर आधारित एक उच्च कोटि का भाष्य है। मिताक्षरा का प्रचलन बंगाल को छोड़कर भारत के समस्त भागों में हुआ तथा यह पांच उपशाखाओं में विभाजित है।

15. Under Mitakshar School Coparcenary interest devolves by
मिताक्षरा विचारधारा के अन्तर्गत सहदायिकी हित न्यागत होता है:
(a) representation/प्रतिनिधित्व द्वारा
(b) survivorship/उत्तरजीविता द्वारा
(c) obstructed heritage/बाधित विरासत द्वारा
(d) unobstructed heritage/अबाधित विरासत द्वारा

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (b) : मिताक्षरा विचारधारा के अन्तर्गत सहदायिकी हित उत्तरजीविता द्वारा न्यायगत होता है। मिताक्षरा रक्त सम्बन्ध की निकटता पर आधारित मानी जाती है।
नोटः-हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6(3) के अनुसार, मिताक्षरा विचारधारा (School) के अंतर्गत सहदायिकी हित का न्यायगमन उत्तराधिकार द्वारा न कि उत्तरजीविता द्वारा होगा।

16. What happens in Anulom marriage?
अनुलोम विवाह में होता है
(a) Upper class male and lower class female /उच्च वर्ण का पुरूष एवं निम्न वर्ग की महिला
(b) Upper class female and lower class male /उच्च वर्ण का महिला एवं निम्न वर्ग की पुरूष
(c) Both men and women belong to the same class /पुरूष एवं महिला दोनों समान वर्ग के
(d) None of the above /उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans : (a) अनुलोम विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें उच्च कुल का पुरुष, निम्न कुल की स्त्री से विवाह करता है।
प्रतिलोम विवाह में उच्च कुल की स्त्री निम्न कुल के पुरुष से विवाह करती है।

17. In ancient Hindu Marriage, which one is not approved form of Marriage?
प्राचीन हिन्दू विवाह में निम्न में से कौन-सा विवाह अनुमोदित नहीं है?
(a) Brahma/ब्रह्म
(b) Davia/दैव
(c) Prajapatya/प्रजापति
(d) Asura/असुर

UGC (NET) December, 2013

Ans. (d) : प्राचीन हिन्दू विवाह में विवाह के निम्नलिखित प्रकार थे-
मान्य विवाह के प्रकार-
1. ब्राह्म विवाह 2. दैव विवाह
3. आर्ष विवाह 4. प्रजापत्य विवाह
अमान्य विवाह के प्रकार-
1. असुर विवाह 2. गन्धर्व विवाह
3. राक्षस विवाह 4. पैशाच विवाह

18. In which case the Supreme Court held that all the conditions under Section 5 of the Hindu Marriage Act, 1955 are not mandatory?
किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 में सभी शर्तें आज्ञापक नहीं है?
(a) Yamunabhai A. Adhav v. A.S. Adhav, AIR 1988 S.C. 644/यमुना भाई ए. अधव बनाम ए.एस. अधव, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 644
(b) Sarla Mudgal v. Union of India, (1955) 3 SCC 635/सरला मुद्‌गल बनाम भारत सरकार (1955) 3 एस.सी.सी. 635
(c) Lila Gupta v. Laxmi Narain AIR 1978 SC 1351/लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायन, ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1351
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

UPHESC 2021

Ans. (c) : लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायन, 1978 एस.सी. के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन आज्ञापक नहीं है।

19. Which of the following ancient forms of marriages were not approved by Hindu Law?
हिन्दू विधि में निम्नांकित में से कौन-से विवाह के प्राचीन तरीके स्वीकृत नहीं थे?
1. Gandharva/गन्धर्व
2. Arsha/आर्ष
3. Prajapatya/प्रजापत्य
4. Asura/असुर
(a) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(b) 2 and 3/2 और 3
(c) 3 and 4/3 और 4
(d) 1 and 4/1 और 4

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. Hanooman Prasad V/s Musamat Babui is a case on-
हनुमान प्रसाद ब. मु. बबूई का वाद संबंधित हैः

(a) Powers of a Karta of the Hindu joint family/हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्त्ता की शक्तियों से
(b) Avayavaharik debt/अव्यवहारिक ऋण से
(c) Power of adoption of a widow
विधवा की दत्तक ग्रहण करने की शक्ति से
(d) None of the above/उपरोक्त में से किसी से नहीं

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) **: हनुमान प्रसाद बनाम मु. बबुई** (1856 PC) के वाद में न्यायालय ने धारित किया कि हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता वैधानिक आवश्यकताओं एवं सम्पत्ति के लाभ के लिए सम्पत्ति का अन्तरण कर सकता है।

21. A junior male member of a Hindu undivided family may be its 'Karta'
संयुक्त हिन्दु परिवार का एक अवर (कनिष्ठ) (Junior) सदस्य उस परिवार का 'कर्ता' हो सकता है

(a) when he is able and intelligent/जब वह सक्षम और बुद्धिमान है
(b) without the consent of the coparceners of the family if he is able and clever/परिवार के सहदायिकों की सहमति के बिना, यदि वह सक्षम व चतुर है
(c) only with the consent of the other coparceners of the family/सिर्फ परिवार के अन्य सहदयिकों की सहमति से
(d) only with the order of the mother/सिर्फ माता के आदेश से

29th BPSC (J) 2017

Ans. (c) : संयुक्त हिन्दु परिवार का एक कनिष्ठ सहदायिक साधारणतः कर्त्ता नहीं हो सकता, परंतु सहदायिकों की सहमति से या अनुबंध द्वारा कनिष्ठ (Junior) सहदायिक कर्त्ता हो सकता है।

22. In which case has the Supreme Court decided that a woman cannot be the karta of a joint Hindu family?/एक महिला संयुक्त हिन्दू परिवार की कर्त्ता नहीं हो सकती यह उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में विनिश्चय किया है–

(a) Narendranuman v. Commissioner of Income Tax Department AIR 1976 SC 1953
नरेन्द्रनुमन विरुद्ध आयकर विभाग कमिश्नर, ए.आई.आर. 1976 सुप्रीम कोर्ट 1953
(b) Commissioner of Income Tax Department v. Seth Govindram AIR 1966 SC 4
आयकर विभाग कमिश्नर विरुद्ध सेठ गोविन्दराम, ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 4
(c) Depot v. Wasan Singh, AIR 1983 SC 846
डिपो विरुद्ध वासन सिंह, ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 846
(d) Union of India v. Shriram AIR 1965 SC 1531
यूनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध श्रीराम, ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1531

MP (HJS) 2014

Ans. (b) : आयकर कमिश्नर बनाम सेठ गोविन्दराम (ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 24) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह विनिश्चय किया है कि एक महिला संयुक्त हिन्दू परिवार की कर्ता नहीं हो सकती।

23. State the legal status of Hindu Joint family.
हिन्दू संयुक्त परिवार की विधिक स्थिति हैः

(a) Hindu Joint family is a legal person/हिन्दू संयुक्त परिवार एक विधिक व्यक्ति है
(b) Hindu Joint family is a natural person/हिन्दू संयुक्त परिवार एक प्राकृतिक व्यक्ति है
(c) Hindu Joint family is both legal and natural person/हिन्दू संयुक्त परिवार विधिक एवं प्राकृतिक दोनों व्यक्ति है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2012

Ans. (d) **: गयादीन बनाम हनुमान प्रसाद (2001)** के वाद में न्यायालय ने कहा कि संयुक्त हिन्दू परिवार एक विधिक व्यक्ति नहीं है।

24. A joint Hindu family consist of:
एक संयुक्त परिवार का गठन होता है-

(a) all persons lineally descended from a common ancestor and their unmarried daughters. /समान वंशानुक्रम से उत्पन्न सभी व्यक्ति एवं उनके अविवाहित पुत्रियाँ
(b) all persons lineally descended from a common ancestor/समान वंशानुक्रम से उत्पन्न सभी व्यक्ति
(c) all persons lineally descended from a common ancestor including their wives but excluding their unmarried daughter/समान वंशानुक्रम से उत्पन्न सभी व्यक्ति उनकी पत्नी सिवाय अविवाहित पुत्रियाँ
(d) all persons lineally descended from a common ancestor including their wives and unmarried daughter/समान वंशानुक्रम से उत्पन्न सभी व्यक्ति जिसमें उनकी पत्नियाँ तथा अविवाहित पुत्रियाँ शामिल हैं।

UP (HJS) 2016

Ans. (d) : हिन्दू विधि के अनुसार, हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब गठित होता है एक पूर्वज और उसकी एक लाइन के समस्त नर-वंजश द्वारा (बिना निचली डिग्रियों की सीमा के) और उनकी पत्नियों तथा अविवाहित पुत्रियों द्वारा।

25. A Father Karta can alienate a part of joint family property out of love and affection to
एक पिता कर्त्ता संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का कुछ हिस्सा प्रेम एवं स्नेह द्वारा दे सकता है

(a) Daughter/पुत्री को
(b) Son/पुत्र को
(c) Wife/पत्नी को
(d) All of the above/उपरोक्त सभी को

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) हिन्दू विधि के अन्तर्गत सामान्यतः पिता संयुक्त परिवार का कर्ता होता है। एक पिता कर्ता संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का कुछ हिस्सा प्रेम व स्नेह द्वारा अपनी पत्नी, पुत्र एवं पुत्री को दे सकता है।

26. A 'Joint Hindu family does not include
एक संयुक्त हिन्दू परिवार में सम्मिलित नहीं है

(a) married son/विवाहित पुत्र
(b) married daughter/विवाहित पुत्री
(c) adopted son/दत्तक पुत्र
(d) adopted daughter/दत्तक पुत्री

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : एक संयुक्त परिवार में सहदायिकी में समान पूर्वजों सहित तीन पीढ़ी के सदस्य पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र सम्मिलित होते है। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के पश्चात पुत्री भी इसमें शामिल हो गयी, लेकिन विवाहित पुत्री संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं होती है।

27. Karta of Joint Hindu Family is
एक संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्त्ता होता है

(a) father/पिता
(b) mother/माता
(c) grandmother/दादी
(d) grandmother's mother (great grandmother)/ दादी की माँ (परदादी)

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (a) : कर्त्ता का अर्थ है 'संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार के सम्पत्तियों का प्रबंधक'। यह वह व्यक्ति है, जो परिवार के प्रतिदिन के खर्चों की देखभाल करता है और परिवार की संयुक्त सम्पत्तियों की रक्षा करता है।
यह एक अनुमान है कि आमतौर पर सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य कर्ता होता है और कर्ता हमेशा परिवार का सदस्य होता है, कोई बाहरी व्यक्ति कर्ता नहीं हो सकता है।
आमतौर पर महिला सदस्य कर्ता नहीं बन सकती, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में महिला भी कर्ता के रूप में कार्य कर सकती है।

28. Which out of the following is not modern source of Hindu Law?
निम्न में से कौन सा हिन्दू विधि का आधुनिक स्त्रोत नहीं है।

(a) Equity, Justice and good Conscience
साम्य, न्याय एवं सद्विवेक
(b) Precedent/पूर्व निर्णय
(c) Legislation/विधायन
(d) Custom/रूढ़ियाँ

UPHESC 2014
27th BPSC (J) 2011

Ans. (d) : रूढ़ियां हिन्दू विधि का प्राचीन श्रोत है। हिन्दू विधि के तीन आधुनिक श्रोत हैं जो निम्नवत् हैं-
(1) विधायन
(2) पूर्व-निर्णय
(3) साम्या, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण

29. The ancient source(s) of the Hindu Law is/are
हिन्दु विधि का/के प्राचीन स्त्रोत है/हैं

(a) Sruti/श्रुति
(b) Smriti/स्मृति
(c) digest, commentaries and custom/सार-संग्रह, टीकाएँ और रूढ़ियाँ
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

29th BPSC (J) 2017

Ans. (d) : हिन्दू विधि के स्रोत है—
1. प्राचीन या मूल स्त्रोतः-
(a) श्रुति (b) स्मृति
(c) टीका एवं निबन्ध (d) रूढ़ियाँ
2. आधुनिक या द्वितीय स्त्रोतः-
(a) साम्या, न्याय और सद्भाव, (b) पूर्व-निर्णय और
(c) विधान

30. Which one of the following is not an 'Ancient Source' of Hindu Law/निम्नलिखित में से कौन-सा हिन्दू विधि का प्राचीन स्त्रोत नहीं है?

(a) Smriti/स्मृति
(b) Precedents/पूर्व निर्णय
(c) Digests/सार संग्रह
(d) Shruti/श्रुति

UGC (NET) June, 2020

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखे।

31. Ancient Sources of Hindu law are:
हिन्दू कानून के प्राचीन स्त्रोत हैः

(a) Custom, Sruti, precedent/रीति-रिवाज, श्रुति, पूर्वोदाहरण
(b) Sruti, Vedas, Custom, Legislation/श्रुति, वेद, रीति-रिवाज, विधेयक
(c) Smritis, Custom, precedent/स्मृति, रीति-रिवाज, पूर्वोदाहरण
(d) Sruti, Smritis, Custom, Digestc etc/श्रुति, स्मृति, रीति-रिवाज, सार-संग्रह, इत्यादि

UGC (NET) January, 2017

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

32. **Which is not modern source of Hindu Law?**
निम्नलिखित में से कौन-सा हिन्दू विधि का आधुनिक स्रोत नहीं है?
(a) Precedent/पूर्वोदाहरण
(b) Legislation/विधान
(c) Dharamshastra/धर्मशास्त्र
(d) Justice, equity and good consience/न्याय, साम्य और सद्विवेक

UGC (NET) November, 2017

Ans. (c) : धर्मशास्त्र हिन्दू विधि का आधुनिक स्रोत नहीं है वही पूर्वनिर्णय, विधान, न्याय, साम्या और सद्विवेक हिन्दू विधि के आधुनिक स्रोत है।

33. **Assertion (A):** Srutis and Smritis form the greatest treasure house of Hinduism.
अभिकथन (A): श्रुति एवं स्मृति हिन्दुत्व के सबसे बड़े खजाने हैं।
Reason (R): Sruties and Smrities are considered immemorial, timeless and eternal.
कारण (R): श्रुति एवं स्मृति को अति प्राचीन, कालातीत एवं शाश्वत माना जाता है।
Examine the above statement (A) and Reason (R) and select whether the reason is a correct explanation of the assertion, using the codes given below:
उपर्युक्त कथन (A) और (R) का परीक्षण कीजिये और नीचे दिये हुए कूटों की मदद से यह बताइये कि क्या कारण (तर्क) अभिकथन की सही व्याख्या है?
Codes:/कूटः
(a) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(b) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है परन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(c) (A) is true, but (R) is false/(A) सही है परन्तु (R) गलत है
(d) (A) is false, but (R) is true/(A) गलत है। (R) सही है।

UGC (NET) December, 2013

Ans. (b) : हिन्दू विधि के मुख्य स्रोतो में श्रुतियां और स्मृतियों का सर्वोच्च स्थान हैं। श्रुति शब्द 'श्रु' धातु से बना है जिसका अर्थ 'सुनना' होता है। स्मृतियों का अर्थ है जो स्मरण किया गया हो। श्रुति को ईश्वर का वचन माना जाता है। श्रुति एवं स्मृति को प्राचीन, कालातीत एवं शाश्वत माना जाता है।

34. **Modern sources of Hindu law are:**
हिन्दू विधि के आधुनिक स्रोत हैः
(a) Legislation, Precedents and Digests
विधान, पूर्व निर्णय और नीति-संग्रह
(b) Legislation, Precedents, Equity etc
विधान, पूर्व निर्णय और साम्य आदि
(c) Precedents, Smritis, Legislation
पूर्व निर्णय, स्मृतियाँ, विधान
(d) Legisslation, Customs Precedents and Commentaries/विधान, प्रथाएँ, पूर्व निर्णय और टिप्पणियाँ

UGC (NET) December, 2015

Ans. (b) : हिन्दू विधि के आधुनिक स्रोत विधान, पूर्ण निर्णय और साम्य न्याय तथा सद्विवेक है।

35. **Which is not the modern source of Hindu Law?**
हिन्दू कानून का आधुनिक स्रोत क्या नहीं है?
(a) Equity, Justice and Good Conscience
साम्या, न्याय और शुद्ध अन्तःकरण
(b) Precedent/पूर्व निर्णय
(c) Sruti/श्रुति
(d) Legislation/विधान

UGC (NET) June, 2012

Ans. (c) : हिन्दू विधि का प्राचीन स्रोत -
(1) श्रुति,
(2) स्मृति,
(3) निबन्ध एवं टीकाएँ,
(4) रुढ़ि एवं प्रथा है।
हिन्दू विधि के गौण या आधुनिक या द्वितीयक स्रोत (1) विधायन या विधान, (2) पूर्व निर्णय और (3) न्याय, साम्या और सद्विवेक है।

36. **Match the items of List-I with the items of List-II and choose the correct answer from the code given below**
सूची-I की मदों को सूची-II को मिलान कीजिए और नीचे दिये गये कूट में से सही उत्तर को चुनिए–

List-I/सूची-I	List-II/सूची-II
A. Smriti स्मृति	1. What was heard जो सुना गया
B. Mitakshara मिताक्षरा	2. Jimutavahana जीमुतवाहन
C. Shruti श्रुति	3. Vijnaneshwara विज्ञानेश्वर
D. Dayabhaga दायभाग	4. What has been remembered जो स्मरण किया गया

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	4	3	1	2
(b)	4	2	3	1
(c)	3	4	2	1
(d)	1	2	4	3

UGC (NET) December, 2018
UGC (NET) September, 2016

Ans. (a) : सही सुमेलन निम्न है-

• स्मृति	जो स्मरण किया गया
• मिताक्षरा	विज्ञानेश्वर
• श्रुति	जो सुना गया
• दायभाग	जीमुतवाहन

37. Match the items of List-I with the items of List-II and choose the correct answer from the code given below
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए:

List-I/सूची-I (वेद)	List-II/सूची-II (संबंधित है)
A. Yajurveda nature यजुर्वेद	**1. Praise of force of प्रकृति की शक्तियों की प्रशंसा**
B. Samveda सामवेद	**2. Magic, Spell and Incantation जादू, मंत्र और झाड़फूँक**
C. Atharvaveda अथर्ववेद	**3. Rituals अनुष्ठान**
D. Rigveda ऋग्वेद	**4. Dance नृत्य**

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	1	2	4	3
(b)	2	4	1	3
(c)	4	2	3	1
(d)	3	4	2	1

UGC (NET) July, 2016

Ans. (d) : सही सूमेलित है-
(a) ऋग्वेद में प्रकृति की शक्तियों की प्रशंसा की गयी है,
(b) यजुर्वेद में अनुष्ठान के सम्बन्ध में बताया गया है,
(c) सामवेद में नृत्य आदि के बारे में बताया गया है,
(d) अथर्ववेद में जादू, मंत्र और झाडफूक के बारे में बताया गया है।

38. The legal position of a Hindu Idol is of a
एक हिन्दू मूर्ति की वैधानिक स्थिति है
(a) Hindu major male/ हिन्दू वयस्क पुरुष की
(b) Hindu major female/ हिन्दू वयस्क महिला की
(c) Mahanta/महन्त की
(d) Hindu minor/हिन्दू अवयस्क की

Bihar (J) 2020

Ans. (d) : तेनव्या छत्तियार बनाम करुप्पम चेट्टियार (1968 SC) के मामले में न्यायालय ने कहा कि हिन्दू देवता (मूर्ति) कानून में एक शिशु की स्थिति के समान है।

39. The legal status of a mahant of 'Math' is:
किसी मठ के महन्त की कानूनी स्थिति है:
(a) A Trustee/एक ट्रस्टी
(b) Corporation sole/एकल निगम
(c) Owner of 'Maths' property/मठ का स्वामी
(d) Manager of 'Math'/मठ का मैनेजर

27th BPSC (J) 2011

Ans. (d) : महंत श्री श्रीनिवास रामानजू दास बनाम सूरजनारायण दास (1967 एस.सी.) के वाद में कहा गया कि किसी मठ का महन्त उसका मैनेजर (प्रबन्धक) होता है।

40. Hindu Idol is a juristic entity capable of holding property, was laid down in/हिन्दू प्रतिमा एक न्यायिक व्यक्ति है जो संपत्ति धारित करने में सक्षम हैं, यह निम्नलिखित में से किसमें अभिनिर्धारित किया गया:
(a) Bengal immunity Co. Ltd. v. State of Bihar/ बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य
(b) Yogendra Nath Naskar v. Commissioner of income tax/योगेन्द्र नाथ नास्कर बनाम आयकर आयुक्त
(c) K.M. Basheer v. Lona Chakola/के. एम. बशीर बनाम लोना चकोला
(d) Nanak Chand v. state of U.p./नानक चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

UGC (NET) June, 2020

Ans. (b) : योगेन्द्र नाथ नास्कर बनाम आयकर आयुक्त, 1969 S.C. के वाद में उच्चत्तम न्यायालय ने धारित किया कि हिन्दू प्रतिमा या मूर्ति एक विधिक व्यक्ति (Legal person) है तथा इस कारण ऐसा व्यक्ति सम्पत्ति धारण कर सकता है। ऐसे विधिक व्यक्ति को प्राकृतिक व्यक्ति की भांति सभी अधिकार व दायित्व प्राप्त होगें।

अध्याय -2

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
(The Hindu Marriage Act, 1995)

1. The Hindu Marriage Act, 1955 came into force on
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 कब प्रवृत्त हुआ?
(a) 26th January, 1955/26 जनवरी 1955
(b) 15th August, 1955/15 अगस्त 1955
(c) 18th May, 1955/18 मई 1955
(d) 30th January, 1955/30 जनवरी 1955

BPSC (APO) 2012
Uttarakhand (J) 2002, 2011

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 18 मई 1955 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 6 अध्याय तथा 30 धाराएँ हैं तथा यह अधिनियम 1955 का अधिनियम संख्या 25 है।

2. Law relating to marriages amongst Hindus has been codified under the
हिन्दु विवाह सम्बन्धी विधि संहिताबद्ध किया गया है
(a) Hindu Marriage Act, 1955
हिन्दु विवाह अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत
(b) Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956/हिन्दु दत्तक एंव भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत
(c) Child Marriage Restraint Act, 1929/बाल-विवाह निरोध अधिनियम, 1929 के अन्तर्गत
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

28th BPSC (J) 2014

Ans. (a) : हिन्दू विवाह सम्बन्धी विधि को हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत संहिताबद्ध किया गया है।

3. Hindu Law is not applicable in which of the following cases?
निम्न में से कौन से मामलों में हिन्दू विधि लागू नहीं होती हैः
(a) Any person who is a Hindu, Jain, Sikh or Buddhist by religion/कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिन्दू, जैन, सिख अथवा बुद्धीस्ट धर्म से हो
(b) Any person who is born of Hindu parents/कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म हिन्दू माता व पिता से हो
(c) Any person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew/कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी व यहूदी न हो
(d) Members of the scheduled tribes coming within clause (25) of Article 366 of the Constitution of India/अनुसूचित जनजाति जो अनुच्छेद 366 (संविधान) के क्लाज (25) के अन्तर्गत सदस्य हो।

27th BPSC (J) 2011

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2 (2) के अनुसार, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थो के अन्दर वाली किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को तब तक लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न करे।
इस प्रकार हिन्दू विधि उन लोगों पर लागू नहीं होती है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति है।

4. Hindu Marriage Act, 1955 is not applicable on which of the following?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है?
(a) Virashaivas and Lingayats/वीरशैव और लिंगायत
(b) Scheduled Tribes unless otherwise directed by the Central Government/अनुसूचित जनजातियाँ जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो
(c) Hindu, Jains and Sikhs/हिन्दू, जैन और सिख
(d) Buddhists and followers of Brahmo, Prarthana or Arya Samaj/बौद्ध और ब्रह्मों, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी

UGC (NET) September, 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. The Hindu Marriage Act, 1955 is not applicable to:-
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 लागू नहीं होता है-
(a) a follower of the Brahmo Samaj/ब्रह्म समाज के अनुयायियों पर
(b) the person, who is a Sikh by religion/ऐसे व्यक्ति पर, जो धर्म से सिक्ख है
(c) any person, who is a convent to the Hindu religion/ऐसे व्यक्ति पर, जिसने हिन्दू धर्म ग्रहण किया है
(d) the members of any Scheduled Tribe/किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर

Rajasthan (J) 2016

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. A person may be a Hindu by:
एक व्यक्ति हिन्दू हो सकता हैः
(a) Birth/जन्म से
(b) Conversion/सम्परिवर्तन द्वारा
(c) Both (a) and (b)/ (a) और (b) दोनों
(d) None of the above /उपरोक्त में कोई नहीं

Bihar (HJS) 2015

Ans. (c) : हिन्दू विधि के अनुसार एक व्यक्ति जन्म से हिंदू तथा सम्परिवर्तन द्वारा हिन्दू हो सकता है।
जन्म से हिन्दु के अंतर्गत ऐसी संताने आती है जो हिन्दू माँ-बाप से पैदा हुई है या ऐसी संताने जिनके माँ या बाप में से कोई हिन्दू हो और उसका पालन पोषण हिन्दू विधि विधान से किया गया हो।
सम्परिवर्तन द्वारा हिन्दू के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते है जो धर्मान्तरण द्वारा हिन्दू बनते है या बनाये जाते है।
अब्राह्म बनाम अब्राह्म (1863 PC) के वाद में न्यायालय ने अवधारित किया कि हिन्दू के अन्तर्गत वे लोग आते है जो हिन्दू के रूप में जन्म लेते है और वे भी जो हिन्दू धर्म में अपना धर्मान्तरण कर लेते है।

7. A person shall not be treated as Buddhist under sec, 2(1) of the Hindu Marrigae Act, 1955, if:
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2 के तहत एक व्यक्ति बौद्ध धर्मावलम्बी नहीं माना जाएगा, यदिः
(a) Bothe of his parents were Budhists/उसके माता-पिता दोनों बौद्ध थे
(b) His father was Christian, mothe was Budhist and he was brought up as Budhist child/उसके पिता ईसाई और माता बौद्ध थी और उसका लालन-पालन एक बौद्ध बालक की तरह हुआ था
(c) His father was Christian, mother was Budhist and he was brought up as Christian Child/ उसके पिता ईसाई और माता बौद्ध थी और उसका लालन-पालन एक ईसाई बालक की तरह हुआ था
(d) He was a muslim and has converted to Budhist religion/वह मुस्लिम था और उसके बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन किया है

UGC (NET) January, 2017

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2 के अनुसार एक व्यक्ति बौठ धर्मालम्बी नहीं माना जाएगा यदि उसके पिता ईसाई और माता बौद्ध थी और उसका लालन-पालन एक ईसाई बालक की तरह हुआ था। यदि बच्चे का लालन-पालन एक बौद्ध बालक की तरह हुआ होता, तो वह बौद्ध धर्मावलम्बी माना जाता।

8. In which of the following cases, a child could be a Hindu? Answer with the help of codes:
निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कोई बच्चा हिन्दू हो सकता है? कूटों की सहायता से उत्तर देंः
1. **Only one parent is a Hindu and the child was brought up as a Hindu/माता-पिता में से केवल एक हिन्दू है तथा बच्चे की परवरिश हिन्दू के रूप में की गई है।**
2. **Only one parent is a Hindu and the child was not brought up as a Hindu/माता-पिता में से केवल एक हिन्दू है तथा बच्चे की परवरिश हिन्दू के रूप में नहीं की गई है।**
3. **If after the birth of child, father converts to non-Hindu religion/यदि बच्चे के जन्म के बाद पिता गैर-हिन्दू धर्म में परिवर्तित हो जाता है।**
4. **Both the parents are Hindu/माता और पिता दोनों हिन्दू है।**

Codes:/कूटः
(a) (1), (3) and (4) only/केवल 1, 3 और 4
(b) (2), (3) and (4) only/केवल 2, 3 और 4
(c) (1) and (4) only/केवल 1 और 4
(d) (3) and (4) only/केवल 3 और 4

UGC (NET) December, 2015

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिख है–
1. कोई भी अपत्य (धर्मज या अधर्मज) जिसके माता-पिता दोनों ही धर्मतः हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख हो,
2. कोई भी अपत्य (धर्मज या अधर्मज) जिसके माता-पिता में से कोई एक धर्मतः हिन्दू बौद्ध, जैन या सिक्ख हो और जो उस कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो, जिसका वह माता या पिता सदस्य है या, तथा
3. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिन्दू बौद्ध, जैन या सिक्ख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिपर्तित हो गया हो।

9. In which of the following cases, a child could not be a 'Hindu' under the Hindu Marriage Act, 1955?
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से किन मामलों में कोई बच्चा 'हिन्दू' नहीं हो सकता?
1. **Only one parent is a Hindu and the child was brought up as a Hindu/केवल एक माता-पिता हिन्दू है और बच्चे को हिन्दू के रूप में बड़ा किया गया है।**
2. **If after the birth of a child both the parents convert to Buddhism/यदि बच्चे के जन्म के बाद दोनों माँ-बाप बौद्ध बन गए।**
3. **Only one parent is Jain and the child was not brought up as a Jain/केवल एक माता-पिता जैन है और बच्चे को जैन के रूप मे बड़ा नहीं किया गया।**
4. **It after the birth of a child both the parents convert to Muslim religion and in the exercise of parental right the child is also converted to Muslim religion/यदि बच्चे के जन्म के बाद दोनों माता-पिता मुसलमान बन जाते हैं और अपने माता-पिता के अधिकार का उपयोग करते हुए बच्चे को भी मुसलमान बना देते हैं।**

Code:/कोड–
(a) I, II and IV/1, 2 और 4
(b) III and IV/3 और 4
(c) II and I/2 और 1
(d) I, II and III/1, 2 और 3

UGC (NET) December, 2014

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. **The term "Hindu" denotes the persons:**
'हिन्दू' शब्द उन व्यक्तियों की ओर इंगित करता है जो

1. **Professing Hindu religion/हिन्दू धर्म का पालन करते हैं।**
2. **Professing Budha, Jain or Sikh religion /बौद्ध, जैन अथवा सिख धर्म का पालन करते हैं।**
3. **Who are not professing Muslims, Christian, Paris or jain religion/जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी धर्मों का पालन नहीं करते है।**

उपर्युक्त में से कौन सा प्रस्ताव सही है?

(a) (i) and (ii) are correct and (iii) is incorrect/1 और 2 सही, 3 गलत है
(b) (ii) and (iii) are correct and (i) is incorrct/2 और 3 सही, 1 गलत है
(c) (i) and (iii) are incorrect but (ii) is correct/1 और 3 सही, 2 गलत है
(d) (i), (ii) and (iii) all are correct/1, 2 और 3 सभी सही है

UGC (NET) June 2012, 2014

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधि. 1955 की धारा (2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है, यदि-
(1) वह हिन्दू धर्म को किसी भी रूप या विकास का पालन करते है।
(2) वह जैन, बौद्ध या सिक्ख धर्म का पालन करते है।
(3) वह मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी धर्मों का पालन नहीं करते है।

11. **Under Hindu Marriage Act, Hindu includes**
हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत, हिन्दू में निहित है

(a) Buddhist/बौद्ध
(b) Sikh/सिख
(c) Jain/जैन
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखे।

12. **In which of the following cases it was first time held that "Hindu is by birth and can also be made"?**
निम्न में से किस वाद में प्रथम बार यह निर्धारित किया गया था कि ''हिन्दू जन्म से होता है और बनाया भी जाता है''?

(a) Morarjee v. Administrator General of Chennai/ मोरार जी बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ चेन्नई
(b) Ibrahim v. Ibrahim/इब्राहीम बनाम इब्राहीम
(c) Jvala v. Dharam/ज्वाला बनाम धर्म
(d) Parvati v. Jagdish/पार्वती बनाम जगदीश

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : **इब्राहिम बनाम इब्राहिम** के वाद में प्रथम बार निर्णित किया गया कि हिन्दू जन्म से होता है और बनाया जाता है। इसके अनुसार ''हिन्दू'' शब्द जन्म से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के लिए तथा वे व्यक्ति जो हिन्दू धर्म में परिवर्तित हो गये हो, उपयोग में लाया जायेगा।

13. **Hindu law does not apply to a person who is a Hindy by/हिन्दू विधि ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो कि हिन्दू हैः**

(a) birth/जन्म से
(b) conversion/धर्म-परिवर्तन से
(c) re-conversion/पुनः धर्म-परिवर्तन से
(d) none of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) **:** हिन्दू विधि ऐसे व्यक्ति पर लागू होगी जो हिन्दू है अतः जो व्यक्ति जन्म से, धर्म परिवर्तन से, पुनः धर्म परिवर्तन से हिन्दू है उन पर भी हिन्दू विधि लागू होगी (धारा 2 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955)।

14. **Who is a Hindu among following?**
निम्ननिखित में से हिन्दू कौन है?

(a) A legitimate child of Sikh male and Jain female/एक सिख पुरुष एवं जैन महिला की धर्मज सन्तान।
(b) An illegitimate chlid of Sikh male and Jain Female/एक सिख पुरुष एवं जैन महिला की अधर्मज सन्तान।
(c) An illegitimate child of Hindu male and Parsi female and who was brought up as a Hindu/एक हिन्दू पुरुष एक पारसी महिला की अधर्मज सन्तान तथा जिसका लालन-पालन हिन्दू के तौर पर हुआ हो।
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी।

Uttarakhand (J) 2009,2021

Ans. (d) **:** हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त तीनों मामलों में हिन्दू विधि लागू होगी परन्तु यदि विकल्प (c) में सन्तान का लालन पालन हिन्दू तौर पर न हुआ होता तो हिन्दू विधि लागू न होती।

15. **A Hindu may be**
एक हिन्दू हो सकता है

(a) Buddhist/बौद्ध
(b) Jain/जैन
(c) Aryasamaji/आर्य समाजी
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (d) **:** हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के अनुसार, निम्नलिखित आधारों पर व्यक्ति हिन्दू है,
(1) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिन्दू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीरशैव लिंगायत अथवा ब्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज व आर्य समाज के अनुयायी भी आते है। धर्मतः हिन्दू हो।

(2) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिक्ख हो।
(3) ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार अधिवसित हो और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो।

16. Which one of the following is not included in the term of 'Hindu' used in Hindu Marriage Act, 1955?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में प्रयुक्त 'हिन्दू' शब्द में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है?

(a) Sikha/सिख (b) Jains/जैन
(c) Parsis/पारसी (d) Buddhists/बौद्ध

Uttarakhand (J) 2002, 2006

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनिय 1955 की धारा 2 के अनुसार हिन्दू में बौद्ध, जैन तथा सिक्ख सम्मलित है, जबकि मुस्लिम, इसाई, यहूदी तथा पारसी नहीं आते है।

17. Under Hindu law, the persons descended from a common ancestor but by different wives, are known as:
हिन्दू विधि के अंतर्गत एक ही पूर्वज किन्तु भिन्न पत्नियों से अवजनित व्यक्तियों को कहा जाता है:

(a) Full Blood Relations/पूर्ण रक्त संबंधी
(b) Half Blood Relations/अर्ध रक्त संबंधी
(c) Uterine Blood Relations/एकोदर रक्त संबंधी
(d) No Blood Relation/कोई रक्त संबंधी नहीं

UGC (NET) July, 2018
UGC (NET) June 2014

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 3 (c) के अनुसार, कोई भी दो व्यक्ति एक-दूसरे से अर्ध रक्त से संबंधित तब कहे जाते है, जब कि वह एक ही पूर्वज से किन्तु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो।

18. Read the following statements and answer with the help of codes given below:
निम्नांकित कथन को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दें:

1. Two persons are said to be related to each other by full blood when they are descent form a common ancestor by the same wife/दो व्यक्ति एक-दूसरे के पूर्ण रक्त सम्बन्धी कहलाते हैं, यदि उनके पिता एक हो और वे एक ही पत्नी की पैदाइश हो।

2. Two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended form a common ancestress but by different husband/दो व्यक्ति एक-दूसरे के विपितृज रक्त सम्बन्धी कहलाते है, यदि उनकी मातायें एक हो लेकिन वे अलग-अलग पतियों की पैदाइश हो।

3. Two persons are said to be related to each other by half blood when they are descended from a common ancestor but by sames wives/दो व्यक्ति एक-दूसरे के अर्द्ध रक्त सम्बन्धी कहलाते हैं, यदि उनके पिता एक हो और वे एक ही पत्नी की पैदाइश हो।

4. Two persons are said to be related to each other by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives/दो व्यक्ति एक-दूसरे के अर्द्ध रक्त सम्बन्धी कहलाते हैं, यदि उनके पिता एक हो किंतु मातायें अलग-अलग हो।

Code/कूट:

(a) 1 and 2 are correct, but 3 and 4 are incorrect/ 1 और 2 सही है, किन्तु 3 और 4 सही नहीं है
(b) 1, 2 and 4 are correct, but 3 is incorrect/1, 2 और 4 सही है, किन्तु 3 सही नहीं है
(c) 4 and 2 are correct, but 3 and 1 are incorrect/4 और 2 सही है, किन्तु 3 और 1 सही नहीं है
(d) 4 and 3 are correct, but 1 and 4 are incorrect/ 4 और 3 सही है, किन्तु 1 और 2 सही नहीं है

UGC (NET) January, 2017

Ans. (b) : सत्य कथन निम्नलिखित हैं-
(1) हिन्दू विवाह अधिनियम 1995 की धारा 3 (c) के अनुसार दो व्यक्ति एक-दूसरे के पूर्ण रक्त सम्बन्धी कहलाते है यदि उनके पिता एक हो और वे एक ही पत्नी की पैदाइश हो।
(2) धारा 3 (d) के अनुसार दो व्यक्ति एक दूसरे के विपितृज रक्त सम्बन्धी (एकोदर रक्त) कहलाते हैं। यदि उनकी माताएँ एक हो लेकिन वे अलग-अलग पिता की पैदाइश हों।
(3) धारा 3 (c) के अनुसार दो व्यक्ति एक दूसरे के अर्द्ध-रक्त सम्बन्धी कहलाते है यदि उनके पिता एक हो किन्तु माताएँ अलग-अलग हों।

19. When two persons are descendants of a common ancestor but by different wives, they are said to be related to each other by:
जब दो व्यक्ति एक ही साझे पूर्वज के वंश हों, परन्तु वे विभिन्न पत्नियों से हों, तो उन्हें एक दूसरे से किस आधार पर संबंधित कहा जाएगा?

(a) Full blood/पूर्ण रक्त
(b) Uterine Blood/सहयोनिज रक्त
(c) Half-Blood/अर्ध-रक्त
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) June, 2014

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखे।

20. Two persons are said to be related to each other by what relation when they are descended from a common ancestress but by different husbands?/

दो व्यक्ति आपस में किस संबंध से संबंधी माने जाएँगे जब वे एक ही पूर्वज परन्तु अलग पतियों के वंशज हों?

(a) Full blood/पूर्ण रक्त
(b) Half blood/अर्ध रक्त
(c) Uterine blood/एकोदर रक्त
(d) Agnate/गोत्रज्ञ

UGC (NET) June, 2019
UGC (NET) December 2014

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3(d) एकोदर रक्त को परिभाषित करती है, एकोदर रक्त से तात्पर्य है, वो व्यक्ति एक दूसरे के एकोदर (Utrerihne blood) तब कहलाते है, जबकि वे एक ही पूर्वज से किन्तु उसके भिन्न पतियों से जन्मे हो।

21. Two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from:
दो व्यक्तियों को एकोदर-रक्त से जुड़ा हुआ कहा जाता है, यदि वे अवजनित हुये है:

(a) a common ancestor by the same wife/समान पत्नी के एक ही पूर्वज से
(b) a common ancestor but by different wives/अलग-अलग पत्नियों के एक ही पूर्वज से
(c) a common ancestress by the same husband/समान पति के एक ही पूर्वज से
(d) a common ancestress but by different hubands/अलग-अलग पतियों के एक ही पूर्वजो से

UGC (NET) December, 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. Rule Relating to Sapinda relationship are bases on the principle of:
सपिण्ड नातेदारी से जुड़े नियम किसके सिद्धान्त पर आधारित है-

(a) Polygamy/पॉलीगैमी
(b) Endogamy/इण्डोगैमी
(c) Exogamy/एक्जोगैमी
(d) Polyandry/पालिएण्ड्री

UGC (NET) June 2020
UP (HJS) 2018 Part-I
Uttarakhand (J) 2015
UGC (NET) December 2012, 2014

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 3(f) में परिभाषित सपिण्ड नातेदारी के नियम एक्सोगैमी (बहिर्विवाह) के सिद्धांत पर आधारित है। एक्जोगैमी का सिद्धांत अपने स्वयं के समूह के बाहर विवाह की प्रथा है।

23. 'Sapinda Relationship' which prohibits marriage among Hindus with near relatives on paternal and maternal sides, is based on the principle of
'सपिंड संबंध' जो हिन्दुओं में पितृ और मातृ पक्षों को निकट सम्बंधियों में विवाह का प्रतिषेध करता है, निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है:

(a) Monogamy/एक विवाह
(b) Endogamy/सजातीय विवाह
(c) Exogamy/विजातीय विवाह
(d) Polygamy/बहु विवाह

UGC (NET) July, 2016 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. If parties to a Hindu Marriage are 'Sapinda' to each other, the marriage is
यदि एक हिन्दू विवाह के पक्षकार आपस में एक-दुसरे के 'सपिण्डा' है, तो विवाह है

(a) valid/मान्य
(b) voidable/शून्यकरणीय
(c) void/शून्य
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

28th BPSC (J) 2014

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3(f) में सपिण्ड को परिभाषित किया गया है वहीं धारा 5(v) के शर्तो में सपिण्डा के आधार पर विवाह को धारा 11 के अनुसार शून्य घोषित किया जाता है, तथा धारा 18(b) में ऐसे विवाह के लिए दण्ड का प्रावधान है।

25. Sapinda relationship under the Hindu Law towards the father's and mother's side extends up to/सपिण्ड नातेदारी पिता और माता के तरफ हिन्दू विधि में फैला होता है

(a) six degrees towards the father's side and three degrees towards the mother's side/पिता की तरफ छः श्रेणी और माता की तरफ तीन श्रेणी
(b) five degrees towards the father's side and four degrees towards the mother's side/पिता की तरफ पाँच श्रेणी और माता की तरफ चार श्रेणी
(c) five degrees towards the father's side and three degrees towards the mother's side/पिता की तरफ पाँच श्रेणी और माता की तरफ तीन श्रेणी
(d) seven degrees towards the father's side and five degrees towards the mother's side/पिता की तरफ सात श्रेणी और माता की तरफ पाँच श्रेणी

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3(f) के अनुसार सपिण्ड नातेदारी से तात्पर्य किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसकी ऊपरी वाली परम्परा में तीसरी पीढ़ी तक और पिता के माध्यम से उसके ऊपरवाली परम्परा में पाँचवीं पीढ़ी तक जाती है।

26. Sapinda Relationship extends upto:
सपिण्ड नातेदारी लागू होती है

(a) Fourth generation through mother
माँ की तरफ से चार पीढ़ी तक
(b) Fifth generation through mother
माँ की तरफ से पाँच पीढ़ी तक

(c) Third generation through mother
माँ की तरफ से तीन पीढ़ी तक

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2006, 2008

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

27. The Sapinda relationship on the line of ascent under the Hindu Law extends/हिन्दू विधि के अंतर्गत आरोही क्रम में सपिंड संबंध विस्तारित है

(a) three degree through the father and two degree through the mother/पिता से तीन पीढ़ी तथा दो पीढ़ी माता से

(b) four degree through the father and three degree through the mother/पिता से चार पीढ़ी तथा तीन पीढ़ी माता से

(c) five degree through the father and three degree through the mother/पिता से पाँच पीढ़ी तथा तीन पीढ़ी माता से

(d) seven degree through the father and five degree through the mother/पिता से सात पीढ़ी तथा पाँच पीढ़ी माता से

UGC (NET) June, 2019
UGC (NET) September 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

28. Under the Hindu Marrige Act, 1955, sapinda relationship with reference to any person extends as far as:
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के संदर्भ में सपिण्ड संबंध का विस्तार है

(a) The third generation (exclusive) in the line of ascent through the mother and the fifth (exlusive) in the line of ascent through the father/माता के वंशक्रम में तीसरी पीढ़ी (अपवर्जित) तक और पिता के वंशक्रम में पाँचवी पीढ़ी (अपवर्जित) तक

(b) The third generation (inclusive) in the line of ascent through the mother and the fifth (inclusive) in the line of ascent through the father/माता के वंशक्रम में तीसरी पीढ़ी (समावेशित) तक और पिता के वंशक्रम में पाँचवी पीढ़ी (समावेशित) तक

(c) The fifth generation (inclusive) in the line of ascent through the mother and the thir (inclusive) in the line of ascent through the father/माता के वंशक्रम में पाँचवीं पीढ़ी (समावेशित) तक और पिता के वंशक्रम में तीसरी पीढ़ी (समावेशित) तक

(d) The fifth generation (exlusive) in the line of ascent through the mother and the third (exlusive) in the line of ascent through the father/ माता के वंशक्रम में पाँचवी पीढ़ी (अपवर्जित) तक और पिता के वंशक्रम में तीसरी पीढ़ी (अपवर्जित) तक

UGC (NET) December, 2018 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

29. Prohibited degree and Spinda relationship are प्रतिषिद्ध डिग्री और सपिण्ड सम्बन्ध है:

(a) Mutually exclusive/परस्पर व्यावर्तक

(b) Dependent on each other/एक दूसरे पर आश्रित

(c) May overlap each other/एक दूसरे पर अतिव्यापन

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) September, 2013 Paper-II

Ans. (c) : प्रतिषिद्ध डिग्री और सपिण्ड सम्बन्ध एक-दूसरे पर अतिव्यापन है।
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3(f) में संपिड नातेदारी तथा धारा 3(g) में प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियाँ को परिभाषित किया गया है।

30. Read Assertion (A) and Reason (R) and with the help of codes given below, point out the correct explanation:
अभिकथन (A) और तर्क (R) का अधोलेखित कूट की सहायता से पढ़िये और सही स्पष्टीकरण का चयन कीजिए:

Assertion (A): Sapinda relationship extends upto five degrees on the paternal side and three degrees on the maternal side.

अभिकथन (A): सपिंड सम्बन्ध पैतृक दिशा 5 डिग्री और मातृक दिशा में 3 डिग्री तक जाता है।

Reason (R): Rules relating to Sapinda relationship are based on principle of exogamy.

तर्क (R): सपिंड सम्बन्ध अगोत्र विवाह के सिद्धान्त पर आधारित है।

Codes:/कूट:

(a) (A) is correct, (R) is false/A सही है और R मिथ्या है

(b) Both (A) and (R) are correct/A और R दोनों सही है

(c) (R) is correct, but (A) is wrong/R सही और A गलत है

(d) Neither (A) nor (R) is correct/न A और न R सही है

UGC (NET) December, 2011

Ans. (b) : सपिण्ड को धारा 3(f) में (हिन्दू विवाह अधि. 1955) परिभाषित किया गया है। किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश से सापिण्ड नातेदारी का विस्तार माता से ऊपर वाली परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक (जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी है) और पिता के ऊपर वाली परंपरा में पाँचवी पीढ़ी तक (जिनक अतंर्गत पाँचवी पीढ़ी भी) है। सापिण्ड सम्बन्ध अगोत्र विवाह के सिद्धांत पर आधारित है।

31. Which Section of Hindu Marriage Act define 'Spinda Relationship'?
हिन्दू विवाह अधिनियम की किस धारा में सपिण्ड संबंध परिभाषित है?

(a) Section 2(a)/धारा 2 (a)
(b) Section 2(b)/धारा 2 (b)
(c) Section 3(f)/धारा 3 (f)
(d) Section 2(g)/धारा 2 (g)

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 3 (f) में सपिंड नाटेदारी को परिभाषित किया गया है- सपिंड नातेदारी का विस्तार माता से ऊपर वाली परम्परा में तीसरी पीढ़ी तक (जिसमें तीसरी पीढ़ी भी है) और पिता के ऊपर वाली परम्परा में पाँचवी पीढ़ी तक (जिसमें पांचवीं पीढ़ी भी है)

32. In regard to a Hindu marriage, 'Sapinda relationship' of any person is counted upto
हिन्दू विवाह के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के 'सपिण्ड नातेदारी' की गणना की जाती है:

(a) Fifth generation in the line of ascent through father only/केवल पिता के माध्यम से ऊपर की ओर पाँच पीढ़ी तक।
(b) Third generation in the line of ascent through father only/केवल पिता के माध्यम से ऊपर की ओर तीन पीढ़ी तक।
(c) Both (a) and (b)/ (a) तथा (b) दोनों।
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

33. Under which of the following sections of the Hindu Marriage Act, 1955 'sapinda relationship' has been defined?
'सपिण्ड सम्बंध' को हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित किस धारा में परिभाषित किया गया है?

(a) Section 3/धारा 3 में
(b) Section 5/धारा 5 में
(c) Section 7/धारा 7 में
(d) Section 9/धारा 9 में

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

34. 'A' marries 'B', the widow of the elder brother, The marriage is
'A' ने अपने बड़े भाई की विधवा से विवाह किया है: यह विवाह है:

(a) Valid/विधिमान्य
(b) Void/शून्य
(c) Voidable/शून्यकरणीय
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) June, 2013
UGC (NET) December 2009
Uttarakhand (J) 2002

Ans. (b) : 'A' द्वारा अपने बड़े भाई की विधवा से किया गया विवाह शून्य होगा क्योंकि ये हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 (g) के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध नातेदारी के अन्तर्गत आते हैं। धारा 11 के अनुसार प्रतिषिद्ध नातेदारी डिग्रियों के भीतर किया गया विवाह शून्य होगा।

35. Rules relating to prohibited degree are based on the principle of/प्रतिषेध डिग्री से सम्बन्धित नियम किस सिद्धान्त पर आधारित है?

(a) Monogamy/एक विवाह
(b) Polygamy/बहुविवाह
(c) Exogamy/विजातीय विवाह
(d) Endogamy/सजातीय विवाह

UGC (NET) June, 2013

Ans. (c) : प्रतिषेध डिग्री से सम्बन्धित नियम विजातीय विवाह के सिद्धान्त पर आधारित है।
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 3(g) में प्रतिषेध डिग्री को परिभाषित किया गया है।

36. In Hindu Marriage Act, 1955 'Degrees of Prohibited Relationship' is defined under:
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में 'प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों' को निम्नलिखित उपबन्ध के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है-

(a) Section 3(b)/धारा 3(b)
(b) Section 3(c)/धारा 3(c)
(c) Section 3(e)/धारा 3(e)
(d) Section 3(g)/धारा 3(g)

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में 'प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों' को धारा 3(g) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
धारा 3(b) - ''जिला न्यायालय''।
धारा 3(c) - पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त।
धारा 3(e) - ''विहित''।

37. Which one of the following marriages is valid under Hindu Law-
हिन्दू विधि के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा विवाह वैध है-

(a) A man marrying his deceased wife's sister/एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की बहन से विवाह करता है
(b) A man marrying his divorced wife's sister/एक व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी की बहन से विवाह करता है
(c) A man marrying his deceased wife's sister's daughter/एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की बहन की लड़की से विवाह करता है
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

BPSC (APO) 2013

Ans : (d) हिन्दी विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 में वैध विवाह की शर्तो का उल्लेख किया गया है।
धारा 5 में उल्लंघन में किया गया विवाह या तो शून्य, शून्यकरणीय या दण्डनीय होगा जबतक की ऐसा विवाह रुढ़ी या प्रथा द्वारा अभिप्रमाणित न हो। अतः उपरोक्त सभी विवाह वैध होगा।

38. A groom of 22 yeas of age marries a bride of 15 years of age. The marriage under Hindu Law is 22 वर्ष का एक वर 15 वर्ष की एक वधू से विवाह करता है। हिन्दू विधि में ऐसा विवाह है?

(a) valid but punishable/वैद्य किन्तु दण्डनीय
(b) void/शून्य
(c) voidable/शून्यकरणीय
(d) illegal/अवैध

MP (HJS) 2016
BPSC (APO) 2013

Ans : (a) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के खण्ड (iii) के अनुसार विवाह के समय वर ने 21 वर्ष तथा वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो यह हिन्दू विवाह के लिए आवश्यक शर्तों में से एक है। इसके उल्लंघन में किया गया विवाह वैध किन्तु धारा 18(a) के अनुसार दण्डनीय होगा, जो 2 वर्ष तक कठोर कारावास या 1 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डनीय हो सकता है।

39. A boy of 17 years marries a girl of 15 years. The marriage is-/एक 17 वर्ष का लड़का 15 वर्ष की लड़की से विवाह करता है। यह विवाह

(a) Void/शून्य है
(b) Voidable/शून्यकरणीय है
(c) Valid and not punishable
विधिमान्य और दण्डनीय नहीं है
(d) Valid and punishable/विधिमान्य और दण्डनीय है

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखे।

40. If the condition laid down under section 5(iii) of the Hindu Marriage Act, 1955 is violated, such marriage under the Act is:
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iii) के अंतर्गत दी गई शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है, तो अधिनियम के अंतर्गत ऐसा विवाह हैः

(a) Viod but not punishable/शून्य किन्तु दंडनीय नहीं
(b) Valid and not punishable
विधिमान्य और दंडनीय नहीं
(c) Void and Punishable/शून्य और दंडनीय
(d) Valid but Punishable/विधिमान्य किन्तु दंडनीय

UGC (NET) July, 2018

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखे।

41. Section 5(i) of the Hindu Marriage Act, 1955 provides for
हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(i) के अन्तर्गत उपबन्धित किया गया है

(a) monogamy/एकविवाह (b) bigamy/द्विविवाह
(c) polygamy/बहुपत्नीत्व (d) polyandry/बहुपतित्व

29th BPSC (J) 2017

Ans. (a) : हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(i) के अन्तर्गत, एक विवाह का उपबंध किया गया है। धारा 5(i) के अनुसार, दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए।

42. Which of the following is not a condition for a marriage under Section 5 of the Hindu Marriage Act, 1955?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विवाह की शर्त नहीं है?

(a) No Sapinda and prohibited degree relationship
कोई सपिंड और प्रतिषिद्ध डिग्री सम्बन्ध नहीं
(b) Mental capacity/मानसिक क्षमता
(c) Monogamy/एक विवाह
(d) Free consent of the parties
पक्षों की स्वतंत्र सहमति

UGC (NET) July, 2016

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 में विवाह हेतु निम्नलिखित शर्तों का वर्णन किया गया है-
1. एक विवाह
2. मूढ़ता या दिमागी विकृति (मानसिक क्षमता)
3. विवाह की निर्धारित आयु
4. प्रतिसिद्ध संबंध या नातेदारी
5. विवाह के पक्षकार एक-दूसरे के सपिण्ड न हो।

अतः हिन्दू विवाह के लिए विवाह के पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति आवश्यक तत्व नहीं है।

43. As per Section 5 of the Hindu Marriage Act, 1955 the essential conditions of a Hindu marriage are:
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार हिन्दू विवाह की आवश्यक शर्तें हैः

1. Monogamy/एकल विवाह-प्रथा
2. Mental capacity/मानसिक सक्षमता
3. The bridegroom has completed the age of 21 years and the bride of 18 years/दूल्हे ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर जी हो और दुल्हन ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर जी हो
4. No prohibited degree and sapinda relationship unless saved by custom/निषिद्ध पीढ़ी और संपिड संबंध जब तक कि प्रथा द्वारा न बचाया गया हो।

कूटः
(a) I, II and IV/1, 2 और 4
(b) II, III and IV/2, 3 और 4
(c) I, II and III/1, 2 और 3
(d) I, II, III and IV/1, 2, 3 और 4

UGC (NET) December, 2014

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखे।

44. Assertion (A): The Hindu Marriage Act, 1955 brought changes like prohibition of polygamy and prigamy and permission for inter-caste marriages.
अभिकथन (A): हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने बहुविवाह और द्विविवाह का निषेध और अंतरजातीय विवाह की अनुमति जैसे परिवर्तन लागू किये।
Reason (R): The changes were brought under social pressure.
कारण (R): सामाजिक दबाव के अन्तर्गत परिवर्तन लागू किये गये।
Codes/कूट:
(a) (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(b) (A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) (A) is true, but (R) is false/(A) सही है लेकिन (R) गलत है
(d) (A) is false, but (R) is true/(A) गलत है लेकिन (R) सही है

UGC (NET) June, 2012

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने बहुविवाह और द्विविवाह पर निषेध लगाया और अन्तरजातीय विवाह की अनुमति जैसा परिवर्तन लागू किया। इस परिवर्तन के पीछे सामाजिक दबाव नहीं था बल्कि हिन्दू समाज में सुधार करना था।

45. Punishment for violation of Clause III of Section 5 of the Hindu Marriage Act has been provided in which of the following Sections?
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खण्ड III के उल्लंघन के लिए दण्ड का प्रावधान निम्न में से किस धारा में किया गया है?
(a) Section 5/धारा 5 में
(b) Section 8/धारा 8 में
(c) Section 18(a)/धारा 18(क) में
(d) Section 18(b)/धारा 18(ख) में

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 के खण्ड III के उल्लंघन के लिए धारा 18(a) के अन्तर्गत कठोर कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधन करता है।

46. A marriage under Hindu Law between Sapindas parties shall be valid
हिन्दू विधि के अन्तर्गत सपिण्ड पक्षकारों में शादी मान्य है
(a) if the custom or usage governing each of them permits/यदि इनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रुढ़ि या प्रथा अनुमति दे।
(b) if the custom or usage governing any of them permits/यदि इनमें से किसी एक को शासित करने वाली रुढ़ि या प्रथा अनुमति दें
(c) either (a) or (b)/या (a) अथवा (b)
(d) neither (a) nor (b)/ना (a) न ही (b)

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) हिन्दू विधि अधिनियम, 1955 की धारा 5 (v) के अनुसार, सपिण्ड पक्षकारों में शादी मान्य है, यदि इनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा अनुमति दे।

47. A marriage between a Hindu boy aged 23 years and a Hindu girl aged 19 years, both of the same gotra, is
एक हिन्दू लड़का जिसकी आयु 23 वर्ष है एवं एक हिन्दू लड़की जिसकी आयु 19 वर्ष है और दोनों एक ही गोत्र के हैं, दोनों के बीच विवाह
(a) voidable/शून्यकरणीय है।
(b) void/शून्य है।
(c) valid/विधिमान्य है।
(d) illegal/अवैधानिक है।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (c) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 में विधिमान्य हिन्दू विवाह की शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत विवाह के पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत तथा सपिण्ड नहीं होने चाहिए। धारा 5 के तहत सगोत्र संबंधों में विवाह करने की मनाही नहीं है तथा ऐसा विवाह पूर्णरूपेण वैध विवाह होता है।

48. Which one of the following Acts has fixed the minimum age of marriage of boys and girls?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है?
(a) The Child Marriage Restraint Act
बाल विवाह अवरोध अधिनियम से।
(b) The Hindu Marriage Act
हिन्दू विवाह अधिनियम से।
(c) The Special Marriage Act
विशेष विवाह अधिनियम से।
(d) All of the above/उपरोक्त सभी से।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2(a) में तथा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(3) में और विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4(c) में यह प्रावधान किया गया है कि विवाह हेतु लड़का तथा लड़की की उम्र क्रमशः 21 व 18 वर्ष होनी चाहिए।

49. Can a Hindu marry second time on the basis of written consent of his first wife?
क्या कोई हिन्दू प्रथम पत्नी की लिखित सहमति से दूसरा विवाह कर सकता है?
(a) yes/हाँ
(b) no/नहीं
(c) yes, if wife is more than 21 years of age/हाँ, यदि पत्नी की उम्र 21 वर्ष से अधिक हो।
(d) yes/if wife does not give birth to any child in last 10 years/हाँ, यदि पत्नी के विगत 10 वर्ष में कोई सन्तान नहीं हुई है।

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(i) के अनुसार यदि विवाह के पक्षकारों में से किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित है, तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, अतः उपरोक्त समस्या में दूसरा विवाह वर्जित है।

50. Which section of the Hindu Marriage Act, 1955 provides for conditions of marriage.
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की किस धारा में विवाह की शर्तों का उपबंध है?

(a) Section 5/धारा 5 (b) Section 9/धारा 9
(c) Section 10/धारा 10 (d) Section 11/धारा 11

Uttarakhand (J) 2002, 2012

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में विवाह की शर्तों का उपबंध किया गया है। हिन्दूओं के वैध विवाह की निम्न शर्ते है-

1. विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित न हो,
2. विवाह के समय दोनों पक्षकार विकृतचित न हो तथा सहमति स्वतन्त्र हो,
3. विवाह के समय वर ने 21 वर्ष तथा वधु ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो,
4. विवाह के समय पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी के भीतर न हो,
5. विवाह के समय पक्षकार एक-दूसरे के सपिण्ड न हो।

51. The marriage may be solemnized between two Hindus if–
दो हिन्दुओं के बीच विवाह सम्पन्न हो सकता है यदि–

(a) bridegroom completes the age of 21 years and the bride completes 18 years/वर 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तथा वधू 18 की आयु पूर्ण कर लेती है
(b) bridegroom completes age of 18 years and the bride completes 21 years/वर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तथा वधू 21 की आयु पूर्ण कर लेती है
(c) bridegroom completes age of 21 years and bride completes 21 years/वर 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तथा वधू 21 की आयु पूर्ण कर लेती है
(d) bridegroom completes age of 18 years and the bride completes 18 years/वर 18 की आयु पूर्ण कर लेता है तथा वधू 18 की आयु पूर्ण कर लेती है

UP (HJS) 2009

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखे।

52. Under Hindu Law, marriage is a
हिन्दु विधि के अन्तर्गत विवाह है, एक

(a) sacrament/संस्कार
(b) contract/संविदा
(c) both (a) and (b)/दोनों (a) और (b)
(d) Neither (a) nor (b)/न तो (a) और न ही (b)

28th BPSC (J) 2014

Ans. (a) : हिन्दू विधि के अन्तर्गत विवाह एक संस्कार है जो अधिनियम की धारा 7 के विश्लेषित करने से स्पष्ट होता है। धारा 7 के अनुसार (i) हिन्दू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी के भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकाण्ड के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा। (ii) जहाँ कि ऐसी रीतियों एवं कर्मकाण्डों के अन्तर्गत सप्तपदी आती हो वहाँ विवाह पूर्ण एवं आबद्धकर तब होता है जब सप्तपदी लिया जाता है।

53. A Hindu marriage may be solemnized according to the customary rites and ceremonies of
एक हिन्दु विवाह किसके रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठापित किया जा सकता है?

(a) bride/वधु
(b) bridegroom/वर
(c) both the parties/वर, वधु दोनों के
(d) either party (bride and bridegroom) thereto वर या वधु, दानों में से कोई भी

29th BPSC (J) 2017

Ans. (d) : हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7(1) के अनुसार, हिन्दू विवाह उसमें के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जा सकेगा।

54. A marriage under the Hindu Marriage Act 1955, must be solemnised in accordance with the customary rites and ceremonies of:
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विवाह किसके रीति-रिवाज और अनुष्ठान के अनुसार विधिवत अनुष्ठापित किया जाता है

(a) The bridegroom/वर
(b) The bride/वधू
(c) Either bride or bridegroom/वधु या वर
(d) Both bride and bridegroom/वर और वधू, दोनों

UGC (NET) June, 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

55. Which one of the following ceremonies is obligatory under the Hindu Marriage Act?
निम्नलिखित में से कौन-सा समारोह हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य है?

(a) Kanyadan/कन्यादान
(b) Panigrahan/पाणिग्रहण
(c) Saptapadi/सप्तपदी
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

UPHESC 2014

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अनुसार हिन्दू विवाह के पूर्ण और आबद्धकर होने के लिए सप्तपदी आवश्यक है।

56. **Which of the following statements are correct?**
निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं?

A. According to the Hindu Marriage Act, performance of Sapatapadi before the sacred fire is obligatory for marriage/ हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार, पवित्र अग्नि के समक्ष सप्तपदी करना विवाह के लिए अनिवार्य है।

B. Chanting of mantra is not necessary while performing Saptapadi / सप्तपदी करते समय मंत्रोच्चारण किया जाना आवश्यक नहीं है।

C. Saptapadi was customary ritual, incorporated under the Hindu Marriage Act/ सप्तपदी एक रुढ़िगत कृत्य था, जिसे हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया।

D. In Hindu Marriage Kanyadana cannot be regarded essential. / हिन्दू विवाह में कन्यादान को अनिवार्य नहीं माना जा सकता है।

Choose the most appropriate answer from the options given below:
नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए -

(a) A and B only/ केवल A और B
(b) B and D only / केवल B और D
(c) A, B and C only / केवल A, B और C
(d) B, C and D only / केवल B, C और D

UGC (NET) March, 2023

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार हिन्दू विवाह पूर्ण होने के लिए पवित्र के अग्नि के समक्ष सप्तपदी करना अनिवार्य है परंतु सप्तपदी के समय मंत्रोच्चारण किया जाना आवश्यक नहीं है।
विवाह के शास्त्रिक रीति से अनुष्ठित किए जाने के लिए निम्नलिखित कर्मकाण्ड आवश्यक है-
1. कान्यादान और पाणिग्रहण,
2. विवाह होम, और
3. सप्तपदी

57. **Marriage under Hindu Marriage Act, 1955 is-**
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह है:

(a) Purely contract/केवल संविदा
(b) Purely sacramental/केवल संस्कार
(c) Semblance of contract and sacrament/संविदा और संस्कार का मिश्रण
(d) Neither contract nor sacrament/न तो संविदा और न ही संस्कार

UGC (NET) June, 2015 Paper-II

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधि. 1955 के तहत विवाह संविदा और संस्कार का मिश्रण है जो हिन्दू विवाह अधि. 1955 की धारा 5 एवं 7 से अभिलक्षित होता है।

58. **Any Hindu Marriage which is not properly solemnized, it shall be:**
कोई भी हिन्दू विवाह जिसका उचित रूप से अनुष्ठान नहीं किया गया है, होगा–

(a) Valid/वैध
(b) Vaidable/शून्यकरणीय
(c) Void *ab-initio*/प्रारम्भ से ही शून्य
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) June, 2010

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधि. 1955 की धारा 5 में वैध विवाह की शर्तों का तथा धारा 7 में धार्मिक अनुष्ठान का प्रावधान किया गया है।
धारा 5 में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन में किया गया विवाह या तो शून्य, शून्यकरणीय या दण्डनीय होगा, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान, जो प्रत्येक हिन्दू विवाह में किसी न किसी रूप में अनिवार्य है, के अभाव में किया गया विवाह न तो वैध विवाह होता है न ही शून्य या शून्यकरणीय। धार्मिक अनुष्ठान के अभाव में किया गया विवाह, विवाह ही नहीं (No marriage) होता है।

59. **Whether Saptapadi is obligatory under section 7 of the Hindu Marriage Act?**
क्या हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत सप्तपदी बाध्यकारी है?

(a) yes/हाँ
(b) no/नहीं
(c) depends/निर्भर करता है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2016, 2018

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अनुसार, हिन्दू विवाह उसमें के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जा सकेगा। उपधारा (2) के अनुसार, जहाँ कि ऐसे आचार और संस्कारों के अन्तर्गत सम्तपदी है (अर्थात् अग्नि के समक्ष वर और वधू को संयुक्तः सात पद लेना है) वहाँ विवाह पूरा और बाध्यकर तब हो जाता है जबकि सातवां पद पूरा किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि धारा 7 के अन्तर्गत सप्तपदी बाध्यकारी नहीं है।

60. **Hindu Marriages Act, 1955–**
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

(a) does not prescribe the ceremonies requisite for solemnization of marriage but leaves it to the parties to choose a form of ceremonial marriage which is in accordance with any custom or usage applicable to either party /विवाह के अनुष्ठापन के लिए अपेक्षित संस्कारों को विहित नहीं करता है परन्तु इसे संस्कारात्मक विवाह के रूप को चुनन के लिए, जो किसी पक्षकर को लागू होने वाली किसी प्रथा या चलन के अनुसार हो, पक्षकारों पर छोड़ देता है
(b) does not prescribe the ceremonies requisite not leaves it to the parties to choose/अपेक्षित संस्कारों को विहित नहीं करता है, न तो इसे चुनने के लिए पक्षकारों पर छोड़ता है

(c) does prescribe the ceremonies and does not leave it to the parties to choose/संस्कारों को विहित करता है एवं इसे चुनने के लिए पक्षकारों पर नहीं छोड़ता है
(d) does prescribe the ceremonies and at the same time leaves it to the parties to choose./संस्कारों को विहिप करता है एवं उसी समय उसे चुनने के लिए पक्षकारों पर छोड़ देता है

UP (HJS) 2009

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7(1) के अनुसार, हिन्दू विवाह उसमें के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जा सकेगा।

61. Under which Section of the Hindu Marriage Act, ceremonies for a Hindu Marriage is prescribed?
हिन्दू विवाह अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत हिन्दू विवाह के लिए संस्कार का प्रावधान है?
(a) Section 6/धारा 6
(b) Section 7/धारा 7
(c) Section 8/धारा 8
(d) Section 8-A/धारा 8-A

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अनुसार, हिन्दू विवाह के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा, जहाँ कि ऐसे आचारों और संस्कारों के अन्तर्गत सप्तपदी है वहाँ सातवाँ पद पूरा होते ही विवाह पूरा और बाध्यकारी हो जाता है।

62. In Hindu Marriage bride and bride groom has taken 2½ steps round the Holy fire Marriage is:
हिन्दू विवाह में वर और वधू मात्र $2\frac{1}{2}$ फेरे पवित्र अग्नि के समक्ष लेते है। यह विवाह क्या होगा?
(a) valid/वैध
(b) voidable/अवैध (शून्यकरणीय)
(c) void/शून्य
(d) illegal/अवैध

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अंतर्गत मान्य हिन्दू विवाह की शर्तों का उल्लेख किया गया है। हिन्दू विवाह की मान्य शर्तों में सप्तपदी का उल्लेख नहीं है। अतः हिन्दू विवाह के पक्षकार द्वारा मात्र $2\frac{1}{2}$ फेरे लेने मात्र से विवाह की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा ऐसा विवाह पूर्ण रूप से वैध विवाह होगा।

63. Section 8 of the Hindu Marriage Act provides for the registration of Hindu marriage, a marriage solemnized under the Hindu Marriage Act but not registered in accordance with Section 8–
धारा 8 हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू विवाहों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, एक विवाह जो हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादित किया गया हो, परन्तु धारा 8 के अनुसार पंजीकृत न हो तो–
(a) In proof of marriage in court, affect the validity of the marriage/न्यायालय में विवाह के प्रमाण में विवाह की वैधता प्रभावित करेगा
(b) Make the marriage illegal
विवाह को अवैधानिक बना देता
(c) Shall make the marriage voidable
विवाह शून्य करणीय बना देगा
(d) Shall not in any way affect the validity of the marriage/किसी भी तरह से विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा

MP (HJS) 2016

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8(1) में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार हिन्दू विवाहों का साबित किया जाना सुकर करने के प्रयोग से ऐसे नियम बना सकेगी, जो यह उपबंधित करे कि विवाह के पक्षकार अपने विवाह की विशिष्टियों को इस प्रयोजन से रखे गये हिन्दू विवाह रजिस्टर में प्रविष्टि करा सकेंगे।
परन्तु उपधारा (5) में उपबंध किया गया है कि हिन्दू विवाह रजिस्टर में प्रविष्टि करने में हुआ लोप किसी हिन्दू विवाह की विधिमान्य पर प्रभाव न डालेगा। अतः धारा 8 के तहत अपंजीकृत विवाह किसी भी तरह से विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।

64. Non-registration of marriage under the Hindu Marriage Act, 1955:
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह कर गैर-पंजीकरण-
(a) invalidates the marriage and calls for imposition of penalty /विवाह को अमान्य घोषित करता है एवं अर्थदण्ड को अधिरोपित करता है
(b) does not invalidate the marriage but calls for imposition of penalty/विवाह को अमान्य घोषित नहीं करता है एवं अर्थदण्ड को अधिरोपित करता है
(c) neither invalidates the marriage nor calls for imposition of penalty/न तो विवाह को अमान्य घोषित करता है न ही अर्थदण्ड अधिरोपित करता है
(d) makes the marriage voidable/विवाह को शून्यकरणीय बना देता है

UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

65. Marriages of all persons who are citizens of India belonging to various religious should by made compulsory registrable in their respective States where the marriage is solemnised. This was held by the Supreme Court in the case of:

उन सभी व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक हैं, विभिन्न धर्मों से हैं, के विवाह के उनके अपने-अपने राज्यों में जहां विवाह हुआ है, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। यह किसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था?

(a) Geeta Hariharan v. RBI/गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक

(b) Seema v. Ashwani Kumar/सीमा बनाम अश्वनी कुमार

(c) John Vallamatham v. Union of India/जॉन वैल्मथॉम बनाम भारत संघ

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) July 2018
UGC (NET) June 2011, 2012

Ans. (b) : सर्वोच्च न्यायालय ने **सीमा बनाम अश्वनी कुमार (14 फरवरी, 2006)** के मामले में कहा कि उन सभी व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक हैं, विभिन्न धर्मों से हैं, के विवाह के उनके अपने-अपने राज्यों में जहां विवाह हुआ है, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए।

66. The Supereme Court of India gave direction to the fact that the marriages of all persons, citizen of India, belonging to various religions should be made compulsorily registerable in those respective States where marriage is solemnized. These directions were issued in which of the following cases?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निदेश दिये है कि विभिन्न धर्मो के भारतीय नागरिकों और समस्त व्यक्तियों के विवाह को, उन राज्यों में, जहाँ विवाह संस्कार पूरे किये गये हैं, अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर देने चाहिए। निम्नांकित वादों में से किसमें यह निदेश जारी किये गये थे?

(a) R.D. Upadhyay v. State of A.P./आर.डी. उपाध्याय बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य

(b) Shastri v. Muldas/शास्त्री बनाम मलदास

(c) Seema v. Ashwani Kumar/सीमा बनाम अश्विनी कुमार

(d) Kailash Sarkar v. Maya Devi/कैलाश सरकार बनाम माया देवी

Uttarakhand (J) 2018
UGC (NET) December, 2010

Ans. (c) **:** उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

67. In which of the following case, the Supreme Court had made that all marriages should be made compulsory registration of marriages:
निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समस्त विवाहों को अनिवार्यतः पंजीकृत होना चाहिए।

(a) Ashok Hurra v. Rupa Hurra/अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा

(b) John Valla Mattom v. Union of India/जान बल्लमतम बनाम भारत संघ

(c) Seema v. Ashwani Kumar/सीमा बनाम अश्वनी कुमार

(d) Shamim Ara v. State of U.P./शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

UP (HJS) 2012
UGC (NET) June, 2009

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

68. Registration of marriage has been made compulsory by Hindu Marriage Act, 1955 under
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है-

(a) Section 12/धारा 12 में

(b) Section 14/धारा 14 में

(c) Section 8/धारा 8 में

(d) Section 6/धारा 6 में

Uttarakhand (J) 2015, 2016

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 8 हिन्दू विवाहें के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान किया गया है। **सीमा बनाम अश्विनी कुमार (2006 SC)** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिन्दू विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

69. Which of the following Section of Hindu Marriage Act, 1955 provides as to registration of marriage?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा विवाह के पंजीयन से सम्बन्धित है?

(a) Section 13A/धारा 13-क

(b) Section 8/धारा 8

(c) Section 13B/धारा 13-ख

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2009, 2012,2021

Ans : (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

70. Who among the following Judges of the Supreme Court has authored the judgment in leading case Seema V/s Ashwani Kumar (2006) 2 SSC 78, which is related to the registration of marriage?
उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने सीमा बनाम अश्वनी कुमार (2006) 2 एससीसी 78 के प्रमुख वाद में अपना निर्णय लिखा है, जो विवाह के पंजीकरण से संबंधित है?

(a) Justice Hima Kohli/ जस्टिस हिमा कोहली

(b) Justice Arijit Pasayat/ जस्टिस अरिजीत पसायत

(c) Justice Deepak Misra/ जस्टिस दीपक मिश्रा

(d) Justice P.N. Bhagwati/ जस्टिस पी.एन. भगवती

UGC (NET) March, 2023

Ans. (b) : सीमा बनाम अश्वनी कुमार (2006) का वाद विवाहों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। इस वाद में निर्णय जस्टिस अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया था।

71. **Restitution of conjugal rights can be demanded by :**
दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना की माँग कर सकता है–
(a) Husband/पति
(b) Wife/पत्नी
(c) Husband and Wife both/पति एवं पत्नी दोनों
(d) Any relative of husband or wife/
पति या पत्नी का कोई सम्बन्धी

UPHESC 2014

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना की माँग पति एवं पत्नी दोनों कर सकते हैं।

72. **The remedy of Restitution of Conjugal Rights has its roots in**
दाम्पत्याधिकारों के प्रत्यास्थापन के उपचार का मूल निम्नलिखित में से किसमें हैः
(a) Jewish Law/यहूदी कानून
(b) French Law/फ्रांसीसी कानून
(c) English Law/अंग्रेजी कानून
(d) Indian Law/भारतीय कानून

UGC (NET) July, 2016
UGC (NET) Oct, 2022

Ans. (a) : दाम्पत्याधिकारों के प्रत्यास्थापन के उपचार का मूल यहूदी कानून में पाया जाता है। भारतीय विधि में इसका प्रावधान हिन्दु विवाह अधि. की धारा 9 में किया गया है।

73. **In which of the following case the question of constitutional validity of Section 9 of the Hindu Marriage Act, 1955, came for consideration for the first time?**
निम्नलिखित में से किस मुकदमें में, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 की सांवधानिक वैधता का प्रश्न पहली बार विचारण के लिए आया था?
(a) Saroja Rani v. Sudarshan Kumar
सरोजा रानी बनाम सुदर्शन कुमार
(b) Bipin Chandra v. Prabhavati
बिपिन चंद्र बनाम प्रभावती
(c) Savitry Pandey v. Premchandra Pandey
सावित्री पाण्डेय बनाम प्रेमचंद्र पाण्डेय
(d) Lachman v. Meena/लक्ष्मण बनाम मीना

UGC (NET) September, 2013
Uttarakhand (J) 2011

Ans. (a) : सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार (1984) का मामला दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना (धारा 9) की संवैधानिकता से सम्बन्धित है। इसमें यह निर्धारित किया गया कि धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करता है।

74. **The constitutional validity of Section 9 of the Hindu Marriage Act, 1955 was tested in**
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 की संवैधानिक निम्न किस वाद में परीक्षण की गई थी?
(a) Saroj Rani v. Sudarshan AIR 1984 S.C./सरोज रानी बनाम सुदर्शन ए. आई. आर. 1984 सु. को.
(b) Shakuntla Bai v. Kulkarni AIR 1989 S.C./शकुन्तला बाई बनाम कुलकर्णी ए. आई. आर. 1989 सु. को.
(c) Sureshtha Devi v. Om Prakash, AIR 1992 SC/सुरेष्ठा देवी बनाम ओम प्रकाश ए. आई. आर. 1992 सु. को.
(d) Nanda v. Bina Nanda, AIR 1988 S.C./नन्दा बनाम बीना नन्दा ए. आई. आर. 1988 सु. को.

Uttarakhand (J) 2006, 2008

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

75. **Section 9 of the Hindu Marriage Act, 1955 was held to be 'intra-vires' the Constitution by the Supreme Court in the case of**
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 को सर्वोच्च न्यायालय ने किसके मामले में संविधान की कानूनी शक्ति के भीतर का बताया?
(a) T. Sareetha v. T.V. Subbhiah
टी. सरिथा बनाम टी.वी. सुबैया
(b) Saroj Rani v. Sudarshan/सरोज रानी बनाम सुदर्शन
(c) Harvinder Kaur v. Harmandar Singh
हरविन्दर कौर बनाम हमरमेन्द सिंह
(d) Sarla Mudgal v. Union of India
सरला मुद्‌गल बनाम भारत संघ

Uttarakhand (J) 2016
UGC (NET) December, 2014

Ans. (b) : सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार (1984) एस.सी. के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में पति-पत्नी का एक-दूसरे के साथ रहने का अधिकार किसी कानून की देन नहीं है, बल्कि यह अधिकार विवाह जैसी अवधारणा में अंर्तनिहित है, अतः हिन्दू विवाह अधिनियम की **धारा 9** संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन नहीं करती है।

76. **In which of the following cases it was held that matrimonial rights are not violative of Article 14 and Article 21 of the Constitution?**
निम्न में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि दाम्पत्य अधिकार संविधान के अनु. 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करते है?
(a) T. Saritha v. B. Subiya/टी.सरिथा बनाम बी. सुवैय्या
(b) Harjinder v. Harvinder/हरजिन्दर बनाम हरबिन्दर
(c) Saroj v. Sudarshan/सरोज बनाम सुदर्शन
(d) Swaraj v. K.M. Garg/स्वराज बनाम के. एम. गर्ग

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

77. In which of the following case the Court held that Section 9 of the Hindu Marriage Act was Constitutionally violative of right to Human dignity and privacy?
निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि हिन्दू अधिनियम की धारा 9 मानव प्रतिष्ठा एवं प्राइवेसी अधिकार का संवैधानिक रूप से उल्लंघन करता है?

(a) Bipin Chandra v. Prabhavati/बिपिन चन्द्र बनाम प्रभावती
(b) T. Sareetha v. T. Venkatasubah/टी. सरिता बनाम टी. वैंकटासुबह
(c) Lachman v. Meena/लछमन बनाम मीना
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) June, 2012

Ans. (b) : टी.सरीथा बनाम बेंकट सुब्बाया (1983) के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 मानव प्रतिष्ठ एवं प्राइवेसी के अधिकार का संवैधानिक रूप से उल्लंघन करता है अतः शून्य है। परन्तु **सरोजरानी बनाम सुदर्शन कुमार** (1984 SC) में उच्चतम न्यायालय ने टी. सरीथा वाद में प्रतिपादित विधि को उलट दिया और धारित किया कि धारा 9 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता।

78. In which of the following cases, Section 9 of the Hindu Marriage Act, 1955 has been declared unconstitutional?
निम्नलिखित में से किस वाद में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है-

(a) Shanti V/s Rupesh/ शांति बनाम रूपेश
(b) T. Sareetha V/s T.V. Subbaiah / टी. सरिता बनाम टी.वी. सुब्बैया
(c) Trithikaur V/s Kripal Singh / त्रिधि कौर बनाम किरपाल सिंह
(d) A.K. Kapoor V/s Union of India / ए.के. कपूर बनाम भारत संघ

UGC (NET) March, 2023

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

79. A petition to restitution of conjugal rights may be filed by the aggrieved party to the
व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन कर सकेगा।

(a) High Court only/केवल उच्च न्यायालय में
(b) Family Court only/केवल पारिवारिक न्यायालय में।
(c) District Court only/केवल जिला न्यायालय में।
(d) Family and District Courth both/यदि कोई प्रयोज्य रूढ़ि या प्रथा पक्षकारों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती है।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (c) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन हेतु याचिका जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।

80. For restitution of conjugal rights the aggrieved party may be petition apply to
दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए पीड़ित पक्षकार याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है:

(a) the District Court/जिला न्यायालय में
(b) the Family Court/परिवार न्यायालय में
(c) the Chief Judicial Magistrate Court चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में
(d) the Court of Sub Divisional Magistrate सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में

UPHESC 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

81. Which one of the following Sections of the Hindu Marriage Act, 1955 deals with "Restitution of Conjugal Rights"?
निम्नलिखित में से हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की कौन धारा ''दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना'' से सम्बन्धित है?

(a) Section 5/धारा 5
(b) Section 9/धारा 9
(c) Section 10/धारा 10
(d) Section 11/धारा 11

UGC (NET) December 2010
Uttarakhand (J) 2002, 2009,2021

Ans. (b) : दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में प्रावधान हिन्दू विवाह अधिनियम की **धारा 9** में वर्णित (किया गया) है। जिसके अनुसार, जबकि पति या पत्नी में से किसी ने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना दूसरे से अपना साहचर्य प्रत्याहृत कर लिया है, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिये याचिका द्वारा आवेदन जिला न्यायालय में कर सकेगा।

82. Under which section of the Hindu Marriage Act, 1955, 'judicial separation' has been provided?
हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 की किस धारा के अन्तर्गत 'न्यायिक पृथक्करण' के आधार दिये गये हैं?

(a) Section 9/धारा 9
(b) Section 10/धारा 10
(c) Section 11/धारा 11
(d) Section 13/धारा 13

29th BPSC (J) 2017

Ans. (b) : हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अन्तर्गत, 'न्यायिक पृथक्करण' का प्रावधान किया गया है। न्यायिक पृथक्करण के आधार वही है, जो विवाह-विच्छेद के आधार है।

83. Judicial separation under the Hindu Marriage Act, 1955 is done under
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण किसके अधीन किया जाता है

(a) Section 7/धारा 7
(b) Section 4/धारा 4
(c) Section 3/धारा 3
(d) Section 10/धारा 10

Rajasthan SET 2023

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

84. Which of the following provisions deals with judicial separation under the Hindu Marriage Act, 1955?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसने न्यायिक पृथक्करण को बताया गया हैः
(a) Section 12/धारा 12
(b) Section 13-B/धारा 13-ब
(c) Section 10/धारा 10
(d) Section 9/धारा 9
Bihar (HJS) 2018

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

85. A decree of judicial separation passed by a competent Court between the parties to a marriage/वैवाहिक पक्षकारों के बीच एक न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति, जो एक सक्षम अदालत द्वारा पारित किया गया हो
(a) brings the marriage relationship between the spouses to an end/पति-पत्नी के बीच वैवाहिक सम्बन्ध की समाप्ति कर देती है
(b) makes the parties free to marry any other person/पक्षकारों को किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह की स्वतन्त्रता देती है
(c) does affect the marital relationship between the spouses and they are no more husband and wife/पति-पत्नी के सम्बन्ध को प्रभावित करती है और वे पति-पत्नी नहीं रह जाते
(d) does not affect the marital relationship but suspends the conjugal relationship till the period of decree/पति-पत्नी के सम्बन्धों को प्रभावित नहीं करती किन्तु वैवाहिक सम्बन्ध को आज्ञप्ति, के प्रभावी समय तक विलम्बित कर देती है
30rd BPSC (J) 2018

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार वैवाहिक पक्षकारों के बीच एक न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति, जो एक सक्षम अदालत द्वारा पारित किया गया हो तो पति-पत्नी के सम्बन्धों को प्रभावित नहीं करती किन्तु वैवाहिक सम्बन्ध को आज्ञप्ति के प्रभावी समय तक विलम्बित कर देती है।

86. A party to a Hindu Marriage after obtaining a decree of judicial separation:
न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पाने के बाद एक हिन्दू विवाह के पक्षकार कोः
(a) must obtain a decree of divorce/तलाक की डिक्री अवश्य प्राप्त करनी चाहिए
(b) need not obtain a decree of divorce/तलाक की डिक्री प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है
(c) must not reside in the matrimonial home/वैवाहिक गृह में नहीं रहना चाहिये
(d) none of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं
Bihar (HJS) 2016

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।
न्यायिक पृथक्करण की डिक्री सिर्फ पृथक्करण (अलग) होने के लिए होती है तथा पक्षकारों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के वाद तलाक की डिक्री अवश्य प्राप्त करे। धार 10(2) में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय किसी पक्षकार के आवेदन पर पृथक्करण की डिक्री को रद्द कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप निलम्बित वैवाहिक सम्बन्ध पुनः चालू हो जायेगे।

87. Premarital relationship of husband or wife is legal ground for/पति या पत्नी के विवाहपूर्व संबंध वैधानिक आधार है–
(a) Judicial separation/न्यायिक पृथक्करण हेतु
(b) Divorce/विवाह विच्छेद हेतु
(c) Declare the marriage void
विवाह के शून्य घोषित करने हेतु
(d) None of these/इनमें से किसी हेतु नहीं
MP (HJS) 2018

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात पति या पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छया मैथुन विवाह विच्छेद तथा न्यायिक पृथक्करण हेतु आधार है, जबकि विवाहपूर्ण संबंध न तो न्यायिक पृथक्करण, विवाह विच्छेद या विवाह के शून्य घोषित करने हेतु आधार है।

88. Chandra v. Suresh, AIR 1971 Delhi 208 deals with/चंद्रा बनाम सुरेश ए.आइ.आर. 1971 दिल्ली 208 किससे संबंधित है?
(a) maintenance/भरण-पोषण
(b) custody of children/बच्चों की अभिरक्षा
(c) Hindu undivided family/हिन्दू अविभाजित परिवार
(d) decree of judicial separation/न्यायिक अलगाव की डिक्री
UGC (NET) June, 2019

Ans. (d) : चंद्रा बनाम सुरेश (1971) का वाद न्यायिक अलगाव की डिक्री से सम्बन्धित है। न्यायिक पृथकरण का उपबंध हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में है, जिसका आवेदन जिला न्यायालय में किया जाता है।

89. Which of the following are not available to a Hindu husband as grounds of Judicial Sepration? Answer with the help of codes given below:
एक हिन्दू पति के लिए निम्न में से कौन न्यायिक विच्छेद के आधार नहीं है?
1. Extra marital sex by wife/पत्नी द्वारा विवाहेत्तर यौन संबंध
2. Conversion of wife to a non-Hindu religion/पत्नी द्वारा गैर-हिन्दू धर्म अपनाना
3. Wife's pre-marriage pregnancy/पत्नी की विवाह पूर्व की गर्भावस्था

4. **Non consummation of marriage owing to impotence of wife/पत्नी की नपुंसकता के कारण विवाहोपरांत संभोग न होना।**

Codes:/कूटः

(a) 1 and 2 only/सिर्फ 1 और 2
(b) 2 and 3 only/सिर्फ 2 और 3
(c) 4 and 1 only/सिर्फ 4 और 1
(d) 3 and 4 only/सिर्फ 3 और 4

UGC (NET) January, 2017

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 में उपबंधित न्यायिक पृथ्थकरण के वही आधार है, जो धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद के है। अतः पत्नी द्वारा विवाहेत्तर यौन संबंध तथा पत्नी द्वारा गैर हिन्दू धर्म अपनाना हिन्दू पति के लिए न्यायिक पृथ्थकरण का आधार है। जबकि पत्नी की विवाह पूर्व गर्भावस्था तथा नपुसंकता धारा 12 के तहत शून्यकरणीय विवाह का आधार है।

90. Answer with the help of codes given below:
नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिएः

A decree of judical separation:
एक न्यायिक पृथक्करण की डिक्रीः

1. **Does not dissolve the marriage tie but merely suspends marital rights and obligations during the subsistence of the decree/विवाह बंधन का विघटन नहीं करती है अपितु केवल डिक्री के अस्तित्व के दौरान वैवाहिक अधिकारों और उत्तरदायित्वों को निलंबित करती है।**
2. **Dissolve the marriage bond/विवाह संबंध का विघटन करता है।**
3. **Becomes a ground of divorce for either party after a specified period of non-resumption of cohabitation/सहवास पुनःआरम्भ नहीं करने की विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् दोनों पक्षों के लिए तलाक का आधार बन जाता है।**
4. **Does not allow either party to remarry/दोनों पक्षों को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देता है।**

Codes:/कूटः

(a) 1, 3 & 4 are correct, but 2 is incorrect
1, 3 और 4 सही है, किन्तु 2 गलत है
(b) 1, 2 & 3 are correct, but 4 is incorrect
1, 2 और 3 सही है, किन्तु 4 गलत है
(c) 2, 4 & 3 are correct, but 1 is incorrect
2, 4 और 3 सही है, किन्तु 1 गलत है
(d) 4, 2 & 1 are correct but 3 is incorrect
4, 2 और 1 सही है, किन्तु 3 गलत है

UGC (NET) September, 2016

Ans. (a) : एक न्यायिक प्रथक्करण की डिक्री जो हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में प्रावधानित है, विवाह बंधन का विघटन नहीं करती है अपितु केवल डिक्री के अस्तित्व के दौरान वैवाहिक अधिकारों और उत्तरदायित्वों को निलंबित करती है। यदि एक वर्ष तक पक्षकार सहवास पुनः आरम्भ नहीं करते है तो उसके पश्चात दोनों पक्षों के लिए यह तलाक का आधार बन जाता है। दोनों पक्षकार न्यायिक पृथ्थकरण की डिक्री के दौरान पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं।

91. Under the provisions of the Hindu Marriage Act, 1955 the decree of Judicial Separation:
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण की डिक्रीः

1. **dissolve the marriage/विवाह का विघटन करती है।**
2. **does not dissolve the marriage bond but only suspends marital rights and obligations during the subsistence of the decree/विवाह-बंधन विघटित नहीं करती अपितु डिक्री के निर्वहन के दौरान केवल वैवाहिक अधिकार और दायित्वों को निलम्बित करती है।**
3. **the parties continue to be husband and wife but not obligated to live together and neither party is free to marry/पक्षकार पति और पत्नी बने रहते हैं परन्तु वे न तो एक साथ रहने के लिए बाध्य हैं और उनमें से कोई भी विवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं है।**
4. **if after a decree of judicial separation the parties have not resumed cohabitation for a period of one year, either party may seek divorce/यदि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के बाद पक्षकार एक वर्ष की अवधि तक पति-पत्नी की तरह साथ नहीं रहते तो दोनों में से कोई भी पक्षकार तलाक की माँग कर सकता है।**

Codes:/कूटः

(a) (1), (2) and (3)/1, 2 और 3
(b) (2), (1) and (4)/2, 1 और 4
(c) (2), (3) and (4)/2, 3 और 4
(d) (1), (2), (c) and (4)/1, 2, 3 और 4

UGC (NET) December 2014, 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

92. Which one of the followings is not the ground of Judicial separation under Section 10 of the Hindu Marriage Act, 1955?/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अधीन निम्नलिखित में कौन सा आधार न्यायियक पृथक्करण के लिए नहीं है?

(a) Adultery/व्यभिचार का आचरण
(b) Cruelty/क्रूरता
(c) Leprosy/कोढ़
(d) Missing of less than seven years/सात वर्ष से कम लापता होना

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण के लिए वही आधार है, जो धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद का आधार है। अतः-

1. व्यभिचारिता का आचरण
2. क्रूरता
3. अभित्याग (कम से कम 2 वर्ष निरंतर)
4. धर्म परिवर्तन
5. विकृतचित्तता
6. कोढ़
7. संचारी रतिजन्य रोग
8. सन्यासी होना
9. सात वर्ष या अधिक समय से लापता होना

उपर्युक्त आधार दोनों पक्षकारों (पति एवं पत्नी) को प्राप्त है। निम्नलिखित आधार केवल पत्नी को प्राप्त है

1. पति द्वारा दूसरा विवाह करना।
2. पति के बलात्संग या अप्राकृतिक मैथुन के दोषी होने पर।
3. भरण-पोषण की डिक्री।
4. यौवनावस्था का विकल्प।

93. Which of the following is not a ground of judicial Separation under the Hindu Marriage Act, 1955?
निम्नलिखित में से कौन-सा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का आधार नहीं है?

(a) Renuciation of the world/संसार का परित्याग
(b) Seven years absence/सात वर्षों की अनुपस्थिति
(c) Conversion to Non-Hindu religion/गैर-हिन्दू धर्म में अंतरित होना
(d) Desertion for one year/एक वर्ष के लिए परित्याग

UGC (NET) December, 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

94. Adultery is a ground under Hindu Marriage Act, 1955 for
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारकर्म आधार है

(a) judicial separation/न्यायिक पृथक्करण
(b) divorce/विवाह विच्छेद
(c) judicial separation and divorce both/न्यायिक पृथक्करण व विवाह विच्छेद दोनों
(d) only divorce and not judicial separation/केवल विवाह विच्छेद न कि न्यायिक पृथक्करण

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारकर्म न्यायिक पृथक्करण व विवाह विच्छेद दोनों का आधार है, क्योंकि धारा 10 के अनुसार, न्यायिक पृथक्करण के आधार वही है, जो विवाह-विच्छेद के आधार है।

95. The Hindu Marriage Act, 1955 contains the minimum period of desertion for filing a suit for judicial separation is
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में अधित्याग में आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु कम से कम कितना समय है?

(a) 3 years/3 साल (b) 5 years/5 साल
(c) 7 years/7 साल (d) 2 years/2 साल

Uttarakhand (J) 2006, 2011

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अनुसार जिन आधारों पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदन किया जा सकता है उन्हीं आधारों पर न्यायिक पृथक्करण हेतु आवेदन भी किया जा सकता है। धारा 13 (i) (ib) के अनुसार विवाह विच्छेद हेतु अर्जी के उपस्थापन के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की कालावधि तक विपक्षी अर्जीदार को अभित्यक्त रख है।

96. A Hindu couple having the decree of judicial separation want to live together:
एक हिन्दू दम्पत्ति जिन्हें न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त है, एक साथ रहना चाहते है:

(a) They can live together/वे एक साथ रह सकते है।
(b) They cannot live together/वे एक साथ नही रह सकते है।
(c) They can live together after re-marriage/वे एक साथ केवल पुनः विवाह करके ही रह सकते है।
(d) They can live together only after the permission of the court/वे एक साथ केवन न्यायालय की अनुमति से ही रह सकते है।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण से संबंधित प्रावधान किया गया है। न्यायिक पृथक्करण का प्रभाव वैवाहिक संबंधों का स्थगन होता है, न कि वैवाहिक संबंधों का विच्छेद। अतः न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त हिन्दू दम्पत्ति एक साथ रह सकते है।
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10(2) में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय दोनों में से किसी पक्षकार की याचिका पर तथा कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री को विखण्डित कर सकता है।

97. The Hindu Marriage Act, 1955 : After passing a decree of judicial separation in favour of the petitioner, the same court may on just and reasonable grounds rescind it/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 : न्यायिक पृथक्करण की डिक्री अर्जीदार के पक्ष में पारित करने के उपरांत, वही न्यायालय न्यायसंगत और युक्तियुक्त आधार पर उसे विखंडित कर सकता है–

(a) On the application of the petitioner
अर्जीदार के आवेदन पर
(b) On the application of the respondent
प्रत्यर्थी के आवेदन पर

(c) On the application of either of the parties
दोनों पक्षकारों में से किसी के भी आवेदन पर

(d) The court which passed the decree cannot subsequently received it at any time/डिक्री पारित करने वाला न्यायालय उसे पश्चात में कभी भी विखंडित नहीं कर सकता है

MP (HJS) 2019

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

98. What is the effect of Judicial Separation on material relation under Hindu Marriage Act?
हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक पृथक्करण का विवाह के सम्बन्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(a) Marital relations come to an end/वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है।

(b) Marital relations is suspended/वैवाहिक सम्बन्ध स्थगित हो जाता है।

(c) Marriage becomes void/विवाह शून्य हो जाता है।

(d) Marriage becomes voidable/विवाह शून्यकरणीय हो जाता है।

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। न्यायिक पृथक्करण के आदेश द्वारा केवल वैवाहिक सम्बन्ध स्थगित रहते हैं जबकि इसके विपरीत विवाह विच्छेद के आदेश द्वारा वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं अर्थात् पति-पत्नी की स्थिति नहीं रह जाती है।

99. A marriage solemnized between any two Hindus, who are Sapindas of each other shall be valid, if
किन्हीं दो हिन्दुओं के बीच सम्पन्न एक शादी, जो एक-दूसरे से सपिण्ड है, मान्य होगी–

(a) the custom or usage governing each of them permits a marriage between the two/यदि रूढ़ि या प्रथा, जिसके द्वारा उनमें से प्रत्येक शासित होता है, उनके बीच शादी की स्वीकृति देती है

(b) the custom or usage govenring any of them permits a marriage between the two/यदि उनमें से किसी एक को भी शामिल करने वाली रूढ़ितथा प्रथा उनके बीच शादी की स्वीकृति देती है

(c) Either (a) or (b)/या तो (a) या (b)

(d) Neither (a) nor (b)/न तो (a) और न ही (b)

UGC (NET) January 2017
BPSC (APO) 2011
Uttarakhand (J) 2009

Ans : (a) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(V) के अंतर्गत सपिण्ड के आधार पर हिन्दू विवाह पर प्रतिषेध लगाया गया है तथा ऐसा विवाह धारा 11 के तहत शून्य होता है। किन्तु दोनों पक्षकारों को शासित होने वाली रूढ़ि या प्रथा सपिण्ड विवाह को अनुज्ञात करती है, तो ऐसा विवाह शून्यकरणीय मान्य होगा।

100. Under which Section of the Hindu Marriage Act, 1955, a Hindu marriage may be declared as void?/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की किस धारा में एक हिन्दू विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है?

(a) Section 9/धारा 9 (b) Section 10/धारा10
(c) Section 11/धारा 11 (d) Section 12/धारा 12

Bihar (J) 2020
Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के तहत कोई भी विवाह यदि वह धारा 5 के खण्ड (i), (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो अकृत और शून्य होगा।

101. Out of the following which is not a Void Marriage?
निम्न में से कौन सी शादी शून्य नहीं है।

(a) That at the time of the Marriage either party has a spouse/शादी के समय किसी एक पक्षकार के पति/पत्नी थीं

(b) The parties are sapindas to each other
पक्षकारों के मध्य संपिंडा रिश्ता था।

(c) The parties are within prohibited degree of relationship/पक्षकारों के मध्य वर्जित रिश्तेदारी थी

(d) That either party is of bad character
एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना।

27th BPSC (J) 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

102. Under the Hindu Marriage Act, 1955, a marriage is treated as void, if it/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक विवाह शून्य होता है, यदि

(a) contravenes the condition given under Sections 5(i) and (ii) of the Hindu Marriage Act/वह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5(i) और (ii) के उल्लंघन से हुआ है

(b) contravenes the condition given under Sections 5(ii) and (iii) of the Hindu Marriage Act/वह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5(ii) और (iii) के उल्लंघन से हुआ है।

(c) contravenes the condition given under Sections 5(i), (iii) and (v) of the Hindu Marriage Act/वह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5(i), (iii) और (v) के उल्लंघन से हुआ है

(d) contravenes the condition given under Sections 5(i), (iv) and (v) of the Hindu Marriage Act/वह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5(i), (iv) और (v) के उल्लंघन से हुआ है

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार, एक विवाह शून्य होता है यदि धारा 11 की अपेक्षाओं को सन्तुष्ट करता है। धारा 11 के अनुसार कोई भी विवाह, यदि वह धारा 5 के खण्ड (i) (iv) एवं (v) में विर्निदिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो, अकृत और शून्य होगा और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी अकृतता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा।

103. Under Section 11 of the Hindu Marriage Act, 1955 the marriage may be declared null and void if: /हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के अन्तर्गत विवाह को अकृत्य एवं शून्य घोषित किया जा सकता है, यदि-

(a) the parties are within the degrees of prohibited relationship/पक्षकार प्रतिषिद्ध नाते दारी की डिक्रियों में हों

(b) at the time of the marriage, one of the parties was incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind /चित्त विकृत के परिणामस्वरूप कोई एक पक्षकार विवाह के समय विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ

(c) at the time of the marriage, one of the parties was subject to recurrent attacks of insanity /कोई एक पक्षकार को विवाह के समय उन्मत्ता के बार-बार दौरे आते हों

(d) in all the above circumstances/उपरोक्त सभी परिस्थितियों में

UP (HJS) 2018
Uttarakhand (J) 2016

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

104. Under Section 11 of the Hindu Marriage Act, 1955, the marriage may be declared null and void if:-/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के अन्तर्गत विवाह को अकृत्य एवं शून्य घोषित किया जा सकता है, यदि -

(a) the parties are within the degrees of prohibited relationship/पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिक्रीयाँ में हो

(b) at the time of the marriage, one of the parties was incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind/चित्त विकृत के परिणामस्वरूप कोई एक पक्षकार विवाह के समय विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ हो

(c) at the time of the marriage, one of the particles was subject to recurrent attacks of insanity/कोई एक पक्षकार को विवाह के समय उन्मत्तता के बार बार दौरे आते हो

(d) in all the above circumstances/उपरोक्त सभी परिस्थितियों में

MP (HJS) 2018
Rajasthan (J) 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

105. Which of the following is not a ground for declaring a marriage void under the Hindu Marriage Act, 1955?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विवाह को शून्य घोषित कराने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आधार नही है:

(a) Bride and bride-groom had a spouse living at the time of marriage/विवाह के समय वर और वधु के पास विवाहित पत्नी या पति हो

(b) At the time of marriage either of the parties was incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind/विवाह के समय विवाह के पक्षकारों में से काई पक्षकार मानसिक विकृति के परिणामस्वरूप विधिपूर्ण सहमति देने में असमर्थ हो

(c) The parties are within the degree of prohibited relationship and there is no custom or usage governing each of the party to the marriage, which permits of marriage between them/विवाह के पक्षकार प्रतिषेध सम्बन्धों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं जबकि न दोनों पक्षकारों के बीच ऐसे कोई प्रथा या रूढ़ि नहीं है जो विवाह को अनुमति देते हों

(d) The parties to the marriage are sapindas of each other and there is no custom or usage governing each of the party to the marriage, which permits of marriage/विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सापिण्ड सम्बन्ध के अन्तर्गत आत हैं जबकि उन पक्षकारों के मध्य ऐसी प्रथा या रूढ़ि नहीं है जो ऐसे विवाह की अनुमति देता हो

Bihar (HJS) 2018
MP (HJS) 2014

Ans. (b) **:** यदि विवाह के समय विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार मानसिक विकृति के कारण विधिपूर्ण सम्मति देने में असमर्थ हो तो ऐसा विवाह धारा 11 के तहत शून्य न होकर धारा 12 के तहत शून्यकरणीय होता है।

106. A male Hindu entered into a second marriage while the first marriage was in force and a son was born to him by the second marriage, this son
एक पुरुष हिन्दू के द्वारा प्रथम विवाह के प्रभावशील रहते दूसरा विवाह किया गया और दूसरे विवाह से उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह पुत्र–

(a) is legitimate, but has the right to inherit property only from his mother
धर्मज है, परन्तु उसे सिर्फ अपनी माँ से सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार है

(b) is illegitimate and has the right to inherit property from his mother
अधर्मज है, और उसे सिर्फ, अपनी माँ से सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार है

(c) is illegitimate, but inherit property from all relatives/धर्मज है, परन्तु वह सभी सम्बन्धियों से सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकता है
(d) is legitimate and shall have the right to inherit property only from his parents
धर्मज है, और उसे सिर्फ अपने माता-पिता से सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार होगा

MP (HJS) 2016

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या में हिन्दू पुरुष द्वारा किया गया दूसरा विवाह धारा 5(i) का उल्लंघनकारी होने के कारण धारा 11 के अंतर्गत शून्य होगा।
धारा 16(1) में प्रावधन किया गया है कि धारा 11 के अधीन विवाह के अकृत और शून्य होते हुए भी ऐसे विवाह से उत्पन्न अपत्य धर्मज होगा, परन्तु उसे सिर्फ अपने माता पिता से संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार होगा।

107. Consider the following Propositions
निम्नलिखित प्रस्थापनाओं पर विचार कीजिए:

1. **A void marriage remains valid until a decree annulling it has been passed by a competent court/एक शून्य विवाह तब तक वैध रहता है जब तक कोई सक्षम अदालत उसे रद्द करने का आदेश नहीं देती।**
2. **A void marriage is never a valid marriage and there is no necessity of any decree annulling it/शून्य विवाह कभी भी वैध नहीं होता इसलिए इसे रद्द करने के लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।**
3. **A voidable marriage is regarded as a valid marriage until a decree annulling it has been passed by a competent court/एक शून्यकरणीय विवाह तब तक वैध माना जाता है जब तक कोई सक्षम अदालत उसे रद्द नहीं करती।**

Codes:/कूट:
(a) I, II and III are correct/1, 2 और 3 सही है
(b) I and II are correct/1 और 2 सही है
(c) II and III are correct/2 और 3 सही है
(d) I and III are correct/1 और 3 सही है

UGC (NET) June 2011, 2012

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 एवं 12 में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार एक शून्य विवाह प्रारम्भतः शून्य होता है यह कभी भी वैध नहीं रहता है, इसलिए इसे रद्द कराने के लिए किसी न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं होती जबकि शून्यकरणीय विवाह तब तक वैध माना जाता है जब तक कोई सक्षम अदालत उसे रद्द नहीं करती है।

108. Bigamous marrige under the Hindu Marriage Act, 1955 is
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन द्वि-विवाह है
(a) Valid/विधिमान्य
(b) Void/शून्य
(c) Voidable/शून्यकरणीय
(d) Irregular/अनियमित

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (b) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के अन्तर्गत यदि कोई विवाह धारा 5 के खण्ड (1), (4) और (5) में उल्लिखित शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है, तो वह अकृत और शून्य होगा। अतः द्विविवाह शून्य है।

109. A Hindu girl wishes to marry her mother's sister's adopted Hindu son who happens to be her childhood friend since the pre-adoption days. Such a marriage under Hindu Law will be
एक हिन्दू लड़की जो बचपन के मित्र से विवाह करना चाहती है उसे उसकी सगी मौसी ने दत्तक ग्रहण कर लिया है। उसकी उस व्यक्ति से मित्रता दत्तक ग्रहण के पहले से है। उनके मध्य विवाह हिन्दू विधि के अनुसार
(a) valid/वैध होगा
(b) void/शून्य होगा
(c) voidable/शून्यकरणीय होगा
(d) none of the aboveउपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : उनके मध्य विवाह, हिन्दू विधि के अनुसार शून्य होगा क्योंकि अब लड़की, मौसी की दत्तक पुत्र की बहन हो गई। जिस कारण यह विवाह हेतु प्रतिषिद्ध नातेदारी मानी जाती है।

110. A marriage under the Hindu Marriage Act, 1955 between two persons within prohibited degrees of relationship is-
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध नातेदारी के व्यक्तियों का विवाह-
(a) Valid/विधिमान्य है
(b) Void/शून्य है
(c) Voidable/शून्यकरणीय है
(d) Irregular/अनियमित है

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार, प्रतिषिद्ध नातेदारी के व्यक्तियों के बीच किया गया विवाह अकृत और (null and void) शून्य है।
धारा 18(b)के अनुसार, प्रतिषिद्ध नातेदारी के व्यक्तियों के बीच किया गया विवाह दण्डनीय है। इसके लिए विहित दण्ड एक मास की अवधि तक का कारावास या 1000 रूपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है।

111. The Nature of Marriage of a Impotent Person is: एक नपुसंक की शादी की प्रकृति हैः

(a) Void/शून्य
(b) Voidable/शून्यीकरण
(c) Illegal/अवैध
(d) None of the above/ उपरोक्त कोई भी नहीं

27th BPSC (J) 2011

Ans. (b) : एक नपुंसक की शादी शून्यकरणीय है। धारा 12, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत यह विवाह के शून्यकरणीयता का एक आधार है।

112. Marriage with Eunuch is regarded as: हिजड़े के साथ शादी को माना जाता हैः

(a) Illegal/अवैध
(b) Legal/वैध
(c) Void/शून्य
(d) Voidable/शून्यीकरण

27th BPSC (J) 2011

Ans. (d) : हिजड़े के साथ विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अनुसार, शून्यकरणीय होता है।

113. Grounds of voidable marriage under sec. 12 of the Hindu Marriage Act, 1955 are: हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अंतर्गत शून्यकरणीय विवाह के आधार हैः

1. **Non-consummation due to impotence नपुंसकता के कारण गैर निष्पादन**
2. **Pre-marriage pregnancy by a person other than the petitioner/याचिकाकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कारण विवाह-पूर्व गर्भ धारण**
3. **Consent obtained by force or fraud बल या कपट के द्वारा प्राप्त सहमति**
4. **Conversion to non-Hindu religion गैर हिन्दू धर्म में अंतरण**

Codes:/कूटः

(a) (1), (3) and (4) are correct, but (2) is incorrect/1, 4 और 3 सही है, किन्तु 2 गलत है
(b) (4), (3) and (2) are correct, but (1) is incorrect/4, 3, 2 और 3 सही है, किन्तु 1गलत है
(c) (1), (2) and (3) are correct, but (4) is incorrect/1, 2 और 3 सही है, किन्तु 4 गलत है
(d) (1), (2), (3) and (4) are correct/1, 2, 3 और 4 सही है

UGC (NET) September, 2016

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अंतर्गत शून्यकरणीय विवाह के निम्नलिखित आधार है-
(1) नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर सम्भोग का न होना
(2) अमुढ़ता (मस्तिष्क-विकृति)
(3) प्रत्यर्थी का विवाह के समय गर्भवती होना
(4) बल या कपट के द्वारा प्राप्त सहमति
जबकि गैर हिन्दू धर्म में अन्तरण धारा 13 (ii) के अंतर्गत तलाक का आधार है।

114. Read the following propositions and give correct answer with the help of codes given below :/निम्नलिखित प्रस्थापनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिएः

Propositions are :/प्रस्थापनाएँ हैः

1. **A voidable Hindu marriage is regarded as a valid marriage until a decre annulling it has been passd by a competent court/शून्यकरणीय हिन्दु विवाह को वैध माना जाता है, जब तक कि सक्षम न्यायालय के द्वारा इसे निष्प्रभावी करने की डिक्री पास नहीं कर दी गयी है।**
2. **A void Hindu marriage is never a valid marriage and there is no necessiity of any decree annulling it/एक शून्य हिन्दू विवाह कभी भी वैध विवाह नहीं है और इसे निष्प्रभावी करने के लिए किसी डिक्री की आवश्यकता नहीं है।**
3. **A void Hindu marriage remains valid until a decree annualling it has been passed by a competent court/एक शून्य हिन्दू विवाह तब तक वैध रहता है, जब तक कि इसे निष्प्रभावी करने वाली डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा पास नहीं कर दी गयी है।**
4. **Children of void and voidable Hindu marriage are legitimate/शून्य और शून्यकरणीय हिन्दू विवाहों के संतान वैध है।**

कूटः

(a) Only (1) and (3) are correct, but (4) is incorrect/केवल 1 और 3 सही है, किन्तु 4 गलत है
(b) (1), (2) and (4) are correct, but (3) is incorrect/1, 2 और 4 सही है, किन्तु 3 गलत है
(c) (1), (2) (3) and (4) are correct/1, 2, 3 और 4 सही है
(d) (1) and (4) are correct, but (2) and (3) are incorrect/1 और 4 सही है, किन्तु 2 और 3 गलत है

UGC (NET) July, 2016

Ans. (b) : शून्यकरणीय विवाह तब तक वैध बना रहता है जब तक की सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा ऐसे विवाह को निष्प्रभावी बनाने की डिक्री न पास कर दी गई है (धारा 12)।
शून्य विवाह प्रारम्भतः शून्य होता है तथा इसे निष्प्रभावी करने के लिए किसी डिक्री की आवश्यकता नहीं होती हैं (धारा 11)।
हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार शून्य और शून्यकरणीय विवाह की सन्तान धर्मज होती है।

115. Propositions are: प्रस्थपनाएँ हैः

1. A void marriage remains valid until a decree annulling it has been passed by a competent court/अमान्य विवाद वैध रहता है जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे रद्द करने के लिए न्यायिक निर्णय न पास कर दिया गया हो।

2. A void marriage is never a valid marriage and there is no necessity of any decree annulling it/एक अमान्य विवाह वैध विवाह कभी नहीं है और उसे निष्प्रभावी करने के लिए किसी न्यायिक के निर्णय की आवश्यकता नहीं है।
3. A voidable marriage is a valid subsisting marriage until a decree annulling it has been passed by a court of competent jurisdiction/अमान्यकरणीय विवाह एक वैध टिकाऊ विवाह है जब तक कि एक सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा उसे निष्प्रभावी करने के लिए न्यायिक निर्णय पारित कर दिया गया हो।

उपर्युक्त प्रस्थापनाओं के संदर्भ में कौन सा सही है?

(a) I and III are correct, but II is incorrect
1 और 3 सही है पर 2 गलत है
(b) II and III are correct, but I is incorrect
2 और 3 सही है पर 1 गलत है
(c) I and III are incorrect, but II is correct
1 और 3 गलत है पर 2 सही है
(d) I and II are incorrect, but III is correct
1 और 2 गलत है पर 3 सही है

UGC (NET) December, 2014

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

116. A defence of nullity of marriage in case of voidable marriage annuls the marriage from the:
शून्यकरणीय विवाह के मामले में विवाह के अकृतता का बचाव को निरस्त करता है-

(a) date of the decree/डिक्री के दिनांक से
(b) date of the petition/याचिका के दिनांक से
(c) date of the marriage/विवाह के दिनांक से
(d) date as directed by the Court/न्यालय द्वारा निर्दिष्ट दिनांक से

UP (HJS) 2018

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 के तहत शून्यकरणीय विवाह से संबंधित उपबध किया गया है। शून्यकरणीय विवाह के अकृतता की डिक्री का प्रभाव डिक्री के दिनांक से होता है।

117. Which one of the following sections of the Hindu Marriage Act relates to voidable marriage?
हिन्दू विवाह अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा शून्यकरणी विवाह से सम्बन्धित है:

(a) Section 10/धारा 10
(b) Section 13/धारा 13
(c) Section 8/धारा 8
(d) Section 12/धारा 12

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 शून्यकरणीय विवाह से सम्बन्धित है। धारा 12 के तहत शून्यकरणीय विवाह के निम्न आधार है-
(1) नपुसंकता (Impotency)।
(2) धारा 5(2) के उल्लंघन में सम्पन्न विवाह।
(3) सम्मति, बल या कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया हो।
(4) प्रत्यर्थी का विवाह के समय गर्भवती होना।

118. Which one of the following is not the ground of voidable marriage under Hindu Marriage Act?
हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत निम्न में से कौन सा शून्यकरणीय विवाह का आधार नहीं है?

(a) Impotency/नपुंसकता
(b) Unsoundness of mind/चित्त-विकृति
(c) Force or fraud/बलप्रयोग या कपट
(d) Bigamy/द्विविवाह

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

119. Marriage of a Hindu male or female under the Hindu Marriage Act, 1955 with a person of unsound mind or one suffering from mental disorder is/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक हिन्दू पुरुष या महिला का विवाह एक ऐसे व्यक्ति, जो अस्वस्थचित्त या मानसिक रोगी हो, के साथ होना

(a) not valid/वैध नहीं है
(b) void/शून्य होगा
(c) voidable/शून्यकरणीय होगा
(d) perfectly valid/पूर्णतया वैध होगा

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 5 के उपखण्ड (ii) का उल्लंघन होने पर धारा 12 (i)(b) के उपबन्धों के अनुसार विवाह शून्यकरणीय होगा।

120. If at the time of marriage either party is incapable of giving valid consent in consequence of unsoundness of mind, such marriage under the Hindu Marriage Act shall be/विवाह के समय दोनों में से, यदि कोई पक्ष चित्त-विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ हो तो ऐसा विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत होगा–

(a) void/शून्य (b) illegal/अवैध
(c) voidable/शून्यकरणीय (d) valid/वैध

MP (HJS) 2013

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(b) के अनुसार यदि विवाह धारा 5(ii) (चित्त-विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ) में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है, तो ऐसा विवाह शून्यकरणीय होगा और अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल किया जा सकेगा।

121. That the respondent was, at the time of the marriage, pregnant by some person other than the petitioner, is a ground for voidable marriage under
विवाह के समय प्रत्यर्थी प्रार्थी से नहीं परन्तु किसी अन्य पुरुष द्वारा गर्भ से थी तो विवाह को किस धारा के अधीन शून्यकरणीय योग्य ठहराने का आधार बनता है?

(a) Section-12(1)(a)/धारा 12(1) (a)
(b) Section-12(1)(b)/धारा 12(1) (b)
(c) Section-12(1)(c)/धारा 12(1) (c)
(d) Section-12(1)(d)/धारा 12(1) (d)

UGC (NET) June, 2014

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधि. 1955 की **धारा 12** शून्य करणीय विवाह के आधारों के विषय में प्रावधान करता है। धारा 12(1)(d) के अनुसार इस आधार पर की प्रत्युत्तरदायी विवाह के समय याचिकादाता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी तो विवाह इस आधार पर शून्यकरणीय होगा और अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल किया जा सकेगा।

122. Pregnancy of a girl at the time of her marriage under the Hindu Marriage Act, 1955/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विवाह के समय कन्या का गर्भवती होना

(a) will not affect the marriage
विवाह को प्रभावित नहीं करेगा
(b) will make the marriage ipso facto invalid
तथ्य के आधार पर विवाह को अवैधानिक कर देगा
(c) will be a ground for making the marriage as void/विवाह को शून्य करार देने में एक आधार बन जाएगा
(d) will be a ground for making the marriage as voidable/विवाह को शून्यकरणीय करार देने में एक आधार बन जाएगा

30rd BPSC (J) 2018
Uttarkhand (J) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

123. Marriage with an impotent and has not been consummated
The marriage is
नपुंसक से विवाह और विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ हो, वह विवाह है–

(a) Valid/विधिमान्य (b) Void/शून्य
(c) Nullity/अकृत (d) Irregular/अनियमित

UGC (NET) June, 2013

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(i) (a) के अनुसार, प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर सम्भोग का न होना शून्यकरणीय विवाह का आधार है और इसे अकृतता की आज्ञप्ति द्वारा अकृत किया जा सकेगा।

124. Section 12(1) (a) of the Hindu Marriage Act is related to
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 12(1) सम्बन्धित है।

(a) Impotency/नपुंसकता से
(b) Mental disorder/मानसिक अस्वस्थता से
(c) Fraud/कपट से
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2014

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

125. Suppression by a woman who was pregnant at the time of marriage is a ground for annulling the marriage as.
गर्भवती स्त्री द्वारा शादी के समय अपनी गर्भ धारण के बारे में छिपाकर विवाद करना-

(a) Voidable/शून्यकरणीय है
(b) void/शून्य है
(c) Irregular/अनियमितता है
(d) Neither (A) nor (B)/न तो (A) न ही (B)

UP (HJS) 2014

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 (1) (d) के अन्तर्गत गर्भवती स्त्री द्वारा विवाह के समय अपनी गर्भ धारण के बारे में छिपाकर विवाह करना शून्यकरणीय होगा और अकृतता की आज्ञप्ति द्वारा अकृत किया जा सकेगा।

126. Concealment by the respondent of premarriage pregnancy by some person other than the petitioner can make a marriage
प्रत्यर्थी द्वारा, विवाह-पूर्व याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होने का तथ्य, छिपाया जाना विवाह को बना सकता है-

(a) void/शून्य (b) voidable/शून्यकरणीय
(c) illegal/अवैध (d) valid/वैध

Uttarakhand (J) 2011, 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

127. 'X' a Hindu aged 28 years marries 'Y' aged 25 years according to Hindu rites. It turns out that at the time of marriage 'Y' was pregnant by someone other than 'X'. The marriage between 'X' and 'Y' is
'क' एक 28 वर्षीय हिन्दू है 'ख' जो 25 वर्षीय हिन्दू है, हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह करता है यह पता चलता है कि विवाह के समय 'ख' किसी अन्य व्यक्ति ('क' से नहीं) से गर्भवती है। 'क' एवं 'ख' के बीच विवाह

(a) illegal/अवैधानिक है।
(b) void/शून्य है।
(c) voidable/शून्यकरणीय है।
(d) not a marriage at all under Hindu Marriage Act/हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन विवाह नहीं है।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

128. **Match List-I and List-II and select the correct answer using the list given below-**

List-I

(A) Marriage between parties within degrees of prohibited relationship
(B) Impotency
(C) Marriage between two sapindas of each other
(D) Pregnancy of wife at the time of marriage by some person other than the petitioner

List-II

1. Voidable
2. Void
3. Voidable
4. Void

सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिएः

सूची I	सूची II
A. प्रतिषिद्ध डिग्रीवाले पक्षकारों का विवाह	1. शून्यकरणीय
B. नपुंसकता	2. शून्य
C. दो सपिंडो का विवाह	3. शून्यकरणीय
D. विवाह के समय पत्नी का पिटीशनर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भिणी होना	4. शून्य

Code/कूटः

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	2	3	1	4
(c)	2	1	3	4
(d)	2	4	1	3

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार निम्नलिखित सही सुमेलित है—

A. प्रतिषिद्ध डिक्री वाले पक्षकारों का विवाह	शून्य (धारा 11)
B. नपुंसकता	शून्यकरणीय (धारा 12 (a))
C. दो सपिंडो का विवाह	शून्य (धारा 11)
D. विवाह के समय पत्नी का पिटीशनर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भिणी होना	शून्यकरणीय (धारा 12 (d))

129. **Read the following statements and answer with the help of the codes given below:**
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिएः

The guilty theory of divorce, on the one hand, implies a guilty party and on the other, it implies that the other party is innocent. In view of this which of the following is/are correct?

तलाक के दोष सिद्धांत का एक ओर अर्थ दोषी पक्ष है और दूसरी ओर इसका अर्थ है कि दूसरा पक्ष निदोष है। इसके दृष्टिगत निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैंः

1. **If cruelty is provoked, divorce will be refused/यदि क्रूरता उकसाया गया है, तलाक की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
2. **If innocent party condones the acts of the guilty party, no divorce can be granted/यदि निर्दोष पक्ष दोषी पक्ष के कृत्यों को क्षमा कर देता है तो तलाक की अनुमति नहीं दी जा सकती।**
3. **If both parties were guilty, divorce would not be granted to either/यदि दोनों पक्ष दोषी थे तो दोनों को ही तलाक की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
4. **Unreasonable delay in filing petition is no bar for the relief of divorce/याचिका दायर करने में अनुचित विलम्ब तलाक के राहत के लिए कोई बाधा नहीं है।**

Code/कूटः

(a) Only 1 and 3 are correct/केवल 1 और 3 सही हैं
(b) Only 2 and 3 are correct/केवल 2 और 3 सही हैं
(c) Only 1, 2 and 3 are correct /केवल 1, 2 और 3 सही हैं
(d) Only 3 and 4 are correct /केवल 3 और 4 सही हैं

UGC (NET) July, 2016

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधि. 1955 की धारा 13 तलाक के सम्बन्ध में प्रावधान करती है। धारा 13(1) (i) के अनुसार विवाह के अनुष्ठान के पश्चात् अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव तलाक का एक आधार है, किन्तु क्रूरता यदि उकसाया गया है तो तलाक की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः कथन (1) सही है।
यदि निर्दोष पक्ष दोषी पक्ष के कृत्यों को क्षमा कर देता है तो तलाक की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः कथन (2) सही है।
दोनों पक्षों के दोषी होने पर दोनों को ही तलाक की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः कथन (3) सत्य है।
याचिका दायर करने में अनुचित विलम्ब तलाक के राहत के लिए बाधा है क्योंकि अनुचित विलम्ब होने पर यह माना जायेगा कि निर्दोष पक्ष दोषी पक्ष की गलती को क्षमा कर दिया है।

130. **Which one of the following Section of Hindu Marriage Act relates to divorce?**
हिन्दू विवाह अधिनियम की कौन-सी धारा विवाह-विच्छेद से सम्बन्धित है?

(a) Section 10/धारा 10
(b) Section 12/धारा 12
(c) Section 13/धारा 13
(d) All of them/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J)2002, 2012

Ans : (c) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में प्रावधान करता है।

131. **Marital relationship comes to an end in the case of :**
किसी स्थिति में वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो जाती है:
(a) A judicial separation /न्यायिक पृथक्करण में
(b) Restitution of conjugal rights
वैवाहिक सम्बन्ध की पुर्नस्थापना में
(c) Divorce /विवाह विच्छेद
(d) Both (a) and (b)/ (a) और (b) दोनों में

Bihar (HJS) 2015

Ans. (c) : वैवाहिक सम्बन्ध का समापन विवाह विच्छेद द्वारा होता है, जबकि न्यायिक पृथक्करण द्वारा वैवाहिक संबंध का स्थगन होता है हिन्दू विधि के अन्तर्गत विवाह विच्छेद तथा न्यायिक पृथक्करण के आधार तो समान है लेकिन परिणाम भिन्न है।
हिन्दू विवाह अधि. 1955 की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण तथा धारा 13 में विवाह विच्छेद से सम्बन्धित प्रावधान किया जाता है।

132. **A marriage is frustrated when one of the spouses is suffering from any physical ailment or mental unsoundness of mind or changes their religion or renounces the world or disappears for a very long period. The aggrieved party should be allowed to put an end to the marriage by getting divorce under which theory?**
एक विवाह तब निष्फल हो जाता है जब पति या पत्नी किसी शारीरिक बीमारी या मानसिक विकृतचितता से ग्रसित हो या धर्म परिवर्तन करले या संसार त्याग दे या लंबे समय के लिए गायब हो जाये पीड़ित पक्षकार को ऐसे विवाह को समाप्त करने के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति किस सिद्धांत के आधार पर होगी–
(a) Frustration of marriage theory
विवाह के निष्फलता का सिद्धांत
(b) Guilt of offence theory/अपराध ग्लानि का सिद्धांत
(c) Indissolubility of marriage theory
विवाह के अघुलनशीलता का सिद्धांत
(d) All of these/यह सभी

MP (HJS) 2020

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह के निष्फलता (विवाह-विच्छेद) के आधार पति एवं पत्नी को प्राप्त है, जो निम्नलिखित है–
1. जारता
2. क्रूरता
3. अभित्यजन (2 वर्ष तक)
4. धर्म-परिवर्तन
5. मानसिक विकृतचितता
6. उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग
7. यौन विकार
8. प्रकल्पित मृत्यु (7 वर्ष या अधिक कालावधि तक लापता)
9. न्यायिक पृथक्करण की डिक्री (1 वर्ष या अधिक समय तक सहवास न होना)
10. दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री (1 वर्ष या अधिक समय तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं)

133. **Which of the following is not a ground for Divorce under Hindu Marriage Act?**
हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद के लिये आधार निम्नांकित में से कौन-सा नहीं है?
(a) Cruelty/निर्दयता
(b) Desertion/निर्वसन
(c) Adultery/जारकर्म
(d) Incompatible Temperamental adjustment
बेमेल स्वभाव समायोजन

UGC (NET) June, 2010

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

134. **Which of the following are fault grounds of divorce under the Hindu Marriage Act, 1955?**
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत निम्नलिखित में से कौन से तलाक के दोषपूर्ण आधार है?
1. Extra Marritial sex/विवाहेतर शारीरिक संबंध
2. Consent obtained by force or fraud/बल अथवा छल द्वारा प्राप्त की गई सहमति
3. Desertion/परित्याग
4. Conversion to non Hindu religion/गैर हिन्दू धर्म में परिवर्तन
Codes:/कूट:
(a) 1, 2, and 3/1, 2 और 3
(b) 2, 3, and 4/2, 3 और 4
(c) 2, 1 and 4/2, 1 और 4
(d) 1, 3, and 4/1, 3 और 4

UGC (NET) June, 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

135. **Which of the following has not yet been statutorily recognized as a theory of divorce under the Hindu Marriage Act, 1955?**
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके अभी तक कानूनी रूप से तलाक की अवधारणा नहीं माना गया है?
(a) Fault Theory/दोष अवधारणा
(b) Will Theory/इच्छा अवधारणा
(c) Breakdown Theory/विघटन अवधारणा
(d) Mutual Consent Theory/परस्पर सहमति अवधारणा

UGC (NET) December, 2014

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दोष की अवधारणा (धारा 13), विघटन का अवधारणा (धारा 13(1-A)) परस्पर सहमति की अवधारणा (धारा-13B) के सिद्धांत को कानूनी रूप से तलाक की अवधारणा माना गया है। जबकि इच्छा की अवधारणा का कोई कानूनी मान्यता हिन्दू विवाह अधिनियम में नहीं है।

136. **A petition for the dissolution of the marriage by a decree of divorce may be presented, if cohabitation as between the parties to the marriage, after the passing of a decree of judicial separation, is not resumed for a period of:**

विवाह के विघटन के लिए तलाक की डिक्री द्वारा याचिका दाखिल की जा सकती है, यदि पृथक्करण के बीच किस अवधि तक सम्भोग को पुनः चालू न किया गया हो?

(a) One year or upwards/एक वर्ष अथवा इससे अधिक
(b) Two years or upwards/दो वर्ष अथवा इससे अधिक
(c) Six months or upwards/छः मास अथवा इससे अधिक
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) June, 2014

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधि. 1955 की **धारा 13(1)(A)** के अनुसार-विवाह में का कोई भी पक्षकार चाहे वह अधिनियम के प्रारम्भ पहले अथवा पश्चात अनुष्ठीत हुआ हो तलाक की आज्ञप्ति द्वारा विवाह विच्छेद के लिए इस आधार पर कि-
विवाह के पक्षकारो के बीच में न्याायिक पृथ्थकरण की आज्ञप्ति के पारित होने के पश्चात एक वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास का पुनः आरम्भ नहीं हुआ है, याचिका दाखिल कर सकते है।

137. Assertion (A): Marriage under the Hindu Marriage Act, 1955 is dissoluble.
अभिकथन (A): हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन हुए विवाह में सहयोजन समाप्त करने योग्य है।
Reason (R): Marriage is a sacrosanct union.
तर्क (R): विवाह एक अतिपवित्र गठबन्धन है।
Codes:/कूटः

(a) Both (A) and (R) are tre/(A) और (R) दोनों सही है
(b) Both (A) and (R) are false/(A) और (R) दोनों गलत है
(c) (A) is true, but (R) is false/(A) सही है परन्तु (R) गलत है
(d) (A) is false, but (R) is true/(A) गलत है, (R) सही है।

UGC (NET) September, 2013

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन अनुष्ठापित विवाह कुछ परिस्थितियों में विच्छेद हो जाने योग्य है, यदि धारा 13 में दिये गये शर्तों को पूरी करती है। हिन्दू विवाह को एक पवित्र गठबंधन माना जाता है।

138. Arrange the grounds of divorce in the order in which they appear in the Hindu Marriage Act, 1955. Use the codes given below:
तलाक के आधारों को, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में दिये क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिये कूटों की सहायता से उत्तर का चयन करेंः

1. Mutual consent/पारस्परिक सहमति
2. Break down/सम्बन्ध विच्छेद
3. Fault/दोष
4. Customary/रुढ़िजन्य

(a) 3, 2, 1, 4 (b) 2, 3, 4, 1
(c) 1, 2, 3, 4 (d) 4, 3, 1, 2

UGC (NET) December, 2012

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के धारा 13, 13A तथा 13B में तलाक के आधारों का उल्लेख किया गया है।
(1) रुढ़िजन्य आधार-वे आधार हिन्दू पारिवारिक विधि में पहले से तलाक के आधार के रूप में मान्य रहे हैं।
(2) दोष (Fault)-अर्थात् पक्षकारों में से किसी की गलती या कमी के आधार पर दूसरे पक्षकार का विवाह को निराकृत कराने का अधिकार। उदाहरण के लिए - धारा 13 उपखण्ड (1) व (2) में बताये गये आधार है।
(3) पारस्परिक सम्मति - धारा 13B में दिया गया है कि पारस्परिक सम्मति से पक्षकार विवाह को निराकृत करा सकेंगे।
(4) संबंध विच्छेद (Brake down) - इस आधार पर कि पक्षकारों के बीच न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति के पश्चात् एक वर्ष के भीतर सहवास का पुनराम्भ न होने पर धारा 13(1-A) के अंतगर्त विवाह-विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी।

139. Presently the Hindu Marriag Act, 1955 recognizes the following theories of divorce:
वर्तमान में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तलाक के निम्नांकित सिद्धांतों को मान्यता देता हैः

(a) Fault and Mutual Consent/त्रुटि और आपसी सहमति
(b) Mutual Consent and Breakdown of Marriage/आपसी सहमति और विवाह की असफलता
(c) Fault, Breakdown of Marrige, Mutual Consent and Customary/त्रुटि, विवाह की असफलता, आपसी सहमति और प्रथागत
(d) Fault, Irretrievable Breakdown of Marriage and Mutual Consent/त्रुटि, विवाह की संपूर्ण असफलता और आपसी सहमति

UGC (NET) January, 2017

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

140. Under Section 13 of the Hindu Marriage Act, the number of grounds for divorce, which are common to husband or wife, is
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद के लिए कितने आधार पति या पत्नी के लिए समान है?

(a) 7 (b) 9
(c) 11 (d) 15

BPSC (APO) 2013

Ans : (c) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद के लिए निम्नलिखित 11 आधार पति या पत्नी के लिए समान है–

1- जारता	7- यौनरोग
2- क्रूरता	8- संसार परित्याग
3- अभित्यजन	9- 7 वर्ष से लापता
4- धर्म परिवर्तन	10- न्यायिक पृथ्क्करण
5- मानसिक विकृतचित्तता	11- धारा 9 की डिक्री का पालन न होना
6- कोढ़	

पत्नी के अन्य चार आधार -
1- पति द्वारा दूसरा विवाह धारा 13(2)(i)
2- पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध, धारा 13(2)(ii)
3- भरण-पोषण की डिक्री, धारा 13(2)(iii)
4- यौवन का विकल्प, धारा 13(2)(iv)

141. Which of the following is not a ground of dissolution of marriage under the Hindu Marriage Act, 1955?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विवाह के विघटन का आधार नहीं है?

(a) Non resumption of cohabitation atleast for one year after the decree of Judicial Separation/न्यायिक पृथकता की डिक्री के बाद कम से कम एक वर्ष तक सहवास पुनः शुरू नहीं करना
(b) Pre-Act bigamy by husband/पति द्वारा अधिनियम से पूर्व द्विविवाह
(c) Renunciation of the world/संसार त्याग देना
(d) Pre-marriage pregnancy of wife/पत्नी का विवाह पूर्व गर्भ धारण

UGC (NET) September, 2016

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

142. Guilt Theory of Divorce implies:
तलाक का अपराध सिद्धान्त के अन्तर्गत आता है

(a) Both parties to the marriage to be guilty/विवाह के दोनों पक्षकार दोषी है
(b) One guilty party and other party to be innocent/एक पक्षकार दोषी और दूसरा निर्दोष है
(c) Both (A) and (B)/(a) और (b) दोनों
(d) Neither (A) nor (B)/न (a) और न ही (b)

UGC (NET) December, 2011

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत तलाक के अपराध सिद्धान्त को तभी लागू किया जा सकेगा जब विवाह का एक पक्षकार दोषी हो और दूसरा पक्षकार निर्दोष हो। धारा 13(1) में विवाह विच्छेद के दोषिता के आधार दिये गये है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी विवाह, यदि एक पक्षकार यह सिद्ध कर दे कि दूसरे पक्षकार ने कोई वैवाहिक अपराध किया है, का विच्छेद हो जाता है।

143. Premarital relation of spouse is a statutory ground for
पति/पत्नी का विवाह-पूर्व यौन सम्बन्ध एक वैधानिक आधार है

(a) divorce/विवाह-विच्छेद का
(b) judicial separation/न्यायिक पृथकीकरण का
(c) nullity of marriage/विवाह की अकृतता का
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2013
Uttarakhand (J) 2009

Ans : (d) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पति या पत्नी का विवाह से पहले यौन सम्बन्ध विवाह-विच्छेद (धारा 13), न्यायिक पृथक्करण (धारा 10) तथा विवाह की अकृतता (धारा 11, 12) में से किसी का आधार नहीं है।

144. In a petition seeking divorce on the ground of adultery:
जारता के आधार पर तलाक लेने वाले याचिका में:

(a) the person with whom adultery is alleged is necessary party /वह व्यक्ति जिसके साथ जारता होना कहा जाता है और आवश्यक पक्षकार है
(b) the person with whom adultery is alleged is proper party /वह व्यक्ति जिसके साथ जारता होना कहा जाता है उचित पक्षकार है
(c) the person with whom adultery is alleged is meither a necessary nor a proper party/वह व्यक्ति जिसके साथ जारता होना कहा जाता है न तो आवश्यक और न ही उचित पक्षकार है
(d) the court may in its discretion direct the petitioner to add the person with whom adultery is alleged as a party/न्यायालय अपने विवेक में याची को निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति को पक्षकार के रूप में जोड़े जिसके साथ जारता होना कहा जाता है

Bihar (HJS) 2016

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधि. 1955 की धारा 13(1) (i) में जारता को तलाक का आधार माना गया है। जारता के आधार पर तलाक लेने वाले याचिका में वह व्यक्ति जिसके साथ जारता होना कथित है एक आवश्यक पक्षकार (Necessary party) होता है।
नोट-जोसेफ साइन बनाम भारत संघ (2018sc) के मामले में उच्चतम न्यायलय ने जारता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, लेकिन जारता तलाक (विवाह विच्छेद) का आधार हो सकता है)

145. Under Section 13(1)(i) of the Hindu Marriage Act, 1955 a petition for divorce was presented by the wife against the husband on the ground of adultry. It includes the person with whom the husband had committed adultry/पति के विरुद्ध पत्नी के द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1995 की धारा 13(1)(i) के अंतर्गत जारता के आधार पर विवाह-विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की गई। इसमें वह व्यक्ति जिसके साथ पति के द्वारा जारता की गई–

(a) is a necesary party/आवश्यक पक्षकार है
(b) is a proper party/उचित पक्षकार है
(c) necessary party as well as proper party आवश्यक पक्षकार के साथ-साथ उचित पक्षकार भी है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (HJS) 2014

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

146. "Single Act of adultery" is a ground for
'एक बार का जारकर्म' भी किसके लिए आधार बनता है?
(a) Judicial Separation/न्यायिक पृथक्करण
(b) Divorce/तलाक
(c) Divorce and Judicial Separation both
तलाक तथा न्यायिक पृथक्करण दोनों
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) September, 2013

Ans. (c) :उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

147. Adultery by a Hindu husband is
एक हिन्दू पति द्वारा जारकर्म
(a) ground of divorce only
केवल तलाक का आधार है।
(b) not a ground of divorce only
केवल तलाक का आधार नहीं है।
(c) ground of judicial separation only
केवल न्यायिक पुथक्करण का आधार है।
(d) ground of divorce and judicial separation both//तलाक एवं न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार है।

UGC (NET) June 2013
Uttarakhand (J) 2002, 2012

Ans : (d) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार जिन आधारों पर विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उन्हीं आधारों पर न्यायिक पृथक्करण की याचिका भी प्रस्तुत की जा सकती है। अतः ''जारकर्म'' न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद दोनों का आधार है।

148. Abortion of child by wife without the consent of the husband is a ground for:
अगर पति की सहमति के बगैर गर्भपात पत्नी द्वारा कराया गया है तो यह आधार होगा–
(a) Nullity of marriage/विवाह का रद्दीकरण
(b) Judicial separation/न्यायिक पृथक्करण
(c) Divorce/विवाह-विच्छेद
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2009

Ans. (b&c) : सुशील कुमार बनाम ऊषा 1987 के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय तथा **सत्या बनाम श्रीराम 1983** के वाद में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पति की सहमति के बिना पत्नी द्वारा गर्भपात जबकि पति बच्चा चाहता भी है, क्रूरता है। क्रूरता विवाह विच्छेद का आधार है और 1976 के हिन्दू विवाह संशोधन अधिनियम के बाद अब यह न्यायिक पृथक्करण भी आधार है।

149. Dastane v. Dastane related to which of the following matter in Hindu Law?
हिन्दू विधि में दस्ताने बनाम दस्ताने का वाद निम्नलिखित में से किस विषय से सम्बन्धित है?
(a) Restitution of conjugal rights/दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से
(b) Cruelty/क्रूरता से
(c) Adultery/जारकर्म से
(d) Spinda/सपिण्डा से

Uttarakhand (J) 2019
UGC (NET) June 2012

Ans. (b) : नारायण गनेश दस्ताने बनाम सुचेता नारायण दस्ताने, 1975 (S.C.) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन क्रूरता विवाह-विच्छेद का आधार नहीं है, केवल न्यायिक पृथक्करण का आधार है। 1976 के संशोधन द्वारा अधिनियम में क्रूरता को विवाह-विच्छेद को एक आधार के रूप में स्थापित किया गया। अतः क्रूरता विवाह विच्छेद तथा न्यायिक पृथ्थकरण दोनों का आधार है।

150. Which one of the following cases decided by the Supreme Court is related to 'mental cruelty'?
उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित में से कौन-सा वाद 'मानसिक क्रूरता' से सम्बन्धित है?
(a) Sayal v. Sarla/सायल बनाम सरला
(b) Dastane v. Dastane/दास्ताने बनाम दास्ताने
(c) Rita Nijhawan v. Raj Kishan Nijhawan
रीत निझावन बनाम राजकिशन निझावन
(d) Rooplal v. Kartaro/रूपलाल बनाम करतारा

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (b) : उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत (1975) वाद **दास्ताने बनाम दास्ताने** 'मानसिक क्रूरता' से सम्बन्धित है।
सायल बनाम सरला (1951, पंजाब उच्च न्यायालय) का वाद भी 'मानसिक क्रूरता' से सम्बन्धित है।
क्रूरता दो प्रकार की होती है—
1. शारीरिक क्रूरता, 2. मानसिक क्रूरता

151. Dastane v. Dastane is a case on
दास्ताने बनाम दास्ताने का वाद है
(a) Adoption/दत्तक-ग्रहण पर
(b) Marriage/विवाह पर
(c) Guardianship/संरक्षकता पर
(d) Divorce/विवाह विच्छेद पर

Uttarakhand (J) 2002, 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

152. Russel V Russel is related to which of the following matter in 'Hindu Law'?
'हिन्दू विधि' में रसल बनाम रसल का वाद निम्नलिखित में से किस विषय से सम्बन्धित है?
(a) Desertion/अभित्याग
(b) Cruelty/क्रूरता
(c) Adultery/व्यभिचारिता का आचरण
(d) Leprosy/कोढ़

Uttarkhand (J) 2021

Ans. (b) : हिन्दू विधि में रसल बनाम रसल (1924) का वाद क्रूरता से सम्बन्धित है।

153. The minimum period of desertion for filing a suit for judicial separation under the Hindu Marriage Act, 1955 is/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के लिए वाद प्रस्तुत करने हेतु अभित्यजन की न्यूनतम अवधि है–

(a) three years/तीन वर्ष (b) five years/पाँच वर्ष
(c) two years/दो वर्ष (d) seven years/सात वर्ष

MP (HJS) 2013

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायिक पृथक्करण का वही आधार है, जो विवाह-विच्छेद का है अर्थात् धारा 13 (1) (ib) के अनुसार कोई पक्षकार यदि अपने पति या पत्नी को अर्जी पेश किये जाने से कम से कम दो वर्ष से अभित्यजन किया गया है, तो विवाह-विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

154. The case relating to 'Constructive desertion' is 'आन्वयिक अभित्यजन' से सम्बन्धित मामला है?

(a) Sunil Kumar v. Swarnalata
सुनील कुमार बनाम स्वर्णलता
(b) Bipin Chandra v. Prabhavati
विपिनचन्द्र बनाम प्रभावती
(c) Dastane v. Dastane/दास्ताने बनाम दास्ताने
(d) Jyotish Chandra v. Meera
ज्योतिष चन्द्र बनाम मीरा

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (d) : ज्योतिषचन्द्र बनाम मीरा (1970 SC) आन्वयिक अभित्यजन से सम्बन्धित है जबकि नारायण गनेश दास्ताने बनाम सुचिता नारायण दास्ताने (1975 SC) का वाद मानसिक क्रूरता से सम्बन्धित है। विपिनचन्द्र बनाम प्रभावती 1956 का वाद अभित्यजन से सम्बन्धित है।

**155. Divorce on ground of conversion is..........to converting spouse.
धर्म परिवर्तन के आधार पर विवाह विच्छेद सम्परिवर्तित पति या पत्नी को है**

(a) Not available /उपलब्ध नहीं है
(b) Available/उपलब्ध है
(c) Available to both/दोनों को उपलब्ध है
(d) Not available to any of the spouse
पति या पत्नी किसी पक्ष को उपलब्ध नहीं है

Bihar (HJS) 2015

Ans. (a) : धर्म परिवर्तन के आधार पर विवाह विच्छेद हिन्दू विवाह अधी. 1955 की धारा 13(i) (ii) में दिया गया है। इस धारा के अनुसार धर्म परिवर्तन के आधार पर विवाह विच्छेद का अधिकार उस व्यक्ति को है जिसने धर्म परिवर्तन नहीं किया है।

सुरेश साहू बनाम लीला (2006 केरल) - विवाह के किसी पक्षकार के द्वारा धर्म परिवर्तन किये जाने पर वह पक्षकार जो कि हिन्दू धर्म को नहीं त्यागता विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का हकदार होता है।

**156. The 'mental disorder' covered under Section 13 of the Hindu Marriage Act, 1955 as a ground for divorce shall include the following–
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 में विवाह विच्छेद के आधार के अंतर्गत आने वाले ''मानसिक विकार'' के अंतर्गत निम्न आएगा–**

(a) unusually aggressive behaviour
असामान्य रूप से आक्रामक आचरण
(b) seriously unaccountable conduct
गम्भीर रूप से अनुत्तरदायी आचरण
(c) conduct likely to be cured by medical treatment/चिकित्सीय उपचार से ठीक होने की संभावना वाला आचरण
(d) All of these/इनमें से सभी

MP (HJS) 2019

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 में विवाह विच्छेद के आधार के अंतर्गत आने वाले मानसिक विकार के अंतर्गत–
- असामान्य रूप से आक्रमण आचरण।
- गम्भीर रूप से अनुत्तरदायी आचरण।
- चिकित्सीय उपचार से ठीक न होने की संभावना वाला आचरण इत्यादि सभी आते है।

**157. Which of the following is not ground of divorce under Hindu Marriage Act, 1955–
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निम्नलिखित में कौन-सा तलाक का आधार नहीं है?**

(a) Desertion/अभित्यजन
(b) Mental cruelty/मानसिक क्रूरता
(c) Adultry/व्यभिचार
(d) Irreparable breakdown of marriage
विवाह का असाध्य विखण्डन

MP (HJS) 2015

Ans. (*) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के अंतर्गत मानसिक क्रूरता, धारा 13(1)(i) के अंतर्गत व्यभिचार, धारा 13(1)(ii) के अंतर्गत अभित्यजन तथा धारा 13(1A) के अंतर्गत विवाह का असाध्य विखण्डन सभी तलाक का आधार है।

158. Which of the following is not a ground of divorce under the Hindu Marriage Act, 1955?/ हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तलाक का आधार नहीं है?

(a) Leprosy/कुष्ठ
(b) Insanity/पागलपन
(c) Epilepsy/मिर्गी
(d) Venereal disease/रतिज रोग

UGC (NET) July, 2016
Uttarakhand (J) 2015, 2016

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में दिये गये तलाक के आधार में से मिर्गी तलाक का आधार नहीं है। जबकि कुष्ठ रोग, पागलपन और रतिज रोग तलाक का आधार है। मिर्गी को 1976 के संशोधन द्वारा तलाक के आधारों में हटा दिया गया।

159. On the ground of barrenness or sterility, marriage can be
बन्ध्यता या बांझपन के आधार पर, विवाहः
(a) voidable/शून्यकरणीय हो सकता है
(b) void/शून्य हो सकता है
(c) both (A) and (B)/(a) और (b) दोनों
(d) neither (A) nor (B)/न (a) न ही (b)

UGC (NET) December, 2012

Ans. (d) : बन्ध्यता या बांझपन हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में बताये गये विवाह विच्छेद के आधारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, अतः यह तलाक का आधार नहीं है। दूसरी बात, इस अधिनियम के धारा 11 में शून्य विवाह के आधार तथा धारा 12 में शून्यकरणीय विवाह के आधार दिये गये हैं। इन दोनों में ही बांझपन को आधार नहीं बनाया गया है। अतः बन्ध्यता या बांझपन न तो विवाह को शून्य और न ही शून्यकरणीय बनाते हैं।

160. The Hindu Marriage Act, 1955 recognises as a ground of divorce.
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 .... को तलाक के कारण के रूप में मान्यता देता है–
(a) actual desertion/वास्तविक अभित्यजन
(b) constructive desertion/आन्वयिक अभित्यजन
(c) only (A) and not (B)/केवल (a), (b) नहीं
(d) both (A) and (B)/(a) और (b) दोनों

UGC (NET) December, 2011

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 13(1)(ib) के अंतर्गत अभित्यजन को तलाक का आधार बताया गया है। न्यायिक विनिश्चयों से अब यह धारित हो चुका है कि अभित्यजन में वास्तविक तथा आन्वयिक अभित्यजन दोनों आते हैं।

161. Under Hindu law where the husband creates a condition in which the wife is compelled to leave the conjugal home and live separately
हिन्दू विधि के अन्तर्गत जहाँ पति ऐसी अवस्था उत्पन्न करता है कि पत्नी अपने शादीशुदा घर को छोड़ देने हेतु विवश हो जाती है और अलग रहने लगती है।
(a) the husband may sue for divorce/पति तलाक हेतु वाद दायर कर सकता है
(b) the wife will be held guilty of desertion/पत्नी परित्याग के लिए दोषी है
(c) the marriage is irretrievably broken down/विवाह असाध्य रूप से नष्ट हो गया है
(d) the husband is guilty of constructive desertion/पति आन्वियक रूप में परित्याग का दोषी है

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) हिन्दू विधि के अन्तर्गत आन्वियक अभित्यजन का अर्थ है, जब विवाह का कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा घर छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वह पक्षकार जिसके व्यवहार से ऐसा घटित होता है, आन्वयिक अभित्यजन का दोषी है।

162. In case of 'desertion' the wife has to prove which of the following facts?
'परित्याग' की दशा में एक पत्नी को निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा साबित करना पड़ेगा?
(a) The husband has abandoned her/पति द्वारा उसकों त्याग दिया गया है
(b) That he had done so without any reasonable cause and against her wish and without her consent/पति द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण एवं उसकी इच्छा के विरुद्ध तथा बिना उसकी सहमति के ऐसा किया गया है
(c) That he has willfully neglected her/पति द्वारा उसकी जान-बूझकर उपेक्षा की गई है
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के द्वितीय स्पष्टीकरण के अनुसार, 'परित्याग' की दशा में एक पत्नी को निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा—
(1) पति द्वारा उसकों त्याग दिया गया है
(2) पति द्वारा युक्तियुक्त कारण के बिना एवं ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध ऐसा किया गया है
(3) उसकी जान-बूझकर उपेक्षा की गई है।
धारा 13 (1)(i-b) के अन्तर्गत अभित्यजन की अवधि कम से कम 2 वर्ष है।

लक्ष्मण बनाम मीना (1964, SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिज्यजन के सम्बन्ध में सिद्धान्त प्रतिपादित कियें।

163. Which one of the following was the first case, wherein the Supreme Court made recommendation to make irretrievable breakdown of marriage as a ground for divorce?
निम्नलिखित में से कौन सा पहला वाद था जहाँ उच्चतम न्यायालय ने यह संस्तुति की कि विवाह का असुधार्य विच्छेद विवाह विच्छेद का एक आधार हैः
(a) Jorden Diengdeh v. S.S. Chopra (1985)/जॉर्डन डिंग्डेह बनाम एस.एस. चोपड़ा (1985)
(b) Kailas Das (Ghosh) v. Ashish Kumar Das (2004)/कैलाश दास (घोष) बनाम आशीष कुमार दास (2004)
(c) Kusum v. R.K. Saxena (2004)/कुसुम बनाम आर. के सक्सेना (2004)
(d) Navin Kohli's case (2006)/नवीन कोहली वाद (2006)

BPSC (APO) 2013

Ans : (d) नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006 SC) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह संस्तुति की कि विवाह का असुधार्य विच्छेद (Irretrievable Breakdown of Marriage) विवाह विच्छेद का एक आधार है।

164. Read Assertion (A) and Reason (R) and answer using the codes given below:
अभिकथन (A) तथा कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देः

Assertion (A): 'Option of Puberty' is an easy process to repudiate the marriage under Hindu law.

अभिकथन (A): हिन्दू विधि के अंतर्गत ''यौवनागम का विकल्प'' विवाह का निराकरण करने की सरल प्रक्रिया है।

Reason (R): "Option of Puberty" is not an easy process to repudicate the marriage under Muslim Law.

कारण (R): मुस्लिम विधि के अंतर्गत ''यौवनागम का विकल्प'' विवाह का निराकरण करने की सरल प्रक्रिया नहीं है।

Code/कूटः

(a) (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(b) (A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) (A) is true, but (R) is false/(A) सही है लेकिन (R) गलत है
(d) (A) is false, but (R) is true/(A) गलत है लेकिन (R) सही है

UGC (NET) November, 2017

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(2)(iv) के अनुसार किसी स्त्री ने जिसका विवाह (चाहे विवाहोत्तर सम्भोग हुआ हो या नही) उस स्त्री के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व अनुष्ठापित किया गया था और उसने 15 वर्ष आयु प्राप्त करने के पश्चात किन्तु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है। ऐसी पत्नी तलाक की आज्ञप्ति द्वारा अपने विवाह-भंग के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकती है। अतः हिन्दू विधि के अंतर्गत 'यौवनागम का विकल्प' विवाह का निराकरण करने की सरल प्रक्रिया है।

मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2(vii) के अनुसार, कोई विवाहिता मुस्लिम स्त्री जिसकी पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही उसके पिता या अन्य संरक्षक ने उसका विवाह करा दिया था और उसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व ही विवाह का निराकरण कर दिया है, परंतु यह तब जब कि विवाहोत्तर संभोग न हुआ हो, विवाह के विघटन के लिए डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी। अतः मुस्लिम विधि के अंतर्गत 'यौवनागम का विकल्प' विवाह का निराकरण करने की सरल प्रक्रिया नहीं है क्योंकि इसमें हिन्दू विधि के विपरित यह साबित करना पड़ता है कि विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है जबकि हिन्दू विधि में विवाहोत्तर संभोग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

165. Which of the following is not a ground of divorce available to wife under section 13(2) of the Hindu Marriage Act, 1955?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1995 की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्न में से कौन पत्नी के लिए तलाक का आधार नहीं है?

(a) Pre-Act bigamy of the husband/अधिनियम बनने के पूर्व पति का द्विविवाह
(b) Repudiation of marriage/विवाह का अस्वीकरण
(c) Cruelty by the husband/पति की क्रूरता
(d) Husband is guilty of rape, sodomy and bestiality/पति बलात्कार, गुदा-मैथुन या पाशविकता का दोषी है

UGC (NET) January, 2017
UGC (NET) December 2015
UGC (NET) Oct 2022

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (2) के अंतर्गत पत्नी के तलाक के आधार है-
(1) अधिनियम बनने के पूर्व पति का द्विविवाह
(2) पति बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन का दोषी है।
(3) भरण-पोषण की डिक्री के एक वर्ष तक सहवास न होना।
(4) विवाह का अस्वीकरण
नोटः-पति द्वारा क्रूरता धारा 13(1)(i-a) के तहत तलाक का आधार है।

166. Which among the following is the special ground for divorce exclusively available for wife under Section 13(2)?/धारा 13(2) के तहत केवल पत्नी के लिए उपलब्ध तलाक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आधार है?

(a) Desertion/अभित्यजन (b) Cruelty/क्रूरता
(c) Conversion/रूपांतरण (d) Bestiality/पाशविकता

Rajasthan SET 2023

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

167. Which of the following grounds is available to a wife only to seek divorce under Section 13(2) of the 'Hindu Marriage Act, 1955'?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आधार केवल पत्नी को तलाक के लिए उपलब्ध है?

(a) Apostacy/धर्म परिवर्तन
(b) Desertion/अभित्यजन
(c) Leprosy/कोढ़
(d) Committing of offence of unnatural intercourse by husband/पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध

Uttarkhand (J) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

168. Which one of the following provisions of the Hindu Marriage Act, 1955 relates with the grounds of divorce exclusively for wife?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के निम्नलिखित में से कौन सा उपबन्ध अनन्य रूप से पत्नी को प्राप्त विवाह-विच्छेद के आधार से सम्बन्धित है?

(a) Section 13A/धारा 13-A
(b) Section 13(1-A)/धारा 13(1-A)
(c) Section 13B/धारा 13-B
(d) Section 13(2)/धारा 13(2)

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(2) अनन्य रूप से पत्नी को विवाह-विच्छेद का आधार प्रदान करती है।
धारा 13(1-A) - ब्रेक डाउन थ्योरी
धारा 13-A - विवाह-विच्छेद कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष।
धारा 13-B - पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद

169. Breakdown theory of divorce is reflected in
तलाक की ब्रेक डाउन थ्योरी निम्नलिखित में प्रतिबिम्बित होती है।

(a) Section 13(1) of Hindu Marriage act, 1955
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)
(b) Section 13(2) of Hindu Marriage act, 1955
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(2)
(c) Section 13(IA) of Hindu Marriage Act, 1955
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(IA)
(d) Section 13(B) of Hindu Marrige Act, 1955
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(B)

Uttarakhand (J) 2015
UGC (NET) December, 2012

Ans. (c) : तलाक का ब्रेक डाउन सिद्धांत हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1A) में प्रतिबिम्बित होती है। धारा 13(1A) के तहत विवाह विच्छेद हेतु याचिका विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

170. Assertion (A): Break down of marriage as such is not a ground for Divorce.
अभिकथन (A): विवाह का टूटना तलाक का आधार नहीं है
Reason (R): It may result into an easy way of dissolution of marriage and shall result into instability in the society.
तर्क (R): यह विवाह का टूटना के आसान तरीके में फलित हो सकता है और समाज में अस्थिरता का परिणाम होगा।
Codes/कूट:

(a) Both (A) and (R) are correct
(A) और (R) दोनों सही है
(b) (A) is right and (R) is wrong
(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(c) Both (A) and (R) are wrong
(A) और (R) दोनों सही है
(d) (A) is wrong and (R) is right
(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

UGC (NET) June, 2012
UGC (NET) December 2010

Ans. (a) : असुधार्य विवाह का टूटना तलाक का सामान्यतः आधार नहीं हो सकता है। खासकर हिन्दू विधि में विवाह सामाजिक संगठन का आधार है तथा एक संस्कार के रूप में माना जाता है। विवाह परिवार और समाज की नींव है, जिसके बिना कोई भी सभ्यता मौजूद नहीं हो सकती है। अतः यदि इसे तलाक का आधार मान लिया जाए, तो यह विवाह विघटन का आसान तरीका हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी।

171. In which of the following reports, the Law Commission recommended the "Breakdown Principle" to be accepted as the additional ground for divorce
निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विधि आयोग ने विवाह विच्छेद के अतिरिक्त स्वीकार्य आधार के रूप में, ''विघटन सिद्धान्त'' (ब्रेक डाउन प्रिंसिपल) की अनुशंसा की थी?

(a) in 70th report/70वीं रिपोर्ट में
(b) in 72nd report /72वीं रिपोर्ट में
(c) in 71st report /71वीं रिपोर्ट में
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (c) : भारतीय विधि आयोग ने भारत सरकार को 7 अप्रैल 1978 को अपनी 71वां रिपोर्ट पेश किया, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि 'ब्रेक डाउन' सिद्धान्त के आधार पर विवाह-विच्छेद का एक नया आधारा जोड़ा जाये।
धारा 13(1-A) के अनुसार, यदि न्यायिक पृथक्करण की डिकी के पारित होने के एक वर्ष या अधिक समय तक सहवास का पुनराम्भ नहीं हुआ है या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापना की डिक्री के पारित होने के 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक दाम्पत्याधिकार का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है, तो न्यायालय में दोनों में से कोई पक्षकार इस आधार पर तलाक के लिए आवेदन कर सकते है।

172. The statement, "while there is no rose which has not thorn but if what you hold is all thorn and no rose, better throw it away", relates to :
''कोई गुलाब कॉटों के बिना नहीं है परन्तु आपके साथ में जो है उसमें यदि सभी कॉंटे ही है और गुलाब नहीं तो उसे फेंकना ही उचित हैं।'' इस कथन का सम्बन्ध है

(a) Restitution of conjugal rights
दाम्पत्य अधिकारी की पुनर्स्थापना सं
(b) Judicial separation/न्यायिक पृथक्करण से
(c) Divorce by mutual consent
पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद से
(d) Irretrievable break down of marriage theory of divorce/विवाह विच्छेद के असाध्य व्यवधान के सिद्धान्त से

Uttarakhand (J)2002, 2006

Ans. (d) : युसूफ रावदार बनाम सौरम्मा (1971 SC) के वाद में जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने विवाह के ब्रेक डाउन सिद्धांत के संदर्भ में सम्प्रेषित किया कि कोई गुलाब काटों के बिना नहीं है, परंतु आपके साथ में जो है उसमें यदि सभी कांटे ही है और गुलाब नहीं तो उसे फेकना ही उचित है।

173. Under the Hindu Marriage Act, 1955 divorce by mutual consent has been provided under
पास्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद का प्रावधान हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के किस धारा में वर्णित है?

(a) Section 13/धारा 13
(b) Section 13B/धारा 13 B
(c) Section 13A/धारा 13 A
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2011, 2012, 2015, 2018
BPSC (APO) 2012

Ans : (b) पारस्परिक सम्मति (Mutual Consent) से विवाह विच्छेद का प्रावधान हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-B में किया गया है। धारा 13B को विवाह विधि (संशोधन) अधि. 1976 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

174. Which section of the Hindu Marriage Act, 1955 provides divorce by mutual consent?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की कौन-सी धारा पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद का प्रावधान करती है?

(a) Section 13A/धारा 13क (b) Section 13B/धारा ख
(c) Section 13/धारा 13 (d) Section 14/धारा 14

UPHESC 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

175. Consent theory of divorce was introduced in the Hindu Marriage Act, 1955 in the year
आपसी सहमति द्वारा तलाक का सिद्धान्त (Theory) हिन्दु विवाह अधिनिय, 1955 में समाविष्ट किया गया था, वर्ष

(a) 1956 (b) 1961
(c) 1976 (d) 1979

Uttarakhand (J) 2009, 2011, 2016
28th BPSC (J) 2014

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

176. Under which of the following Sections of the Hindu Marriage Act, 1955, husband and wife may file a petition of divorce by mutual consent?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा के अन्तर्गत पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर कर सकत है?

(a) Section 10/धारा 10
(b) Section 11/धारा 11
(c) Section 9/धारा 9
(d) Section 13B/धारा 13B

28th BPSC (J) 2014

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13-B के अनुसार यदि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी चाहे ऐसा विवाह विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, जिला न्यायालय में, इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वह एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सकते तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गये हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए।

177. A and B presented an application to the District Court under Section 13B of Hindu Marriage Act, after the expiry of 18 months from the presentation of the application, B withdraws his consent. Select the correct legal position–
अ और ब ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा- 13-बी के तहत एक आवेदन जिला न्यायालय में पेश किया। आवेदन प्रस्तुत करने के 18 माह की समाप्ति के बाद, ब ने अपनी सहमति वापस ली। सही वैधानिक स्थिति का चुनाव करें–

(a) B may at any time before the final decree is passed withdraw his consent
ब किसी भी समय अंतिम डिक्री पारित होने के पूर्व अपनी सहमति वापस ले सकती है।
(b) B has no right to withdraw his consent
ब को अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार नहीं है।
(c) Consent once given may be withdraw by mutual consent in a proceeding for divorce
एक बाद दी गई सहमति को आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद की कार्यवाही में वापस ली जा सकती है।
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (HJS) 2013

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (B) पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की अनुमति देता है। ऐसा आवेदन जिला न्यायालय को किया जाता है। आवेदन प्रस्तुत करने वाला पक्षकार 18 माह की समाप्ति से पूर्व कभी भी अपनी सहमति वापस ले सकता है, नहीं तो न्यायालय डिग्री पारित कर देगा, परन्तु प्रतिवादी द्वारा निर्णय दिये जाने से पूर्व कभी भी सहमति वापस ली जा सकती है।

178. After the petition is presented under section 13-B of Hindu Marriage Act, 1955, the parties have to wait for a minimum period of :
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-B के अंतर्गत याचिका दायर करने के बाद पक्षकारों को न्यूनतम कितनी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है?

(a) One year/एक वर्ष
(b) Eighteen Months/18 माह
(c) Two years/दो वर्ष
(d) Six months/6 माह

UGC (NET) December, 2015

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका दायर करने के पश्चात पक्षकारों को न्यूनतम 6 माह की अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

179. Which of the following is not essential for divorce by mutual consent?
निम्नलिखित में से परस्पर सहमति द्वारा तलाक की सूरत में, कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है?

(a) They have been living separately for one year/वे एक वर्ष से अधिक के समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हो
(b) They have not been able to live together वे एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहने में सक्षम न रहे हो
(c) The wife has not received any maintenance/पत्नी को किसी प्रकार का अनुरक्षण भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है
(d) they have mutually agreed that the marriage should be dissolved/उन दोनों में परस्पर सहमति है कि विवाह का विघटन किया जाए।

UGC (NET) June, 2014

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की **धारा 13B** पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के विषय में प्रावधान करता है। धारा 13B के अनुसार–
1. पक्षकार यदि एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे है।
2. वे एक साथ नहीं रह सकते तथा परस्पर सहमत हो गये है कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए।
3. विवाह विच्छेद की अर्जी जिला न्यायालय में पेश कर सकते है।

उपरोक्त अर्जी प्रस्तुत करने के 6 माह पश्चात और 18 माह के भीतर दोनो पक्षकारो के अनुरोध पर तथा पक्षकारो को सुनने के बाद यह समाधान होने पर कि पक्षकारो के बीच विवाह सम्पन्न हुआ है, न्यायालय यह घोषणा करने वाली डिक्री पारित कर सकता है कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो गया है।

180. The petition for divorce by mutual consents may be presented if the spouses have been living separately for a period of
पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक के लिए याचिका पेश की जा सकती है यदि पति/पत्नी निम्नलिखित अवधि के लिये पृथक रह रहे हैंः

(a) one year/एक वर्ष
(b) Two years/दो वर्ष
(c) Three years/तीन वर्ष
(d) None of the above/उपर्युक्त मे से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2012

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

181. In order to present the petition for divorce by mutual consent under section 13B of the Hindu Marriage Act the parties must be living separately for a period of
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 ब के अन्तर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत किये जाने पर पक्षकारों का कितनी अवधि तक पृथक्-पृथक् रहना चाहिए-

(a) two years/दो वर्ष
(b) one year/एक वर्ष
(c) three years/तीन वर्ष
(d) not limit/कोई परिसीमा नहीं

UP (HJS) 2016, 2018

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

182. The petition for divorce by mutual consent may be presented according to Hindu Marriage Act, 1955, if the spouses have been living separately for a period of
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका पेश की जा सकती है, यदि पति व पत्नी अलग रह रहे है-

(a) 1 year/1 वर्ष से
(b) 2 years/2 वर्ष से
(c) 3 years/3 वर्ष से
(d) None of the above/उपर्युक्त कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2008, 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

183. Under which Section of the Hindu Marriage Act, 1955, husband and wife may file a petition of divorce by mutual consent?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की किस धारा के अन्तर्गत पति-पत्नी पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद की याचिका दायर कर सकते है?

(a) Section 13A/धारा 13-A
(b) Section 13B/धारा 13-B
(c) Section 14/धारा 14
(d) Section 9/धारा 9

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की **धारा 13-B** में प्रावधान किया गया है कि विवाह के पक्षकार आपसी सम्मति से विवाह विच्छेद हेतु अर्जी जिला न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत कर सकते है कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे है और वे एक साथ नहीं रह सकते है तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गये है कि विवाह विघटित कर देना चाहिए।
नोटः-धारा 13B को विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

184. Under which Section of Hindu Marriage Act, 1955 husband and wife are allowed to divorce by mutual consent?
पति-पत्नी पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की किस धारा के अन्तर्गत कर सकते है?

(a) Section 13A/धारा 13-A
(b) Section 13B/धारा 13-B
(c) Section 14/धारा 14
(d) Section 9/धारा 9

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (b) **:** उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

185. Which one of the following is a correct statement?
निम्नांकित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) Divorce by mutual consent has been provided under the Hindu Marriage Act, from its inception/पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद का उपबंध हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में आरम्भ से था
(b) Divorce by mutual consent was introduced by Hindu Marriage (Amendment) Act, 1976/पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद हिन्दू विवाह (संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया
(c) Divorce by mutual consent has been provided under Section 13-A of the Hindu Marriage Act/पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद का उपबंध हिन्दू विधि के अधिनियम, धारा 13क में है
(d) A petition for divorce by mutual consent must be presented within one year of marriage/पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद का प्रार्थना-पत्र विवाह के एक वर्ष के अन्तर्गत अवश्य दिया जाना चाहिए

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (b) **:** हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-B में पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद का प्रावधान किया गया है, जो हिन्दू विवाह संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है।

186. The Hindu Marriage Act, 1955 : Any petition for dissolution of marriage may be filed in any court as mentioned before the expiry of which period?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 : विवाह विच्छेद के लिए कोई भी अर्जी किसी भी न्यायालय में अग्रवर्णित कौन-सी अवधि समाप्त होने के पूर्व पेश नहीं की जावेगी?

(a) within 6 months of marriage
विवाह के 6 माह के भीतर
(b) within 9 months of marriage
विवाह के 9 माह के भीतर
(c) within 1 year of marriage
विवाह के एक वर्ष के भीतर
(d) within 3 months of marriage
विवाह के 3 माह के भीतर

MP (HJS) 2019

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14 के अनुसार, कोई भी न्यायालय विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम न होगा जब तक कि विवाह की तारीख से उस अर्जी के पेश किये जाने की तारीख तक एक वर्ष बीत न चुका हो।

187. Section 14 of the Hindu Marriage Act, 1955 enacts a 'fair trial' rule, according to which a person:
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14 'निष्पक्ष सुनवाई' के नियम को अधिनियमित करती है। इसके अनुसार एक व्यक्ति–

(a) Can petition for divorce within one year of marriage/विवाह के एक वर्ष के अंदर तलाक की याचिका दे सकता है
(b) Cannot petition for divorce within one year of mariage except in exceptional cases/अपवादिक मामलों को छोड़कर विवाह के एक वर्ष के अंदर तलाक की याचिका नहीं दे सकता है
(c) Cannot petition for judicial separation within one year of marriage/विवाह के एक वर्ष के अंदर न्यायिक विलगन की याचिका नही दे सकता है
(d) Can petition for restitution of Conjugal Rights within one year of marriage/विवाह के एक वर्ष के अंदर दामपत्य अधिकारों के अंतर्गत पुनर्मिलन की याचिका दे सकता है

UGC (NET) June, 2015

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14 के अनुसार कोई व्यक्ति अपवादिक मामलों को छोड़कर विवाह के एक वर्ष के अन्दर तलाक की याचिका नहीं दे सकता है। अतः धारा 14, निष्पक्ष सुनवाई के नियम को अधिनियमित करती है।

188. "No petition of divorce can be presented within one year of marriage." It is provided in which following sections of the Hindu Marriage Act?
हिन्दू विवाह अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में यह प्राविधानित है कि विवाह के एक वर्ष के अन्दर विवाह विच्छेद की याचिका दायर नहीं की जाएगी?

(a) Under Section 14/धारा 14 के अनुसार
(b) Under Section 12/धारा 12 के अनुसार
(c) Under Section 13/धारा 13 के अनुसार
(d) Under Section 11/धारा 11 के अनुसार

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

189. Section 14 of Hindu Marriage Act, 1955 imposes a ban for filing petition for
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 निम्नलिखित में किसकी याचिका दायर करने पर रोक लगाती है?

(a) Judicial Separation/न्यायिक पृथक्करण की
(b) Divorce/विवाह विच्छेद की
(c) Voidable marriage/शून्यकरणीय विवाह का
(d) Void marriage/शून्य विवाह का

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 के अनुसार विवाह के एक वर्ष के अन्दर तलाक (विवाह-विच्छेद) के लिए कोई भी आवेदन करने की मनाही है। किन्तु न्यायालय की इजाजत से आपवादिक परिस्थितियों में एक वर्ष के पूर्व भी विवाह-विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, यदि पक्षकारों को असाधारण दुराचरण या असाधारण कष्ट भोगना पड़ रहा हो।

190. During the pendency of appeal against the decree of the divorce-
विवाह-विच्छेद की अवधि के विरुद्ध अपील लम्बित होने के दौरान?

(a) the parties are competent to contract another marriage/पक्षकार दूसरी शादी करने के लिए सक्षम है
(b) the parties are not competent to contract another marriage and their incapacity to do so is absolute/पक्षकार दूसरी शादी करने के लिए सक्षम नहीं है तथा असमक्षता ऐसा करने के लिए अत्यंतिक है
(c) the parties may contract another marriage with the leave of the court/न्यायालय की अनुमति से पक्षकार दूसरी शादी कर सकते है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2015
BPSC (APO) 2013

Ans : (b) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 15 में प्रावधान किया गया है कि कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेगा।
धारा 15 के अनुसार - जब कि विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह समाप्त कर दिया गया हो तो, पक्षकार निम्न अवधि के पश्चात विवाह कर सकता है।
1. अपील अवधि की समाप्ति के पश्चात, या
2. यदि अपील की गई हो तथा अपील खारिज कर दी गयी हो।

191. When a marriage has been dissolved by a decree of divorce under Hindu Marriage Act, 1955 and there is a right of appeal, the divorced persons may marry again–
जब विवाह, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित कर दिया गया हो और अपील का अधिकार हो तो विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे–

(a) After expiry of 1 month from the decree of divorce/विवाह विच्छेद की डिक्री के एक माह के अवसान के पश्चात्
(b) Immediately after passing of the decree of divorce/विवाह विच्छेद की डिक्री पारित होने के तुरन्त पश्चात्
(c) After expiry of 2 months from the decree of divorce/विवाह विच्छेद की डिक्री के दो माह के अवसान के पश्चात्
(d) After expiry of the time for appealing, without any appeal having been presented/अपील की अवधि के अवसान के पश्चात् यदि कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो।

Rajasthan (J) 2017

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

192. A Hindu contracting second marriage during pendency of appeal against the decree of divorce is:
किसी हिन्दू द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री के विरुद्ध की गई अपील की लम्बितता के दौरान दूसरा विवाह करना निम्नलिखित में से क्या है?

(a) Valid/वैध
(b) Invalid/अवैध
(c) Factum valid/फैक्टम वैलिड
(d) Void/शून्य

UGC (NET) November, 2017

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 15 में कब तलाक प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेगा का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार किसी हिन्दू द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री के विरूद्ध की गई अपील की लम्बितता के दौरान दूसरा विवाह शून्य होगा।

193. The decree of divorce has been passed between A and B. A celebrate second marriage with C within six months of this decree. This marriage is :
'अ' एवं 'ब' के मध्य विवाह विच्छेद की डिक्री पास हो गई है 'अ' इस डिक्री के छः माह के अन्दर 'स' से दूसरा विवाह करता है। यह विवाह

(a) voidable/शून्यकरणीय है।
(b) void/शून्य है।
(c) invalid/अवैध है।
(d) valid/विधि मान्य है।

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28(4) के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपील 90 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
अतः विवाह-विच्छेद के 6 माह के अंदर दूसरा विवाह करना पूर्णतया वैध है।

194. Section 16 of the Hindu Marriage Act, 1955 does not confer status of legitimacy to children born/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 धर्मजता प्रदान नहीं करती उनको जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं

(a) out of a valid marriage/विधिमान्य विवाह से
(b) out of a voidable marriage/शून्यकरणीय विवाह से
(c) out of a void marriage/शून्य विवाह से
(d) without marriage/बिना विवाह के

Bihar (J) 2020

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 ऐसे बच्चों को धर्मजता प्रदान नहीं करती है, जो बिना विवाह के उत्पन्न हुए हो।

195. Section 16 of the Hindu Marriage Act, 1955 deals with the legitimacy of the children of
हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16.....के अपत्यों की धर्मजता से सम्बन्धित है।

(a) void marriages/शून्य विवाह
(b) voidable marriages/शून्यकरणीय विवाहों
(c) void and voidable marriages
शून्य और शून्यकरणीय विवाहों
(d) valid marriages/वैध विवाहों

29th BPSC (J) 2017

Ans. (c) : हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता से संबंधित है।

196. Children born out of a union which is either void of voidable under section 11 and 12 of Hindu Marriage Act, 1955 shall be:
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 एवं 12 के अन्तर्गत शून्य या शून्यकरणीय घोषित विवाह से उत्पन्न बच्चे होंगे–

(a) Basterd/अधर्मज
(b) Deemed to be legitimate/वैध समझे जायेंगे
(c) Illgitimate/अवैध
(d) Legitimate/वैध

Uttarakhand (J) 2015
UGC (NET) June, 2010

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 शून्य और शून्यकरणीय विवाहो के अपत्यो की धर्मजता को बताता है जिसके अनुसार धारा 11 एवं 12 के अन्तर्गत शून्य या शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न बच्चे वैध माने जाते है।

197. Section 16 of the Hindu Marriages Act, 1955 confers legitimacy on the children of–
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 बच्चों को धर्मजता प्रदान करती है–

(a) a void marriage/शून्य विवाह
(b) a voidable marriage/शून्यकरणीय विवाह
(c) a valid marriage/वैध विवाह
(d) both void and voidable marriage/दोनों शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह

UP (HJS) 2009
Uttarkhand (J) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

198. The chlid born of void and voidable marriage under Hindu Law is
हिन्दू विधि के अन्तर्गत शून्य तथा शून्यकरणीय विवाह की सन्तान होती है

(a) Legitimate/धर्मज
(b) Illegitimate/अधर्मज
(c) Illegal/अवैध
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2011, 2016
UGC (NET) Oct 2022

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार शून्य विवाह तथा शून्यकरणीय विवाह से जन्मे अपत्य (बच्चे) धर्मज होंगे, चाहे ऐसे अपत्य हिन्दू विवाह (संशोधन) अधिनियम 1976 के पूर्व/पश्चात जन्म लिए हो, चाहे ऐसा विवाह न्यायालय की डिक्री द्वारा अकृत्य/शून्य घोषित किया गया हो या नहीं, किन्तु ऐसे अपत्य केवल अपने माता-पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार (वरासत) प्राप्त कर सकते हैं न कि पूर्वजों में।

199. Assertion (A) : A bigamous marriage is void under Hindu Law.
Reason (R) : A child born out of void marriage is legitimate child of his parents.
कथन (A): हिन्दू विधि में द्विविवाह शून्य होता है।
कारण (R): शून्य विवाह से उत्पन्न शिशु अपने माता-पिता का धर्मज शिशु होता है।
Choose the correct answer using the code given below-
Code :

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/'A' और 'R' दोनों सही है और 'R', 'A' का सही स्पष्टीकरण है
(b) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)/'A' और 'R' दोनों सही है, परन्तु 'R', 'A' का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) (A) is true but (R) is false
'A' सही है, परन्तु R, गलत है
(d) (A) is false but (R) is true
'A' गलत है, परन्तु R, सही है

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

200. In which of the following cases it has been held that if a Hindu husband converted to Islam and marries again, he will be guilty of bigany–
निम्नलिखित में से किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हिन्दू पति ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर पुनः विवाह कर लिया तो वह द्विविवाह का दोषी होगा–

(a) P. Venkataramanna v. State
पी. वेंकटारमन्ना वि. राज्य
(b) Saroj Rani v. Subhash/सरोज रानी वि. सुभाष
(c) Sarla Mudgal v. Union of India
सरला मुदगल वि.भारत संघ
(d) Dr. N.A. Mukherjee and State
डॉ. एन.ए. मुखर्जी वि. राज्य

MP (HJS) 2013, 2017
Uttarakhand (J) 2014

Ans. (c) : सरला मुदगल बनाम भारत संघ, (1995 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि धर्म आसानी से परिवर्तित नहीं किया जाता। यह आस्था का विषय है। यदि आशय यह हो कि कोई फायदा लिया जाये, तो उसे विद्रेष पूर्ण धर्मपरिवर्तन कहते हैं, जिसका लाभ नहीं उठाया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति विवाह करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करता है, तो वह द्विविवाह का दोषी होगी।

201. A bigamous Hindu marriage is/हिन्दू द्विविवाह हैः
(a) Void but not punishable/शून्य किन्तु दंडनीय नहीं
(b) Void and punishable/शून्य और दंडनीय
(c) Voidable/शून्यकरणीय
(d) Valid/विधिमान्य

UGC (NET) June, 2020

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 के अनुसार, यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दो हिन्दुओं के बीच अनुष्ठित किसी विवाह की तारीख में ऐसे विवाह में के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा कोई विवाह शून्य होगा और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 और 495 के उपबन्ध तदनुकूल लागू होंगे।

202. A Married Hindu contracting second Marriage after professing Islam, would be guilty of offence punishable under:
मुस्लिम धर्म अपनाने के पश्चात् दूसरा विवाह करने वाला विवाहित हिन्दू निम्नलिखित में से किसके अन्दर दण्डनीय अपराध का दोषी होगा?
(a) Section 17 HM Act 1955 only/एच.एम. एक्ट, 1955 की धारा 17 केवल
(b) Section 494 IPC only/आई.पी.सी. की धारा 494 केवल
(c) Section 17 HM Act read with S. 494 IPC/आई.पी.सी. की धारा 494 के साथ पठित एच.एम. एक्ट की धारा 17
(d) Neither S. 17 nor s. 494 IPC/न आई.पी.सी. की धारा 17 और न ही आई.पी.सी. की धारा 494

UGC (NET) November, 2017

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

203. The offence of bigamy is not committed under the Hindu Marriage Act, 1955 if a person marries during lifetime of his or her spouse provided:
अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के जीवित रहते विवाह करता/करती है तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत द्विविवाह का अपराध नहीं माना जाता है बशर्ते किः
1. **The first marriage is null and void/पहला विवाह अकृत और शून्य है**
2. **The first marriage was performed without ceremonies/पहला विवाह बिना रीति-रिवाज अनुष्ठान के से किया गया था**
3. **The first marriage is voidable and decree annulling it has not been passed/पहला विवाह निष्प्रभावी है और इसे अकृत करने वाली डिक्री पारित नहीं की गई है**
4. **The first marriage is valid/पहला विवाह वैध है**

Codes:/कूटः
(a) 1 and 3/1 और 3 (b) 1 and 2/1 और 2
(c) 2 and 3/2 और 3 (d) 2 and 4/2 और 4

UGC (NET) June, 2015

Ans. (b) : यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के जीवित रहते विवाह करता है तो हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत द्विविवाह अपराध नहीं माना जाएगा यदि पहला विवाह अकृत और शून्य है या पहला विवाह बिना रीति-रिवाज के अनुष्ठान से किया गया था। धारा 17 द्विविवाह के दण्ड का प्रावधान करती है।

204. Bigamy is committed, if the subsequent marriage is
द्विविवाह कारित होगा, यदि पश्चात्वर्ती विवाह
(a) Valid/वैध है
(b) Voidable/शून्यकरणीय है
(c) Void/शून्य है
(d) Both (a) and (b) above/उपर्युक्त (a) तथा (b) दोनों

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : द्विविवाह के लिए दोषी होने के लिए यह आवश्यक है कि पश्चात्वर्ती विवाह पूर्णरूपेण वैध हो, अर्थात् ऐसा विवाह धारा 11 के तहत शून्य या धारा 12 के तहत शून्यकरणीय विवाह न हो।

205. In which Section of the Hindu Marriage Act, 1955 'bigamy' is prohibited?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की किस धारा द्वारा 'द्विविवाह' का प्रतिषेध किया गया है?
(a) Section 15/धारा 15 (b) Section 17/धारा 17
(c) Section 19/धारा 19 (d) Section 21/धारा 21

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(i) सपठित धारा 17 के अंतर्गत द्विविवाह का प्रतिषेध किया गया है।

206. Assertion A : A Bigamous marriage is voidable under the Hindu Law.

अभिकथन A : द्विविवाह, हिन्दू विधि के अंतर्गत शून्यकरणीय है।

Reason R : Children born out of void marriages are legitimate children of their parent.

कारण R : शून्य विवाहों से उत्पन्न हुए बच्चे अपने माता-पिता के धर्मज बच्चे होते हैं।

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :
उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) Both A and R are correct and R is the correct explanation of A/ A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(b) Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A / A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A is true but R is false/ A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(d) A is false but R is true / A असत्य है लेकिन R सत्य है।

UGC (NET) March, 2023

Ans. (d) : हिन्दू विधि के अंतर्गत द्विविवाह शून्य है तथा शून्य विवाहों से उत्पन्न संतान अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत धर्मज संतान माने जाते हैं।

207. A marriage solemnised between any two persons in violation of the requirement of age may be:/ आयु की अपेक्षाओं का उल्लंघन करके दो व्यक्तियों में हुआ विवाह होगा

(a) Valid/वैध
(b) Void/शून्य
(c) Voidable/शून्यकरणीय
(d) All of above/उपरोक्त सभी

UGC (NET) June, 2011

Ans. (a) : यदि दो व्यक्तियों के बीच विवाह आयु की अपेक्षाओं, जो कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (3) में दी गयी है, के उल्लंघन में किया जाता है तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति ऐसे उल्लंघन के लिए धारा 18 (a) के अनुसार, कठोर कारावास से जो दो वर्षों तक हो सकेगा या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

208. Under the Hindu Marriage Act, 1955 the marriage of a minor is / हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक अप्राप्तवय का विवाह है:

(a) Valid/वैध
(b) Void/शून्य
(c) Voidable/शून्यकरणीय
(d) None of these /इनमें से कोई नहीं

Uttarkhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

209. Punishment for violation of condition as to age as provided under Section 5 (III) of the Hindu Marriage Act, 1956, has been provided under which of the following section of the Hindu Marriage Act, 1956?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 5(iii) में प्रावधानित विवाह के लिए आयु की शर्त का उल्लंघन करने के लिए दण्ड का प्रावधान हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है?

(a) Section 18(b)/धारा 18 (b)
(b) Section 17/धारा 17
(c) Section 18(a)/धारा 18 (a)
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 18 (a) के अनुसार, धारा 5 के खण्ड (iii) में प्रावधानित विवाह के लिए आयु की शर्त का उल्लंघन करने पर कठोर कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

210. What is the consequence when the age of a Hindu girl at the time of her marriage under Hindu Marriage Act, 1955 is less than 18 years?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विवाह के समय एक हिन्दू बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होने के क्या परिणाम है?

(a) The marriage is valid but punishable/विवाह मान्य है, परन्तु दण्डनीय है।
(b) The marriage is void/विवाह शून्य है।
(c) The marriage is invalid/विवाह अविधिमान्य है।
(d) The marriage is illegal/विवाह अवैधानिक है।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (a) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार 21 या 18 वर्ष से कम आयु के वर-वधु का सम्पन्न विवाह वैध होगा किन्तु धारा 18 के तहत तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत ऐसा विवाह दण्डनीय है।

211. A groom of 25 years of age marriage to bride of 15 years of age. Under Hindu Law this marriage is:
25 वर्ष का एक वर 15 वर्ष की वधू से विवाह करता है। हिन्दू विधि में यह विवाह है।

(a) void/शून्य
(b) voidable/शून्य करणीय
(c) valid but punishable/वैध किन्तु दण्डनीय
(d) illegal/अवैध

Uttarakhand (J) 2006, 2008

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 25 वर्ष की आयु के पुरुष और 15 वर्ष की आयु की लड़की का विवाह वैध है परन्तु इस अधिनियम की धारा 18 (a)दो वर्ष तक का कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना, अथवा दोनों के दण्ड का प्रावधान करती है।

212. Under Section 19 of the Hindu Marriage Act, 1955, a petition in a Matrimonial case has to be filed at the place
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 के अंतर्गत विवाह-विषयक मुकद्दमा किस स्थान पर दायर किया जा सकता है?

(a) where the respondent, at the time of the presentation of the petition, resides/याचिका दायर करते समय जिस स्थान पर प्रतिवादी रहता हो
(b) Where the parties to the marriage last resided together/जिस स्थान पर विवाह-पक्षकार सबसे आखिर में साथ-साथ रहे हो
(c) in case the wife is the petitioner, where she is residing on the date of presentation of the petition/यदि याचिककर्ता पत्नी है, तो याचिका दायर करने की तारीख पर वह जहाँ रहती हो
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

MP (HJS) 2015
UGC (NET) September, 2013

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 19 के अन्तर्गत विवाह से सम्बन्धित वाद उस जिला न्यायालय के समक्ष दाखिल की जाएगी जिसकी आरम्भिक सिविल अधिकारिता के अन्दर-
(i) विवाह का अनुष्ठापन हुआ था, या
(ii) अर्जी को दाखिल करने के समय जहां प्रत्यर्थी निवास करता है, या
(iii) विवाह के पक्षकार अन्तिम बार एक साथ रहते थे, या
(iv) यदि पत्नी याची है, जहां वह याचिका को पेश करने की तारीख पर निवास करती हो।

213. Proceeding relating to disputes between the parties under the Hindu Marriage Act, 1955 shall be heard
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन पक्षों के बीच विवाद को सुना जायेगा–

(a) in open court/खुले न्यायालय में
(b) in camera/बन्द कमरे में
(c) in special premises/विशेष न्यायालय के परिसर में
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2016
BPSC (APO) 2012

Ans : (b) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 22 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक कार्यवाही बंद कमरे (Camera Trial) में कि जायेगी।

214. Which one of the following Sections of the Hindu Marriage Act, 1955 provides that every proceeding under the Act shall be conducted in camera?
हिन्दू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को बन्द कमरे में करने का उपबन्ध करती है।

(a) Section 21C/धारा 21-ग
(b) Section 23/धारा 23
(c) Section 22/धारा 22
(d) Section 21B/धारा 21-ख

MP (HJS) 2017
Uttarakhand (J) 2012,2021

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

215. Disposal of proceedings relating to maintainance, etc., under Section 24 of Hindu Marriage Act, 1955 shall be within
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन भरण-पोषण आदि की कार्यवाहियाँ निपटाई जायेंगी–

(a) 30 days from the date of service of notice to wife or husband/पति/पत्नी पर नोटिस की तामील से 30 दिनों में
(b) 60 days from the date of service of notice to wife or husband/पति/पत्नी पर नोटिस की तामील से 60 दिनों में
(c) 45 days from the date of service of notice to wife or husband/पति/पत्नी पर नोटिस की तामील से 45 दिनों में
(d) 50 days from the date of service of notice to wife or husband/पति/पत्नी पर नोटिस की तामील से 50 दिनों में

BPSC (APO) 2012

Ans : (b) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 वाद लम्बन के दौरान भरण-पोषण (Maintanance Pendentelite) का प्रावधान करता है।
धारा 24 के अधीन भरण-पोषण की कार्यवाहियाँ पति/पत्नी पर सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा।

216. Remedies under Section 24 of the Hindu Marriage Act, 1955 and Section 125 of the Criminal Procedure Code are
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत दिये उपचारः-

(a) dependent on each other/एक-दूसरे पर निर्भर है
(b) independent on each other/एक-दूसरे से स्वतंत्र है
(c) supplementary to each other
एक-दूसरे के अनुपूरक हैं
(d) complementary to each other
एक-दूसरे के मानार्थ है

BPSC (APO) 2013

Ans : (b) हिन्दू विवाह अधि. 1955 की धारा 24 बाद लम्बन के दौरान भरण-पोषण का प्रावधान करता है जिसकी मांग पति या पत्नी दोनो कर सकते हैं, जबकी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण का प्रावधान करता है। उपरोक्त दोनो अधि. के तहत दिया गया उपचार एक-दूसरे से स्वतंत्र है।

217. Mark the correct statement: Options:
सही कथन को चिह्नित कीजिएः

(a) Under the Hindu Marriage Act, 1955, the husband can claim maintenance/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पति भरण-पोषण का दावा कर सकता है।
(b) Unchaste wife can live separate and calim maintenance under the Hindu Adoptions and Maintenace Act, 1956/शीलभ्रष्ट पत्नी अलग रह सकती है और हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा कर सकती है।
(c) Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, father-in-law is personally liable to pay maintenance to the widowed daughter-in-law /हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ससुर व्यक्तिगत रूप से विधवा पुत्रवधू को भरण-पोषण के लिए दायी है।
(d) The term 'Maintenance' under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 does not include marriage expenses of unmarried daughter/हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 'भरण-पोषण' पद में अविवाहित पुत्री का विवाह खर्च शामिल नहीं है।

UGC (NET) December, 2018

Ans. (a) : हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 की धारा 24 एवं धारा 25 में पत्नी या पति दोनों को समान अधिकार एवं दायित्व दिये गये हैं कि वे एक दूसरे के विरुद्ध भरण-पोषण का दावा कर सकता है। धारा 24 में वादकालीन भरण-पोषण तथा धारा 25 में स्थायी निर्वाह-व्यय और भरण-पोषण की व्यवस्था की गई है।
हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार, शीलभ्रष्ट (Unchaste) पत्नी भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार, ससुर व्यक्तिगत रूप से विधवा पुत्रवधू को भरण-पोषण देने का दायी नही है।

218. Under which Section of the Hindu Marriage Act, 1955 provision has been made for permanent alimony and maintenance?/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की कौन सी धारा में स्थायी निर्वाह-व्यय एवं भरण-पोषण का प्रावधान किया गया है?

(a) Section 24/धारा 24 में
(b) Section 26/धारा 26 में
(c) Section 25/धारा 25 में
(d) Section 27/धारा 27 में

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 स्थायी निर्वाह-व्यय एवं भरण-पोषण से सम्बन्धित प्रावधान करती है।

219. The Provision for 'maintenance pendente lite' in Hindu Marriage Act, 1955 is given in
वाद कालीन भरण-पोषण का प्रावधान हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की किस धारा में है?

(a) Section 22/धारा 22 (b) Section 25/धारा 25
(c) Section 24/धारा 24 (d) Section 23/धारा 23

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अन्तर्गत वादकालीन भरण-पोषण और कार्यवाहियों के व्यय (खर्च) के बारे में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार पति-पत्नी में से कोई भी एक दूसरे से कार्यवाहियों के खर्च तथा भरण-पोषण की मांग करते हुए न्यायालय में आवेदन कर सकेंगे।

220. Which Section of the Hindu Marriage Act, 1955 provides for maintenance pendentelite and expenses of proceedings?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की कौन सी धारा वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय का प्रावधान करती है?

(a) Section 24/धारा 24 (b) Section 25/धारा 25
(c) Section 26/धारा 26 (d) Section 27/धारा 27

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

221. Provisions of Section 24 of the Hindu Marriage Act, 1955 corresponds to
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के प्रावधान अनुरूप हैः

(a) Section 36 of the Special Marriage Act, 1954/ विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 36 से।
(b) Section 36 of the Indian Divorce Act, 1869/भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1969 की धारा 36 से।
(c) Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों।
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के प्रावधान
(1) विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 36 के तथा
(2) भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1969 की धारा 36 के अनुरुप है।
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 में वादकालीन भरण-पोषण और कार्यवाही के व्यय का प्रावधान किया गया है।

222. In which of the following case the Supreme Court held that even the wife of a void marriage is entitled to maintenance?
निम्न मामलों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि शून्य विवाह में भी पत्नी को भरण-पोषण दिया जायेगा?

(a) Amarjeet Kaur v. Harbhajan Singh, (2003) 10 SCC 228/अमरजीत कौर बनाम हरभजन सिंह (2003) 10 एस.सी.सी. 228
(b) Chand Dhawan v. Jawaharlal Dhawan, (1993) 3 SCC 406/चांद धवन बनाम जवाहरलाल धवन (1993) 3 एस.सी.सी. 406
(c) Nirmala Devi v. Ram das, (2001) 2 SCC 4/निर्मला देवी बनाम रामदास (2001)2 एस.सी.सी. 4
(d) Ramesh Chandra v. Veen Kausal, AIR 1978 SC 1807/रमेशचन्द्र बनाम वीना कौशल ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1807

UGC (NET) December, 2013

Ans. (b) : चांद धवन बनाम जवाहरलाल धवन (1993) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि शून्य विवाह में भी पत्नी को भरण-पोषण दिया जाएगा।

223. A "Divorced" Hindu wife can claim maintenance under which of the following Acts
एक 'विवाह विच्छेद' वाली हिन्दू पत्नी भरण पोषण माँगने का अधिकार रखती है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में?

(a) Hindu Marriage Act only
हिन्दू विवाह अधिनियम में ही
(b) Hindu Marriage Act and Criminal Procedure Code 1973/हिन्दू विवाह अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में
(c) Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 and Hindu Marriage Act/हिन्दू दत्तक व भरण-पोषण अधिनियम 1956 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम में
(d) In all of the above/उपर्युक्त सभी में

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : हिन्दू विवाह विच्छेद प्राप्त पत्नी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के अधीन पति से भरण-पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के तहत हिन्दू पत्नी वैवाहिक स्थिति के दौरान ही पति से भरण-पोषण तथा पृथक निवास की मांग कर सकती है।

224. Alimony under Section 25 of the Hindu Marriage Act, 1955 can be ordered by
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अधीन निर्वाह व्यय का आदेश दे सकता है

(a) a civil Court/एक दीवानी न्यायालय
(b) a court exercising jurisdiction under Hindu Marriage Act, 1955/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग वाला न्यायालय
(c) Both (a) and (b)/(a) एवं (b) दोनों
(d) Neither (a) nor (b)/ना तो (a) और न ही (b)

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (b) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अधीन स्थायी निर्वाह व्यय और भरण-पोषण का आदेश हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय दे सकता है।

225. Under Hindu Marriage Act, 1955 the right to 'Permanent Alimony' is available
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत स्थायी निर्वाह व्यय का अधिकार प्राप्त है

(a) to the husband only/केवल पति को
(b) to the wife only/केवल पत्नी को
(c) to the husband and wife/पति-पत्नी दोनों को
(d) to the dependents only/केवल अश्रितों को

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 में स्थायी निर्वाह व्यय और भरण-पोषण के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत स्थायी निर्वाह-व्यय और भरण-पोषण हेतु आवेदन, सक्षम न्यायालय में पति व पत्नी दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

226. Section 27 of the Act is attracted when property allegedly presented in marriage or at the time of marriage is/अधिनियम की धारा 27 आकर्षित होती है जबकि विवाह में या विवाह के समय भेंट की गई सम्पत्ति अभिकथित रूप से होती है–

(a) husband only/केवल पति की
(b) wife only/केवल पत्नी की
(c) both jointly/संयुक्त रूप से दोनों की
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (HJS) 2014

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 27 में सम्पत्ति के व्ययन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार- इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में, न्यायालय ऐसी सम्पत्ति के बारे में, जो विवाह के अवसर पर या उनके आसपास में, उपहार में दी गई हो और संयुक्ततः पति और पत्नी दोनों की हो, डिक्री में ऐसे उपबन्धित कर सकेगा जिन्हे वह न्यायसंगत और उचित समझे।

धारा 27 तब आकर्षित होती है जब विवाह में या विवाह के समय भेट की गई सम्पत्ति कथित रूप से पति एवं पत्नी की संयुक्त सम्पत्ति है।

227. Tagore v. Tagore laid down which one of the following rule of law?
टैगोर बनाम टैगोर में निम्नलिखित में से क्या विधि का नियम अभिनिर्धारित हुआ था?

(a) A Hindu cannot dispose of his property by gift intervene in favour of an unborn child/एक हिन्दू अपनी सम्पत्ति का व्ययन अजन्में शिशु के पक्ष में जीवाभ्यांतर दान द्वारा नहीं कर सकता है
(b) Karta of a Joint Hindu Family has power to intervene into family matters/संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्त्ता पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप की शक्ति रखता है

(c) A partition of joint family property can be reopened/संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का बँटवारा को पुनः खोला जा सकता है
(d) Adoption of an orphan is not valid/एक अनाथ का दत्तक ग्रहण विधिमान्य नहीं है

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (a) : टैगोर बनाम टैगोर 1872 (P.C.) के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि एक हिन्दू अपनी सम्पत्ति का व्ययन अजन्में शिशु के पक्ष में जीवाभ्यांतर दान द्वारा नहीं कर सकता है।

228. The prescribed period of limitation for preferring an appeal under Section 28 of the Hindu Marriage Act is:
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत अपील किये जाने का विहित परिसीमा काल है-
(a) thirty days/तीस दिन
(b) sixty days/साठ दिन
(c) ninety days/नब्बे दिन
(d) one hundred and twenty days/एक सौ बीस दिन

UP (HJS) 2018
MP (HJS) 2018
Uttarakhand (J) 2016
Rajasthan (J) 2013

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28(4) के अनुसार– हर अपील डिक्री या आदेश की तारीख से 90 दिन के अन्दर की जायेगी।

229. Limitation of filling appeal against decrees under Hindu Marriage Act, 1955 is from date of decree is
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी डिक्री की अपील, डिक्री के दिनांक से की जाएगी-
(a) 30 days/30 दिन में
(b) 45 days/45 दिन में
(c) 60 days/60 दिन में
(d) 90 days/90 दिन में

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

230. Every appeal from decrees or orders under Section 28 of Hindu Marriage Act, 1955 shall be preferred within how many days from the date of decree or order
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 के अधीन पारित आदेशों या डिक्रियों की अपील डिक्री या आदेश पारित किए जाने के कितने दिनों के भीतर दायर की जाएगी?
(a) Within 90 days/90 दिन में
(b) Within 60 days /60 दिन में
(c) Within 45 days /45 दिन में
(d) Within 30 days /30 दिन में

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

231. Under which Section of Hindu Marriage Act, 1955, customary divorce is saved?
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की किस धारा के अन्तर्गत रूढ़िगत तलाक को बचाकर रखा गया है?
(a) Section 13-B/धारा-13-B
(b) Section -16/धारा-16
(c) Section 30/धारा 30
(d) Section 29(2)/धारा 29(2)

Uttarkhand (J) 2021

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 29(2) के अंतर्गत रुढ़िगत तलाक को बचाकर रखा गया है।
धारा 13B - पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद।
धारा 16 - शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता।
धारा 30 - निरसित (1960 में)।

232. The Indian Divorce Act, 1869 will apply to:
भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 लागू होगाः
(a) Hindu prior to coming into force of Hindu Marriage Act, 1955/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1953 के लागू होने के पूर्व के हिन्दुओं को
(b) Jews /यहूदी को
(c) Christians /इसाइयों को
(d) all of the above /उपरोक्त सभी को

Bihar (HJS) 2016

Ans. (a) : भारतीय तलाक अधिनियम 1869, हिन्दू विवाह अधि. 1955 के लागू होने के पूर्व के हिन्दुओं को लागू होगा।

233. Execution of a decree for restitution of conjugal rights under the Hindu Marriage Act is done by:
हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत दाम्पत्य अधिकारों की स्थापना के लिए डिक्री का निष्पादन ....के द्वारा किया जायेगा।
(a) putting the judgment debtor in civil prison /निर्णीतऋणी को जेल भेजकर
(b) attachment of property of the judgment debtor /निर्णीतऋणी की सम्पत्ति की कुर्की
(c) by appointment of a commissioner to ensure that the decree is complied with /डिक्री की संतुष्टि को सुनिश्चित करने हेतु कमिश्नर की नियुक्ति के द्वारा
(d) the decree cannot be executed since the law cannot compel a husband and wife to cohabit/डिक्री का निष्पादन नहीं किया जा सकता क्योंकि पति को और पत्नी को सहवास करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता

Bihar (HJS) 2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 32 के अनुसार, दाम्पत्य अधिकारों की स्थापना के लिए डिक्री का निष्पादन निर्णीतऋणी की सम्पत्ति की कुर्की के द्वारा किया जायेगा।

234. Unlike, Hindu Law, there is no prohibition in Muslim Law for the marriage :
हिन्दू विवाह विधि से भिन्न मुस्लिम विवाह विधि में कोई निषेध नहीं है–

(a) of two cousins/
दो चचेरे/ममेरे/मौसेरे/फुफेरे भाई या बहन में विवाह
(b) with a brother's wife/भाई की पत्नी से विवाह
(c) with a pre-deceased wife' mother/
दिवंगत पत्नी की माँ से विवाह
(d) both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों

UPHESC 2014

Ans. (d) : हिन्दू विवाह विधि से भिन्न मुस्लिम विवाह विधि में कोई निषेध नहीं है, जहाँ एक मुस्लिम अपने चचेरे/ममेरे/मौसेरे/फुफेरे/भाई या बहन से विवाह करता है या भाई की पत्नी से विवाह करता है।

235. Match List I and List II
सूची और सूची को सुमेलित कीजिए:

सूची-I (Section of Hindu Marriage Act 1955/ हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा)	सूची-II (Provision/उपबंध)
A. Section 5(i) धारा 5 (i)	1. Ceremonies for hindu marriage/हिन्दू विवाह के निमित रस्म
B. Section 7/धारा 7	2. Age of marriage/ विवाह योग्य आयु
C. Section 8/धारा 8	3. Monogamy एकल विवाह
D. Section 5(iii) धारा 5 (iii)	4. Registration of marriage/ विवाह का रजिस्ट्रीकरण

Choose the correct option from those given below:
सही विकल्प चुनिए:

	A	B	C	D
(a)	4	3	2	1
(b)	3	1	4	2
(c)	1	4	3	2
(d)	1	4	2	3

UGC (NET) December, 2019

Ans. (b) : सुमेलित सूची निम्न है–

सूची-I (Section of Hindu Marriage Act 1955/ हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा)	सूची-II (Provision/उपबंध)
A. Section 5(i)/धारा 5 (i)	1. एकल विवाह
B. Section 7/धारा 7	2. हिन्दू विवाह के निमित रस्म
C. Section 8/धारा 8	3. विवाह का रजिस्ट्रीकरण
D. Section 5(iii)/धारा 5 (iii)	4. विवाह योग्य आयु

236. Which sections of Hindu Marriage Act 1955 deal with matrimonial remedy of divorce?
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा विवाह विच्छेद का वैवाहिक समाधान से संबंधित है?

1. **Section 13/धारा 13**
2. **Section 13(1-A)/ धारा 13(1-ए)**
3. **Section 17/ धारा 17**
4. **Section 13-B/ धारा 13(बी)**

Choose the correct option:
सही विकल्प का चयन कीजिए:

(a) 1, 3 and 4 only/1, 3 और 4 केवल
(b) 2, 3 and 4 only /2, 3 और 4 केवल
(c) 1, 2 and 4 only /1, 2 और 4 केवल
(d) 1, 2 and 3 only /1, 2 और 3 केवल

UGC (NET) December, 2019

Ans. (c) : हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित धाराएं विवाह विच्छेद का वैवाहिक समाधान से सम्बन्धित है-
1- धारा 13 – तलाक से सम्बन्धित है
2- धारा 13(1A) – धारा 9 तथा 10 के तहत डिक्री के एक वर्ष पश्चात् तलाक के आधार की घोषणा करती है
3- धारा 13(B) – पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद से सम्बन्धित है।

237. In which of the case did Supreme Court hold that a relationship in the nature of marriage under the Domestic Violence Act, 2005 must also fulfill some basic criteria, merely spending weekends together or one night would not make it a domestic relationship?
किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि घरेलु हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विवाह की प्रकृति के संबंध में कुछ मूलभूत मानदण्डों को पूरा करे, मात्र एक साथ सप्ताहांत अथवा एक रात्रि व्यतीत करना इसे घरेलू संबंध नहीं बनाता।

(a) Payal Katara v. Supt. Nari Niketan and other
पायल कटरा बनाम अधीक्षक, नारी निकेतन एवं अन्य
(b) D. Velusamy v. D. patchaiammal
डी. वेलूसामी बनाम डी. पचाईमल
(c) Bharati Matha and others v. R. Vijaya Ranganathan and others/भारती माथा एवं अन्य बनाम आर. विजया रंगनाथन एवं अन्य
(d) S. Khushboo v. Kanniammal and others
एस. खुशबू बनाम कन्नाईमल एवं अन्य

UGC (NET) June, 2019

Ans. (b) : डी. वेलूसामी बनाम डी. पचाईमल के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विवाह की प्रकृति के संबंध में मात्र एक साथ सप्ताहांत अथवा एक रात्रि व्यतीत करना इसे घरेलू संबंध नहीं बनाता है।

238. Match List-I with List-II in the light of the Hindu Marriage Act, 1955, and give correct answer with the help of code given below:
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के आलोक में सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए–

	List-I/सूची-I (Section/धारा)		List-II/सूची-II (Provision/प्रावधान)
A.	Sec. 14/ धारा 14	1.	Alternative Relief in divorce proceedings/ तलाक की कार्यवाहियों में वैकल्पिक राहत
B.	Sec. 13-A/ धारा 13-ए	**2.**	Restitution of conjugal Right/ दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन
C.	Sec. 9/ धारा 9	**3.**	Judicial separation/ न्यायिक पृथक्करण पोषण
D.	Sec. 10/ धारा 10	**4.**	No petition for divorce within one year of marriage/ विवाह के एक वर्ष के अंदर तलाक के लिए कोई अर्जी नहीं

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	4	1	2	3
(b)	1	4	3	2
(c)	4	3	2	1
(d)	2	3	1	4

UGC (NET) July, 2018

Ans. (a) : सुमेलित सूची निम्न है–
- धारा 14 - विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक के लिए कोई अर्जी नहीं
- धारा 13A- तलाक के अर्जी में वैकल्पिक राहत
- धारा 9 - दाम्पत्य अधिकारो का प्रत्यास्थपना
- धारा 10 - न्यायिक पृथक्करण की डिक्री

239. Match the items of List-I with the items of List-II and choose the correct answer under the Hindu Marriage Act, 1955 by using the code givne below
सूची-I की मदों को सूची-II को मिलान कीजिए और नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करते हुए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत सही उत्तर को चुनिए–

	List-I/सूची-I (section) (धारा)		List-II/सूची-II (Provision) (उपबंध)
A.	**Section 5(i) धारा 5(i)**	**1.**	**Ceremonies of Marriage विवाह कर्म**
B.	**Section 11 धारा 11**	**2.**	**Monogamy एकपत्नीत्व**
C.	**Section 7 धारा 7**	**3.**	**Marriageable age विवाह योग्य आयु**
D.	**Section 5(iii) धारा 5(iii)**	**4.**	**Void Marriages शून्य विवाह**

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	2	1	3	4
(b)	2	4	1	3
(c)	3	4	1	2
(d)	3	2	4	1

UGC (NET) December, 2018

Ans. (b) : सुमेलित सूची निम्न है–
- धारा 5(i) एक पत्नीत्व
- धारा 11 शून्य विवाह
- धारा 7 विवाह कर्म (सप्तपदी)
- धारा 5 (iii) विवाह योग्य आयु

240. Match the items of List-I with the items of List-II and choose the correct answer from the code given below
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए–

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A.	**Vishwanath Agrawal v Sarla Agrawal विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला अग्रवाल**	**1.**	**Divorce by mutual consent आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद**
B.	**Geeta Maugalani v. Jogdesh Maugalani गीता मौगालिनी बनाम जगदीश मौगालिनी**	**2.**	**Saptapadi सप्तपदी**
C.	**Manish Goel v. Rohni Goel मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल**	**3.**	**Cruelty निर्दयता**
D.	**Vishnu Prakash v. Sheela Devi विष्णु प्रकाश बनाम शीला देवी**	**4.**	**Desertion अभित्यजन**

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	2	4	3	1
(b)	1	3	4	2
(c)	3	4	1	2
(d)	1	4	3	2

UGC (NET) November, 2017

Ans. (c) : सुमेलित सूची निम्न है–

(A)	विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला अग्रवाल (2012)	क्रुरता
(B)	गीता मौगालिनी बनाम जगदीश मौगालिनी	अभित्यजन
(C)	मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल (2010)	आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद
(D)	विष्णुप्रकाश बनाम शीला देवी (2001)	सप्तपदी।

241. Match the items of List-I with the items of List-II and choose the correct answer from the code given below
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर दें–

List-I/सूची-I	List-II/सूची-II
A. Age of marriage विवाह की आयु	1. Section 13 (I-A) धारा 13 (1-ए)
B. Breakdown grounds of marriage विवाह के असफल होने के आधार	2. Section 8 धारा 8
C. Overriding effect of Act अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव	3. Section 5 (iii) धारा 5(3)
D. Registration of Marriage विवाह का पंजीकरण	4. Section 4 धारा 4

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	1	3	2	4
(b)	3	1	4	2
(c)	2	3	4	1
(d)	4	3	1	2

UGC (NET) January, 2017

Ans. (b) : सुमेलित सूची निम्न है–

सूची I	सूची II
विवाह की आयु	धारा 5(3)
विवाह के असफल होने के आधार	धारा 13 (1-A)
अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव	धारा 4
विवाह का पंजीकरण	धारा 8

242. Match List-I with List-II and find correct answer by using codes given below.
सूची-I और सूची-II को सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए–

List-I/सूची-I	List-II/सूची-II
A. Dastane v. Dastane दस्ताने बनाम दस्ताने	1. Bigamy द्विविवाह
B. Iqbal Bano v. State U.P. इकबाल बानो बनाम उ.प्र. राज्य	2. Restitution of Conjugal Rights दांपत्याधिकारों का प्रत्यस्थापन
C. Lily Thomas v. Union of India लिली थॉमस बनाम भारत संघ	3. Maintenance of Muslim wife मुस्लिम पत्नी का भरण-पोषण
D. Harvinder Kaur v. Harmandar Singh हरविंदर कौर बनाम हरमन्दर सिंह	4. Mental Cruelty मानसिक क्रूरता

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	4	3	1	2
(b)	1	4	2	3
(c)	3	2	4	1
(d)	2	3	1	4

UGC (NET) September, 2016

Ans. (a) : सुमेलित सूची निम्न है–

दस्ताने बनाम दस्ताने (1975 SC)	-	मानसिक क्रूरता
इकबाल बानो बनाम उ.प्र. राज्य (2007 SC)	-	मुस्लिम पत्नी का भरण पोषण
लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000 SC)	-	द्विविवाह
हरबिंदर कौर बनाम हरमन्दर सिंह (1983 SC)	-	दांपत्याधिकारों का प्रत्यस्थापन

243. Match List-I and List-II and find correct answer by using codes given below :/सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें–

List-I/सूची-I (निर्णय विधि)	List-II/सूची-II (निर्णय)
A. Seema v. Ashwani/ सीमा बनाम अश्विनी	1 Cruelty as a ground of divorce/तलाक के आधार के रूप में क्रूरता
B. Giltha Hariharan v. Resrve Bank of India/गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक	2 Maintenance of Muslim wife/ मुस्लिम पत्नी का भरण-पोषण

C.	V. Bhagat v. D Bhagat/वी. भगत बनाम डी भगत	3	Compulsory registration of marriages/ विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण
D.	Mohd. Ahmad Khan Shah Bano/ मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो	4	Mother as natural v. guradian/ नैसर्गिक संरक्षक के रूप में माता

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	2	1	3	4
(b)	1	3	4	2
(c)	3	4	1	2
(d)	4	2	1	3

UGC (NET) July, 2016

Ans. (c) : सीमा vs अश्विनी का वाद विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से संबंधित है।
गीता हरिहरन का मामला माता को नैसर्गिक संरक्षक के रूप में मान्यता देने से है।
वी भगत बनाम डी भगत का वाद तलाक के आधार के रूप में क्रूरता से सम्बन्धित है।
मो. अहमद vs शाहबानों बेगम का वाद मुस्लिम पत्नी के भरण पोषण से सम्बन्धित है।

244. Match the items of List-I with the items of List-II and choose the correct answer from the code given below
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए:

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A.	Ceremonies for a Hindu marriage हिन्दू विवाह कर्म	1.	Section 15 धारा 15
B.	Restitution of Conjugal Rights दामपत्याधिकारों का प्रत्यास्थापन	2.	Section 7 धारा 7
C.	Remarrige of divorced persons तलाकशुदा व्यक्तियों का पुनर्विवाह	3.	Section 16 धारा 16
D.	Legitimacy of Children बच्चों की वैधता	4.	Section 9 धारा 9

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	1	3	2	4
(b)	2	4	1	3
(c)	4	2	3	1
(d)	3	4	2	1

UGC (NET) July, 2016

Ans. (b) : हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 के तहत निम्न सूमेलित है-
(a) विवाह हेतु आवश्यक कर्मकाण्ड-धारा 7,
(b) दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन-धारा 9,
(c) तलाकशुदा व्यक्तियों का पुनर्विवाह-धारा 15
(d) शून्यकरणीय विवाह में अपत्यों की धर्मजता-धारा 16।

245. Match the List-I with List-II under the Hindu Marriage Act, 1955 and give the correct answer with the help of codes given below:
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत सूची-I का मिलान सूची-II से करें और नीचे दिये गये कूटों की सहायता से सही कूट का चयन करें–

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A.	Restitution of Conjugal Rights/ दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन	1.	Section 5/ धारा 5
B.	Marriagable Age/ विवाह योग आयु	2.	Section 29(2)/ धारा 29(2)
C.	Customary Divorce/ रूढ़िक तलाक	3.	Section 9/ धारा 9
D.	Ceremonies of Marriage/ विवाह की रस्में	4.	Section 7/ धारा 7

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	4	1	2	3
(b)	3	2	1	4
(c)	3	1	2	4
(d)	1	2	3	4

UGC (NET) December, 2015

Ans. (c) : दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना - धारा 9
विवाह योग्य आयु - धारा 5
रूढ़ि तलाक - धारा 29 (2)
विवाह की रस्मे - धारा 7

246. Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the Lists:
सूची-ध को सूची-धध के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गये कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए–

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A.	Monogamy एकल विवाह	1.	Section 10 धारा 10
B.	Judicial separation न्यायिक पृथक्करण	2.	Section 5 धारा 5
C.	Void Marriage शून्य विवाह	3.	Section 11 धारा 11
D.	Divorce by Mutual Consent आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद	4.	Section 13B धारा 13बी

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	2	1	3	4
(b)	1	3	4	2
(c)	2	3	4	1
(d)	4	3	1	2

UGC (NET) June, 2015
UGC (NET) Oct, 2022

Ans. (a) : सही सुमेलित है।

(A)	एकल विवाह	धारा 5
(B)	न्यायिक पृथक्करण	धारा 10
(C)	शून्य विवाह	धारा 11
(D)	आपसी सहमति से विवाह विच्छेद	धारा 13 B

247. Match List-I with List-II and select correct answer from the codes:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुये सही उत्तर का चयन कीजिये–

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A.	Judicial separation/न्यायिक पृथक्करण	1.	Section 9/धारा 9
B.	Divorce/विवाह विच्छेद	2.	Section 10/धारा 10
C.	Voidable Marriages शून्यकरणीय विवाह	3.	Section 13/धारा 13
D.	Restitution of Conjugal Rights दाम्पत्य अधिकारो की पुनर्स्थापना	4.	Section 12/धारा 12

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	1	3	2	4
(b)	2	4	3	1
(c)	1	2	4	3
(d)	2	3	4	1

UGC (NET) December, 2013

Ans. (d) : सुमेलित सूची निम्न है–

A.	न्यायिक पृथक्करण	1.	धारा 10 (हिन्दू विवाह अधिनियम 1955)
B.	विवाह विच्छेद	2.	धारा 13
C.	शून्यकरणीय विवाह	3.	धारा 12
D.	दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना	4.	धारा 9

248. Match List-I with List-II and select correct answer from the codes:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुये सही उत्तर का चयन कीजिये–

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A.	Impotency of husband/पति का नपुंसक होना	1.	Divorce/तलाक
B.	Marriage between sapinda relationship/सपिण्ड सम्बन्ध से विवाह	2.	Voidabloe marraige/शून्यकरणीय विवाह
C.	Pre-marraige pregnancy/विवाह से पहले गर्भवती	3.	Nullity marriage/अकृत विवाह
D.	Option of puberty/यौवनारम्भ विकल्प (ऑप्शन ऑफ प्यूबटी)	4.	Void marriage/शून्य विवाह

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	4	3	1	2
(b)	3	4	2	1
(c)	1	3	4	2
(d)	2	4	1	3

UGC (NET) December, 2013

Ans. (b) : सुमेलित सूची निम्न है–

A.	पति का नपुंसक होना	1.	अकृत विवाह
B.	सपिण्ड सम्बन्ध से विवाह	2.	शून्य विवाह
C.	विवाह से पहले गर्भवती	3.	शून्यकरणीय विवाह
D.	यौवनारम्भ विकल्प	4.	तलाक

249. Where a Hindu male and Hindu female contract their marriage under the special Marriage Act, 1954, Hindu Personal law:
जहाँ एक हिंदू पुरुष और हिंदू स्त्री विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन विवाह रचाते है, हिंदू निजी विधि

(a) Applies to such marriage
ऐसे विवाह पर लागू होगी
(b) Does not apply/लागू नहीं होगी
(c) Applies with some modifications
कुछ परिवर्तनों सहित लागू होगा
(d) Applies with Indian Contract Act
भारतीय संविदा अधिनियम के साथ लागू होगा

UGC (NET) June, 2014
UGC (NET) December 2009

Ans. (b) : जहाँ एक हिन्दू पुरुष एवं हिन्दू स्त्री विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन विवाह रचाते है तो हिन्दू व्यक्तिगत विधि ऐसे विवाह पर लागू नहीं होगी।

250. In which of the following case the Supreme Court of India has settled the position that live-in relationships in India are legal but subject to caveats like age of marriage, consent and soundness of mind?/

निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थिति निर्धारित की है कि भारत में लिव-इन संबंध कानूनी है लेकिन शादी की उम्र, सहमति और स्वस्थ मन जैसी चेतावनियों के अधीन है?

(a) Prakash Kumar Bachlaus v. Chanchal
प्रकाश कुमार बकलौस बनाम चंचल

(b) Badri Prasad v. Dy. Director of Consolidation
बद्री प्रसाद बनाम चकबंदी उप-निदेशक

(c) Independent Though v. Union of India
इंडिपेंडेंट दॉ बनाम भारत संघ

(d) Venkatacharyulu v. Rangacharyulu
वेंकटाचार्युलु बनाम रंगाचार्युलु

Rajasthan SET 2023

Ans. (b) : बद्री प्रसाद बनाम चकबंदी उप-निदेशक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि भारत में लिव-इन संबंध कानूनी है लेकिन शादी की उम्र, सहमति और स्वस्थ मन जैसे चेतावनी के अधीन है।

251. Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	List-I/सूची-I (मामले)		List-II/सूची-II (आधार)
A.	Ram Narayan v. Rameshwari/राम नारायण बनाम रामेश्वरी	1.	Insanity/पागलपन
B.	Lachman v. Meena/लछमन बनाम मीना	**2.**	Cruelty/क्रूरता
C.	Dastane v. Dastane दस्ताने बनाम दस्ताने	**3.**	Desertion/अभित्यजन
D.	Mr. X v. Hospital Z/मिस्टर एक्स बनाम अस्पताल जैड	**4.**	Venereal Diseases/रतिज रोग

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	3	1	4	2
(b)	2	4	3	1
(c)	1	3	2	4
(d)	4	2	1	3

UGC (NET) June, 2014

Ans. (c) : सुमेलित सूची निम्न है–

(a) राम नारायण बनाम रामेश्वरी	-	पागलपन
(b) लक्ष्मन बनाम मीना	-	अभित्यजन
(c) दस्ताने बनाम दस्ताने	-	क्रुरता
(d) मिस्टर एक्स बनाम अस्पताल जैड	-	रतिजन्य रोग

252. Match List-I with List-II and give the correct answer by using the codes given below:
सूची-I और सूची-II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए:

List-I सूची-I (Provisions) (प्रावधान)	List-II सूची-II (Sections of Hindu Marriage Act, 1956) (हिन्दू विवाह अधिनियम)
A. Registration of Hindu Marriages/हिन्दू विवाह का पंजीयन	**1. Section 13B धारा 13 B**
B. Divorce by Mutual Consent/आपसी सहमति से तलाक	**2. Section 16/धारा 16**
C. Legitimacy of children of void and voidable marriages/शून्य तथा शून्यकरणीय वैवाहिक सम्बन्ध से उत्पन्न बच्चों को वैधता	**3. Section 8/धारा 8**
D. Divorced persons when may marry again तलाकशुदा व्यक्तियों का पुनर्विवाह	**4. Section 15/धारा 15**

Codes:/कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	3	1	4	2
(c)	2	3	1	4
(d)	4	2	3	1

UGC (NET) September, 2013

Ans. (*) : कोई विकल्प सही नहीं है-

सूची-I (प्रावधान)	सूची-II (हिन्दू विवाह अधिनियम)
A. हिन्दू विवाह का पंजीयन	1. धारा 8
B. आपसी सहमति से तलाक	2. धारा 13 B
C. शून्य तथा शून्यकरणीय वैवाहिक सम्बन्ध से उत्पन्न बच्चों को वैधता	3. धारा 16
D. तलाकशुदा व्यक्तियों का पुनर्विवाह	4. धारा 15

253. Match the List-I with List-II and indicate the correct answer using the codes given below:
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

List-I/सूची-I	List-II/सूची-II
A. Pre-Marriage Pregnancy विवाह पूर्व गर्भावस्था	1. Divorce/तलाक
B. Marriage within Prohibited Degree Relationship प्रतिषेधित डिग्री सम्बन्ध के अन्दर विवाह	2. Voidable Marriage शून्यकरणीय विवाह
C. Cruelty/क्रूरता	3. Void Marriage शून्य विवाह
D. When any spouse without reasonable excuse withdrawn from the society of the other/ जब कोई स्पाउज (पति या पत्नी) बिना किसी स्पष्टीकरण के दूसरे के समाज से निकल आता है	4. Restitution of Conjugal Rights दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन

Code/कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	4	1	3
(b)	2	3	1	4
(c)	4	2	3	1
(d)	1	2	3	4

UGC (NET) June, 2012

Ans. (b) : सुमेलित सूची निम्न है–

(A)	विवाह पूर्व गर्भावस्था	-	शून्यकरणीय विवाह
(B)	प्रतिषिद्ध डिग्री सम्बन्ध के अन्दर विवाह	-	शून्य विवाह
(C)	क्रूरता	-	तलाक का आधार
(D)	पति या पत्नी द्वारा बिना कारण साहचर्य जीवन से अलग होना	-	दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन

254. Match the List-I with List-II using the codes given below:
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिये गये कूटों से सही उत्तर का चयन करें–

List-I/सूची-I	List-II/सूची-II
A. Void Marriages/ शून्य विवाह	1. Section 9/धारा 9
B. Voidable Marriages शून्यकरणीय विवाह	2. Section 11/धारा 11
C. Divorce/तलाक	3. Section 13/धारा 13
D. Restitution of Conjugal Rights/ दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन	4. Section 12/धारा 12

Code/कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	4	3	1
(b)	4	3	2	1
(c)	3	1	2	4
(d)	1	2	3	4

UGC (NET) June, 2012

Ans. (a) : सुमेलित सूची निम्न है–

दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन-		धारा 9
शून्य विवाह	-	धारा 11
शून्यकरणीय विवाह	-	धारा 12
तलाक	-	धारा 13

255. Match List-I with List-II and indicate the correct answer using the codes given below:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए–

सूची-I	सूची-II
A. Ashok Hurra v. Rupa Hurra case/अशोक हूर्रा बनाम रुपा हूर्रा मामला	1. Restitution of Conjugal Rights दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन
B. Bipin Chndra v. Prabhavati विपिन चन्द्र बनाम प्रभावती	2. Uniform Civil Code समान सिविल संहिता
C. Sarla Mudugal v. Union of India/सरला मुदगल बनाम भारत संघ	3. Desertion/अभित्यजन
D. T. Sareetha v. State A.P./टी. सरिता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य	4. Divorce by Mutul Consent/पारस्परिक सहमति से तलाक

Codes:/कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	4	3	2	1
(c)	2	3	1	4
(d)	4	3	1	2

UGC (NET) December, 2012

Ans. (b) : सुमेलित सूची निम्न है–

A. अशोक हूर्रा बनाम रुपा हूर्रा मामला	पारस्परिक सहमति से तलाक
B. विपिन चन्द्र बनाम प्रभावती	अभित्यजन
C. सरला मुदगल बनाम भारत संघ	समान सिविल संहिता
D. टी. सरिता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य	दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन

256. The Special Marriage Act was enacted in the year :
विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ?

(a) 1932 (b) 1947
(c) 1954 (d) 1956

UGC (NET) December, 2010

Ans. (c) : विशेष विवाह अधिनियम वर्ष 1954 में पारित हुआ तथा 1 जनवरी, 1955 को प्रवर्तन में आया।

257. Jurisdiction of Family Court applies to which of the following community?
पारिवारिक न्यायालय की अधिकारिता निम्नलिखित में से किस समुदाय पर लागू होता है?

(a) Lingayat/केवल लिंगायत पर
(b) Muslims/केवल मुस्लिमों पर
(c) Buddhists/केवल बुद्धिस्टों पर
(d) All of these/उक्त सभी पर

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : पारिवारिक न्यायालय की अधिकारिता हिन्दू विधि तथा मुस्लिम विधि दोनों पर है। वीर शैव, लिंगायत, बाह्य, प्रार्थना या आर्य समाज तथा बौद्ध, जैन व सिक्ख पर हिन्दू विधि लागू होती है। अतः इन पर भी पारिवारिक न्यायालय की अधिकारिता होगी।

258. In which among the following landmark judgments did the Supreme Court held that the foreign courts have the jurisdiction to pass a decree in matrimonial issues and it is enforceable in India?/निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि विदेशी अदालतों को वैवाहिक मुद्दों में डिक्री पारित करने का अधिकार है और यह भारत में लागू करने योग्य है?

(a) Satya v. Teja/सत्या बनाम तेजा
(b) Pratima Sen v. Sajal Sen
प्रतिमा सेन बनाम सजल सेन
(c) Surinder Kaur Sandhu v. Harbax Singh Sandhu/सुरिंदर कौर संधू बनाम हरबक्स सिंह संधू
(d) Siddhartha Sharma v. Neha Sharma
सिद्धार्थ शर्मा बनाम नेहा शर्मा

Rajasthan SET 2023

Ans. (c) : सुरिंदर कौर संधू बनाम हरबक्स सिंह संधू के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि विदेशी अदालतों को वैवाहिक मुद्दों में डिक्री पारित करने का अधिकार है और यह भारत में लागू करने योग्य है।

259. In India a decree of restitution of conjugal rights can be executed by
भारत में दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थाना के न्यायिक निर्णय को निष्पादित किया जा सकता है

(a) attachement of the property of respondent/
प्रतिवादी की सम्पत्ति की कुर्की करके
(b) arrest of the respondent/
प्रतिवादी को बन्दी बनाकर
(c) attachment of property and arrest of respondent, both/
प्रतिवादी की सम्पत्ति कुर्की एवं उसे बन्दी बनाकर दोनों
(d) either attachment of propertyor by arrest of respondent and fine/
प्रतिवादी की सम्पत्ति कुर्की कर अथवा प्रतिवादी को बन्दी बनाकर एवं जुर्माना

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21, नियम 32 एवं 33 के अनुसार, भारत में दामपत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना के न्यायिक निर्णय को प्रतिवादी की सम्पत्ति की कुर्की करके निष्पादित किया जा सकता है।

260. Which of the following is not a ground of divorce under the Special Marriage Act, 1954?
विशिष्ट विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तलाक का आधार नहीं है?

(a) Adultery/जारकर्म
(b) Cruelty/क्रूरता
(c) Conversion/धर्मपरिवर्तन
(d) Desertion/अभित्यजन

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) विशिष्ट विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद के निम्नलिखित आधार है—
1. जारता।
2. अभित्यजन (लगातार 2 वर्ष तक)।
3. 7 वर्ष का कारावास का दण्ड।
4. क्रूरता।
5. पागलपन।

धर्मपरिवर्तन विशेष विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आधार नहीं है।

अध्याय -3

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

(The Hindu Succession Act, 1996)

1. Which of the following statement(s) is/are incorrect? Answer with the help of codes given below:
निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन गलत है/हैं?
नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए:

1. 'Agnate' is a person who is related by blood or adoption wholly through males/''पितृ पक्ष से संबंधित' व्यक्ति वह है जो पूर्णतया पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक-ग्रहण के द्वारा संबंधित है।

2. 'Cognate' is a person who is related by blood or adoption but not wholly through males/'सजातीय' व्यक्ति वह है जो रक्त या दत्तक-ग्रहण के द्वारा संबंधित है परन्तु पूर्णतया पुरुषों के माध्यम से नहीं

3. 'Agnate' is a person who is related only by blood wholly through males/'पितृ पक्ष से संबंधित' व्यक्ति वह है जो पूर्णतया पुरुषों के माध्यम से केवल रक्त के द्वारा संबंधित है।

4. 'Cognate' may be ascendant, descendant and collateral/'सजातीय' आरोही, अवरोही और संपार्श्विक हो सकता है।

Codes:/कूट:

(a) (1) and (4) only/केवल 1 और 4
(b) (2) and (4) only/केवल 2 और 4
(c) Only (3)/केवल 3
(d) (1) and (2) only/केवल 1 और 2

UGC (NET) September, 2016

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की **धारा 3(a)** के अनुसार यदि दो व्यक्ति केवल पुरूषों के माध्यम से रक्त या दत्तक-ग्रहण द्वारा एक दूसरे के संबंधित हो तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का गोत्रज कहा जाता है।
धारा 3(c)-के अनुसार यदि दो व्यक्ति एक दूसरे से रक्त या दत्तक-ग्रहण द्वारा संबंधित है, किन्तु सर्वथा पुरूषों के माध्यम द्वारा ही नहीं है तो एक व्यक्ति दूसरे का बन्धु कहा जाता है। बन्धु आरोही, अवरोही और सांपार्श्विक हो सकता है।

2. Under Hindu Succession Act, one person is said to be 'agnate' of another if the two are related
हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में 'गोत्रज' एक व्यक्ति दूसरे का कहा जाता है यदि उन दोनों का सम्बन्ध हो:

(a) by blood or adoption wholly through males/ केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक सम्बन्ध
(b) by blood or adoption but not wholly through males/पुरुषों के अलावा रक्त या दत्तक का सम्बन्ध
(c) by half blood through males/अर्धरक्त का सम्बन्ध पुरुषों के माध्यम से
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2013
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 3(a) में 'गोत्रज' को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार, एक व्यक्ति दूसरे का 'गोत्रज' कहा जाता है यदि वे दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक-दूसरे से सम्बन्धित हो।

3. Section 3(c) of the Hindu Succession Act defines/ हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 3(c) में परिभाषित है

(a) Agnate/गोत्रज
(b) Cognate/सजातीय (बन्धु)
(c) Full blood/पूर्णरक्त (सगा)
(d) Half blood/आधा रक्त (सौतेला)

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 3(c) में बंधु को परिभाषित किया गया है। एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है यदि वे दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो किन्तु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं।

4. Which one of the following is not correctly matched under the Hindu Marriage Act, 1955?
विवाह में से कौन हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है?

(a) Full blood and half blood – Section 3(c) सगा और सौतेला – धारा 3(ग)
(b) Degrees of Prohibited Relationship – Section 3(g)/प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रिया – धारा 3(छ)
(c) Uterine blood – Section 3(d) सहोदर – धारा 3(घ)
(d) Spinda relationship – Section 3(e) सपिंड नातेदारी – धारा 3(ङ)

UPHESC 2021

Ans. (d) : हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 3(f) में सपिण्ड नातेदारी को परिभाषित किया गया है तथा धारा 3(e) में विहित शब्द को परिभाषित किया गया है।

5. The term 'instestate' under the Hindu Succession Act, 1956 has been defined under which clause of Section 3
'निर्वसीयत' शब्दावली हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 3 की किस उपधारा में वर्णित है?

(a) Clause (e)/उपधारा (e) में
(b) Clause (d)/उपधारा (d) में
(c) Clause (h)/उपधारा (h) में
(d) Clause (g)/उपधारा (g) में

BPSC (APO) 2012

Ans : (d) निर्वसीयत (Intestate) को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 3(g) में परिभाषित किया गया है।
धारा 3(g) के अनुसार निर्वसीयत से तात्पर्य - कोई व्यक्ति चाहे पुरुष हो या नारी, जिसने किसी सम्पत्ति के बारे में ऐसा वसीयती व्यय न किया हो जो प्रभावशाली होने योग्य हो, वह उस सम्पत्ति के विषय में निर्वसीयत मरा समझा जायेगा।

6. A person who dies without making a will is known as "Intestate". This has been defined under Hindu Succession Act in
एक व्यक्ति जो बिना वसीयत किये हुए मृत्यु प्राप्त करता है, निर्वसीयती कहा जाता है। ऐसा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?

(a) Section 3(c)/धारा 3 (c)
(b) Section 3(g)/धारा 3 (g)
(c) Section 3(b)/धारा 3 (h)
(d) Section 4/धारा 4

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. Marriage of a Hindu coparcener with a Hindu girl or with any other under the special marriage Act, 1954/ एक हिन्दू सहदायिक का एक हिन्दू या किसी अन्य लड़की के साथ विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह

(a) does not have any effect on joint family status of the coparcener/सहदायिक की संयुक्त परिवार स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालता
(b) automatically severs his membership of the coparcenary and of the joint family/स्वतः सहदायिक का सहदायिकी और संयुक्त परिवार से उसकी सहभागिता समाप्त कर देता है
(c) A Hindu coparcener is not allowed to marry under the Special Marriage Act, 1954/एक हिन्दू सहदायिक विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह से वर्जित है
(d) His status as joint family member and a coparcener is suspended for some time/उसकी स्थिति एक संयुक्त परिवार और सहदायिकी के सदस्य के रूप में कुछ समय के लिए विलम्बित हो जाती है

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (b) : एक हिन्दू सहदायिक का एक हिन्दू या किसी अन्य लड़की के साथ विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह स्वतः सहदायिक का सहदायिकी और संयुक्त परिवार से उसकी सहभागिता समाप्त कर देता है।

8. Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 came into effect from/हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 प्रभाव में आया

(a) 20th December, 2004/20 दिसम्बर, 2004
(b) 9th September, 2005/9 सितम्बर, 2005
(c) 20th December, 2005/20 दिसम्बर, 2005
(d) 9th September, 2004/9 सितम्बर, 2004

MP (HJS) 2020

Ans. (b) : हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 - 9 सितम्बर, 2005 से प्रवर्तन में आया।

9. Can the girls can claim portation of his share in ancestral house against her brothers/क्या लड़कियाँ अपने पैतृक निवास गृह में अपने हिस्से का बंटवारा हेतु दावा अपने भाइयों के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकती हैं?

(a) No/नहीं
(b) Yes/हाँ
(c) No, at the time of normal partition of the family property, she will get share in the ancestral house/नहीं पारिवारिक सम्पत्ति के सामान्य बंटवारे के समय ही, उसे पैतृक निवास गृह में हिस्सा प्राप्त हो सकेगा
(d) None of the house/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (HJS) 2014

Ans. (b) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में वर्ष 2005 के संशोधन के पश्चात पुत्रियों का पुत्रों के समान सहदायिकी में अधिकार हो गया है। वर्ष 2005 के संशोधन के पश्चात् लड़कियाँ अपने पैतृक निवास गृह में अपने हिस्से का बंटवारा हेतु दावा अपने भाइयों के विरूद्ध कर सकती है।

10. Under Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 (as amended by the act of 2005) giving right to girt in coparcenary property applies to–
धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (जिसे कि अधिनियम 2005 के द्वारा संशोधित किया गया है) के अन्तर्गत लड़कियों को सहदायिकी सम्पत्ति में अधिकार दिया जाना लागू होता है–

(a) From 20.12.2004/दिनांक 20.12.2004 से
(b) From 20.12.2005/दिनांक 20.12.2005 से
(c) From 20.06.2005/दिनांक 20.06.2005 से
(d) From 09.09.2005/दिनांक 09.09.2005 से

MP (HJS) 2014

Ans. (d) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के द्वारा संशोधन किया गया है। इसके द्वारा पुत्रों के समान पुत्रियों को सहदायिक सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया गया है। यह संशोधन 09 सितम्बर 2005 से लागू है।

11. Hindu daughter become a Coparcenary by:
हिन्दु पुत्री को सहदायिकी बनाया गया। द्वाराः

(a) Hindu Marrige (Amendment) Act, 1976
हिन्दू विवाह (संशोधन) अधिनियम, 1976
(b) Hindu Succession (Amendment) Act, 2005
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005
(c) Hindu Adoption and Maintenance Act 1956
हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

UGC (NET) June, 2009

Ans. (b) : हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा धारा 6 को प्रतिस्थापित करके हिन्दू पुत्री को पुत्र के समान सहदायिकी बनाया गया।

12. Coparcenary property of a Hindu-
एक हिन्दू की सहदायिकी सम्पत्ति

1. Devolves by succession
उत्तराधिकार से न्यागत होती है।

2. Devolves by survivorship
उत्तरजीविता से न्यागत होती है।

3. Can be partitioned
विभाजित की जा सकती है।

4. Cannot be partitioned
विभाजित नहीं की जा सकती है।

Select the correct answer with the help of code given below-
नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर लिखें:

Code/कूट:

(a) 1 and 2/1 और 2 (b) 2 and 3/2 और 3
(c) 1 and 4/1 और 4 (d) 2 and 4/2 और 4

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (b) : हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के पूर्व मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हिन्दू की सम्पत्ति का न्यागमन उत्तरजीविता से होती है। वर्ष 2005 के संशोधन के पश्चात अब मिताक्षरा विधि द्वारा शासित एक हिन्दू की सम्पत्ति या तो वसीयत के अनुसार या निर्वसीयती उत्तराधिकारी द्वारा न्यायगत होगी और हिन्दू सहदायिकी की सम्पत्ति विभाजित की जा सकती है।

13. In the contexts of Hindu Succession Act, 1956 in which of the following case supreme Court of India held that 'daughters are of a life time' and not just after 2005?
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'पुत्रियाँ जीवन पर्यन्त हैं' न कि 2005 के बाद से?

(a) Satya V Sushila/सत्या बनाम सुशीला
(b) Vineeta Sharma V Rakesh Sharma
विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा
(c) Sulochana V Ram Kumar
सुलोचना बनाम राम कुमार
(d) Pushpu V Archana/पुष्पू बनाम अर्चना

Uttarkhand (J) 2021

Ans. (b) : विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'पुत्रियाँ जीवन पर्यन्त है न कि 2005 के बाद से, न्यायालय ने आगे कहा कि मिताक्षरा कोपार्सनरी में हिस्सेदारी के अधिकार में अनिश्चितता इसके अंतर्निहित सिद्धान्तों में निहित है और जब बेटी को बेटे की तरह माना जाता है और जन्म से अधिकार दिया जाता है तो इसे उलटने का कोई सवाल ही नही है। यह अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए नही है, बल्कि अधिकारों को प्रदान करने के लिए एक पूर्ववर्ती घटना को भावी रूप से पहचानने के लिए है।

14. After the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, the Mitakshara Hindu coparcenary does not include whom as its member?
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के पश्चात् मिताक्षरा हिन्दू सहदायिकी में निम्न में से कौन सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं है?

(a) Son/पुत्र
(b) Married daughter/विवाहित पुत्री
(c) Adopted son/दत्तक पुत्र
(d) Daugher-in-law/पुत्रवधू

Bihar (J) 2020

Ans. (d) : हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा धारा 6 को अंतःस्थापित कर मिताक्षरा हिन्दू सहदायिकी में पुत्र (दत्तक पुत्र भी) के समान ही पुत्री (विवाहित या अविवाहित) को सहदायिक बनाया गया।
पुत्रवधु को धारा 6 के अंतर्गत सहदायिक नहीं माना जाता है।

15. By the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005/हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा

(a) all Hindu women have become coparceners in a family/एक हिन्दू परिवार की सभी महिलाएँ सहदायिक हो गई
(b) wife of a coparcener has become a coparcener/एक सहदायिक की पत्नी सहदायिक बन गई
(c) daughter-in- law beomce a coparcener
पुत्र-वधू सहदायिक बन गई
(d) daughter of a coparcener has become a coparcener/एक सहदायिक की पुत्री सहदायिक बन गई

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (d) : हिन्दू विधि के अन्तर्गत 2005 के पूर्व पुत्री सहदायिकी की सदस्या नहीं होती थी, इसलिए सम्पत्ति में अधिकार नहीं मिलता था किन्तु 2005 के संशोधन द्वारा धारा 6 में पुत्री को भी पुत्र के समान सहदायिकी का सदस्य बना दिया गया, अर्थात पुत्र के समान अधिकार और दायित्व पुत्री का भी होगा।

16. Prior to the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 coming into force, who amongst the following was not class I heir of male Hindu dying intestate–
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रभाव में आने से पूर्व, निम्न में से कौन निर्वसीयत मृत हिन्दू पुरुष का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं था–

(a) Mother/माता
(b) Widow/विधवा
(c) Daughter/पुत्री
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (J) 2017

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

17. After the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, the daughter of a coparcener in a Joint Hindu Family governed by the Mitakshara law:-
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के पश्चात मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हिन्दू परिवार में सहदायिक की पुत्री-

(a) shall have no right in the coparcenery property/को सहदायिकी सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा
(b) cannot become a coparcener by birth/जन्म से सहदायिक नहीं बन सकती है
(c) shall become a coparcener by birth in her own right in the same manner as the son/पुत्र की तरह उसी रीति में जन्म से उसके अपने अधिकार में सहदायिक होगी
(d) shall be entitled to dispose of the entire coparcenery property/सम्पूर्ण सहदायिकी सम्पत्ति का व्ययन करने की अधिकारिणी होगी

Rajasthan (J) 2015

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6(1) के अनुसार– मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिन्दू परिवार में सहदायिकी की पुत्री जन्म से उसी ढंग में अपने अधिकार में सहदायिक होगी जैसे पुत्र। (हिन्दू उत्तराधिकार अधि. 2005 के संशोधन द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है)

18. The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 confers upon a Hindu woman
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) 2005 द्वारा हिन्दू स्त्री को प्रदान किया है

(a) a right to claim partition/विभाजन का दावा करने का अधिकार
(b) a right to ownership as coparcener/सहदायिक के रूप में स्वामित्व का अधिकार
(c) a right of residence and partition in parental dwelling house even after marriage/विवाह के पश्चात भी पैत्रिक आवासीय मकान में निवास एवं विभाजन का अधिकार
(d) all the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (d) : हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार, हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 2005 के प्रारंभ पर और मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हिन्दू परिवार में, सहदायिक की पुत्री-
(1) जन्म से उसी ढंग में अपने अधिकार में सहदायिक होगी जैसे पुत्र।
(2) सहदायिक सम्पत्ति में वही अधिकार होगा, जैसा उसे होता यदि वह पुत्र होता।
(3) सहदायिकी सम्पत्ति के संबंध में उन्हीं दायित्वों के अध्याधीन होगी जैसा पुत्र का दायित्व है।
उपरोक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि एक हिन्दू स्त्री को विभाजन, स्वामित्व तथा पैतृक आवास में निवास का अधिकार प्राप्त है।

19. On partition of a Hindu coparcenary property, the person not entitled for a share is
हिन्दू सहदायिकी सम्पत्ति के विभाजन पर अंश पाने का अधिकारी व्यक्ति नहीं है

(a) an adopted son/दत्तक पुत्र
(b) a married daughter/विवाहित पुत्री
(c) an illegitimate son/अधर्मज पुत्र
(d) widow of a coparcener/एक सहदायिकी की विधवा

Bihar (J) 2020

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में सहदायिक से संबंधित उपबंध किया गया है। हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक सम्पत्ति के विभाजन पर अंश पाने का अधिकारी पुत्र/पुत्री (विवाहित या अविवाहित) तथा सहदायिकी की विधवा को है।
अधर्मज पुत्र सहदायिक सम्पत्ति के विभाजन पर कोई अंश प्राप्त नहीं करता है।

20. A Hindu father has the power to make, within reasonable limits, gifts of ancestral movable property/एक हिन्दू पिता को पूर्वजों की चल सम्पत्ति को युक्तियुक्त सीमाओं के अन्दर दान (gift) में देने की शक्ति है–

(a) without consent of his sons
अपने पुत्रों की बिना सहमति के
(b) with consent of his sons/अपने पुत्रों की सहमति से
(c) with consent of other coparceners
अन्य सहदायिकों की सहमति से
(d) Either (b) or (c)/या तो (b) या (c)

BPSC (APO) 2011

Ans : (d) पूर्वजो की चल सम्पत्ति पर हिन्दू पिता के अलावा तीन पीढ़ियों का अधिकार माना जाता है, और ऐसी सम्पत्ति को एक हिन्दू पिता अपने पुत्रो की सहमति से या अन्य सहदायिको की सहमति से दान में दे सकता है।

21. Which of the following statement are not correctd regarding the coparcenary property of a Hindu?/किसी हिन्दू की सहदायिक सम्पत्ति के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है–

(1) is transferable by inheritance
उत्तराधिकार से अंतरित होती है
(2) is transferable by survivalship
उत्तरजीविता से अंतरित होती है
(3) can be divided/विभाजित की जा सकती है
(4) cannot be divided/विभाजित नहीं की जा सकती

(a) 1 and/एवं 2 (b) 2 and/एवं 3
(c) 1 and/एवं 4 (d) 2 and/एवं 4

MP (HJS) 2017

Ans. (d) : हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 6(3) के अनुसार, जहाँ हिन्दू की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधि0 2005 के प्रारम्भ के बाद होती है वहाँ मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिन्दू परिवर की सम्पत्ति में उसका हित इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तरधिकार द्वारा निगमित होगा और उत्तरजीविता के द्वारा नहीं और सहदायिकी सम्पत्ति विभाजित की गयी मानी जायेगी।

22. Which one of the following sections of Hindu Succession Act, 1956 makes provisions for 'notional partition'?
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को निम्न धाराओं में से किस धारा में 'काल्पनिक विभाजन' का प्रावधान दिया है?
(a) Section 14/धारा 14 में
(b) Section 10/धारा 10 में
(c) Section 6/धारा 6 में
(d) Section 18/धारा 18 में

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में काल्पनिक विभाजन को धारा 6 में वर्णित किया गया है। धारा 6 में इस विभाजन को सहदायिकी विभाजन कहा जाता है। जबकि धारा 10, अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में सम्पत्ति का वितरण, धारा 14, हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यन्तिकतः अपनी सम्पत्ति होगी के बारे में तथा धारा 18, पूर्वरक्त को अर्धरक्त पर अधिमान प्राप्त है।

23. Which one of the following Sections of the Hindu Succession Act, 1956 makes provisions for 'Notional Partition'?
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा 'नोशनल विभाजन' का प्रावधान करती है?
(a) Section 14/धारा 14
(b) Section 10/धारा 10
(c) Section 6/धारा 6
(d) Section 18/धारा 18

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 'नोशनल विभाजन' का प्रावधान दिया गया है।

24. Which out of the following does not fall within the meaning of the term 'Avyavaharika' debt?
निम्न में से कौन सा अव्यवहारिक ऋण की परिधि में नहीं आता है।
(a) An Immoral debt/एक अनैतिक ऋण
(b) An Illegal debt/एक अवैध ऋण
(c) A debt resulting from Tortuous Act
एक ऋण अपकृतय दायित्व पर आधारित है।
(d) Suretyship debt/जमानतीदार ऋण

27th BPSC (J) 2011

Ans. (d) : जमानतीयदार ऋण अव्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह विधि विरुद्ध ऋण नहीं है।

25. By 2005 Amendment of the Hindu Succession Act, 1956, a son is liable to pay which of the following?
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से 2005 के संशोधन द्वारा, एक पुत्र निम्नलिखित में से किस भुगतान को करने के लिए आबद्ध है।
(a) Untained debt of father/पिता के दोषरहित ऋण को
(b) Tainted debt of father/पिता के दूषित ऋण को
(c) Untained debt procured by father before the amendment in the Act/अधिनियम में संशोधन के पूर्व पिता के द्वारा लिए गए दोषरहित ऋण को
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6(4) में प्रावधान किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 प्रारम्भ होने के पश्चात कोई न्यायालय पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध उसके पिता, पितामह या प्रतिपितामह द्वारा लिए गए किसी ऋण की वसूली पवित्र आबद्धता के आधार पर किसी कार्यवाही को मान्यता नहीं देगा।

26. Section 6 of the Hindu Succession (Amendment) Act?
धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम से?
(a) Shall not affect registered partition done before 20-12-2004/20-12-2004 से पूर्व किये गये पंजीकृत विभाजन प्रभावित नहीं होंगे
(b) Shall not affect registered partition done before 10-09-2005/10-09-2005 से पूर्व किये गये पंजीकृत विभाजन प्रभावित नहीं होंगे
(c) Shall not affect registered partition done before 20-10-2004/20-10-2004 से पूर्व किये गये पंजीकृत विभाजन प्रभावित नहीं होंगे
(d) Shall not affect registered partition done before 20-09-2004/20-09-2004 से पूर्व किये गये पंजीकृत विभाजन प्रभावित नहीं होंगे

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6(5) के अनुसार, इस धारा में अंतर्विष्ट कोई चीज उस विभाजन को लागू नहीं होगी जो 20-12-2004 के पूर्व हुआ था।

27. A Hindu dies intestate leaving behind two sons, one daughter and widow. His property shall devolve to
एक हिन्दू निर्वसीयती मर जाता है अपने पीछे दो पुत्र, एक पुत्री और विधवा को छोड़कर। उसका संपत्ति अनुगत् (Devolve) होगा
(a) widow only/केवल विधवा को
(b) sons and daughter/केवल पुत्रों और पुत्री को
(c) sons only/केवल पुत्रों को
(d) sons, daughter and widow
पुत्रों, पुत्री और विधवा सभी को

28th BPSC (J) 2014

Ans. (d) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के साधारण नियम के अनुसार एक हिन्दू निर्वसीयती मर जाता है तो सम्पत्ति अनुसूची 1 में निर्दिष्ट वारिसो में पुत्र, पुत्री एवं विधवा तथा माता सभी को समान रूप से जायेगी।

28. Under Hindu Succession Act, 1956, If a Hindu male dies leaving behind more than one widow: हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यदि एक हिन्दू पुरुष एक से अधिक विधवा छोड़कर मर जाता है तो :

(a) All the widows together will get one share equal to that of other class I heirs./सभी विधवायें संयुक्त रूप से वर्ग I में वर्णित अन्य उत्तराधिकारियों के बराबर एक हिस्सा प्राप्त करेंगी।

(b) Each widow will get one share equal to that of other class I heirs./प्रत्येक विधवा को वर्ग I में वर्णित अन्य उत्तराधिकारियों के बराबर एक हिस्सा मिलेगा।

(c) None of the widow will get any share/विधवाओं में से किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।

(d) All the widows will be entitled only to maintenance./सभी विधवायें केवल भरण-पोषण पाने की हकदार होंगी।

Uttarkhand (J) 2021

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की अनुसूची के अनुसार यदि एक हिन्दू पुरुष एक से अधिक विधवा छोड़कर मर जाता है, तो सभी विधवायें संयुक्त रूप से वर्ग 1 में वर्णित अन्य उत्तराधिकारियों के बराबर एक हिस्सा प्राप्त करेगी।

29. Under the Hindu Succession Act, the general rule of succession in the case of a male is not one of the following/हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत, पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम में यह एक नहीं है–

(a) Firstly, upon the heirs being the relative specified in class I of the schedule/प्रथमतः उन वारिसों की जो अनुसूची के वर्ग एक में वनिर्दिष्ट सम्बन्धी है

(b) Secondly, if there is no heir of class I, then upon the hiers being the relative specified in class II of the schedule/द्वितीयता यदि वर्ग एक में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग दो में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है

(c) Thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the state/तृतीयत यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो राज्य को

(d) Lastly, if there is no agnate then upon the cognates of the deceased/यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक के बन्धुओं को

UGC (NET) December 2019
MP (HJS) 2016

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 में पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम का उल्लेख किया गया है जो निम्नवत है–

निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति निम्नलिखित को न्यागत होगी–

(1) प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी है।

(2) द्वितीयतः यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची 2 में संबंधी है।

(3) तृतीयतः यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को, तथा

(4) अन्ततः यदि कोई गोत्रम न हो तो मृतक के बन्धुओं को।

30. Order of Succession under the Hindu Succession Act of a male Hindu dying intestate is as follows :
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक हिन्दू पुरुष के, बिना वसीयत के मरने पर, उत्तराधिकार का क्रम निम्नवत् हैः

(a) Agnates, Cognates, Class I heirs, Class II heirs/मोत्रज, बन्धु प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी

(b) Cognates, Agnates, Class I heirs, Class II heirs/बन्धु गोत्रज, प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी

(c) Class I heirs, Class II heirs, Agnates, Cognates/प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी गोत्रज, बन्धु

(d) Class I heirs, Class II heirs, Cognates, Agnates/प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी, बन्धु गोत्रज

Uttarakhand (J) 2009, 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

31. Where a hindu receive the property of his father under Section 8, then he receive this property in the following form/जहाँ कोई हिन्दू अपने पिता की सम्पत्ति को धारा 8 के अधीन प्राप्त करता है तब वह यह सम्पत्ति निम्न रूप में प्राप्त करता है–

(a) As joint family property
संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के रूप में

(b) As co-owner/सह-स्वामी के रूप में

(c) As his separate property
उसकी पृथक् सम्पत्ति के रूप में

(d) In the form of general tenant
सामान्यिक अभिधारियों के रूप में

MP (HJS) 2014

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 में पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम का प्रावधान किया गया है। जहाँ कोई हिन्दू अपने पिता की सम्पत्ति को धारा 8 के अन्तर्गत प्राप्त करता है तब वह यह सम्पत्ति उसकी पृथक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त करता है। यह सम्पत्ति न तो संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के रूप में और न हो सह स्वामी के रूप में प्राप्त करता है।

32. **The separate property of a Hindu male dying intestate is succeeded by**
एक निर्वसीयती मृतक हिन्दू पुरुष की पृथक सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है
(a) father/पिता को
(b) mother/माता को
(c) brother/भाई को
(d) sister/बहन को

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार, बिना वसीतय मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति (अनुसूची 1 के अनुसार) सर्वप्रथम पुत्र, पुत्री, माता तथा विधवा को प्राप्त होगी।

33. **Where a Hindu male dies intestate leaving behind an ascendent agnate, a descendent agnate and a collateral agnate, their order of succession on preference basis shall be**
जहाँ एक हिन्दू पुरुष को निर्वसीयती मृत्यु हो जाने पर वह पूर्वज गोत्रज, एक वंशज गोत्रज तथा एक सांपर्श्विक गोत्रज पीछे छोड़ जाता है तो उनके मध्य उत्तराधिकार के लिए वरीयता का क्रम होगा
(a) Descendant, Collateral, Ascendant
वंशज, सांपार्श्विक, पूर्वज
(b) Descendant, Ascendant, Collateral
वंशज, पूर्वज, सांपार्श्विक
(c) Ascendant, Descendant, Collateral
पूर्वज, वंशज, सांपार्श्विक
(d) Ascendant, Collateral, Descendant
पूर्वज, सांपार्श्विक, वंशज

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अंतर्गत एक निर्वसीयती हिन्दू मरने वाले पुरुष की सम्पत्ति प्रथमतः उसके वारिसों को (वंशज) द्वितीय पूर्वज तथा अन्ततः गोत्रजों को प्राप्त होती है।

34. **A Hindu male is survived by an adopted son, an after born natural son and his married daughter. His self-acquired property shall devolve upon/एक हिन्दू पुरुष अपने पीछे एक दत्तक पुत्र, दत्तक पश्चात् उत्पन्न एक नैसर्गिक पुत्र एवं एक विवाहित पुत्री छोड़कर मरता है। उसकी स्व-अर्जित सम्पत्ति मिलेगी**
(a) all the three equally/तीनों को बराबर
(b) only to the two sons/केवल दोनों पुत्रों को
(c) only to the natural son and to the daughter
केवल नैसर्गिक पुत्र एवं पुत्री को
(d) only to the natural son/केवल नैसर्गिक पुत्र को

Bihar (J) 2020

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसार, दत्तक पुत्र, नैसर्गिक पुत्र तथा विवाहित पुत्री तीनों को बराबर सम्पत्ति प्राप्त होगी।

35. **A Hindu dies intestate leaving behind two sons, one daughter, and his widow. His property shall devolve to**
एक हिन्दू निर्वसीयती मर जाता है अपने पीछे दो पुत्र, एक पुत्री और एक विधवा को छोड़कर। उसकी सम्पत्ति सुपुर्द (devolve) होगी–
(a) the widow only/केवल विधवा को
(b) the sons and daughter only
केवल पुत्रों और पुत्री को
(c) the sons only/केवल पुत्रों को
(d) the sons, daughter and widow
पुत्रों, पुत्री और विधवा को

BPSC (APO) 2011
Uttarakhand (J) 2006, 2009

Ans : (d) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसार, निर्वसीयती हिन्दू की सम्पत्ति पुत्रों, पुत्री तथा विधवा सभी को बराबर अंश प्राप्त होगा।

36. **Hindu Succession Act - A Hindu dies intestate leaving two sons, three daughters, two widows and three daughters of the pre-deceased son. Calculate the share of granddaughters–**
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-एक हिन्दू, दो पुत्रों, तीन पुत्रियों, दो विधवाओं तथा पूर्व मृत पुत्र की तीन पुत्रियों को छोड़कर निर्वसीयत मरता है। पौत्रियों के हिस्से की गणना कीजिये।
(a) 1/7 each/प्रत्येक को 1/7
(b) 1/14 each/प्रत्येक को 1/14
(c) 1/21 each/प्रत्येक को 1/21
(d) 1/24 each/प्रत्येक को 1/24

MP (HJS) 2015

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या में एक हिन्दू, दो पुत्रों, तीन पुत्रियों, दो विधवाओं तथा पूर्व मृत पुत्र की तीन पुत्रियों को छोड़कर निर्वसीयत मरता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक पौत्रियों को सम्पत्ति का 1/21 हिस्सा प्राप्त होगा।

37. **A, a Hindu has two wives W_1 and W_2 and one son S by wife W_1 and four sons S_1, S_2, S_3 and S_4 by wife W_2. On a partition of coparcenary property W_1 and W_2 will get:**
'A' एक हिन्दू की दो पत्नियाँ W_1 और W_2 हैं। पत्नी W_1 से पुत्र S और पत्नी W_2 से चार पुत्र S_1, S_2, S_3 और S_4 है सहदायिकी सम्पत्ति का विभाजन होने पर W_1 और W_2 को मिलेगा।
(a) No share, as neither of them is a coparcenary/कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि उनमें से कोई भी सहदायिक नहीं है।
(b) 1/4 share each/प्रत्येक को चौथाई हिस्सा
(c) 1/5 share each/प्रत्येक की पाँचवाँ हिस्सा
(d) 1/8 share each/प्रत्येक को आठवाँ हिस्सा

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (*) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 10 के नियम 1 के अनुसार- निर्वसीयत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। जबकि कुल पुत्र 4 + 1 = 5 है तथा दोनों विधवा का एक अंश मिलाकर कुल 1/6 अंश हर एक को प्राप्त होगा।

38. Which of the following is correct under Section 10 of the Hindu Succession Act, 1956 for the surviving sons, surviving daughters and mother of the male intestate?
हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत पुरूष निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्रों, उत्तरजीवी पुत्रियों और माता में से

(a) Each shall take one share/प्रत्येक को निर्वसीयत की सम्पत्ति का एक अंश मिलेगा
(b) All will take one share/सभी को निर्वसीयत की सम्पत्ति का एक अंश मिलेगा
(c) All the sons and daughters shall take one share and mother shall take one share/सभी उत्तरीजीवी पुत्रों को और उत्तरजीवी पुत्रियों को एक अंश मिलेगा और माता को एक अंश मिलेगा
(d) All the sons and daughters shall taken one share and mother shall take no share/सभी उत्तरजीवी पुत्रों, उत्तरजीवी पुत्रियों को एक अंश मिलेगा और माता को कोई अंश नही मिलेगा

29th BPSC (J) 2017

Ans. (a) : हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 नियम 2 के अंतर्गत पुरुष निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता प्रत्येक एक-एक अंश लेंगी।

39. 'A', a Hindu male, having undivided interest in a Mitakshara Coparcenary property dies leaving behind two sons and one daughter. The daughter is entitled to the following share in the property :
'अ', एक हिन्दू पुरुष, जिसका मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति में अविभाजित हिस्सा है, अपने पीछे दो पुत्र तथा एक पुत्री को छोड़ कर मरता है। इस सम्पत्ति में पुत्री निम्नलिखित हिस्से की हकदार हैः

(a) $\frac{1}{3}$ (एक तिहाई)
(b) $\frac{1}{4}$ (एक चौथाई)
(c) $\frac{1}{9}$ (एक नवाँ)
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नही

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 10 नियम 2 के अनुसार, A एक हिन्दू पुरुष, जिसका मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति में अविभाजित हिस्सा है, अपने पीछे दो पुत्र तथा एक पुत्री को छोड़कर मरता है। इस अवस्था में प्रत्येक को सम्पत्ति में से 1/3 अंश का हक मिलेगा अतः पुत्री 1/3 अंश की हकदार है।

40. Rule 2 under Section 10 of the Hindu Succession Act, 1956 is a
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 10 के नियम 2 में है, एक

(a) per capita rule/व्यक्तिवार नियम
(b) perstirpes/शाखावार नियम
(c) per stirpes per capita rule/शाखावार व्यक्तिवार नियम
(d) Rule of exclusion/अपवर्जन का नियम

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 10 के नियम 2 में व्यक्तिवार का नियम है।

41. The rule of distribution of property of an intestate among heirs in class II of the schedule has been provided under Section .... of the Hindu Succession Act.
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा .... में एक हिन्दू निर्वसीयती के अनुसूची के वर्ग-2 के वारिसों के बीच निवसीयत की सम्पत्ति विभाजित किये जाने का नियम उपबंधित है–

(a) 11 (b) 12
(c) 13 (d) 14

MP (HJS) 2015, 2020

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अनुसार, अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वारिसों के बीच एक हिन्दू निर्वसीयत की सम्पत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले।

42. Hindu law - Which of the following constitute one of the degree?/हिन्दू विधि-इनमें से कौन एक डिग्रियों का गठन करती है?

(a) Only ascent degree/केवल ऊपरी सीढ़ी
(b) Only descent degree/केवल निचली सीढ़ी
(c) Ascent and descent degree
ऊपरी एवं निचली सीढ़ी
(d) None of the above/इनमें से कोई भी नहीं

MP (HJS) 2017

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 13 डिग्रियों की संगणना से सम्बन्धित उपबंध करता है। धारा 13(2) के अनुसार, उपरली (Ascent) डिग्री और निचली (descent) डिग्री की संगणना निर्वसयित को गिनते हुए की जाएगी।

43. Stridhan does not include
स्त्रीधन में सम्मिलित नहीं है

(a) the chastity of a female/एक नारी का सतीत्व
(b) presents given to her/उसको मिले उपहार
(c) property purchased by her
उसके द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति
(d) property inherited by her
उसको उत्तराधिकार में मिला सम्पत्ति

Bihar (J) 2020

Ans. (a) : स्त्रीधन से संबंधित प्रावधान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 में किया गया है। स्त्रीधन के अंतर्गत महिला को मिला उपहार, उसके द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति आती है। जबकि स्त्री का सतीत्व स्त्रीधन के अंतर्गत नहीं आता है।

44. Which out of the following is not regarded as 'Stridhan' by Shastric Hindu Law?
निम्न में से कौन सा शस्त्रिक हिन्दू विधि के अनुसार स्त्रीधन नहीं है।

(a) Gifts from relatives/रिश्तेदारों से प्राप्त भेंट
(b) Property purchased with Stridhan
स्त्रीधन से खरीदी हुई सम्पत्ति
(c) Property obtained in lieu of maintenance
भरणपोषण के एवज में मिली सम्पत्ति
(d) Gifts of immovable property by husband
पति से अचल सम्पत्ति की भेंट

27th BPSC (J) 2011

Ans. (d) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अनुसार, हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर धारित की जायेगी। पति से मिला अचल सम्पत्ति का भेंट स्त्रीधन नहीं हैं

45. Under Section 14 of the Hindu Succession Act, 1956, any property possessed by a female Hindu, whether acquired by her before or after the commencement of this Act, shall be held by her as a
हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रावधान है कि हिन्दु नारी के कब्जे वाली कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात् अर्जित की गयी हो, उसके द्वारा रखी जायेगी

(a) full owner/पूर्ण स्वामी के तौर पर
(b) limited owner/परिसीमित स्वामी के तौर पर
(c) coowner with her husband
पति के साथ सहस्वामित्व के तौर पर
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

29th BPSC (J) 2017

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

46. The "property" mentioned in Section 14 of the Hindu Succession Act, include property acquired by a female Hindu ....
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 में वर्णित संपत्ति में, हिन्दू नारी द्वारा .... अर्जित संपत्ति शामिल है?

(a) By inheritance or devise
विरासत अथवा वसीयत द्वारा
(b) At partition/विभाजन द्वारा
(c) In lieu of maintenance/भरण पोषण के एवज में
(d) All of these/ये सभी

MP (HJS) 2020

Ans. (d) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के स्पष्टीकरण के अनुसार, 'सम्पत्ति' के अंतर्गत वह जंगम और स्थावर सम्पत्ति आती है, जो हिन्दू नारी ने विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में अथवा भरण-पोषण के या भरण-पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात् दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह सम्बन्धी हो या न हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, अर्जित की हो और ऐसी कोई सम्पत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी।

47. Section 14 of the Hindu Succession Act applies to property related to?
हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 14 किससे संबंधित संपत्ति पर लागू होती है?

(a) Hindu Women/हिन्दू नारी से
(b) Hindu Male/हिन्दू पुरुष से
(c) Hindu Children/हिन्दू बच्चों से
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 हिन्दू नारी से संबंधित संपत्ति पर लागू होती है। इस धारा के अनुसार, हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी।

48. Section 14 of the Hindu Succession Act, applies to
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 लागू होती है

(a) movable property only/केवल चल सम्पत्ति पर
(b) immovable property only/केवल अचल सम्पत्ति पर
(c) movable and immovable property only/चल और अचल सम्पत्ति पर
(d) easementary rights/चिरभोगाधिकार पर

MP (HJS) 2013
Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के स्पष्टीकरण के अनुसार - 'सम्पत्ति' के अन्तर्गत जंगम और स्थावर सम्पत्ति आती है। अतः धारा 14 जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्तियों पर लागू होता है।

49. A Hindu female is survived by a stepson, a married daughter and an illegitimate son. Her property shall devolve upon/एक हिन्दू नारी अपने पीछे एक सौतेला पुत्र, एक विवाहित पुत्री एवं एक अधर्मज पुत्र छोड़कर मरती है। उसकी सम्पत्ति मिलेगी

(a) all the three equally/तीनों को बराबर
(b) only to the married daughter
केवल उसकी विवाहित पुत्री को
(c) her daughter and the stepson
उसकी पुत्री एवं सौतले पुत्र को
(d) her daughter and her illegitimate son
उसकी पुत्री एवं उसके अधर्मज पुत्र को

Bihar (J) 2020

Ans. (d) : हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 तथा अनुसूची के वर्ग 1 के अनुसार, हिन्दू नारी की सम्पदा उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी विवाहित पुत्री तथा अधर्मज पुत्र को प्राप्त होगी।

50. Under the Hindu Succession Act, 1956, when a Hindu women dies intestate, her property will be inherited firstly by her
जब एक हिन्दू स्त्री निर्वसीयत मर जाती है, तो उसकी सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधीन न्यायगत होगी, प्रथमत–

(a) father/उसके पति को
(b) mother/उसकी माता को
(c) brother/उसके भाई को
(d) husband, son and daughter
उसके पति, पुत्र और पुत्री को

Uttarakhand (J) 2015
BPSC (APO) 2012

Ans : (d) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 में निर्वसीयत स्त्री के मरने की दशा में उत्तराधिकार से सम्बंधित साधारण नियम दिया गया है।
धारा 15 के अनुसार - निर्वसीयत मरने वाली स्त्री की सम्पदा निम्न नियम के अनुसार न्यागत होगी-
(a) प्रथम - पुत्र, पुत्री तथा पति को
(b) द्वितीय - पति के वारिसो को,
(c) तृतीय - माता - पिता को,
(d) चतुर्थ - पिता के वारिसो को,
(e) अन्ततः - माता के वारिसों को,

51. In Section 15 of the Hindu Succession Act, 1956 after the death of an intestate Hindu woman, her heirs are divided into how many groups–
धारा 15 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में अवसीयती हिन्दू महिला की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसों का कितने समूहों में बांटा गया है–

(a) three categories/तीन श्रेणियाँ
(b) five categories/पाँच श्रेणियाँ
(c) four categories/चार श्रेणियाँ
(d) six categories/छः श्रेणियाँ

MP (HJS) 2014

Ans. (b) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 में हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम का प्रावधान किया गया है। धारा 15 में अवसीयती हिन्दू महिला की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है।

52. In which section of the Hindu Succession Act, 1956 general rule of succession in the case of female Hindu is provided?
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की किस धारा में महिला (स्त्री) हिन्दुओं के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों का उपबन्ध किया गया है-

(a) Section 15/धारा 15 (b) Section 14/धारा 14
(c) Section 18/धारा 18 (d) Section 16/धारा 16

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 में हिन्दू नारी की अवस्था में उत्तराधिकारों के साधारण नियमों का उपबंध किया गया है। जिसके अन्तर्गत यह बताया गया है कि निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की सम्पत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार न्यागत होगी।

53. Under the provisions of Hindu Succession Act, 1956, any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve, in absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any pre-deceased son or daughter):-
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतका के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतान भी है) अभाव में न्यागत होगी-

(a) Upon the heirs referred to in Section 15(1) of the Act/अधिनियम की धारा 15(1) में निर्दिष्ट वारिसों को
(b) Upon the heirs of deceased female Hindu's father/मृतक हिन्दू नारी के पिता के वारिसों को
(c) Upon the heirs of deceased female Hindu's husband/मृतक हिन्दू नारी के पति के वारिसों को
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (J) 2016

Ans. (b) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 (2) के अनुसार, उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अंतर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विर्निर्दिष्ट क्रम में न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी।

54. Hindu Succession Act - A Hindu widow A got property in succession from her mother. A dies intestate. She leaves after her a brother and her husband's father and mother. Her property would devolved upon–
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम - एक हिन्दू विधवा अ, संपत्ति को अपनी मां से उत्तराधिकार में प्राप्त करती है। अ की मृत्यु निर्वसीयत हो जाती है। वह अपने पीछे एक भाई और अपने पति के माता पिता छोड़ जाती है। उसकी संपत्ति विधिनुसार निम्न को न्यागत होगी–

(a) To father of her husband/उसके पति के पिता को
(b) To her brother/उसके भाई को
(c) To mother of her husband /उसके पति की मां को
(d) To all inl Similar share
उक्त सभी को समान अंशों में

MP (HJS) 2020

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में एक हिन्दू विधवा 'A' की सम्पत्ति विधिनुसार उसके भाई को न्यागत होगी।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(2)(a) के अनुसार, अपने माता या पिता से हिन्दू नारी द्वारा दाय में प्राप्त कोई सम्पत्ति मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के अभाव में धारा 15(1) में निर्दिष्ट अन्य दायदों को न्यागत न होकर पिता या माता के दायादों को न्यागत होगी।

55. According to Section 19 of Hindu Succession Act if two or more heirs succeed together to the property of an intestate, they shall take the property/हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार यदि दो या अधिक वारिस निर्वसीयत की सम्पत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं तो वे सम्पत्ति को पायेंगे–

(a) On the basis of per capita and tenants in common
व्यक्तिवार एवं सामान्यिक अभिधारी के आधार पर
(b) On the basis of per stirpes and joint tenant
शाखावर एवं संयुक्त अभिधारी के आधार पर
(c) Only on the basis of per capita
केवल व्यक्तिवार के आधार पर
(d) Only on the basis of tenants in common
केवल सामान्यिक अभिधारी के आधार पर

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अनुसार, यदि दो या अधिक वारिस निर्वसीयत की सम्पत्ति के साथ उत्तराधिकारी होते है तो वे सम्पत्ति को निम्नलिखित प्रकार से पायेगे–
(1) व्यक्तिगत (per capita) और
(2) सामान्यिक अभिधारियों की हैसियत में।

56. Right of a child in womb is given under which one of the following Sections of the Hindu Succession Act?
गर्भास्थित अपत्य को अधिकार प्रदान किया गया है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अन्तर्गत?

(a) Section 24/धारा 24 में
(b) Section 22/धारा 22 में
(c) Section 20/धारा 20 में
(d) Section 25/धारा 25 में

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 20 में प्रावधान किया गया है कि जो अपत्य निर्वसीयत की मृत्यु के समय गर्भ में स्थित था और जो तत्पश्चात् जीवित पैदा हुआ हो, उसके निर्वसीयत की विरासत के विषय में वही अधिकार होंगे, जो उसके होते यदि वह निर्वसीयत की मृत्यु के पूर्व पैदा होता और ऐसी दशा में विरासत निर्वसीयत की मृत्यु की तारीख से उसमें निहित समझी जाएगी।

57. Where two persons have died in circumstances rendering it uncertain as to who survived the other, what presumption can be drawn under Section 21 of the Hindu Succession Act, 1956:
जहाँ दो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हो जिसमें यह अनिश्चित न हो कि उनमें से कौन दूसरे का उत्तरजीवी रहा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अन्तर्गत क्या उपधारणा की जायेगीः

(a) Younger survived the elder/कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा।
(b) Elder Survived the younger/ज्येष्ठ कनिष्ठ का उत्तरजीवी रहा।
(c) No specific presumption./कोई भी विनिर्दिष्ट उपधारणा नहीं।
(d) Both of them died simultaneously/दोनों की मृत्यु एक साथ हुई।

Rajasthan (DJC) 2018

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अनुसार, जहां दो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हो, जिसमें यह अनिश्चित न हो कि उनमें से कौन दूसरे का उत्तरजीवी रहा, तो ऐसी स्थिति में उपधारणा की जाएगी कि कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा है।

58. Sec 21 of the Hindu Succession Act 1956 provides for-
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 21 उपबंधित है–

(a) Preferential right to acquire propatry/सम्पत्ति अर्जित करने के अधिमान अधिकार
(b) Escheat property/राजगामी सम्पत्ति
(c) Disqualification of heirs/वारिसों की अनहर्ता
(d) Presumption in case of simultaneous death/सम-सामयिक मृत्युओं के मामले में उपधारणा

MP (HJS) 2016

Ans. (d) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 21 में सम-सामयिक मृत्युओं के विषय मे उपधारणा उपबंधित है। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि जहां कि दो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरे हो जिनमें यह अनिश्चित हो कि उनमें से कोई दूसरे का उत्तरजीवी रहा या नहीं और रहा तो कौन सा, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए, सम्पत्ति के उत्तराधिकार संबंधी सब प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा।

59. Presumption that the younger survived the elder under Section 21 of the Hindu Succession Act, 1956 is a
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अन्तर्गत उपधारणा है कि कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी है, एक

(a) presumption of fact/तथ्य की उपधारणा है।
(b) mixed presumption of fact and law/तथ्य तथा विधि की मिश्रित उपधारणा है।
(c) rebuttable presumptionof law/विधि की खंडनीय उपधारणा है।
(d) irrebuttable presumption of law/विधि की अखंडनीय उपधारणा है।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 21 के अन्तर्गत उपधारणा है कि कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी है, एक विधि की खण्डनीय उपधारणा है।

60. Rule of pre-emption has been provided under which Section of the Hindu Succession Act, 1956?
अधिमानी अधिकार (हकशुफा) का नियम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की किस धारा में दिया गया है?

(a) Section 21/धारा 21 (b) Section 24/धारा 24
(c) Section 27/धारा 27 (d) Section 22/धारा 22

BPSC (APO) 2012

Ans : (d) अधिमानी अधिकार (Preferential right) का नियम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 में दिया गया है।

धारा 22 के अनुसार - निर्वसीयती को किसी स्थावर सम्पत्ति में या उसके द्वारा चाहे स्वयं या दूसरे के साथ किए जाने वाले किसी कारबार में के हित में अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट दो या अधिक वारिसो को न्यागत हों और ऐसे वारिसो में से कोई उस सम्पत्ति में अपने हित के अन्तरण की प्रस्थापित हित को अर्जित करने का अधिमानी अधिकार दूसरे वारिसों को प्राप्त होगा।

61. 'A' is the only son of 'B', 'C' is the wife of 'A', the disputed property are B's self acquired properties. 'B's wife is already divorced. 'A' murdered his 'B' under Section 302 IPC he found guilty and sentened to life imprisonment the conviction was confirmed by the High Court who will get the property of B under the Hindu Succession Act/'अ', 'ब' का अकेला पुत्र है। 'स' 'अ' की पत्नी है। विवादित सम्पत्तियाँ 'ब' की स्वअर्जित सम्पत्तियाँ हैं। 'ब' की पत्नी पहले से तलाकशुदा है। 'अ' ने अपने पिता 'ब' की हत्या कर दी। उसे धारा-302, भा.द.सं. के तहत दोषी पाया गया आजीवन कारावास दिया गया। दोषसिद्धि की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 'ब' के सम्पत्ति का हक किसे प्राप्त होगा–

(a) to 'A' being the only male survivor
'अ' को, एकमात्र पुरुष उत्तरजीवी होने से।
(b) to 'C' being the wife of 'A'
'स' को, 'अ' की पत्नी होने से।
(c) the wife of B deceased/मृतक 'ब' की पत्नी।
(d) None of the above/उपरोक्त में से किसी को नहीं।

MP (HJS) 2013

Ans. (d) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार हत्या करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकार से निरर्हित होगा तथा 'A' अपने पिता B की हत्या करता है और B की पत्नी C जो तलाक शुदा है, वह केवल अपने पति की सम्पत्ति में उत्तराधिकारी होगी। चुकी B की वह स्वअर्जित सम्पत्ति है इसलिए उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा।

62. Murdered is disqualified under which Section of Hindu Succession Act?/हत्यादा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत अयोग्य है?

(a) Section 20/धारा 20 (b) Section 25/धारा 25
(c) Section 26/धारा 26 (d) Section 28/धारा 28

Rajasthan SET 2023

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

63. The convert's descendents under the Hindu Succession Act, 1956 will be
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधीन सपरिवर्तियों के वंशज सम्पत्ति विरासत में प्राप्त करने के लिए–

(a) qualified to inherit the property/सक्षम होंगे
(b) partially qualified to inherit the property/अंशतः सक्षम होंगे
(c) partially qualified and partially disqualified to inherit the property/अंशतः सक्षम व अंशतः अक्षम होंगे
(d) disqualified to inherit the property/निरर्हित होंगे

BPSC (APO) 2012

Ans : (d) हिन्दू उत्तराधिकार अधि. 1956 की धारा 26 के अनुसार सपरिवर्तियों के वंशज (Convert's descendents) सम्पत्ति विरासत में प्राप्त करने के लिए निरर्हित (Disqualified) होगें।

64. 'A person is not disqualified from succeding to any property on the ground of any disease, defect or deformity' is provided under-
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की किस धारा के अन्तर्गत एक व्यक्ति किसी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी में प्राप्त करने से किसी बीमारी, अंगहीनता या अंगवक्रता के आधार पर अयोग्य नहीं होगा-

(a) 28
(b) 29
(c) 30
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2011

Ans : (a) हिन्दू उत्तराधिकार अधि. 1956 की धारा 28 यह प्रावधानित करती है कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाने से किसी रोग, त्रुटी या अंगविकार के आधार पर या इस नियम में यथा उपवन्धित को छोड़कर किसी भी अन्य आधार पर निरर्हित न होगा।

65. "A person is not disqualified from succeeding to any property on the ground of any disease, defect or deformity" is provided under
''एक व्यक्ति किसी सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने से किसी बीमारी अंगहीनता या अंगवक्रता के आधार पर अयोग्य नहीं होगा'' उपबन्ध किया गया है
(a) Section 28 of the Hindu Succession Act, 1956/ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अन्तर्गत
(b) Section 29 of the Hindu Succession Act, 1956/ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत
(c) Section 30 of the Hindu Succession Act, 1956/ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 30 के अन्तर्गत
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
28th BPSC (J) 2014
Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

66. Escheat means:
राज्यासात का अर्थ है:
(a) An act of cheating by a person for acquiring rights in a estate /एक व्यक्ति का धोखापूर्ण कार्य जिसने सम्पदा में अधिकार अर्जित किया हो
(b) Devolution of property on the person in case there is no other heir to succeed the property of a Hindu dying intestate /बिना वसीयत किये हुए मृतक हिन्दू के सम्पत्ति का न्यागमन जब उसके कोई उत्तराधिकारी सम्पत्ति के उत्तराधिकार हेतु योग्य न हो
(c) Devolution of property on the government in case of death of an intestate leaving behind no heir qualified to succeed his property /सम्पत्ति का सरकार के पक्ष में न्यायगमन जब बिना वसीयत किये मरे व्यक्ति की सम्पत्ति को पाने के लिए कोई उत्तराधिकारी अधिकृत न हो
(d) All of the above /उपरोक्त सभी
Bihar (HJS) 2018

Ans. (c) : राज्यासात (Escheat) का अर्थ है, सम्पत्ति का सरकार के पक्ष में न्यायगमन जब बिना वसीयत किये मरे व्यक्ति की सम्पत्ति को पाने के लिए कोई उत्तराधिकारी अधिकृत न हो।
हिन्दू उत्तराधिकार अधि. 1956 की धारा 29 के अनुसार, यदि निर्वसीयत ऐसा कोई वारिस पीछे न छोड़े जो उसकी सम्पत्ति को उत्तराधिकार में पाने के लिए अर्ह हो तो ऐसी सम्पत्ति सरकार को न्यागत होगी और सरकार ऐसी सम्पत्ति को उन सभी बाध्यताओं और दायित्वों के अध्यधीन लेगी जिसके अध्यधीन वारिस होता।

67. If an intestate has left no heir qualified to succeed to his or her property, such property shall devolve on which of the following?
यदि कोई व्यक्ति निर्वसीयत रूप में अपनी पीछे कोई उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाता है/मर जाती है, तो उसकी सम्पत्ति निम्नलिखित में से किसे न्यायगत होगी?
(a) State Government/राज्य सरकार को
(b) Brothers/भाइयों को
(c) Both (a) and (b)/(a) तथा (b) उक्त दोनों
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं
UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

68. Rules of intestate succession under the Indian Succession Act, 1925 do not apply to the properties of any :
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अन्तर्गत निर्वसीयती उत्तराधिकार का नियम लागू नहीं होता है:
(a) Sikh/सिक्ख
(b) Mohammadan/मुस्लिम
(c) Buddhist/बुद्ध
(d) All of the above/उपरोक्त सभी के लिए
Bihar (HJS) 2018

Ans. (d) : भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 29 के अनुसार, निर्वसीयती उत्तराधिकार का नियम हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख और जैन पर लागू नहीं होता है।

69. Under Section 30 of the Hindu Succession Act, 1956, a Hindu can dispose of his interest in a Mitakshara Coparcenary Property by
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 30 के अन्तर्गत एक हिन्दु मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में अपना हित व्ययन (Dispose) कर सकता है
(a) sale/बिक्री द्वारा
(b) gift/दान द्वारा
(c) will/वसीयत द्वारा
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
28th BPSC (J) 2014
Uttarakhand (J) 2009

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अनुसार एक हिन्दू मिताक्षरा सहदायिकी अपने सम्पत्ति में अपने हित का व्ययन वसीयत द्वारा कर सकता है।

70. Under which one of the following provisions of the Hindu Succession Act, 1956, a Hindu has a right to alienate his interest in Mitakshara coparcenary by will
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की निम्न किस धारा के अन्तर्गत एक हिन्दू मिताक्षरा सहदायिकी में अपना हित इच्छा पत्र के द्वारा अन्तरण कर सकता है?
(a) Section 6/धारा 6
(b) Section 30/धारा 30
(c) Section 28/धारा 28
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

71. Testamentary succession means:
वसीयती उत्तराधिकार का अर्थ हैः

(a) Disposal of any property by any Hindu by will /किसी हिन्दू द्वारा इच्छा पत्र के माध्यम से किसी सम्पत्ति का अन्तरण

(b) Succession by heirs to the property of Hindu after his death, who dies without any will or codicil or other testamentary disposition in respect of the property held by him /हिन्दू की उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में उत्तराधिकारियों को सम्पत्ति मिलना, जो अपने द्वारा धारित सम्पत्ति को बिना इच्छापत्र या क्रोडपत्र या अन्य वसीयती दस्तावेज किये मरता है

(c) Right of a Hindu male to succeed by birth /हिन्दू पुरुष का जन्मतः उत्तराधिकार का अधिकार

(d) None of the above /उपरोक्त में काई नहीं

Bihar (HJS) 2018

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधि. 1956 की धारा 30 में वसीयती उत्तराधिकार को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार, कोई हिन्दू इच्छा पत्र (विल) द्वारा या अन्य वसीयती व्ययन द्वारा विधि के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसी सम्पत्ति का व्ययनित कर सकेगा जिसका ऐसा व्ययनित किया जाना शक्य (capasic) हो।

72. 'Son', in Class I of the Schedule of the Hindu Succession Act, 1956, does not include
हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची के क्लास I में उल्लिखित 'पुत्र में शामिल नहीं है'

(a) adopted son/दत्तक पुत्र

(b) stepson/सौतेला पुत्र

(c) illegitimate son/अधर्मज पुत्र

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

29th BPSC (J) 2017

Ans. (b) : हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची के वर्ग I में पुत्र, पुत्री के अंतर्गत धर्मज, औरस एवं दत्तक पुत्र एवं पुत्री, गर्भस्थित पुत्र एवं पुत्री और शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के पुत्र एवं पुत्री आते हैं। सौतेले पुत्र और पुत्री सम्मिलित नहीं है।

73. Son in Class I of the schedule of the Hindu Succession Act, does not include
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची के वर्ग I में पुत्र में सम्मिलित नहीं है

(a) Step son/सौतेला पुत्र

(b) Adopted son/दत्तक पुत्र

(c) Both (a) and (b)/उपर्युक्त (a) तथा (b) दोनों

(d) None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

74. Under the Hindu Succession Act, 1956, daughter's son and father of a male Hindu are legal heirs and they are placed as the following/ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पुत्री का पुत्र और पिता, जो एक पुरुष हिन्दू से सम्बन्धित हैं, विधिक उत्तराधिकारी हैं और उन्हें निम्नलिखित के अनुसार रखा गया है

(a) Both are placed as class I heir of the Schedule/दोनों को उत्तराधिकारी अनुसूची के प्रथम दर्जे में रखा गया है

(b) Father is placed in class I and dauhter's son is placed in class II of the Schedule/पिता को उत्तराधिकारी अनुसूची के प्रथम दर्जे और पुत्री के पुत्र को दूसरे दर्जे में रखा गया है

(c) Daughter's son is placed as class I and father as class II heir of the Schedule/पुत्री के पुत्र को उत्तराधिकारी अनुसूची के प्रथम दर्जे और पिता को द्वितीय दर्जे में रखा गया है

(d) Both are class II heirs of the Schedule/दोनों को उत्तराधिकारी अनुसूची के दूसरे दर्जे में रखा गया है

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (c) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पुत्री का पुत्र और पिता जो एक पुरुष हिन्दू से सम्बन्धित है, विधिक उत्तराधिकारी है और पुत्री के पुत्र को उत्तराधिकारी अनुसूची के प्रथम दर्जे और पिता को द्वितीय दर्जे में रखा गया है।

75. Which of the following statements is incorrect?
इनमें से कौन सा कथन गलत हैः

(a) Father of male Hindu dying intestate is Class -I heir /निर्वसीयती मृतक पुरुष का पिता वर्ग-1 का उत्तराधिकारी है

(b) Mother of male Hindu dying intestate is Class-I heir/निर्वसीयती मृतक पुरुष की माता वर्ग-1 की उत्तराधिकारी है

(c) Daughter of a pre-deceased daughter is Class-I heir /पूर्वमृत पुत्री की पुत्री वर्ग .1 की उत्तराधिकारी

(d) Widow of pre-deceased son is Class-I heir/पूर्वमृत पुत्र की विधवा वर्ग-1 की उत्तराधिकारी है।

Bihar (HJS) 2018

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधि 1956 की अनुसूची में वारिसों को दो वर्गों में बाटा गया है। प्रथम वर्ग में 16 उत्तराधिकारी आते है जिनमें पुत्र, पुत्री, विधवा तथा माता मुख्य है। जबकि द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत 23 प्रकार के उत्तराधिकारी आते है जिनमें पिता, भाई तथा बहन मुख्य है। अतः निर्वसीयती मृतक पुरुष का पिता वर्ग-2 का उत्तराधिकारी है।

76. Which of the following are not Class-1 heir under the Hindu Succession Act, 1956–
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन वर्ग-1 उत्तराधिकारी नहीं है–

(a) Mother/माता (b) Father/पिता
(c) Son/पुत्र (d) Daughter/पुत्री

MP (HJS) 2013, 2015, 2017
Uttarakhand (J) 2006, 2009

Ans. (b) : हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 में एक अनुसूची का उपबन्ध किया गया है, जिसको दो वर्गो में विभाजित किया गया है। वर्ग I में 16 लोगों का उपबन्ध है, जिसमें पुत्र, पुत्री, विधवा, माता आदि है तथा वर्ग II में पिता का उल्लेख किया गया है।

77. Which one of the following is not a Class I heir under the Hindu Succession Act, 1956?
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निम्न में से कौन वर्ग I के दायाद में सम्मिलित नहीं है?

(a) Father/पिता
(b) Daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son/पूर्वमृत पुत्र की पूर्वमृत पुत्री की पुत्री
(c) Son of a pre-deceased daughter पूर्वमृत पुत्री का पुत्र
(d) Both (a) and (b) above/उपर्युक्त (a) तथा दोनों (b)

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (a) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वर्ग I के दायाद में पिता सम्मिलित नहीं है। पिता वर्ग 2 के दायाद में सम्मिलित है।
पूर्वमृत पुत्री का पुत्र तथा पूर्वमृत पुत्र की पूर्वमृत पुत्री की पुत्री वर्ग 1 के दायाद में सम्मिलित है।

78. A Hindu dies intestate leaving behind two sons, one daughter and widow. His property shall devolve to
एक हिन्दू निर्वसीयती मर जाता है अपने पीछे दो पुत्रों, एक पुत्री व विधवा को छोड़ जाता है। उसकी सम्पत्ति का न्यागमन होगा-

(a) Widow only/केवल विधवा को
(b) Sons and daughter only/केवल पुत्रों और पुत्री को
(c) Sons only/केवल पुत्रों को
(d) Sons, daughter and widow all/पुत्रों, पुत्री एवं विधवा सभी को

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की अनुसूची एवं धारा 10 के नियम 1 व 2 के अनुसार, मृतक हिन्दू पुरुष निर्वसीयती की सम्पत्ति समान रूप से विधवा तथा पुत्रों व पुत्री में वितरित की जायेगी।

79. Which of the following is not the heir of class II of the Hindu Succession Act, 1956?
निम्नलिखित में से कौन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की श्रेणी-II का उत्तराधिकारी नहीं है?

(a) Father/पिता
(b) Father's father, Father's mother/पिता का पिता, पिता की माता
(c) Mother's father, Mother's mother/माता का पिता, माता की माता
(d) Brother and sister by uterine blood/एकोदर रक्त के भाई एवं बहन

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की अनुसूची के वर्ग 2 के तहत पिता, पिता का पिता, पिता की माता, माता का पिता, माता की माता सभी वारिस है, जबकि एकोदर रक्त के भाई या बहन न तो वर्ग 1 के न ही वर्ग 2 के उत्तराधिकारी है।

80. Which of the following pairs is correctly matched?

(a) Real Brother and Sister	**"Class I" heir**
(b) Father's widow	**"Class I" heir**
(c) Widow of a predeceased grandson	**"Class II" heir**
(d) Father	**"Class II" heir**

निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?

(a) सगे भाई व बहन-"प्रथम श्रेणी" के दायाद
(b) पिता की विधवा-"प्रथम श्रेणी" के दायाद
(c) पूर्व मृत पौत्र की विधवा-"द्वितीय श्रेणी" के दायाद
(d) पिता-"द्वितीय श्रेणी" के दायाद

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसूची के वर्ग 2 में दायाद के रूप में पिता है जबकि पूर्व मृत पौत्र की विधवा वर्ग 1 की दायाद है, पिता की विधवा वर्ग 2 के दायाद है तथा सगे भाई-बहन वर्ग 2 के दायाद है।

81. In the absence of class I heir who inherits the property of Hindu male?
श्रेणी I के उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में एक हिन्दू पुरुष का उत्तराधिकारी कौन होगा?

(a) Father/पिता
(b) Brother/भाई
(c) Sister/बहन
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अनुसूची के श्रेणी 1 (वर्ग) के उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में एक हिन्दू पुरुष का उत्तराधिकारी पिता होगा, क्योंकि पिता अनुसूची के वर्ग 2 में पहले स्थान पर है। जबकि भाई तृतीय एवं बहन चतुर्थ स्थान पर है।

अध्याय -4

हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956

(The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956)

1. The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 is not applicable to
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है-

(a) Scheduled Tribes, unless notified by Central Government/अनुसूचित जनजाति, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित न हो
(b) Jains/जैन
(c) Renoncants of the Union Territory of Pondicherry/पाण्डिचेरी संघ क्षेत्र के रनोस (स्वदेशी निवासी)
(d) Both (a) and (c) above/उपर्युक्त (a) तथा (c) दोनों

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं उपधारा (2-A) के अनुसार, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रिनान्कैन्टो को लागू नहीं होगी।

2. Who is not a guardian according to Section 4 of the Hindu Minority and Guardian Act?
हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत कौन संरक्षक नहीं है?

(a) Natural Guardian/नैसर्गिक संरक्षक
(b) Testamentary Guardian/वसीयत संरक्षक
(c) Ad-hoc Guardian/तदर्थ संरक्षक
(d) A person empowered to act as guardian under any enactment relating to any court of ward/एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रतिपाल्य न्यायालय सम्बन्धित किसी अधिनियम द्वारा एक संरक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (c) हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 4(b) के अनुसार संरक्षक में निम्नलिखित आते हैं-
1. प्राकृतिक संरक्षक।
2. माता/पिता के इच्छापत्र द्वारा नियुक्त संरक्षक (वसीयतीय संरक्षक)।
3. न्यायालय द्वारा नियुक्त/घोषित संरक्षक।
4. किसी प्रतिपाल्य अधिकरण से सम्बन्धित किसी अधिनियमिति के द्वारा या अधीन सशक्त व्यक्ति।
नोट- तदर्थ संरक्षक इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।

3. Which of the following is incorrect?
निम्न में से कौन सा गलत है?

(a) The husband is the natural guardian of a Hindu married girl/हिन्दू विवाहिता लड़की का प्राकृतिक संरक्षक उसका पति होता है
(b) After the adoption of Hindu minor son, his father continues to remain his natural guardian till he attains majority/हिन्दू नाबालिग पुत्र के दत्तक-ग्रहण के पश्चात उसका पिता लगातार उसका प्राकृतिक संरक्षक बना रहता है जब तक कि वह वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता
(c) The natural guardian of a Hindu minor child is the father and after him the mother, but custody of minor upto the age of five years shall ordinarily be with the mother/हिन्दू अवयस्क बालक का प्राकृतिक संरक्षक उसका पिता होता है और उसके पश्चात माता होती है लेकिन पांच वर्ष तक की उम्र तक अवयस्क की अभिरक्षा सामान्यतः माता के पास रहेगी
(d) The natural guardian of an illegitimate Hindu minor boy is the mother, and after her the father/अधर्मज हिन्दू अव्यस्क लड़के की प्राकृतिक संरक्षक माता होती है और उसके पश्चात पिता होता है

Uttarakhand (J) 2016
Rajasthan (J) 2015

Ans. (b) : हिन्दू अप्राप्तवय और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक का उपबन्ध करती है।
धारा 6 के अनुसार,निम्नलिखित नैसर्गिक संरक्षक होंगे–
(1) किसी लड़के या अविवाहित लड़की की दशा में पिता उसके पश्चात माता,
(2) अधर्मज लड़के तथा अधर्मज अविवाहित लड़की की दशा में माता और उसके पश्चात पिता,
(3) विवाहित लड़की की दशा में पति।
धारा 7 के अनुसार– हिन्दू दत्तक अप्राप्तवय का नैसर्गिक संरक्षकता दत्तकग्रहण पर दत्तक पिता को और उसके पश्चात् दत्तक माता को संक्रान्त हो जाती है।

4. Who becomes the guardian of illegitimate children on the mother's death-
माता की मृत्यु के बाद अधर्मज संतान का संरक्षक कौन हो जाता है?

(a) uncle/चाचा

(b) grandfather/दादा

(c) father/पिता

(d) none of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2014

Ans. (c) : हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 (b) के अनुसार, जारज लड़के या जारज अविवाहिता लड़की की अवस्था में माता और तत्पश्चात् पिता हिन्दू अवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक होगा।

5. Under Section 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 the natural guardian of a minor child is/हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अन्तर्गत नाबालिग बच्चे का स्वाभाविक अभिरक्षक है–

(a) Mother/माँ

(b) Father/पिता

(c) Both Mother and Father/माँ और पिता दोनों

(d) Either Mother or Father/माँ या पिता

UGC (NET) June, 2012

Ans. (b) : हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार- पिता अवयस्क पुत्र तथा अवयस्क अविवाहिता पुत्री का नैसर्गिक संरक्षक होता है। इसके बाद माता ऐसे अवयस्कों की प्राकृतिक संरक्षक होती है।

6. "A Hindu mother can be natural guardian of her minor child during the life of father of the child if he is not taking due care of the child." This was held by the Supreme Court of India in case of
कोई हिन्दू माँ, बच्चे के बाप के जीवन काल में अपने नाबालिग बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक हो सकती है, यदि वह बच्चे का ठीक से देखभाल नहीं कर रहा हो।'' उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया था?

(a) M.M. Ganguli v. Jayanti Ganguli
एम.एम. गांगुली बनाम जयन्ती गांगुली

(b) Jijabai v. Pathan Khan/जीजाबाई बनाम पठान खान

(c) Sarla Mudgil v. Union of India
सरला मुद्‌गल बनाम भारत संघ

(d) Githa Hariharan v. Reserve Bank of India
गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक

UGC (NET) December, 2014

Ans. (d) : गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (1999) S.C. वाद में न्यायालय ने कहा कि कोई हिन्दू माँ, बच्चे के बाप के जीवनकाल में अपने नाबालिग बच्चे की प्राकृतिक अभिभवाक हो सकती है, यदि वह बच्चे का ठीक से देखभाल नहीं कर रहा हो।

7. In which of the following cases, the Supreme Court of India has held that mother can be natural guardian in certain circumstances even in the presence of father?
भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित किस एक मामले मे यह माना कि माता कतिपय परिस्थितियों मे पिता की उपस्थिति में भी नैसर्गिक संरक्षक हो सकती है?

(a) Hanuman Prasad Singh V/s Bhagwati Prasad/ हनुमान प्रसाद सिंह बनाम भगवती प्रसाद

(b) Vishakha V/s State of Rajasthan/ विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

(c) Gita Hariharan V/s RBI/ गीता हरिहरन बनाम आरबीआई

(d) Vina Sharma V/s Rakesh Sharma/ बीना शर्मा बनाम राकेश शर्मा

UGC (NET) March, 2023

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. The principles laid down in the case of Jijabai Vithalrao Gajre v. Pathan Khan are related to
जीजाबाई विठ्‌लराव गजरे बनाम पठान खाँ के वाद में प्रतिपादित सिद्धान्त सम्बन्धित है-

(a) Dissolution of marriage/विवाह-विच्छेद से

(b) Succession/उत्तराधिकार से

(c) Adoption/दत्तक-ग्रहण से

(d) Minority and Guardianship/अवयस्कता तथा संरक्षकता से

Uttarakhand (J) 2016
Rajasthan (J) 2013

Ans. (d) : जीजाबाई विठ्‌लराव गजरे बनाम पठान खाँ (1970, S.C.) का वाद अवयस्कता तथा संरक्षकता से सम्बन्धित है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि, इस अधिनियम की धारा 6 हिन्दू अवयस्क के शरीर तथा सम्पत्ति के संबंध में उसका प्राकृतिक संरक्षक पिता है, जब तक कि वह जीवित हो तत्पश्चात् माता उसकी प्राकृतिक संरक्षक होगी।

9. Who is natural guardian of a minor under Section 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act?
हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अप्राप्तवयका नैसर्गिक संरक्षक कौन है?

(a) Mother only/केवल माता

(b) Father only/केवल पिता

(c) Mother and father both as per the case
माता तथा पिता दोनों मामले के अनुसार

(d) Grandmother and grandfather/दादी और दादा

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अप्राप्तवय का नैसर्गिक संरक्षक—

(क) लड़के या अविवाहित लड़की की अवस्था में पिता और तत्पश्चात् माता है, परन्तु पांच वर्ष से कम आयु के मामले में माता की अभिरक्षा मे रहेगा,

(ख) जारज लड़के या जारज अविवाहिता लड़की की अवस्था में माता और तत्पश्चात् पिता है,

(ग) विवाहिता लड़की की अवस्था में उसका पति है।

10. The natural guardian of a minor Hindu boy is-
एक अवयस्क हिन्दू बालक का नैसर्गिक संरक्षकः

(a) Only mother/केवल माता है
(b) Only father/केवल पिता है
(c) Grand father/दादा है
(d) Father and mother both/पिता और माता दोनों है

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) :उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. Under Hindu Law:
हिन्दू विधि में

(i) A mother cannot be natural guardian of a minor during life time of father/पिता के जीवन काल में अवयस्क की माता अभिभावक नहीं हो सकती।

(ii) After father's death grandfather is natural guardian of the minor/पिता की मृत्यु के पश्चात् दादा अभिभावक होता है।

(iii) Maternal Uncle would be guardian after father and grandfather/पिता एवं दादा के पश्चात् मामा अभिभावक होगा।

(iv) Elder-brother would be guardian after father and grandfather/पिता एवं दादा के पश्चात् बड़ा भाई अभिभावक होगा।

(a) (i) and (iii) are true/(i) तथा (iii) सही है।
(b) (ii) and (iv) are true/(ii) तथा (iv) सही है।
(c) All are true/सभी सही है।
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है।

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. According to court rulings, custody of a Hindu child upto the age of 5 years shall ordinarily be with the
न्यायालयों के निर्णयनुसार हिन्दू बालक की 5 वर्ष तक की आयु तक की अभिरक्षा सामान्यतः रहेगी-

(a) Father/पिता के पास
(b) Sister/बहिन के पास
(c) Grand Father/दादा के पास
(d) Mother/माता के पास

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार 5 वर्ष तक के हिन्दू बालक की अभिरक्षा मामूली तौर पर माता को प्राप्त होगी।

के.एस. मोहन बनाम संध्या मोहन (1993) के वाद में न्यायालय ने अवधारित किया कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को मां की अभिरक्षा में देना चाहिए, अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ही पिता ऐसे बच्चे की अभिरक्षा की मांग कर सकता है।

13. Who is natural guardian of a married minor girl
एक विवाहित अवयस्क बालिका का प्राकृतिक संरक्षक होता है उसका-

(a) Father-in-law/ससुर
(b) Mother/माता
(c) Father/पिता
(d) Husband/पति

Uttarakhand (J) 2015, 2019,2021

Ans. (d) : हिन्दू अवयस्क और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6(c) के अनुसार, विवाहित लड़की जब वह अवयस्क है, तो उसके शरीर तथा सम्पत्ति का संरक्षक उसका पति होता है।

14. Which Court is empowered to appoint guardian?
कौन-सा न्यायालय संरक्षक नियुक्त करने में अधिकृत है?

(a) District Court/जिला न्यायालय
(b) High Court/उच्च न्यायालय
(c) District Court and High Court/ जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय
(d) District Magistrate's Court/ जिलाधिकारी का न्यायालय

UPHESC 2014

Ans. (c) : हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय संरक्षक नियुक्ति करने के लिए अधिकृत है।

15. Hanuman Prasad v. Mst. Babooe Mumraj case is related to which of the following?
हनुमान प्रसाद बनाम बबोई मुमराज का मामला निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है?

(a) Adoption/दत्तक ग्रहण
(b) Guardianship/संरक्षकता
(c) Marriage/विवाह
(d) Maintenance/भरण-पोषण

Uttarakhand (J) 2006, 2008, 2014

Ans : (b) हनुमान प्रसाद बनाम बबोई मुमराज का मामला संरक्षकता से सम्बन्धित है। इस वाद में धारित किया गया कि संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्त्ता अवयस्क के हित का विधिक आवश्यताओं की पूर्ति हेतु अन्तरण कर सकता है।

16. Under Section 9 of Hindu Minority and Guardianship Act/धारा 9 हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम के अन्तर्गत–

(a) A Hindu paternal grandfather may by will appoint a guardian in respect of the property and person of a minor grandson.
एक हिन्दू पितामह अवयस्क पौत्र की सम्पत्ति और व्यक्ति के सम्बन्ध में वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकता है।
(b) A Hindu father can appoint a guardian by will only with the permission of the court
एक हिन्दू पिता केवल न्यायालय की अनुज्ञा से वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकता है
(c) A Hindu father who is competent to act as a natural guardian may by will appoint a guardian for his legitimate minor children
एक हिन्दू पिता जो प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम है, वह वसीयत द्वारा अपने वैध अवयस्क बच्चों के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकता है।
(d) A Hindu mother entitled to act as natural guardian of her minor illegitimate children shall not have the right to appoint by will a guardian for any of them
ऐसी हिन्दू माता को, अपने अप्राप्तवय अधर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की हकदार हो उनमें से किसी के लिए भी वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार न होगा

MP (HJS) 2016

Ans. (c) : हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 9(1) के अनुसार, ऐसा हिन्दू पिता जो अपने अप्राप्तवय धर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने का हकदार है, उनमें से किसी के लिए भी अप्राप्तवय के शरीर के या सम्पत्ति के या दोनों के बारे में बिल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगा।
धारा 9, उपधारा (4) के अनुसार, ऐसी हिन्दू माता जो अपने अप्राप्तवय अधर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की हकदार हो, उनमें से किसी के लिए भी, उस अप्राप्तवय के शरीर के या सम्पत्ति के या दोनों के बारे में बिल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगी।

17. A minor can act as a guardian of
एक नाबालिग-संरक्षक की तरह कार्य कर सकता है–

(a) his wife/अपने पत्नी के
(b) his children/अपने बच्चो के
(c) both (a) and (b)/दोनों (a) और (b)
(d) Neither (a) nor (b)/न तो (a) और न ही (b)

BPSC (APO) 2011

Ans : (c) संरक्षकता का अर्थ शरीर व सम्पत्ति से सम्बन्धित होता है और नाबालिग को संरक्षा की दृष्टि से सक्षम नही माना जाता है, किन्तु हिन्दू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 10 के अनुसार, अप्राप्तव्य किसी भी अप्राप्तव्य की सम्पत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अक्षम होता है। लेकिन शरीर के संरक्षक के तौर पर कार्य करने की कोई मनाही नहीं है।

18. The Guardian who does not possess the right of transfer of property of a minor:
किस संरक्षक को अवयस्क की सम्पत्ति के हस्तान्तरण का अधिकार नहीं होता है?

(a) Natural Guardian/प्राकृतिक संरक्षक
(b) De-Facto guardian/वस्तुतः संरक्षक
(c) Legal Guardian/कानूनी अभिभावक
(d) Guardian appointed by Court
न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक

27th BPSC (J) 2011

Ans. (b) : हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 11 में प्रावधान किया गया है कि वस्तुतः संरक्षक को अवयस्क की सम्पत्ति के हस्तानान्तरण का अधिकार नहीं है।

19. Who is not disentitled to dispose of property of a Hindu minor under Sec. 11 of The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956?
हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अन्तर्गत कौन एक हिन्दू अप्राप्तवय की सम्पत्ति का व्ययन करने के लिए अधिकृत नहीं है?

(a) De facto Guardian/वस्तुतः संरक्षक
(b) De-Jure Guardian/विधितः संरक्षक
(c) Father/पिता
(d) Guardian appointed by Court/न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. No person shall be entitled to dispose of or deal with the property of a Hindu minor merely because on the ground of his or her being the defacto guardian of the minor is provided under which of the following Sections of the Hindu Minority and Guardianship Act?

कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह अप्राप्तवय का वस्तुतः संरक्षक है, उस हिन्दू अप्राप्तवय की सम्पत्ति का व्ययन या संव्यवहार करने का हकदार न होगा, इसे हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में उपबन्धित किया गया है?

(a) Section 10/धारा 10 में
(b) Section 11/धारा 11 में
(c) Section 12/धारा 12 में
(d) Section 13/धारा 13 में

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह अप्राप्तवय का वस्तुतः संरक्षक है, उस हिन्दू अप्राप्तवय की सम्पत्ति का व्ययन या संव्यवहार करने का हकदार न होगा।

21. Under Section 13 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 what is the paramount consideration in the appointment or declaring a guardian of a 'Hindu' Minor?
हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 13 के अन्तर्गत एक हिन्दू अप्राप्तवय के लिए संरक्षक नियुक्त या घोषित करते समय प्रमुख विचारण किस पर होता है?

(a) Property of minor/अप्राप्तवय की सम्पत्ति
(b) Property of guardian/संरक्षक की सम्पत्ति
(c) Welfare of minor/अप्राप्तवय का कल्याण
(d) Education of minor/अप्राप्तवय की शिक्षा

Uttarkhand (J) 2021

Ans. (c) : हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 13(1) में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी हिन्दू अप्राप्तव्य का संरक्षक नियुक्त या घोषित किए जाने में अप्राप्तव्य के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा।

22. Match the items of List-I with the items of List-II and choose the correct answer from the code given below
हिन्दू अप्राप्तवयतता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सूची-I का मिलान सूची-II से करें और नीचे दिए गये कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर दें–

	List-I/सूची-I (Provision/उपबंध)		**List-II/सूची-II (Section/धारा)**
A.	Testamentary guardian and their power वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियाँ	1.	Sec. 6 धारा 6
B.	Natural guardians Of a Hindu Minor हिन्दू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक	2.	Sec 9 धारा 9
C.	Welfare of minor To be paramount consideration अवयस्क हिन्दू के कल्याण को अत्यधिक महत्त्व देना	3.	Sec 11 धारा 11
D.	De facto guardian Not to deal with minor's property विधितः संरक्षक द्वारा अवयस्क की संपत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करना	4.	Sec. 13 धारा 13

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	1	4	3	2
(c)	4	2	1	3
(d)	3	1	4	2

UGC (NET) December, 2015

Ans. (a) सुमेलित सूची निम्न है-

A.	वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियाँ	-	धारा 9
B.	हिन्दू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक	-	धारा 6
C.	अवयस्क हिन्दू के कल्याण को अत्यधिक महत्व देना	-	धारा 13
D.	विधितः संरक्षक द्वारा अवयस्क के सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार न करना	-	धारा 11

23. An acknowledgement with regard to children can be for
बच्चों के सम्बंध में अभिस्वीकृति हो सकती है

(a) son/बेटे के लिए
(b) daughter/बेटी के लिए
(c) only son not daughter/केवल बेटे के लिए, बेटी के लिए नहीं
(d) both son and daughter/दोनों बेटे और बेटी के लिए

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (d) : बच्चों के सम्बन्ध में अभिस्वीकृति बेटा और बेटी के लिए हो सकती है।

अध्याय - 5

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956

(The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956)

1. The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 became applicable on/हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 लागू हुआ था–

(a) 11 December, 1956/11 दिसम्बर, 1956 को
(b) 31 December, 1956/31 दिसम्बर, 1956 को
(c) 22 December, 1956/22 दिसम्बर, 1956 को
(d) 21 December, 1956/21 दिसम्बर, 1956 को

BPSC (APO) 2012

Ans : (d) हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956, 21 दिसम्बर 1956 को लागू हुआ था।

2. Adoption is not recognized under the-
दत्तग्रहण मान्य नहीं है–

(a) Muhammadan law/मुस्लिम विधि में
(b) Parsi law/पारसी विधि में
(c) Both (a) and (b)/(a) एवं (b) दोनों
(d) Neither (a) nor (b)/न तो (a) न ही (b) में

UP (HJS) 2012

Ans. (d) :दत्तक ग्रहण मुस्लिम विधि तथा पारसी विधि में मान्य नही है।

3. The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 applies to such a person?
हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 ऐसे व्यक्ति को लागू होता है?

(a) only those who are Hindus by religion
केवल जो धर्मतः हिन्दू हो
(b) only those who are Sikhs by religion
केवल जो धर्मतः सिक्ख हो
(c) only those who are religiously Buddhist or Jain/केवल जो धर्मतः बौद्ध या जैन हो
(d) only those who are Hindu, Sikh, Buddhist or Jain by religion/केवल जो धर्मतः हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध या जैन हो

MP (HJS) 2018

Ans. (d) : हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अनुसार, यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो–
(1) धर्मतः हिन्दू हो,
(2) जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिक्ख हो,
(3) जो धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो।

4. Adoption of children is recognised under the:
बच्चों को गोद लेना किस विधि के अनुसार मान्य है?

(a) Muslim Law/मुस्लिम विधि
(b) Parsi Law/पारसी विधि
(c) Hindu Law/हिन्दू विधि
(d) Christian Law/ईसाई विधि

UGC (NET) December, 2011

Ans. (c) : बच्चों को गोद लेना हिन्दू विधि के अन्तर्गत विधिमान्य है। हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 से 17 तक में इस सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। हिन्दू पुरुष धारा 7 के अंतर्गत तथा हिन्दू महिला धारा 8 के अंतर्गत दत्तक ले सकते है।

5. According to the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, 'minor' means a person who has not completed his or her age of
हिन्दु दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार 'अप्राप्तवय' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अपनी आयु पूरी न की हो

(a) 14 years/14 वर्ष
(b) 16 years/16 वर्ष
(c) 18 years/18 वर्ष
(d) 21 years/21 वर्ष

29th BPSC (J) 2017

Ans. (c) : हिन्दु दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 3(c) के अनुसार, 'अवयस्क' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अपने आयु के 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं।

6. Under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, an adoption shall be made-
हिन्दु दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन एक दत्तक लिया या दिया जा सकेगा–

(a) to a Hindu by a non-Hindu/एक हिन्दू के निमित्त एक गैर-हिन्दू के द्वारा
(b) by a Hindu to a non-Hindu/एक हिन्दू के द्वारा एक गैर-हिन्दू के निमित्त
(c) by a Hindu to a Hindu only/एक हिन्दू के द्वारा केवल एक हिन्दू के निमित्त
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2012

Ans : (c) हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 5 सपठित धारा 10 के अनुसार एक हिन्दू के द्वारा केवल एक हिन्दू का दत्तक लिया या दिया जा सकेगा।

7. Under Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 mandatory requirement for adoption of a child is/हिन्दू दत्तक व भरण-पोषण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निम्नलिखित में दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक है-

(a) Giving and taking/लेना तथा देना
(b) Duttak homan (Hawan)/दत्तक होम (हवन)
(c) Both (a) and (b)/दोनों (a) और (b)
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (a) : हिन्दू दत्तक व भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 के अन्तर्गत, विधिमान्य दत्तक के लिए दत्तक लेने वाले तथा देने वाले को सक्षम होना चाहिए अर्थात् धारा 7 से लेकर 11 तक के प्रावधानों का विधि अनुसार पालन होना चाहिए, किन्तु धारा 11 के परन्तुक के अनुसार दत्तक होम अनिवार्य नही है।

8. Requirements of a valid adoptee under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 .... rendered/एक वैध दत्तक की अपेक्षायें हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के .... अन्तर्गत प्रतिपादित है।

(a) In Section 6/धारा 6 में
(b) In Section 5/धारा 5 में
(c) In Section 4/धारा 4 में
(d) In Section 7/धारा 7 में

MP (HJS) 2015

Ans. (a) : एक वैध दत्तक की अपेक्षायें हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के धारा 6 के अन्तर्गत प्रतिपादित है।

9. Which of the following is NOT a condition precedent for a valid adoption under the Hindu Adoptions and Maintainance Act, 1956/हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन विधिमान्य दत्तक के लिए निम्नलिखित में से क्या पूर्व-शर्त नहीं है?

A. Adopter must have the capacity and right to take in adoption/दत्तकग्रहीता के पास अनिवार्यतः दत्तक लेने की क्षमता और अधिकार होना चाहिए।
B. The child must be eligible for adoption/बालक अनिवार्यतः दत्तक के लिए अर्ह होना चाहिए।
C. The giver must have the capacity and right to give in adoption/ देने वाले के पास दत्तक देने की क्षमता और अधिकार होना चाहिए।
D. Datta–homam is mandatory/दत्त-होम अनिवार्य है।

Choose the correct answer from the options given below/नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

(a) A and B only/केवल A और B
(b) B and D only/ केवल B और D
(c) C and D only/ केवल C और D
(d) A and C only/ केवल A और C

UGC (NET) June, 2020

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार, मान्य दत्तक-ग्रहण के लिए निम्न अपेक्षायें आवश्यक हैं-
(i) दत्तकग्रहीता व्यक्ति दत्तक-ग्रहण करने की सामर्थ्य और साथ ही अधिकार भी रखता हो,
(ii) दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य रखता हो,
(iii) दत्तक व्यक्ति, दत्तक-ग्रहण द्वारा लिये जाने योग्य हो, और
(iv) दत्तक-ग्रहण इस अध्याय में वर्णित अन्य शर्तो के अनुवर्त्तन में किया गया हो।

10. In giving a child in adoption by the Hindu father, the requirement of the consent of the mother, can be dispensed with if
किसी हिन्दू पिता द्वारा अपने बच्चे को किसी को गोद लेने-देने के लिए माँ की सहमति की शर्त को छोड़ा जा सकता है यदि

1. **She has been declared to be of unsound mind by the Court of Competent jurisdiction/सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय द्वारा उसे अस्वस्थ मस्तिष्क वाली घोषित किया गया हो।**
2. **She has finally and completely renounced the world/उसने अंतिम रूप से और पूरी तरह से संसार को त्याग दिया हो।**
3. **She has ceased to be a Hindu/वह हिन्दू न रह गई हो।**
4. **Her age is less than 18 years/वह 18 वर्ष से कम उम्र की हो।**

Codes/कूटः

(a) 2, 3 and 4/2, 3 और 4
(b) 1, 2, 3 and 4/1, 2, 3 और 4
(c) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(d) 1, 3 and 4/1, 3 और 4

UGC (NET) December, 2014

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 के अनुसार, किसी हिन्दू पिता द्वारा अपने बच्चे को किसी को गोद लेने-देने के लिए माँ की सहमति को निम्न शर्तों पर छोड़ा जा सकता है-
(1) सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय द्वारा उसे अस्वस्थ्य मस्तिष्क वाली घोषित किया गया हो।
(2) उसने अंतिम रूप से और पुरी तरह से संसार त्याग दिया हो।
(3) वह हिन्दू न रह गयी हो।

11. Read the following and answer with the help of codes given below :/निम्नलिखित को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए:
A married Hindu male child can adopt.
एक विवाहित हिन्दू पुरुष बालक दत्तक ग्रहण कर सकता है।

1. **Only with his wife's consent/केवल अपनी पत्नी की सहमति से**
2. **If he has more than one wife, consent of all the wives is necessary/यदि उसकी एक से अधिक पत्नी है तो सभी पत्नियों की सहमति से।**
3. **In case of void marriage, the wife's consent is necessary/शून्य विवाह के मामले में पत्नी की सहमति आवश्यक है।**
4. **In case of voidable marriage, the wife's consent is necessary/शून्यकरणीय विवाह के मामले में पत्नी की सहमति आवश्यक है।**

कूटः

(a) (1), (2) and (4) are correct but (3) is incorrect/1, 2 और 4 सही है, किंतु 3 गलत है

(b) Only (1) and (2) are correct/केवल 1 और 2 सही है

(c) (2), (3) and (4) are correct, but (1) is incorrect/2, 3 और 4 सही है, किंतु 1 गलत है

(d) (1), (3) and (4) are correct, but (2) is incorrect/1, 3 और 4 सही है, किंतु 2 गलत है

UGC (NET) July, 2016

Ans. (a) : हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधि. 1956 की धारा 7 के अनुसार, एक विवाहित हिन्दु पुरुष किसी बालक को दत्तक ग्रहण अपनी पत्नी की सहमति से, यदि एक से अधिक पत्नी है तो सभी के सहमति से करेगा। यहाँ तक की शून्यकरणीय विवाह के मामले में भी पत्नी की सहभति आवश्यक होगी। लेकिन शून्य विवाह के मामले में पत्नी की सहमति आवश्यक नहीं है।

12. Read the following statement in the light of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956: हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 के आलोक में निम्नलिखित कथनों को पढ़ेंः

1. **Section 7 deals with capacity of a male Hindu to take in adoption/धारा 7 पुरुष हिन्दू को दत्तक ग्रहण की क्षमता से संबंधित है**
2. **Section 13 deals with valid adoption not to be cancelled /धारा 13 विधिमान दत्तक ग्रहण, जिसे निरस्त नहीं किया जाता है, से संबंधित है**
3. **Section 12 deals with effect of adoption /धारा 12 दत्तक ग्रहण के प्रभाव से संबंधित है**
4. **Section 15 deals with right of adoptive parents to dispose off their properties /धारा 15 दत्तक माता-पिता की संपत्ति का निपटान के लिए उन्हें अधिकार देता है।**

Choose the correct option:
सही विकल्प का चयन कीजिएः

(a) 1 and 3/1 और 3 (b) 2 and 4/2 और 4
(c) 2 and 3/2 और 3 (d) 1 and 3/1 और 4

UGC (NET) December, 2019

Ans. (a) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार निम्नलिखित कथन सत्य है-
(1) धारा 7 हिन्दू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य का प्रावधान करता है।
(2) धारा 12 दत्तक के परिणाम का उल्लेख करती है।
(3) धारा 13 दत्तक जनकों का अपनी सम्पत्तियों के व्ययन के अधिकार से सम्बन्धित है।
(4) धारा 15 के अनुसार विधिमान्य दत्तक रद्द नहीं किया जाएगा।

13. Under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, who among the following is not entitled to adopt?
हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निम्न में से कौन गोद लेने के लिए अधिकृत नहीं है?

(a) An unmarried person/एक अविवाहित पुरुष
(b) Wife who is divorced/एक तलाकशुदा पत्नी
(c) Husband with the consent of the wife/पति, पत्नी की सहमति से
(d) Husband without the consent of the wife/पति, बिना पत्नी की सहमति से

28th BPSC (J) 2014
BPSC (APO) 2011
Uttarakhand (J) 2009

Ans : (d) हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधि. 1956 की धारा 7 के अनुसार किसी भी हिन्दू पुरुष को जो स्वस्थचित हो और अप्राप्तवय न हो, यह सामर्थ्य होगी की वह पुत्र या पुत्री को दत्तक ले सकता है।
परन्तु यदि उसकी पत्नी जीवित है और पूर्ण या अन्तिम रूप से संसार का त्याग नही किया है या वह हिन्दू न रह गयी है, या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया गया हो कि वह विकृतचित्त है तब तक वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना दत्तक नही ले सकता है।

14. Which of the following adoptions is not valid under the Hindu Adoptions & Maintenance Act, 1956?
हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा दत्तक वैध नहीं है?

(a) Adoption by a Hindu widow without authority from her deceased husband/किसी हिन्दू विधवा द्वारा अपने मृतक पति से अधिकारिता बिना लिया गया दत्तक
(b) Adoption by an unmarried Hindu woman/किसी अविवाहित हिन्दू महिला द्वारा लिया गया दत्तक
(c) Adoption by a male Hindu without the consent of his living wife/किसी हिन्दू पुरुष द्वारा अपनी जीवित पत्नी की सम्मति के बिना लिया गया दत्तक
(d) Adoption by a male Hindu without the consent of his living child/किसी हिन्दू पुरुष द्वारा अपनी जीवित संतान की सम्मति के बिना लिया गया दत्तक

Rajasthan (DJC) 2012

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. **An adoption made by a Hindu male without the consent of his wife is-/अपनी पत्नी की सम्मति के बिना एक हिन्दू पुरूष द्वारा गोद लिया जाना-**
(a) Void/शून्य है
(b) Voidable/शून्यकरणीय है
(c) Valid/विधिमान्य है
(d) Invalid/अविधिमान्य है
Uttarakhand (J) 2002

Ans. (a) : हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 7 हिन्दू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य का प्रावधान करती है। कोई भी हिन्दू जो स्वस्थचित्त हो और वयस्क है वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले सकता है।
परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित है तो उसकी सम्मति लेना आवश्यक है। यदि सम्मति नहीं लेता है तो दत्तक शून्य होगा।

16. **Under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 a female Hindu has the capacity to take a son or daughter in adoption if-**
हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक हिन्दू स्त्री पुत्र या पुत्री का दत्तक ग्रहण कर सकती है यदि-
(a) She is not married/वह अविवाहित है
(b) She is married/वह विवाहित है
(c) She is widow and has no son or daughter but has a widowed daughter-in-law/वह एक विधवा है और उसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, परन्तु एक विधवा पुत्रवधू है
(d) She cannot adopt at all/वह दत्तक ग्रहण कर ही नही सकती है
Uttarakhand (J) 2002

Ans. (*) : हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 8 में हिन्दू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य को बताया गया है जिसके अनुसार कोई भी हिन्दू नारी जो स्वस्थ्य चित्त है और अप्राप्तवय नहीं है पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है। **दूनी चंद्र बनाम परसराम,** ए.आई.आर. 1970 दिल्ली 202 एक अविवाहित स्त्री और एक तलाकशुदा स्त्री बच्चे को दत्तक ले सकती है।

17. **A Hindu married woman of 32 years of age adopts a male child of 8 years with the consent of her husband. The adoption is**
32 वर्ष की एक हिन्दू महिला अपने पति की सहमति से 8 वर्ष के एक लड़के का दत्तक-ग्रहण करती है। यह दत्तक-ग्रहण हैः
(a) valid/वैध
(b) not valid/अवैध
(c) voidable at the option of husband
पति के विकल्पानुसार शून्यकरणीय
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8 में हिन्दू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य बतायी गयी है। जिसमें यह स्पष्टताः वर्णित है कि कोई भी हिन्दू स्त्री जो स्वस्थ चित्त है और अप्राप्तवय नहीं है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है परन्तु यदि पति जीवित है तो पति की सम्मति से ही दत्तक लेगी। अतः 32 वर्ष की हिन्दू नारी 8 वर्ष के एक लड़के को अपने पति की सहमति से दत्तक लेती है तो वह दत्तक वैध होगा।
धारा 11(iv) में प्रावधान किया गया है कि यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है, तो दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति पुरुष हो तो दत्तक माता दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम-से-कम 21 वर्ष बड़ी हो।

18. **Which one of the following sections of the Hindu Adoption and Maintenance Act, provides capacity to take in adoption a child to a female Hindu?**
हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की अधोलिखित कौन सी धारा हिन्दू महिला को बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है?
(a) Section 3/धारा 3
(b) Section 4/धारा 4
(c) Section 7/धारा 7
(d) Section 8/धारा 8
Uttarakhand (J) 2008, 2018

Ans. (d) : हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत कोई हिन्दू नारी जो स्वस्थ चित्त और वयस्क है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है।

19. **In which State, where a widow may adopt a child without an express authority from her husband, before the HAMA Act, 1956?**
किस राज्य में एक विधवा बगैर पति की सहमति के दत्तक ग्रहण कर सकती है, हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (H A and M Act, 1956) से पहले
(a) Bihar and M.P./बिहार एवं एम.पी.
(b) U.P. and Haryana/यू.पी. एवं हरियाणा
(c) Madras and Bombay/मद्रास एवं बम्बई
(d) Orissa and Andhra Pradesh/उड़ीसा एवं आन्ध्र प्रदेश
UPHESC 2014
UGC (NET) December, 2013

Ans. (c) : मद्रास एवं बम्बई राज्य में एक विधवा हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 से पहले बिना पति के सहमति से दन्तक ग्रहण कर सकती थी परन्तु इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अन्यथा के सिवाय पति की सहमति अनिवार्य है।

20. **Which of the following statements is incorrect?**
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हैः
(a) A female Hindu can take a son or daughter in adoption /एक हिन्दू महिला, पुत्र या पुत्री का दत्तकग्रहण में ले सकती है
(b) A female Hindu can take a son or daughter in adoption with consent of her husband, if her husband is alive/एक हिन्दू महिला पुत्र या पुत्री की अपने पति की सहमति से दत्तक ग्रहण में ले सकती है यदि उसका पति जीवित है

(c) A widow or an unmarried woman cannot adopt a child/एक विधव या अविवाहित स्त्री एक बच्चे को दत्तक ग्रहण नहीं ले सकती है
(d) None of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं

Bihar (HJS) 2018

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधि. 1956 की धारा 8 के अनुसार, कोई हिन्दू महिला जो स्वस्थचित्त तथा व्यस्क है, पुत्र एवं पुत्री को दत्तक लेने की क्षमता रखती है।

परन्तु यदि महिला विवाहित है तथा पति जीवित है तब वह अपने पति की सम्मति के बिना दत्तक नहीं ले सकती है।

सावन कुमार बनाम कलावती (1967 SC)-के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि विधवा द्वारा किया गया दत्तक पुत्र अपने लिए ही नहीं वरन् पति के लिए भी होता है तथा ऐसा दत्तक पुत्र विधवा के पति की सम्पत्ति पर उत्तराधिकारी के रूप में पुरा अधिकार रखता है।

21. A Hindu wife/एक हिन्दू पत्नी–

(a) With the consent of her husband, adopt a son or a daughter for herself
अपने पति की सहमति से पुत्र अथवा पुत्री को स्वयं के लिये दत्तक ग्रहण कर सकती है।
(b) Cannot adopt a son or daughter for herself even with the consent of her husband
अपने पति की सहमति से भी पुत्र अथवा पुत्री को स्वयं के लिये दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती।
(c) Can adopted the son for herself with the consent of her husband/अपने पति की सहमति से पुत्र को स्वयं के लिये दत्तक ग्रहण कर सकती है
(d) Can adopted the daughter for herself, with the consent of her husband/अपने पति की सहमति से पुत्री को स्वयं के लिये दत्तक ग्रहण कर सकती है

MP (HJS) 2013

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. Now a Hindu woman may also take in adoption under which Section of the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956?
अब एक हिन्दू नारी भी दत्तक ले सकती है हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की–

(a) Section 5/धारा 5 में
(b) Section 7/धारा 7 में
(c) Section 8/धारा 8 में
(d) Section 10/धारा 10 में

BPSC (APO) 2012

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. A female Hindu who is major and is of sound mind is legally capable to take in adoption, a son or a daughter, if
कोई भी हिन्दु नारी जो स्वथचित्त है और वयस्क है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने का विधिक सामर्थ्य रखती है, यदि

(a) she is widow or divorced woman/वह विधवा है या जिसका विवाह विघटित कर दिया गया है
(b) she is unmarried woman/वह अविवाहित है
(c) her husband has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind/उसके पति ने पूर्ण या अन्तिम रूप से संसार का त्याग कर दिया है या उसका पति हिन्दु नहीं रहा है या उसके पति को किसी न्यायालय ने अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित कर दिया है
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

29th BPSC (J) 2017

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. Which of the following statements is correct?
निम्न में से कौन सा कथन सत्य हैः

(a) an unmarried female Hindu cannot adopt/एक अविवाहित हिन्दू स्त्री दत्तक नहीं ले सकती
(b) a widow Hindu cannot adopt a male child/एक विधवा हिन्दू एक पुरुष बच्चे को दत्तक नहीं ले सकती
(c) a married female Hindu cannot adopt without consent of her husband who is available and capable of giving consent /एक विवाहित हिन्दू स्त्री अपने पति की सहमति के बिना दत्तक नहीं ले सकती यदि वह उपलब्ध है एवं सम्मत्ति देने में समर्थ है
(d) all the statement are correct/सभी कथन सत्य है

Bihar (HJS) 2016

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधि. 1956 की धारा 8 के अनुसार, कोई हिन्दू महिला जो स्वस्थचित है एवं व्यस्क है पुत्र तथा पुत्री को दत्तक लेने की क्षमता रखती है।
एक हिन्दू महिला यदि विवाहित है तो अपने पति की सहमति के बिना दत्तक नहीं ले सकती है। निम्न परिस्थितियों में पति की सहमति आवश्यक नहीं है-
1. यदि पति पूर्ण और अंतिम रूप से संसार त्याग कर चुका है, या
2. वह हिन्दू नहीं रह गया, या
3. सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विकृत चित घोषित कर दिया गया है।

25. The junior widow has adopted a child without the consent of senior widow. Decide the adoption :
कनिष्ठ विधवा बिना वरिष्ठ विधवा की मर्जी से एक बालक को दत्तक ग्रहण करती है। दत्तक ग्रहण को बताए–

(a) Valid/सही है
(b) Void/शून्य है
(c) Voidable/व्यर्थनीय है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UPHESC 2014
UGC (NET) December 2013

Ans. (a) : विधवा स्त्री को गोद लेने का पूर्ण अधिकार है। यदि कोई हिन्दू तीन विधवायें छोड़कर मरे तो प्रत्येक विधवाएं सन्तानहीन होने पर पृथक–पृथक गोद की सामर्थ्य रखती हैं। उदाहराणार्थ– A 1957 में तीन पत्नियाँ X,Y,Z छोड़कर मर गया। X, Y, Z तीनों ही संतानहीन हैं। अतः प्रत्येक पुत्र और पुत्री गोद ले सकती हैं। यह सब गोद लेना वैध है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी **विजयलम्मा बनाम बी.टी. शंकर** में यह मत रखा है कि सह-विधवा (Co-Widow) को अन्य सह विधवाओं (अर्थात् किसी भी कनिष्ठ विधवा को किसी वरिष्ठ विधवा से) से अपने लिये बच्चा गोद लेने की अनुमति अनिवार्य नहीं है।

26. Read the following and give correct answer with the help of codes given below:
निम्नांकित को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दें:

A married Hindu female can adopt a child
एक विवाहित हिन्दू स्त्री एक बच्चे को गोद ले सकती है:

1. **Only with the consent of her husband**
सिर्फ अपने पति की सहमति से
2. **In case of void marriage, consent of husband is necessary/अमान्य विवाह के मामल में, पति की सहमति आवश्यक है**
3. **In case of voidable marriage, consent of husband is not necessary/अमान्य होने के योग्य विवाह के मामले में, पति की सहमति आवश्यक नहीं है**
4. **If husband has converted to Muslim religion, his consent is not necessary/यदि पति ने मुस्लिम धर्म अपना लिया हो तो उसकी सहमति आवश्यक नहीं है**

Codes:/कूटः
(a) 1 and 4 are correct, but 2 and 3 are incorrect
1 और 4 सही है, किन्तु 2 और 3 गलत है
(b) 1, 3 and 4 are correct, but 2 is incorrect/1, 3 और 4 सही है, किन्तु 2 गलत है
(c) 2 and 4 are correct, but 1 and 3 are incorrect
2 और 4 सही है, किन्तु 1 और 2 गलत है
(d) 4 and 2 are correct, but 3 and 1 are incorrect
4 और 2 सही है, किन्तु 3 और 1 गलत है

UGC (NET) January, 2017

Ans. (a) : हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, एक विवाहित हिन्दू स्त्री जो स्वस्थ चित्त हो, अवयस्क न हो, यह सामर्थ्य होगी कि पुत्र या पुत्री को दत्तक ले,
परन्तु यदि उसका पति जीवित हो तो जबकि पति पूर्ण और अन्तिम रूप से संसार त्याग न कर चुका हो या वह हिन्दू न रह गया हो, या किसी न्यायालय ने विकृताचित्त घोषित न कर चुका हो, पति की सहमति के बिना दत्तक नहीं ले सकती।

27. A Hindu wife can adopt a boy and a girl simultaneously
एक हिन्दू पत्नी एक समय में एक लड़का और एक लड़की को दत्तक ग्रहण कर सकती है
(a) without consent of husband/बिना पति की सहमति के
(b) with the consent of husband/पति की सहमति से
(c) cannot adopt/दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती
(d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (b) हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार, एक हिन्दू पत्नी एक समय में एक लड़का एवं लड़की को पति की सहमति से दत्तक ग्रहण कर सकती है।

28. A married woman can adopt a child
एक विवाहित औरत बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकती है।
(a) with the consent of her husband/अपने पति के सहमति से
(b) without the consent of her husband/अपने पति की सहमति के बिना।
(c) she cannot adopt/वह दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती।
(d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नही।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

29. A child may be given in adoption by the:
एक बच्चा किसके द्वारा गोद दिया जा सकता है?
(a) Father/पिता
(b) Mother/माता
(c) Guardian/संरक्षक
(d) All of above/उपरोक्त सभी

UGC (NET) June, 2011

Ans. (d) : हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अनुसार एक बच्चा माता, पिता या संरक्षक द्वारा दत्तक दिया जा सकता है।

30. Read both Assertion (A) and Reason (R) and answer by using the code given below:
अभिकथन (A) तथा तर्क (R) को पढ़े और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें:

Assertion (A): No person except the father or mother or guardian of a Hindu child has the capacity to give such child in adoption.
अभिकथन (A): किसी हिन्दू बालक के पिता या माता या अभिभावक को छोड़ कर किसी भी व्यक्ति को ऐसे बालक को दत्तक ग्रहण मे देने का अधिकार नहीं है।
Reason (R): No re-adoption may take place under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956.

तर्क (R): हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दोबारा दत्तक ग्रहण नहीं हो सकता।

Code:/कूटः

(a) (A) is correct but (R) is false
(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है

(b) (A) is false but (R) is correct
(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

(c) Both (A) and (R) are correct
(A) और (R) दोनों सही है

(d) Both (A) and (R) are false
(A) और (R) दोनों गलत है

UGC (NET) July, 2018

Ans. (c) : प्रस्तुत अभिकथन सही है क्योंकि हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9 (1) में उपबन्धित है कि अपत्य के पिता, माता, संरक्षक के सिवाय कोई भी व्यक्ति दत्तक नही दे सकता है। और धारा 10 (ii) में उपबिन्धत है कि दत्तक में लिये जाने वाला अपत्य पहले से दत्तक न किया गया हो।

31. Which out of the following is not a ground, which allows a guardian to give child in adoption?
निम्न में से कौन सा आधार किसी संरक्षक को किसी बच्चे को गोद देने के आधारों में नहीं आता है।

(a) If both the parents are dead
अगर माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है।

(b) If parents have finally renounced the world/अगर माता एवं पिता ने अंतिम तौर पर जगत से संन्यास ले लिया है।

(c) If parents have been declared judicially to be of unsound mind/अगर माता व पिता को न्यायालय द्वारा पागल करार कर दिया गया हो

(d) If parents are illiterate
अगर माता व पिता अशिक्षित हैं।

27th BPSC (J) 2011

Ans. (d) : हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अनुसार अपत्य के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने की सामर्थ्य नहीं रखेगा। धारा 9(4) के अनुसार जहाँ माता और पिता दोनों मर चुके हों या पूर्ण और अन्तिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हों या अपत्य को त्याग चुके हों या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उनके बारे में यह घोषित कर दिया हो कि वे विकृतचित्त हैं या जहाँ कि अपत्य की जनकता ज्ञात न हो, तो उस अपत्य का संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से उस अपत्य को किसी भी व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत स्वयं वह संरक्षक भी आता है, दत्तक दे सकेगा।

32. In giving a child in adoption by the Hindu father, the requirement of the consent of the mother can be dispensed with if
किसी हिन्दू पिता द्वारा अपने बच्चे को दत्तक प्रदान करने के लिये माता की सहमति की शर्त को छोड़ा जा सकता है, यदि-

(a) She has been declared to be of unsound mind by the Court of competent jurisdiction/सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त घोषित किया गया हो।

(b) She has finally and completely renounced the world/उसने अन्तिम रूप से और पूरी तरह से संसार को त्याग दिया हो।

(c) She has ceased to be Hindu/वह हिन्दू न रह गई हो।

(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की **धारा 9** हिन्दू पिता एवं माता की दत्तक देने की सामर्थ्य का उपबंध करती है। इसके अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में हिन्दू पिता द्वारा अपने बच्चे को दत्तक प्रदान करने के लिये माता की सहमति की शर्त को छोड़ा जा सकता है—

1. उसने पूर्ण रूप से तथा अन्तिम रूप से संसार को त्याग दिया हो, या
2. वह हिन्दू न रह गई हो, या
3. सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय ने उसे विकृतचित घोषित कर दिया हो।

33. Which one of the following is not condition with regard to the persons who may be adopted, under Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956?
हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किसी को गोद लिए जाने के लिए एक शर्त कौन सी नहीं है?

(a) He or she must be a Hindu/गोद लिए जाने वाला एक हिन्दू होना चाहिए

(b) He or she must has not already been adopted/उसे पहले से गोद नहीं लिया गया हो

(c) He or she must consent to adoption/गोद लिए जाने के सम्बन्धत में उसकी सहमति अनिवार्य होना चाहिए

(d) He or she must has not completed the age of fifteen years, unless there is custom/जब तक कि ऐसी कोई प्रथा न हो, उसने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो

UGC (NET) September, 2013

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 के अंतर्गत दत्तक (गोद) लिये जाने की शर्तें निम्नलिखित हैं–

(i) वह हिन्दू हो।
(ii) उसे पहले से ही दत्तक न लिया जा चुका हो, या चुकी हो।
(iii) उसका विवाह न हुआ हो (सिवाय रूढ़ि या प्रथा के)।
(iv) उसने 15 वर्ष की आयु पूरी न की हो (सिवाय रूढ़ि प्रथा के)।
अतः दत्तक ग्रहण करने के लिए दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति की सहमति आवश्यक नहीं है।

34. Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 who among the following cannot be adopted:-
हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इनमें से किसे दत्तक नहीं लिया जा सकता है–

(a) A Hindu/एक हिन्दू को
(b) Already adopted child/पूर्व से दत्तक बालक को
(c) A minor/एक अवयस्क को
(d) An unmarried child/एक अविवाहित बालक को

Rajasthan (J) 2017

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

35. A child to be adopted under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956/हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण किया जाने वाला बच्चा होना चाहिए

(a) should be a child belonging to any religion/किसी भी धर्म से सम्बन्धित
(b) should be a child belongin to Hindu religion and below the age of 15 years/एक हिन्दू बच्चा और 15 वर्ष की आयु से कम
(c) may or may not be a Hindu but below the age of 18 yeaes/हिन्दू हो या न हो किन्तु 18 वर्ष की आयु से कम
(d) may or may not be a Hindu but below the age of 21 years/हिन्दू हो या न हो किन्तु 21 वर्ष की आयु से कम

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (b) : हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण किया जाने वाला बच्चा एक हिन्दू बच्चा होना चाहिए जिसने 15 वर्ष की आयु पूर्ण न कि हो।

36. Under the provisions of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 an adopted child
हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत एक दत्तक बच्चे कोः

1. **Can be given in adoption generally/आम तौर पर दत्तक में दिया जा सकता है।**
2. **Cannot be given in adoption/दत्तक में नहीं दिया जा सकता।**
3. **Can be given in adoption with the consent of natural parents/प्राकृतिक माता-पिता की सहमति में दत्तक में दिया जा सकता है।**
4. **Prior permission of the court/केवल न्यायालय की पूर्व अनुमति लेकर ही दत्तक में दिया जा सकता है।**

Codes/कूटः

(a) 2 and 4 are correct but 1 and 3 are incorrect/ 2 और 4 सही है परन्तु 1 और 3 गलत है
(b) 4 are correct but 1, 2, and 3 are incorrect/4 सही है परन्तु 1, 2 और 3 गलत है
(c) 2 is correct and 1 3 and 4 are incorrect/2 सही है परन्तु 1, 3 और 4 गलत है
(d) 1 and 2 are correct and 3 and 4 are incorrect/1 और 2 सही है परन्तु 3 और 4 गलत है

UGC (NET) December, 2015 Paper-III

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम,1956 की धारा 10 में दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति के बारे में प्रावधानित किया गया है, जिसके अनुसार वह व्यक्ति जो पहले से ही दत्तक लिया जा चुका है, दत्तक में नहीं दिया जा सकता है।

37. Hindu Adoption and Maintenance Act - Any person shall be eligible to be adopted, if he has not completed the age of/हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम-कोई भी व्यक्ति दत्तक लिये जाने के योग्य होगा, यदि उसने आयु पूरी नहीं की है–

(a) 16 years old/16 वर्ष की
(b) 18 years old/18 वर्ष की
(c) of 15 years, unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits the adoption of person who have completed the age of fifteen years
पन्द्रह वर्ष की, तब कि सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो
(d) 21 years old/21 वर्ष की

MP (HJS) 2015

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10(iv) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति दत्तक लिये जाने के योग्य होगा यदि उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नही की है तब के सिवाय जब कि पक्षकारो को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का जिन्होनें 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो।

38. A boy of 16 years of age may validly be taken into adoption
एक 16 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है-

(a) By law/विधि द्वारा
(b) By contract between parties/पक्षों के मध्य संविदा द्वारा
(c) By consent of father of child/बालक के पिता की सहमति से
(d) If customer usage applicable to parties so permits/यदि कोई प्रथा या रूढ़ि जो प्रवृत्त है, पक्षों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती हो

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) :उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

39. Under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, a child to be adopted should not have, in the absence of a valid custom, completed the age of/हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक दत्तक लिये जाने वाले बच्चे की आयु, मान्य रूढ़ि के अभाव में, पूरी नहीं होनी चाहिए

(a) 8 years/8 वर्ष (b) 10 years/10 वर्ष
(c) 12 years/12 वर्ष (d) 15 years/15 वर्ष

Bihar (J) 2020

Ans. (d) : हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक दत्तक लिये जाने वाले बच्चे की आयु, मान्य रूढ़ि के अभाव में 15 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

40. In case of adoption of a son by a Hindu male, the son must be–
हिन्दू पुरुष द्वारा दत्तक के मामले में, पुत्र होना चाहिए–

(a) less than twenty one years of age/21 वर्ष से कम आयु का
(b) less than eighteen years of age/18 वर्ष से कम आयु का
(c) less than fifteen years of age/15 वर्ष से कम आयु का
(d) less than nine years of age/9 वर्ष से कम आयु का

UP (HJS) 2012

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

41. A boy of 15 years of age may validly be taken into adoption under Hindu Adoptions and Maintenance Act
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम के अन्तर्गत एक 15 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक-ग्रहण किया जा सकता है-

(a) By contract between parties
पक्षों के मध्य संविदा द्वारा
(b) If custom or usage applicable to parties so permits/यदि कोई प्रथा या रूढ़ि जो प्रवृत्त है, पक्षों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती हो
(c) By consent of father of the child/बालक के पिता की सहमति से
(d) By consent of mother of the child/बालक की माता की सहमति से

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (b) : हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 (iv) के अन्तर्गत एक 15 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक-ग्रहण किया जा सकता है यदि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई रूढ़ि या प्रथा ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती हो।

42. Under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, a child to be adopted should not have, in the absence of a valid custom, completed the age of
हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की आयु, मान्य रूढ़ि के अभाव में, पूरी नहीं होनी चाहिये।

(a) 8 years /8 वर्ष की
(b) 10 years /10 वर्ष की
(c) 15 years /15 वर्ष की
(d) 12 years /12 वर्ष की

Uttarkhand (J) 2021

Ans. (c) :उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

43. A girl or boy of 15 years of age may validly be taken into adoption
15 वर्ष आयु के एक बालक या बालिका का वैध रूप में दत्तक ग्रहण किया जा सकता है।

(a) by operation of law/विधि के प्रवर्तन द्वारा
(b) by contract between the parties/पक्षों के मध्य संविदा द्वारा
(c) by consent of the child/बच्चे की सहमति द्वारा
(d) if the custom or usage applicable to the parties or permit/यदि कोई प्रयोज्य रूढ़ि या प्रथा पक्षकारों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती है।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

44. Who among the following is eligible to adopt a son under Hindu Law?
निम्न में से कौन हिन्दू विधि के अन्तर्गत एक पुत्र को दत्तक ग्रहण ले सकता है?

(a) who has no son living
जिसका कोई जीवित पुत्र न हो।
(b) who has one natural born son living/जिसका एक नैसर्गिक पुत्र जीवित है।
(c) who has already adopted a son/जिसने एक पुत्र पहले ही दत्तक में लिया हो।
(d) whose son has separated from him after partition/जिसका पुत्र उससे विभाजन होने के पश्चात पृथक हो गया हो।

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (a) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11(1) के अनुसार, यदि पुत्र दत्तक लिया जा रहा हैं, तो उस समय दत्तक लेने वाला पिता या माता का, जिनके द्वारा दत्तक लिय जाय कोई हिन्दू पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र दत्तक के समय जीवित न हो।

45. Hindu can adopt a male child if the adopter has no
एक हिन्दू पुरुष बालक को दत्तक ग्रहण कर सकता है यदि दत्तक ग्रहण कर्ता को नहीं होः

(a) Son, Son's son or Son's son's son/पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र
(b) Adopted Hindu son, Son's son or Son's son's son/दत्तक ग्रहण किया गया हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र
(c) Legitimate or adopted Hindu son, son's son or Son's Son's son/वैध या दत्तक ग्रहण किया गया हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र
(d) Legitimate Hindu son, Son's son or Son's Son's son/वैध हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र

UGC (NET) September, 2016 Paper-III

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अनुसार एक हिन्दू पुरुष बालक को दत्तक ग्रहण कर सकता है यदि उसके पास वैध या दत्तक ग्रहण किया गया हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र अर्थात पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र न हो।

46. Who is eligible to adopt a son?
पुत्र के दत्तक-ग्रहण के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त है?

(a) Who has one natural son
जिसका अपना एक पुत्र है।
(b) Who already has one adopted son
जिसने एक पुत्र पहले से गोद ले रखा है।
(c) Who has no son/जिसका कोई पुत्र नहीं है।
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

47. If a Hindu male of 30 years of age adopts a female child of 15 years of age, this adoption is
30 वर्षीय एक हिन्दू पुरुष 15 वर्षीय एक लड़की का दत्तक ग्रहण करता है। यह दत्तक ग्रहण

(a) valid/वैध
(b) void/शून्य
(c) voidable/शून्यकरणीय
(d) irregular/अनियमित

MP (HJS) 2013, 2014
Uttarakhand (J) 2006, 2008, 2011

Ans. (b) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की **धारा 11 खण्ड (iii)** के अनुसार यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाता है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ा हो अन्यथा दत्तक ग्रहण शून्य होगा।

48. A Hindu male of 28 years of age adopts a female child of 13 years of age. The adoption is
28 वर्ष का एक हिन्दू पुरुष 13 वर्ष की लड़की का दत्तक-ग्रहण करता है, यह दत्तक-ग्रहण हैः

(a) valid/वैध (b) voidable/शून्यकरणीय
(c) illegal/अवैध (d) void/शून्य

Uttarakhand (J) 2009, 2016
28th BPSC (J) 2014
BPSC (APO) 2011

Ans. (d) **:** उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

49. A 40 years old Hindu male adopts a girl of 21 years. According to the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 such adoption is :
एक 40 वर्षीय हिन्दू पुरुष 21 वर्षीय लड़की को दत्तक लेता है। हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार, ऐसा दत्तक–

(a) Valid/विधिमान्य है (b) Invalid/अवैध है
(c) Void/शून्य है (d) Voidable/शून्यकरणीय है

UPHESC 2014

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

50. When a child of opposite sex is proposed to be adopted, the adopter must be senior to it in age by least
जब किसी विपरीत लिंग के बच्चे को गोद लेने का प्रस्ताव किया जाता है, तो गोद लेने वाला व्यक्ति गोद लिए जाने वाले बच्चे से आयु में अनिवार्यत : ज्येष्ट होना चाहिए-

(a) 18 years/18 वर्ष (b) 21 years /21 वर्ष
(c) 16 years /16 वर्ष (d) 14 years /14 वर्ष

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) **:** हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11(iii) के अनुसार, यदि दत्तक लेने वाला पुरुष है और जिसे दत्तक ले रहा है, वह नारी हो तब दोनों की आयु में 21 वर्ष का अन्तर होना चाहिए अर्थात् दत्तक लेने वाले को कम से कम 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार धारा 11(iv) के अनुसार यदि दत्तक लेने वाली महिला है और जिसे वह दत्तक ले रही है वह पुरुष हो तो दत्तक लेने वाली महिला इस पुरुष से कम से कम 21 वर्ष बड़ी होनी चाहिए।

51. Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, A, 10 years old girl child wants to be adopted by a man, how much older than the girl child?
हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 एक 10 वर्षीय बालिका को एक पुरुष दत्तक पुत्री के रूप में लेना चाहता है, उस व्यक्ति की आयु बालिका की आयु से कितनी अधिक होनी चाहिए?

(a) atleast 18 years/कम से कम 18 वर्ष
(b) atleast 15 years/कम से कम 15 वर्ष
(c) atleast 21 years/कम से कम 21 वर्ष
(d) no restriction of age/उम्र का कोई बंधन नहीं

MP (HJS) 2019

Ans. (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

52. A Hindu female can adopt a male child but, she must be senior to the child by at least:
एक हिन्दू स्त्री किसी पुरूष बालक को गोद ले सकती है, अगर वह उस बालक से कम से कम बड़ी है:

(a) 12 years/12 वर्ष (b) 14 years/14 वर्ष
(c) 18 years/18 वर्ष (d) 21 years/21 वर्ष

MP (HJS) 2017
27th BPSC (J) 2011

Ans. (d) : हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 (iv) के अनुसार यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति पुरुष है तो दत्तक माता दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ी होनी चाहिए।

53. The Dattaka Mimansa and Dattaka Chandrika are related to
दत्तक मीमांसा और दत्तक चन्द्रिका का सम्बन्ध है -

(a) Joint family & Coparcenary/संयुक्त परिवार और सहदायिकी से
(b) Succession/उत्तराधिकार से
(c) Adoption/दत्तक से
(d) Guardianship/संरक्षकता से

Uttarkhand (J) 2021

Ans. (c) : दत्तक मीमांसा के अनुसार पुत्र जिस पर उसका असली पिता तथा दत्तक लेने वाला दोनों अधिकार रखते है। ऐसा लड़का दोनों की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है और दोनों के कुल में विवाह नही कर सकता है। दत्तकचंद्रिका के अनुसार विधवा को यदि पति आज्ञा दे गया हो तो वह गोद ले सकती है।

54. For the validity of adoption under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 the performance of "datta homan":
किसी दत्तक की विधि मान्यता के लिए हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ''दत्त होमम्'':

(a) shall be essential/आवश्यक होगा
(b) may be essential/आवश्यक हो सकता है
(c) shall not be essential/आवश्यक नही होगा
(d) may not be be essential
आवश्यक नहीं हो सकता है

UPHESC 2021

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण, 1956 की धारा 11 के अनुसार, हिन्दू दत्तक ग्रहण के लिए दत्त होमम् आवश्यक नहीं है।

55. Given below are two statements, one labeled as Assertion (A) and the other labeled as Reason (R). Read the statements and choose the correct answer using the code given below:

Assertion (A): A child adopted under the Hindu Adoptions and Maintence Act, 1956 shall be deemed to be the child of his or her father or mother for all purposes with effect form the date of adoption.

Reason (R): A validly adopted child may renounce his or her status as such after attaining the age of 21 years and return to his/her family of birth

नीचे दिए गए है जिनमें से एक अभिकथन (A) तथा दूसरा तर्क (R) है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

अभिकथन (A): हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दत्तक लिया गया शिशु दत्तक ग्रहण की तारीख से सभी प्रयोजनों के लिए उसके पिता या माता का बच्चा माना जाएगा।

तर्क (R): विधिमान्य रूप से दत्तक लिया गया बच्चा 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर अपने इस दर्जे को त्याग सकता है और अपने जन्म के परिवार में लौट सकता है।

कूट:

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) (A) is true, but (R) is false/(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(d) (A) is false, but (R) is true/(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

UGC (NET) December, 2018

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 में दत्तक के प्रभाव का उपबन्ध किया गया है। धारा 12 के अनुसार दत्तक लिया गया शिशु दत्तक ग्रहण की तारीख से सभी प्रायोजन के लिए उसके दत्तक पिता या माता का बच्चा माना जायेगा। और अपने जन्म के कुटुम्ब से सभी सम्बन्ध समाप्त हो जायेंगे।

• धारा 15 में प्रावधान किया गया है कि विधिमान्य दत्तक रद्द नही किया जायेगा तथा दत्तक अपत्य अपनी ऐसी हैसियत का न तो त्याग कर सकता है न तो वापस अपने कुटुम्ब मे जा सकता है।

56. The adoption is to be proved as fact and the burden is on the person who asserts, is held in which of the following case?
दत्तक को एक तथ्य की तरह साबित किया जाएगा तथा इसे साबित करने का भार उस पर होगा जो उसका प्रख्यान करता है, इसे निम्नलिखित वादों में से किसमें अवधारित किया गया है?
(a) Sitabai v. Ramchandra/सीताबाई बनाम रामचन्द्र
(b) Kishori Lal v. Chaltibai/किशोरी लाल बनाम चलतीबाई
(c) Jasveer Kaur v. District Judge, Dehradun जसवीर कौर बनाम जिला जज, देहरादून
(d) Smt. Vijaya Manohar v. Kashi Rao Rajaram/श्रीमती विजया मनोहर बनाम काशीराव राजाराम

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : किशोरी लाल बनाम चलतीबाई (1959 SC) के वाद में धारित किया गया कि दत्तक को एक तथ्य की तरह साबित किया जाएगा तथा इसे साबित करने का भार उस पर होगा जो उसका प्रख्यान करता है।
हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 में दत्तक के परिणाम के बारे में प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार, दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा।

57. Which of the following sections of the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 deals with the 'rights of adoptive parents to dispose of their properties'?/हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा 'दत्तक माता-पिता द्वारा अपनी सम्पत्तियों के निपटान के अधिकार' से संबंधित है?
(a) Section 11/धारा 11 (b) Section 12/धारा 12
(c) Section 13/धारा 13 (d) Section 14/धारा 14

UGC (NET) June, 2019 Paper-II

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 13 **(दत्तक जनकों का अपनी सम्पत्त्यिों के व्ययन का अधिकार)** के अनुसार, किसी दत्तक ग्रहीता माता या पिता को जो शक्ति अपनी सम्पत्ति को अपने जीवन काल में इच्छापत्र से हस्तान्तरण द्वारा करने की है,वे दत्तक ग्रहण से वंचित नहीं हो जाते।

58. Under Hindu Law an unmarried woman adopts a child, later on she marries a man. This man shall be deemed to be the
हिन्दू विधि के अन्तर्गत एक अविवाहित हिन्दू महिला एक बच्चे का दत्तक ग्रहण करती है। बाद में वह एक व्यक्ति से विवाह कर लेती है। यह व्यक्ति उस दत्तक पुत्र का माना जाएगा
(a) natural father of her child/नैसर्गिक पिता
(b) adopted father of her child/दत्तक ग्रहीता पिता
(c) step father of her childसौतेला पिता
(d) none of bhe above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2008
UGC (NET)Oct 2022

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की **धारा 14 (4)** के अनुसार जब कोई विधवा या अविवाहित स्त्री किसी अपत्य को दत्तक लेती है, वहां कोई पति, जिससे वह तत्पश्चात विवाह करे, दत्तक अपत्य का सौतेला पिता समझा जायेगा।

59. A valid adoption under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956-
एक मान्य दत्तक को हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अनुसार–
(a) may be cancelled under Section 15/रद्द किया जा सकेगा
(b) may be postponed under Section 15/स्थगित किया जा सकेगा
(c) cannot be cancelled under Section 15/रद्द नहीं किया जा सकेगा
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2012

Ans : (c) हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधि. 1956 की धारा 15 के अनुसार, कोई भी दत्तक जो विधिमान्यतः किया गया है, दत्तक पिता या माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द न किया जा सकेगा और न वह अपने कुटुम्ब में वापस जा सकेगा।

60. Whether a valid adoption under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, can be cancelled by the adoptive father or mother or any other person?
क्या हिन्दु दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में एक विधिमान्यतः दत्तक, दत्तक पिता या माता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द किया जा सकता है ?
(a) Yes/हाँ
(b) No/नहीं
(c) Only by adoptive mother/केवल दत्तक माता द्वारा
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2018
Rajasthan (J) 2016

Ans. (b) :उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

61. Laxmikant Pandey v. Union of India, AIR 1984 SC lays down the rule regarding
लक्ष्मीकान्त पाण्डेय व भारत संघ 1984 सु. को का वाद निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धान्त प्रतिपादित करता है?

(a) Inter-country adoption/अन्तर्राष्ट्रीय (अन्तरदेशीय) दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित है
(b) Inter-caste marriage/अन्तरजातीय विवाह से सम्बन्धित
(c) Inter-religion adoption/अन्तरधार्मिक से सम्बन्धित दत्तक ग्रहण का
(d) Right to maintenance/भरण-पोषण के अधिकर से सम्बन्धित का

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (a) : लक्ष्मीकान्त पाण्डेय व भारत संघ (1984,SC) का वाद अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित हैं। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि भारतीय बच्चों को जब विदेशी माता-पिता को दत्तक दिया जायेगा तब सम्यक सतर्कता व सावधानी तथा बच्चे के भविष्य व कल्याण को प्राथमिकता दिया जायेगा।

62. Answer using the following codes:
निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर उत्तर दीजिए:
A Hindu wife is entitled to claim maintenance from her husband under the provisions of the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 if:
एक हिंदू पत्नी, हिंदू दत्तक-ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का दावा करने की पात्रता रखती है, यदि:

1. **She is unchaste but living with her husband/वह शीलभ्रष्ट है परंतु पति के साथ रह रही है**
2. **She is unchaste but not living with her husband/वह शीलभ्रष्ट है परंतु अपने पति के साथ नहीं रह रही है**
3. **She is living separate on any ground mentioned under section 18(2) of the Act/वह अधिनियम की धारा 18 (2) के अंतर्गत निहित किसी आधार पर पति से अलग रह रही है**
4. **She has converted to Muslim religion/उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है**

Codes:/कूट:
(a) 1 and 3/1 और 3
(b) 1 and 2/1 और 2
(c) 2 and 3/2 और 3
(d) 1 and 4/1 और 4

UGC (NET) June, 2015

Ans. (*) : हिन्दू दत्तक तथा भरणा पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 (2) में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसके अन्तर्गत एक पत्नी अपने भरण-पोषण के अधिकार के दावे को समपहृत किए बिना अपने पति से पृथक रह सकती है। धारा 18(3) में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई हिन्दू पत्नी शीलभ्रष्ट है तो वह अपने पति से पृथक् निवास करने और भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नही होगी।

63. Read the following statements in the light of Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 and give correct answer with the help of codes given below:
हिन्दू दत्तक ग्रहण और गुजारा भत्ता अधिनियम, 1956 के आलोक मे निम्नांकित कथनों को पढें और नीचे दिए गए कूटों की मदद से सही उत्तर दें:

1. **The obligation of husband to maintain his wife is co-extensive with his property/पत्नी की आजीविका की पति की जिम्मेदारी उसकी संपत्ति के साथ सहविस्तीर्ण होती है।**
2. **Sec. 18(2) provides for maintenance and separate residence of wife in some conditions/धारा 18 में कुछ दशाओं में पत्नी के लिए गुजारा भत्ता और पृथक आवास का प्रावधान है।**
3. **Father-in-law's obligation to maintain widowed-daughter-in-law is a personal obligation/विधवा बहु की आजीविका की ससुर की जिम्मेदारी वैयक्तिक दायित्त्व है।**
4. **An unchaste and non-Hindu wife is not entitled to maintenance/एक अपवित्र और गैर-हिन्दू पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है।**

Codes:/कूट:
(a) 1 and 4 are correct, but 2 and 3 are incorrect
1 और 4 सही है, किन्तु 2 और 3 गलत है
(b) 2 and 4 are correct, but 1 and 3 are incorrect
2 और 4 सही है, किन्तु 1 और 3 गलत है
(c) 3 and 4 are correct, but 1 and 2 are incorrect
3 और 4 सही है, किन्तु 1 और 2 गलत है
(d) 1 and 3 are correct, but 2 and 4 are incorrect
1 और 3 सही है, किन्तु 2 और 4 गलत है

UGC (NET) January, 2017

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

64. A Hindu wife may claim maintenance from her husband on which of the following grounds?
एक हिन्दू पत्नी अपने पति के भरण-पोषण का दावा निम्नलिखित में से किस स्थिति में कर सकती है?
(a) While marriage is subsisting
जब विवाह संबंध जारी हो
(b) While divorce petition is pending
जब विवाह-विच्छेद की याचिका लम्बित हो
(c) After divorce is granted
जब विवाह-विच्छेद का आदेश दे दिया गया हो
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

BPSC (APO) 2013

Ans : (a) हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 पत्नी के भरण-पोषण से सम्बन्धित है। इसके अनुसार-इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि हिन्दू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् विवाहित हो अपने जीवनकाल में अपने पति से भरण-पोषण पाने की हकदार होगी।

65. A Hindu wife is not entitled to separate residence and maintenance from her husband if she:
हिन्दू पत्नी अपने पति से अलग नहीं रह सकती तथा निर्वाह भत्ता नहीं ले सकती अगर वह–

(a) ceases to be a Hindu by conversion/हिन्दू धर्म छोड़ दे
(b) is unchaste/अपवित्र है
(c) either (A) or (B)/(a) या (b) हो
(d) neither (A) nor (B)/न (a) और न ही (b) हो

UGC (NET) December, 2011

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18(3) के अनुसार, एक हिन्दू पत्नी अपने पति से भरण-पोषण तथा पृथक आवास की हकदार नही होगी यदि वह हिन्दू धर्म त्याग दे या अपवित्र हो गयी हो।

66. A Hindu wife is entitled to claim maintenance after the death of her husband her father-in-law under:
एक हिन्दू पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात् अपने ससुर से भरण-पोषण निम्न विविध में प्राप्त करने की अधिकारिणी है-

(a) Section 25 of the Hindu Marriage Act, 1955/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अन्तर्गत
(b) Section 24 of the Hindu Marriage Act, 1955/हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अन्तर्गत
(c) Section 19 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956/हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत
(d) Section 10 of the Hindu Succession Act, 1956/हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत

UP (HJS) 2018
Rajasthan (J) 2015

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 में प्रावधान किया गया है कि कोई हिन्दू पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने श्वसुर से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी।

67. In Hindu Law, a father-in-law is bound to provide maintenance to his widowed daughter-in-law:
हिन्दू विधि में एक ससुर अपनी विधवा बहू को भरण-पोषण देने के लिए बाध्य है

(a) out of his own resources/अपने स्वयं के संसाधनों से।
(b) if the daughter-in-law is not re-married/यदि बहू का पुनर्विवाह न हुआ हो।
(c) out of coparcenary property in his possession/सहदाय सम्पत्ति में से यदि उसके पास है।
(d) she is unable to get maintenance from her father/वह अपने पिता से भरण-पोषण नहीं ले पा रही हो।

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19(2) के अनुसार- यदि श्वसुर के कब्जे में कोई सहदायिक सम्पत्ति है जिसमें पुत्र वधु को कोई अंश प्राप्त नहीं हुआ है तभी श्वसुर पुत्रवधू का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है।

68. A Hindu father-in-law is bound to maintain widowed daughter-in-law if
एक हिन्दू श्वसुर, विधवा को भरण-पोषण देने के लिए बाध्य है, यदि

(a) she is having no property or income
उसके (बहू) पास कोई सम्पत्ति का आय नहीं है
(b) she is unable to obtain maintenance
वह मृतक पति की भू संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है
(c) she cannot obtain maintenance from children
वह बच्चों से भरण-पोषण नहीं ले सकती है
(d) all of the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अनुसार, एक हिन्दू श्वसुर, विधवा को भरण-पोषण देने के लिए बाध्य है,यदि

(1) वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या उसके पास अपनी स्वयं की कोई सम्पत्ति नहीं है
(2) अपने मृतक पति या अपने पिता या माता की सम्पदा से भरण-पोषण करने में असमर्थ है
(3) अपने पुत्र या पुत्री से, या उसकी सम्पदा से भरण-पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ है।

69. The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 - The wife of a pre-deceased son is entitled to receive maintenance from her father-in-law. If she has no income and property and is unable to obtain maintenance from the following–

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 : पूर्व मृत पुत्र की पत्नी अपने श्वसुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है यदि उसके पास कोई आय तथा संपत्ति नहीं है तथा वह अपना भरण पोषण निम्नलिखित से अभिप्राप्त करने में असमर्थ है–

(a) from the estate of her deceased husband
अपने मृत पति की संपदा से

(b) from the property of his parents
अपने माता-पिता की संपदा से

(c) from his children or his estate
अपनी संतानों अथवा उनकी संपदा से

(d) all of these/इनमें से सभी

MP (HJS) 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखे।

70. Under Section 19 of the Hindu Adoption and Maintenance Act the widowed daughter-in-law will be entiled to receive maintenance–
हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत विधवा पुत्रवधु भरण-पोषण अभिप्राप्त करने की हकदार होगी–

(a) from her husband's estate
अपने पति की सम्पदा से

(b) from the property of his parents
उसके माता-पिता की सम्पदा से

(c) from the property of his father-in-law
उसके ससुर की सम्पदा से

(d) from the property of his mother-in-law
उसकी सास की सम्पदा से

MP (HJS) 2015

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 में प्रावधान है कि कोई हिन्दू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात् अपने श्वसुर से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी।
परन्तु ऐसी हकदार वह तभी होगी जब कि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो या उस दशा में जहाँ उसके पास अपनी स्वयं की कोई भी सम्पत्ति नहीं है वह निम्नलिखित में किसी से अपना भरण-पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ है–
(क) अपने पति या अपने पिता या माता की सम्पदा से, या
(ख) अपने पुत्र या पत्नी से, यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा से।

71. Under the Hindu Adoption and Maintenance Act, a mother is-
हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के अधीन माता-

(a) Entitled to live along with her son's family
अपने पुत्र के परिवार के साथ रहने की हकदार है

(b) Not entitled to live along with her son's family/अपने पुत्र के परिवार के साथ रहने की हकदार नहीं है

(c) Morally entitled to her son's care/अपने पुत्र देख-रेख के लिये नैतिक रूप से हकदार है

(d) Entitled to have separate accommodation from her son/अपने पुत्र से अलग आवास लेने की हकदार है।

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (a) : हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन माता अपने पुत्र के परिवार के साथ रहने की हकदार है क्योंकि अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अनुसार कोई हिन्दू अपने जीवनकाल के दौरान अपने वृद्ध या शिथिलांग जनकों का भरण-पोषण करने के लिए आबद्ध है यदि वह स्वयं अपने उपार्जनों या अन्य सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।

72. An illegitimate minor child under Section 20 of the Hindu Adoption and Maintenance Act is entitled to claim maintenance during his minority from
हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20 के अधीन एक अधर्मज अवयस्क अपने अवयस्कता काल में भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है

(a) Father/पिता से

(b) Mother/माता से

(c) Grandfather/दादा से

(d) Both (a) and (b)/दोनों (a) एवं (b) से

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 (2) के अनुसार, एक अधर्मज (जारज) या धर्मज (औरस) बालक जब तक अवयस्क है, वह अपने पिता या माता से भरण-पोषण पाने का अधिकारी है।

73. Given below are two statements - One is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R):
नीचे अभिकथन (A) तथा कारण (R) के रूप में दो कथन दिए गए हैंः

Assertion (A): Every Hindu is bound to maintain his or her legitimate or illegitimate minor Hindu children.

अभिकथन (A): प्रत्येक हिन्दू को अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क हिन्दु संतान का भरण-पोशण करना होगा।

Reasons (R): Under Section 20(2) of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 a legitimate or illegitimate minor child may claim maintenance from his or her father or mother

तर्क (R): हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20(2) के अंतर्गत धर्मज या अधर्मज अवयस्क अपने माता-पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है।

In the light of the above two statements choose the correct option:
उपरोक्त कथनों के अलोक में सही विकल्प चुनिए:

(a) (A) is true but (R) is false /(A) सही है लेकिन (R) गलत है
(b) (A) is false but (R) is true /(A) गलत है लेकिन (R) सही है
(c) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A) /(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही व्याख्या है
(d) Both (A) and (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही व्याख्या नहीं है

UGC (NET) December, 2019

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार इस धारा के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए यह है कि कोई हिन्दू अपने जीवन काल के दौरान अपने धर्मज या अधर्मज अपत्यों और वृद्ध या शिथिलांग जनकों का भरण-पोषण करने के लिए आबद्ध है।
धारा 10(2) के अनुसार जब तक कि कोई धर्मज या अधर्मज अप्राप्तवय रहे वह अपने पिता या माता से भरण-पोषण पाने के लिए दावा कर सकेगा।

74. Under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, a Hindu is liable during his lifetime to maintain which of the following–
हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधि. 1956 के तहत, एक हिन्दू अपने जीवन काल में निम्नलिखित में से किसके भरण-पोषण के लिये दायित्वाधीन है–

(a) His or her legitimate child/अपने वैध बच्चों का
(b) His or her illegitimate children
अपने अवैध बच्चों का
(c) His old or infirm parents
अपने वृद्ध या शिथिलांग जनकों का
(d) All of the above/उपरोक्त में से सभी

MP (HJS) 2013

Ans. (d) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार एक हिन्दू अपने जीवनकाल के दौरान अपने धर्मज या अधर्मज अपत्यों और वृद्ध या शिथिलांग जनको का भरण-पोषण करने के लिए आबद्ध है।

75. Under Section 20 of the Hindu Adoption and Maintenance Act, a Hindu is bound during his/her lifetime to maintain
हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत एक हिन्दू अपने जीवनकाल में भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है-

(a) his or her legitimate or illegitimate children
अपने धर्मज अथवा अधर्मज बच्चों का
(b) his or her aged or infirm parents
अपने बूढ़े अथवा अपंग माता-पिता का
(c) his or her daughter who is unmarried
अपनी पुत्री का जो अविवाहिता है
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

BPSC (APO) 2013

Ans : (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें

76. Who has no right of maintenance?
इनमें से किसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं होगा?

(a) Unmarried Daughter/अविवाहित पुत्री
(b) Poor parents/निर्धन माता-पिता
(c) Physically disabled major son
शारीरिक रूप से असमर्थ वयस्क पुत्र
(d) Widow Daughter/विधवा पुत्री

27th BPSC (J) 2011

Ans. (d) : हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत अविवाहित पुत्री, निर्धन माता, शारीरिक रूप में असमर्थ वयस्क पुत्र भरण-पोषण की माँग कर सकते हैं। जबकि विधवा पुत्री भरण–पोषण की माँग नहीं कर सकती है।

77. Under the provisions of Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, a Hindu is not bound to maintain:
हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक हिन्दू भरण-पोषण करने के लिए आबद्ध नहीं है–

(a) His minor illegitimate child/अपने अवयस्क अधर्मज का
(b) His major legitimate child/अपने वयस्क धर्मज का
(c) His aged or inform parents, who are unable to maintain themselves./अपने वृद्ध एवं शिथिलांग जानकों का, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हों।
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं।

Rajasthan (DJC) 2018

Ans. (b) : हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20(2) के अनुसार, कोई हिन्दू अपने धर्मज या अधर्मज अप्राप्तव्य के भरण पोषण के लिए दायी है न कि वयस्क संतान के भरण पोषण के लिए।

78. Under Hindu Adoptions & Maintenance Act, 1956 A Hindu is bound, during his or her life time, to maintain–
हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत, एक हिन्दू अपने जीवनकाल में निम्नलिखित में किसके भरण-पोषण के लिए दायित्वाधीन है–

(a) his or her legitimate children
अपने वैध बच्चों का
(b) his or her illegitimate children
अपने अवैध बच्चों का
(c) his or her aged or infirm parents
अपने वृद्ध या शिथिलांग जनकों का
(d) All of these/ये सभी

MP (HJS) 2020

Ans. (d) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) के अनुसार, कोई हिन्दू अपने जीवनकाल के दौरान अपने धर्मज या अधर्मज अपत्यों और वृद्ध या शिथिलांग जनकों का भरण-पोषण करने के लिए आबद्ध है।

79. Is the daughter bound to maintain her aged or infirm parents like the son?
पुत्री भी पुत्र के समान अपने वृद्ध एवं अशक्त माता-पिता के भरण-पोषण हेतु दायी हैः

(a) Yes/हाँ
(b) No/नहीं
(c) Never/कभी नहीं
(d) Only under order of Court/केवल न्यायालय के आदेश के तहत

Bihar (HJS) 2015

Ans. (a) : विजय मनोहर अरबट बनाम काशी शव राजाराम सवाई (1987 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि पुत्री चाहे विवाहित हो अथवा अविवाहित यदि पर्याप्त साधनों वाली है तो वह अपने माता-पिता को जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, भरण-पोषण हेतू दायी है।

80. The presumption is case of Hindu Adoption and Maintenance Act is not correct under maintenance in the case of 17 years old unmarried daughter?/हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण के मामले में उपधारणा 17 वर्षीय अविवाहित पुत्री की दशा में भरण-पोषण के अन्तर्गत क्या सही नही है?

(a) Education/शिक्षा
(b) Medical care/चिकित्सा परिचर्या
(c) Reasonable expenses of marriage
विवाह की युक्तियुक्त व्यय
(d) Accommodation/आवास

MP (HJS) 2016

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20 में अपत्यों (children) के भरण-पोषण से संबंधित उपबंध किया गया है।
प्रस्तुत समस्या में एक 17 वर्षीय अविवाहित पुत्री की दशा मे ंभरण-पोषण के अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा परिचर्या तथा आवास सही है, किन्तु यदि अविवाहित पुत्री 18 वर्ष या अधिक उम्र की होती तो उपरोक्त के साथ विवाह का युक्तियुक्त व्यय भी भरण पोषण के अंतर्गत आता।

81. Under which of the following Section of the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 a Hindu is bound to maintain his or her aged or infirm parents?
हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा एक हिन्दू को अपने/अपनी वृद्ध या दुर्बल माता-पिता का भरण पोषण के लिए आबद्ध करती है?

(a) Section 19/धारा 19
(b) Section 20/धारा 20
(c) Section 21/धारा 21
(d) Section 18/धारा 18

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (b) हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार, कोई हिन्दू अपने जीवनकाल के दौरान अपने औरस या जारज बालकों और वृद्ध या दुर्बल जनकों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है।

82. Which one of the following Sections of the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 defines "dependants"?
हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण, अधिनियम, 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा 'आश्रितों' को परिभाषित करती है?

(a) Section 24/धारा 24
(b) Section 23/धारा 23
(c) Section 22/धारा 22
(d) Section 21/धारा 21

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण, अधिनियम, 1956 की धारा 21 में 'आश्रितों' (Dependants) को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार, आश्रितों से मृतक के निम्नलिखित नातेदार अभिप्रेत है-
1. उसका पति,
2. उसकी माता,
3. उसकी विधवा,
4. उसकी अविवाहित पुत्री,
5. उसकी विधवा पुत्री,
6. अपने पुत्र या पूर्वमृत पुत्र के पुत्र की विधवा,
7. उसका अप्राप्तव्य अधर्मज पुत्र,
8. उसकी अधर्मज पुत्री।

83. Under Section 21 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 word 'dependent' means:
हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अन्तर्गत 'आश्रित' शब्द का अर्थ है:
(a) Father only/केवल पिता
(b) Mother only/केवल माता
(c) Widow, so long as she does not remarry
विधवा, जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले
(d) All of these/ये सभी

Uttarkhand (J) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

84. Match the items of List-I with the items of List-II and choose the correct answer from the code given below
हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 के संबंध में सूची-I का मिलान सूची-II से करें और नीचे दिए गये कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर दें–

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A.	Maintenance of wife पत्नी का भरण-पोषण	1.	Sec. 19 धारा 19
B.	Maintenance of Widowed daughter -in-law विधवा बहु का भरण-पोषण	2.	Sec, 22 धारा 22
C.	Maintenance of parents and children माता-पिता और बच्चों का भरण-पोषण	3.	Sec. 18 धारा 18
D.	Maintenance of dependants आश्रित व्यक्तियों का भरण-पोषण	4.	Sec 20 धारा 20

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	3	1	4	2
(b)	1	3	2	4
(c)	4	2	1	3
(d)	2	1	4	3

UGC (NET) July 2018
UGC (NET) December, 2015

Ans. (a) :सूमेलित सूची निम्न है-

(a)	पत्नी का भरण-पोषण	-	धारा 18
(b)	विधवा बहु का भरण-पोषण	-	धारा 19
(c)	माता-पिता एवं बच्चों का भरण पोषण	-	धारा 20
(d)	आश्रित व्यक्तियों का भरण पोषण	-	धारा 22

85. As per Hindu law, who among the following is not entitled for maintenance?
हिन्दू विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भरण-पोषण पाने के लिए अधिकृत नहीं है?
(a) Divorced wife /तलाकशुदा पत्नी
(b) Judicial separated wife
न्यायिक रूप से पृथक पत्नी
(c) A wife who has ceased to be Hindu
एक पत्नी जो हिन्दू नहीं रह गयी है
(d) All of these/ये सभी

Uttarkhand (J) 2021

Ans. (c) : हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 24 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि वह किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिन्दू न रह गया हो तो वह भरण-पोषण का दावा करने का हकदार न होगा।
अतः एक पत्नी जो हिन्दू नही रह गई है भरण पोषण का दावा नही कर सकती है।

86. Maintenance order under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 under Section 27 will be
हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन धारा 27 में दिया गया भरण-पोषण आदेश होगा–
(a) like a surety/एक प्रतिभू की तरह
(b) like a pre-emption/एक अग्रक्रयाधिकार की तरह
(c) like a charge/एक भार की तरह
(d) like a deposit/एक निक्षेप की तरह

BPSC (APO) 2012

Ans : (c) हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधि. 1956 की धारा 27 में दिया गया भरण-पोषण आदेश, मृतक की सम्पदा पर एक भार की तरह होगा।

मुस्लिम विधि/(Muslim Law)

अध्याय -1

साधारण उपबंध (General Provision)

1. **In respect of family relations, the law applicable in India is-/भारत में पारिवारिक संबंधों में लागू होने वाला कानून है-**
   (a) Secular law in India/भारत में पंथनिरपेक्ष विधि
   (b) Statutory law/सांविधिक विधि
   (c) Religious law/धार्मिक विधि
   (d) Personal law of the parties
   पक्षकारों की वैयक्तिक विधि

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : भारत वर्ष में परिवारिक मामलें में वैयक्तिक विधि (Personal law) लागू होती है तथा वैयक्तिक विधि देश की सामान्य विधि पर अभिभावी होती है। वैयक्तिक विधि से तात्पर्य है किसी धर्म विशेष को लागू होने वाली विधि से है।

2. **Under the Muslim Law, marriage is regarded as a-**
   मुस्लिम विधि में विवाह को माना जाता है, एक-
   (a) Sacrament/संस्कार
   (b) Contract/संविदा
   (c) Social need/सामाजिक आवश्यकता
   (d) Tradition/परम्परा

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (b) : सबरुनिशा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय देते हुए न्यायाधीश मित्तर ने कहा कि-मुस्लिम विधि में विवाह विक्रय संविदा के समान एक सिविल संविदा है। **अब्दुल कादिर बनाम सलीमा** के मामले में **जस्टिस महमूद** ने कहा कि ''मुसलमानों में निकाह एक संस्कान न होकर विशुद्ध रूप से सिविल संविदा है।''

3. **A muslim goes to any country of the world-**
   एक मुसलमान दुनिया के किसी भी देश में:
   (a) With his personal law
   अपने वैयक्तिक कानून के साथ जाता है
   (b) Without his personal law
   अपने वैयक्तिक कानून के बिना जाता है
   (c) Leaving his personal law in his country/अपने वैयक्तिक कानून को अपने देश में छोड़कर जाता है
   (d) With an object of obeying the laws of the country concern which includes personal law/संबंधित देश के कानूनों के अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसमें वैयक्तिक कानून शामिल है

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : एक मुसलमान दुनिया के किसी भी देश में संबंधित देश के कानूनों के अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसमें वैयक्तिक कानून शामिल है।

4. **Who said, "Divorce good in law though bad in Theology"?/यह कथन किसका है कि ''तलाक धर्म से सही नहीं है परन्तु विधि में सही है''?**
   (a) Justice Mittar/न्यायमूर्ति मित्तर
   (b) Justice Bachloar/न्यायमूर्ति बेचोलर
   (c) Justice Beharul Islam/न्यायमूर्ति बहारुल इस्लाम
   (d) Justice Amir Ali/न्यायमूर्ति अमीर अली

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : तलाक धर्म में सही नहीं है परन्तु विधि में सही है यह कथन माननीय न्यायमूर्ति बहरूल इस्लाम महोदय जी का है यह भारतीय संसद के सदस्य और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। (**शमीम आरा बनाम स्टेट ऑफ यूपी**)

5. **Which on of the following was appointed as Khalifa after the death of Mohammad Sahib, the Prophet/पैगम्बर मोहम्मद साहब की मृत्योपरांत निम्न में से किसको खलीफा नियुक्त किया गया?**
   (a) Abu Hanifa/अबू हनीफा
   (b) Ummar/उमर
   (c) Abu Bakr/अबू बकर
   (d) Ali sahib/अली साहब

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : अबू बकर जो आयशा बेगम के पिता थे अर्थात् मोहम्मद साहब के ससुर को सुन्नी मुस्लमानों द्वारा प्रथम खलीफा नियुक्त किया गया। सुन्नी चुनाव समर्थक थे, जबकि शिया चुनाव विरोधी थे तथा शिया ''अली'' को अपना प्रथम इमाम घोषित किये थे।

6. **Muslim Jurisprudence is known as**
   मुस्लिम विधिशास्त्र को जाना जाता है
   (a) Fiqh/फिक्ह से
   (b) Qiyas/क्यास से
   (c) Koran/कुरान से
   (d) None of the above/उपरोक्त में से किसी से नहीं

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (a) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत फिक्ह का शाब्दिक अर्थ है - प्रज्ञा यानी तीव्र वृद्धि। फैजी के अनुसार, फिक्ह मनुष्य के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों की जानकारी है, जो उसे कुरान, सुन्ना या कियास के निष्कर्षित नियम से प्राप्त किया हो। विधिशास्त्र का पुरा विज्ञान फिक्ह कहलाता है।

7. **Which is not a place of public worship?**
निम्न में से कौन सा स्थान आम पूजा का स्थान नहीं है?
(a) Mosque/मस्जिद
(b) Imambara/इमामबाड़ा
(c) Dargah/दरगाह
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : मुस्लिमों में इमामबाड़ा आम पूजा का स्थान नहीं है। इमामबाड़ा का सामान्य अर्थ है वह पवित्र स्थान या भवन जो विशेष रूप से हजरत अली (हजरत मुहम्मद के दमाद) तथा उनके बेटों हसन तथा हुसैन के स्मारक के रूप में बनाया जाता है, जबकि मस्जिद, दरगाह, आम पूजा स्थान है।

8. **Under Muslim Law, marriage is**
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाहः
(a) an institution legalising male and female conjugal relations/एक संस्था है जो कि स्त्री और पुरुष के दाम्पत्य सम्बन्धों को वैध बनाता है।
(b) a civil contract/एक सिविल संविदा है।
(c) Sunnet/एक सुन्नत है।
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में विवाह की प्रकृति संविदात्मक प्रतीत होती है क्योंकि संविदा के समान तत्व शामिल होते है, जैसे कि इजाब (प्रस्ताव), कबूल (स्वीकृति), मेहर (प्रतिफल)। इसे एक पवित्र संस्था भी माना जाता है क्योंकि दाम्पत्य सम्बन्धों को वैधता प्रदान करती है। चूंकि पैगम्बर मोहम्मद साहब ने विवाह किया था अतः यह उनका एक सुन्नत है।

9. **Who has observed "Muslim Marriage is both a civil contract and a religious sacrament"?**
किसने प्रेक्षित किया है कि ''मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा'' एवं एक धार्मिक संलेख दोनों हैं''?
(a) AmirAli/अमीर अली
(b) Dr. Jang/डॉ. जंग
(c) Justice Sir Shah Sulaiman
जस्टिस सर शाह सुलेमान
(d) Justice Mahmood/जस्टिस महमूद

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (c) अनीस बेगम बनाम मुहम्मद मुस्तफा (1885 Ald. H.C.) के वाद में जस्टिस सुलेमान ने धारित किया है कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा और एक धार्मिक संस्कार दोनों है।

10. **Marriage in Islam is a**
इस्लाम में विवाह है, एक
(a) Contract/अनुबन्ध (संविदा)
(b) Sacrement/संस्कार
(c) Contract as well as sacrement
अनुबन्ध (संविदा) और संस्कार
(d) Neither contract nor sacrement
न अनुबन्ध न ही संस्कार

Uttarakhand (J) 2011
27th BPSC (J) 2011

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. **Muslim Law does not apply to which of the following?**
मुस्लिम विधि निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है?
(a) Gifts/दान पर
(b) Maintenance/भरणपोषण पर
(c) Trust and Trust Properties
न्यास एवं न्यास सम्पत्तियों पर
(d) Succession to agricultural land
कृषि भूमि का उत्तराधिकारी पर

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम 1937 की धारा 2 में वो विषय बताये गये हैं जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है। ये विषय निम्नलिखित है-
1. विवाह
2. विवाह-विघटन (जिसमें तलाक इला. जिहार, लियान, खुला तथा मुबारत आते हैं।
3. भरण पोषण
4. मेहर
5. संरक्षकता
6. दान
7. न्यास तथा न्यास सम्पत्ति और
8. वक्फ

अतः मुस्लिम विधि कृषि भूमि से संबंधित उत्तराधिकार मामलों में लागू नहीं होती है।

12. **Islamic Law is called:**
इस्लामिक विधि कहलाती है-
(a) Hadith/हादिथ
(b) Sharia/शरिया
(c) Ijma/इजमा
(d) Sunna/सुन्ना

UP (HJS) 2018 Part-III

Ans. (b) : इस्मालिम विधि शरिया कहलाती है। शरीयत का शब्दिक अर्थ है अनुसरणीय मार्ग, अर्थात् जो अनुकरण करने योग्य है। पैगम्बर मुहम्मद की परम्पराओं को 'सुन्ना' या 'हदीस' कहते हैं। ये मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत है। विधिवेत्ताओं के मतैक्य निर्णय को इज्मा कहते हैं, ये भी मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत है।

13. **Prophet Mohammad is the:**
पैगम्बर मुहम्मद हैं-
(a) founder of Islam/इस्माल के संस्थापक
(b) first messenger of God/खुदा के पहले पैगम्बर
(c) final messenger of God/खुदा के अन्तिम पैगम्बर
(d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (b) : पैगम्बर मुहम्मद खुदा के पहले पैगम्बर हैं, जिन्होंने दैवी-संदेशों को समाज के लोगों को सुनाया और उनके अनुयायियों ने इसे याद कर लिया या लिपिबद्ध कर लिया। इन्हीं दैवी-संदेशों का सकंलन ही कुरान कहलाता है।

14. In Islamic Law "Faskh" means
इस्लामी कानून में 'फस्ख' का अर्थ हैः

(a) Restitution of conjugal rights/दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन
(b) Judicial separation/न्यायिक अलगाव
(c) Dissolution or rescission of the contract of marriage by judicial decree at the instance of the husband/पति के कहने पर न्यायिक डिक्री द्वारा विवाह के संविदा का विघटन या निरसन
(d) Dissolution on rescission of the contract of marriage by judicial decree at the instance of the wife/पत्नी के कहने पर न्यायिक डिक्री द्वारा विवाह के संविदा का विघटन या निरसन

UGC (NET) June, 2012 Paper-III

Ans. (d) : किसी न्यायालय के आदेश द्वारा विवाह-विच्छेद न्यायिक विवाह विच्छेद कहलाता है। मुस्लिम विधि में न्यायिक विवाह-विच्छेद को फस्क कहते हैं। मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 में एक आधार है कि कोई पत्नी, जिसका विवाह मुस्लिम विधि के अनुसार हुआ हो, न्यायिक विवाह-विच्छेद करा सकती है।

15. In Islamic Law, marriage is both 'Ibadatt' and 'Mammulat'. Who said this?/इस्लामिक विधि में यह कथन किसका है?
''विवाह एक इबादत एवं मामलात है।'' यह किसने कहा?

(a) Amir Ali Justice/अमीर अली जस्टिस
(b) Dr. Fayzee/डॉ. फेजी
(c) Abdur-Rahim/अब्दुल रहीम
(d) Mahmood Justice/महमूद जस्टिस

UGC (NET) June, 2013 Paper-III

Ans. (c) : प्रसिद्ध मुस्लिम विधिशास्त्री अब्दुल रहीम ने यह कथन किया था कि इस्लामिक विधि में ''विवाह एक इबादत एवं मामलात है।''

16. Islamic law in Indian provides for:
भारत में इस्लामिक विधि उपबंधित करती हैः

(a) Monogamy/एकपत्नीत्व
(b) Unlimited Polygamy/असीमित बहुपत्नीत्व
(c) Controlled Polyandry/नियंत्रित बहुपतित्व
(d) Controlled Polygamy/नियंत्रित बहुपत्नीत्व

UGC (NET) December, 2018 Paper-II

Ans. (d) : भारत में इस्लामिक विधि नियंत्रित बहुपत्नीत्व की व्यवस्था है। कोई भी मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकता है।
शिया विधि के अंतर्गत पाँचवा विवाह शून्य होता है तथा सुन्नी विधि के अंतर्गत पाँचवा विवाह अनियमित होता है।

17. Prophet Mohammad's journey to Madina marks the beginning of a new era called:
पैगम्बर मोहम्मद साहब के मदीना की यात्रा को एक नये युग का सूत्रपात कहा गया हैः

(a) Ramadan /त्यजन (b) Shaaban/शबान
(c) Hegira /हिजरी (d) Shavval/शबाल

Bihar (HJS) 2015

Ans. (c) : पैगम्बर मोहम्मद साहब द्वारा दैवी-संदेश प्रचारित करने के उद्देश्य से मक्का से मदीना की धार्मिक यात्रा (हिजरत) सन् 622 ई. में की गई जिससे एक नये युग हिजरी संवत् का सूत्रपात हुआ।

18. In Muslim law, marriage is:
मुस्लिम विधि में विवाह हैः

(a) A sacrament/एक संस्कार
(b) A civil contract/एक सिविल संविदा
(c) A divine act/एक दैविक क्रिया
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Bihar (HJS) 2015

Ans. (b) : मुस्लिम विधि में विवाह एक सिविल संविदा है। **अब्दुल कादिर बनाम सलीमा (1886 इला.)** के वाद में **न्यायमूर्ति महमूद** ने अवधारित किया कि, मुस्लिमों में विवाह शुद्ध रूप में एक संविदा है, यह कोई संस्कार (sacrament) नहीं है।
मुस्लिम विधि में विवाह को संविदा माना जाता है तथा इस संविदा का उद्देश्य (1) सम्भोग को वैधानिकता तथा (2) संतान को औरसता प्रदान करना है।
अनीस बेगम बनाम मु. इस्तफा हुसैन (1933 इला.) के वाद में **न्यायमूर्ति सुलेमान** ने कहा कि संविदा के अतिरिक्त मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार भी है।

19. Which of the following statements is incorrect?
इनमें से कौन सा कथन असत्य हैः

(a) There is no concept of joint family under the Muslim Law/मुस्लिम विधि के अन्तर्गत संयुक्त परिवार का प्रावधान नहीं है
(b) Muslim Law does not recognize concept of right by birth in the property of the father in favour of the son during his life time
मुस्लिम विधि में पिता के जीवन काल में पुत्र का सम्पत्ति में जन्मतः अधिकार के सिद्धान्त को मान्यता नहीं देता
(c) Father under Muslim Law enjoys full power of alienation over the property/मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पिता को पूर्ण रूप से सम्पत्ति अन्तरण द्वारा उपभोग की शक्ति है
(d) None of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं

Bihar (HJS) 2018

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार या संयुक्त सम्पत्ति नहीं होती क्योंकि हिन्दू विधि की तरह सहदायिकी की संकल्पना मुस्लिम विधि में नहीं है। मुस्लिम विधि में जन्मतः अधिकार का सिद्धान्त मान्य नहीं है। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में सम्पत्ति का कोई भी हित तब तक निहित नहीं होता जब तक कि उस व्यक्ति का देहान्त न हो जाए जिसका वह उत्तराधिकारी है।
मुस्लिम विधि में स्वअर्जित सम्पत्ति तथा पैतृक सम्पत्तियों के उत्तराधिकार के अलग-अलग नियम नहीं है । किसी मुस्लिम मृतक की सभी संपत्तिया चाहे वह स्वअर्जित हो या उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त पूर्वजों की संपत्तियां हो उसकी निजी संपदा मानी जाती है और मृतक के उत्तराधिकारीगण इन्हे उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त करते है।

20. "Muslim marriage is a religious sacrament too," It was laid down in
''मुस्लिम विधि में विवाह एक धार्मिक संस्कार भी है।'' यह प्रतिपादित किया गया था–

(a) Maina Bibi v. Chaudhary Vakil Ahmad, 1925, PC/मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद, 1925, PC में
(b) Shah Bano Case, 1986 SC
शाहबानो वाद, 1956, PC में
(c) Mohd Khan v. Husaini Begum 1906, PC
मो. खान बनाम हुसैनी बेगम 1906, PC में
(d) Anis Begum v. Mustafa (1933) ILR 55 All 733/अनीस बेगम बनाम मुस्तफा (1933), ILR 55

BPSC (APO) 2012

Ans : (d) अनीस बेगम बनाम मुस्तफा के वाद में **जस्टिस सुलेमान** ने अवधारित किया कि मुस्लिम विधि में विवाह एक सिविल संविदा मात्र ही नही एक धार्मिक संस्कार भी है।

अध्याय -2
मुस्लिम विधि के स्रोत
(Sources of Muslim Law)

1. Which of the following are sources of Muslim Law?
निम्नांकित में से कौन मुस्लिम विधि का स्रोत है?
(a) Quran/कुरान
(b) Ijmaa/इज्मा
(c) Kiyas (Qiyas)/कियास
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : कुरान, इज्मा, कियास उपरोक्त तीनों ही मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत है।

2. Which one is not a source of Muslim Law?
कौन मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं है?
(a) The Quran/कुरान (b) Shariat/शरियत
(c) Hadis/हादिस (d) Ijmaa/इज्मा

Uttarakhand (J) 2002, 2006

Ans. (b) : मुस्लिम विधि के दो स्रोत है

- प्राथमिक स्रोत
  - कुरान
  - अहादीस या हदीस
  - इज्मा
  - कयास
- द्वितीयक स्रोत
  - रिवाज
  - न्यायिक निर्णय
  - विधायन

उपरोक्त विवेचना के आधार पर शरियत मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है।

3. Which one of the followng is not a source of Muslim Law?
निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है?
(a) Quran/कुरान (b) Sunnat/सुन्नत
(c) Ijma/इज्मा (d) Shruti/श्रुति

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. The main sources of Muslim law are, Holy Quran, Sunna & Ahadhis and Ijmaa.
मुस्लिम विधि के मुख्य स्रोत पवित्र कुरान, सुन्ना, अहदीस और इज्मा हैं–
(a) True/सत्य
(b) False/मिथ्या
(c) Partly true and partly false
आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से मिथ्या
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2010

Ans. (a) : मुस्लिम विधि के स्रोतों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है-
1. प्राथमिक स्रोत-
(A) कुरान (B) सुन्ना/अहादिस (C) इज्मा (D) कयास
2. द्वितीय स्रोत-
(A) प्रथाएं (B) न्यायिक-निर्णय (D) विधान

5. Sources of Muslim Law are
मुस्लिम कानून के स्रोत है–
1. The Koran/कुरान, 2. The Ismaa/इज्मा,
3. The Hadis/हदीस, 4. The Kiyas/कियास।
इनके सही क्रम का चयन कीजिये।
(a) 1, 2, 4 and 3/1, 2, 4 और 3
(b) 1, 3, 2 and 4/1, 3, 2 और 4
(c) 1, 4, 3 and 2/1, 4, 3 और 2
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) September, 2013 Paper-II

Ans. (b) : मुस्लिम कानून के प्राथमिक स्रोत का सही क्रम निम्न हैं-
1. कुरान
2. सुन्नत और हदीस
3. इज्मा
4. कियास

6. According to Sunni Law, the chief sources of Muslim Law are:
सून्नी विधि के अनुसार मुस्लिम विधि के मुख्य स्रोत हैः-

(a) Quran, Judicial Precedents, Ijima, Qiyas
कुरान, न्यायिक पूर्व-निर्णय, इज्मा, क्यास
(b) Quran, Ahdis, Ijima, Qiyas
कुरान, अहदिस, इज्मा, क्यास
(c) Ijma, Ahdis, Custom, Legislation
इज्मा, अहदिस, प्रथा, विधायन
(d) Quran, Equity, Ahdis, Ijma
कुरान, साम्या, अहदिस, इज्मा

BPSC (APO) 2013

Ans : (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. Which of the following is not the main source of the Muslim Law?
निम्न में से कौन मुस्लिम विधि का प्रमुख स्रोत नहीं है?
(a) Sunna/सुन्ना
(b) Ijma/इज्मा
(c) Justice, Equity and Good Conscience
न्याय, साम्य एवं विवेक
(d) Custom/रूढ़ि

BPSC (APO) 2012

Ans : (c) मुस्लिम विधि के 8 प्रमुख स्रोत हैं, जिसको प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों में बांटा गया है।
प्राथमिक स्रोत - (1) कुरान (Quran)
(2) सुन्नाह/अहादिस (Sunnah/Ahadis)
(3) इज्मा (Ijmaa)
(4) कियास (Qiyas)
द्वितीयक स्रोत - (1) रुढ़ि एवं प्रथा (Custom & Usages)
(2) न्यायिक निर्णयन (Judicial dicision)
(3) विधायन (legislation)
(4) न्याय, साम्या एवं विवेक (Justice, Equity and good conscience)

8. Which of the following is the most important source of Muslim law:
निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि का महत्त्वपूर्ण स्रोत है?
(a) Qiyas/कयास (b) Ijmaa/इज्मा
(c) Sunnah/सुन्न (d) Quran/कुरान

UP (HJS) 2016

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के चार प्राथमिक स्रोतों में सर्वोच्च तथा सांवत्रिक प्रमाण कुरान है। उसमें उल्लाह के द्वारा अपने पैगम्बर को दिया गया दैवी संदेश निहित है।

9. Among the sources of Muslim Law, the foremost is
मुस्लिम विधि के स्रोतों में सर्वोत्तम है
(a) Sunna/सुन्ना (b) Ijma/इज्मा
(c) Qiyas/कियास (d) Koran/कुरान

Bihar (J) 2020

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. What are the main sources of the Muslim Law?
मुस्लिम विधि के मुख्य स्रोत कौन-से हैं?
(a) Koran/कुरान
(b) Sunnat and Ahadis/सुन्नत और आह्दीस
(c) Ijma and Qiyas/इज्मा और कियास
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

29th BPSC (J) 2017

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है–

(a) प्रधान स्रोत	(b) गौण स्रोत
1. कुरान	1. रूढ़ि
2. सुन्नत या अहादिस	2. न्यायिक विनिश्चय
3. इज्मा	3. विधायन
4. कयास	4. न्याय, साम्या और सद्विवेक

11. Which one of the following is not a secondary source of Muslim Law?
निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का द्वितीयक स्रोत नहीं है?
(a) Custom/रूढ़ि
(b) Judicial decisions/न्यायिक निर्णय
(c) Ijma (consensus of Opinions)
इजमा (विचारों की आम राय)
(d) Justice, Equity and Good Conscience
विवाह विधिविरुद्ध है।

Uttarakhand (J) 2012, 2016

Ans : (c) मुस्लिम विधि के निम्नलिखित स्रोत हैं-
1. प्राथमिक स्रोत- कुरान, सुन्ना, इज्मा तथा कयास।
2. द्वितीयक स्रोत- प्रथाएँ, न्यायिक निर्णय तथा विधायन।
इस प्रकार इज्मा मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत है न कि द्वितीयक।

12. 'Ijma' as a source of Muslim Law means
मुस्लिम विधि के एक स्रोत 'इज्मा' का अर्थ है
(a) unanimous opinion of the Muslim jurists
मुस्लिम विधिवेत्ताओं की सर्वसम्मत राय
(b) tradition of prophet/पैगम्बर साहब की परम्परा
(c) analogical deduction through reasoning
तर्क द्वारा सादृश्य निष्कर्ष
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2013

Ans : (a) मुस्लिम विधि के स्रोत 'इज्मा' का अर्थ है- मुस्लिम विधिवेत्ताओ की सर्वसम्मत राय।
पैगम्बर साहब की परम्परा को सुन्नत कहते हैं।
तर्क द्वारा सादृश्य निष्कर्ष को क्यास कहते हैं।

13. Who applied Qiyas for the first time as source of Muslim Law?
कियास को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में पहली बार किसने लागू किया?
(a) Imam Abu Hanifa/इमाम अबु हनिफा
(b) Imam Yusuf/इमाम युसुफ
(c) Imam Jafer/इमाम जाफर
(d) Imam Ahmad/इमाम अहमद

28th BPSC (J) 2014
BPSC (APO) 2011
Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : अबू हनीफा, सुन्नी हनफी मसलक (हनफी स्कूल) इस्लामी न्यायशास्त्र के संस्थापक थे। वह प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे। जैदी शिया मुसलमानों में इन्हें प्रसिद्ध विद्वान के रूप में माना जाता है। इन्होंने ही कियास को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में शामिल किया।

14. Which of the followig is not a primary source of Muslim Law?
निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का प्रारम्भिक स्रोत नहीं है?

(a) Quran/कुरान
(b) Urf or Taamul/उर्फ या तामूल
(c) Ijma/इज्मा
(d) Qiyas/कियास

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : मुस्लिम विधि के स्रोत के दो भागों में विभाजित किया जाता है।

प्राथमिक स्रोत	**द्वितीयक स्रोत**
कुरान	रिवाज
हदीस	विधान
इज्मा	न्यायिक निर्णय
कयास	

जबकि उर्फ या तामूल मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है।

15. Which is the secondary source of Muslim Law under the following?
निम्नलिखित में से कौन-सा मुस्लिम विधि का गौण स्रोत है?

(a) Custom/रिवाज (रूढ़ि)
(b) Ijmaa/इज्मा
(c) Qiyas/कियास
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

28th BPSC (J) 2014
Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

16. Which of the following is no longer an important source of Muslim Law in India?
निम्नलिखित में से कौन अब भारत में मुस्लिम कानून का महत्त्वपूर्ण स्रोत नहीं रहा?

(a) Ijma/इज्मा
(b) Customs and Usages/रूढ़िया और प्रथाएँ
(c) Sunna/सुन्नाह
(d) Judicial Decisions/न्यायिक निर्णय

UGC (NET) September, 2016 Paper-II

Ans. (b) : मुस्लिम कानून के महत्वपूर्ण स्रोत– कुरान, सुन्ना या अहादिस, इज्मा तथा कयास है। रूढ़िया और प्रथाएँ अब भारत में मुस्लिम कानून का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं रहा।

अध्याय -3

मुस्लिम विधि की विचार पद्धतियाँ

(Schools of Muslim Law)

1. Which one of the following is not a school of Sunni Law?
निम्न में से कौन सुन्नी विधि की एक शाखा नहीं है?

(a) Hanbali/हनबली (b) Maliki/मलिकी
(c) Shafei/सैफई (d) Mutazilas/मुताजिलास

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में शिया, सुन्नी तथा मोताजिला तीन मुख्य सम्प्रदाय है। सुन्नी सम्प्रदाय में 4 उपशाखा है—
1. हनफी, 2. मालिकी, 3. सैफई/शफी तथा 4. हनबली।
जबकि, शिया सम्प्रदाय में 3 उपशाखा है—
1. अथना असारिया, 2. इस्मालिया तथा 3. जैदिया।
मोताजिला सम्प्रदाय में कोई उपशाखा नहीं है।

2. Which of the following is not the School of Muslim Law?
निम्नलिखित में से कौन-सी अवधारणा मुस्लिम विधि की नहीं है?

(a) Hanafi/हनफी (b) Maliki/मालिकी
(c) Hanabali/हम्बली (d) Zaida/जैदा

UGC (NET) June, 2019

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत हनफी, मलिकी तथा हनबली मुस्लिम विधि की शाखाएं हैं, परंतु जैदा मुस्लिम विधि की शाखा के अंतर्गत नहीं आती है।

3. Among Muslims which school does not mention minimum amount of dower?
मुस्लिम विधि की किस स्कूल (शाखा) में मेहर की न्यूनतम धनराशि का उल्लेख नहीं है?

(a) Hanafi/हनफी
(b) Maliki/मलिकी
(c) Shafei/सैफी
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) मुस्लिम विधि में सुन्नी सम्प्रदाय के हनफी और मलिकी शाखा में मेहर की न्यूनतम धनराशी का उल्लेख है, जोकि हनफी में न्यूनतम 3 दिरहम से कम नहीं और मलिकी में 10 दिरहम से कम नहीं होगा। सफी शाखा में न्यूनतम धनराशि का उल्लेख नहीं है।

4. **Which one is not a recognized branch of Sunni School of Muslim Law?**
निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि की सुन्नी शाखा की मान्य शाखा नहीं है?
(a) Ithana Ashari/इथना असारी
(b) Hanafi/हनाफी
(c) Maliki/मालिकी
(d) Shafei/शफैयी

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (a) :

- इस्लाम
  - सुन्नी
    - हनफी
    - मलिकी
    - सफी
    - हनबली
  - शिया
    - इथना असारी -
      - अखबरी
      - उसूली
    - इसमाइलिया
      - खोजा
      - बोहरा
    - जैदिया
  - मोताजिला

अतः इथना असारी शिया शाखा की मान्य शाखा है, जबकि अन्य सुन्नी की मान्य शाखा है।

5. **In Shia School of Muslim Law the amount of Mehar is**
मुस्लिम विधि की शिया विचारधारा के अन्तर्गत मेहर की रकम
(a) not legally fixed/विधि द्वारा निर्धारत नहीं है।
(b) 10 dirhams/10 डिरहम है।
(c) 100 dirhams/100 डिरहम है।
(d) 500 dirhams/500 डिरहम है।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : शिया विधि में अधिकतम मेहर राशि 500 दिरहम निर्धारित की गयी है, न्यूनतम मेहर की रकम निर्धारित नहीं है। सुन्नी विधि में न्यूनतम मेहर की रकम 10 दिरहम है। अधिकतम निर्धारित नहीं की गयी

6. **Bohara Community follows which School of Muslim law?**
बोहरा समुदाय मुस्लिम विधि की किस शाखा को मानता है?
(a) Hanafi School/हनफी शाखा
(b) Maliki School/मालिकी शाखा
(c) Jafari School/जाफरी शाखा
(d) Ismaili School/इस्माइली शाखा

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में शिया सम्प्रदाय की निम्नलिखित 3 शाखाएँ हैं-
1. असना अशारिया (इमामिया)
2. इस्माइली
3. जैदिया

अखबरी तथा उसूली अथना अशारिया की तथा बोहरा इस्माइली की उपशाखा है।

अध्याय -4

निकाह (Marriage)

1. **According to Muslim law, marriag is not solemnized only for the sexual enjoyment between two spouses; it is an Act of ibadat.**
मुस्लिम विधि के अनुसार, वर वधू के बीच विवाह का अनुष्ठान सिर्फ यौन आनंद के लिये नहीं किया जाता है, यह इबादत का काम है।
(a) True/सत्य
(b) False/मिथ्या
(c) Partly true and partly false
आंशिक सत्य एवं आंशिक मिथ्या
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) September 2013
UGC (NET) June, 2010

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अनुसार, वर वधू के बीच विवाह का अनुष्ठान सिर्फ यौन आनंद के लिये नहीं किया जाता है, यह इबादत का काम है, यह कथन आंशिक सत्य है एवं आंशिक मिथ्या है, क्योंकि शिया समुदाय में जहाँ मुता विवाह जिसका अर्थ है 'आनन्द' (Enjoyment) प्रचलित है, वहीं इस तरह का विवाह सुन्नी समुदाय में अपवर्जित है।

2. **In which of the following case, the High Court held that "the presence of Qazi" is not necessary at the time of marriage ceremony under the Muslim Law?**
निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि ''विवाह के समय पर काजी की उपस्थित'' मुस्लिम कानून के अधीन आवश्यक नहीं है?
(a) Qazi Mohd. Najmuddin Hussain v. State of A.P./काज़ी मोहम्मद नजमुद्दीन हुसैन बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य
(b) Mohd. Yunus v. Malooki
मोहम्मद यूनुस बनाम मलूकी
(c) Shamim Ara v. State of U.P.
शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
(d) Bai Tahira v. Ali Hussain
बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन

UGC (NET) September, 2013 Paper-II

Ans. (b) : मोहम्मद यूनुस बनाम मालूकी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि ''विवाह के समय पर काजी की उपस्थिति मुस्लिम विधि के अधीन आवश्यक नहीं है।

3. **Assertion (A):** Nikah is a regular and permanent form of marriage among Muslism
Reason (R): Muta is contractual form of marriage and is most uncommon in India
अभिकथन (A): मुसलमानों में निकाह विवाह का एक नियमित एवं स्थायी रूप है।
तर्क (R): मुता एक संविदाजात विवाह है और भारत में अत्यधिक अप्रचलित है।
Codes:/कूटः
(a) Both (A) and (R) are correct
(A) और (R) दोनों सही है
(b) (A) is correct but (R) is fale
(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(c) (R) is correct but (A) is wrong
(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है
(d) Neither (A) is correct nor (R) is correct
(A) और (R) दोनों गलत है

UGC (NET) June, 2014 Paper-II

Ans. (a) : ईस्लाम में स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए विवाह का एक निश्चित रूप निकाह निर्धारित किया गया। निकाह का शाब्दिक अर्थ होता है ''एक दूसरे को बाँध देना''। वही मूता विवाह एक विशेष प्रकार का अस्थायी विवाह है, जिसे अथना-अशरिया शिया विधि ही मान्यता देती है, जो एक निर्धारित अवधि के लिए किसी निश्चित धनराशि के बदले में स्त्री तथा पुरुष का सम्बन्ध ही मूता विवाह कहलाता है।

4. **Read the following statements and give correct answer with the help of codes given below:**
निम्नांकित कथनों को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों की मदद से सही उत्तर देः
1. **A Muslim woman can marry a Kitabi/एक मुस्लिम स्त्री एक किताबी पुरुष से विवाह कर सकती है।**
2. **A Shia male can contract 'Muta' with a fire worshipper/एक शिया पुरुष एक अग्निपूजक से 'मुत्ता' अनुबंध कर सकता है।**
3. **Marriage of Muslim woman with a Hindu would be irregular/एक मुस्लिम स्त्री का एक हिन्दू से विवाह अनियमित होगा।**
4. **A Muslim man cannot marry with his niece/एक मुस्लिम पुरुष अपनी भतीजी के साथ विवाह नहीं कर सकता।**

Cdoes:/कूटः
(a) 1 and 2 are correct, but 3 and 4 are incorrect
1 और 2 सही है, किन्तु 3 और 4 गलत है
(b) 2 and 3 are correct, but 1 and 4 are incorrect
2, 3 और 3 सही है, किन्तु 1 और 4 गलत है
(c) 3 and 4 are correct, but 1 and 2 are incorrect
3 और 4 सही है, किन्तु 1 और 2 गलत है
(d) 2 and 4 are correct, but 1 and 3 are incorrect
2 और 4 सही है, किन्तु 1 और 3 गलत है

UGC (NET) January, 2017

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत शिया या सुन्नी किसी सम्प्रदाय की मुस्लिम महिला को किसी गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह करने का अधिकार नहीं है। यदि विवाह करती है तो उसका विवाह शून्य होगा। एक शिया पुरुष एक अग्निपूजक से मुत्ता अनुबंध कर सकता है। एक मुस्लिम पुरुष अपनी भतीजी के साथ विवाह नहीं कर सकता।

5. **If a Christian or Jew embraces Islam. His marriage with Christian or Jewish wife is:**
यदि एक ईसाई या यहूदी जिसमें मुस्लिम धर्म अपना लिया हो उसका ईसाई या यहूदी पत्नी से विवाह हैः
(a) Dissolved /भंग
(b) Not dissolved /भंग नहीं
(c) Depends/कुछ कहा नहीं जा सकता
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Bihar (HJS) 2015

Ans. (b) : एक ईसाई या यहूदी जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर मुस्लिम हो गया हो तो उसका ईसाई या यहुदी पत्नी से विवाह, विवाह को भंग नहीं होता है।

मुस्लिम विधि में अन्तर्धर्मीय विवाह को मान्यता प्राप्त है लेकिन सुन्नी तथा शिया विधियों के नियमें में भिन्नता है-

सुन्नी विधि-सुन्नी विधि के अन्तर्गत एक सुन्नी पुरुष को किसी मुस्लिम लड़की तथा किसी किताबिया लड़की (यहूदी तथा ईसाई) से विवाह करने का पूर्ण अधिकार है।

शिया विधि-शिया पुरुष किसी गैर-मुस्लिम लड़की से विवाह करने का अधिकार नहीं है। शिया पुरूष किताबिया लड़की से भी विवाह करने के अयोग्य है तथा ऐसा विवाह शुन्य होगा। शिया पुरुष किसी किताबिया या अग्नि-पूजक लड़की से सिर्फ मुता विवाह कर सकता है।

6. **If a Christian or jew embraces Islam. His marriage with Hindu wife is:**
यदि एक ईसाई या यहूदी जिसने मुस्लिम धर्म अपना लिया हो उसका हिन्दू पत्नी से विवाह है ....
(a) Dissolved /भंग
(b) Not dissolved/भंग नहीं
(c) Depends /कुछ कहाँ नहीं जा सकता
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Bihar (HJS) 2015

Ans. (a) : एक ईसाई या यहूदी जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है वह सिर्फ किसी मुस्लिम लड़की तथा किताबिया (यहूदी तथा ईसाई) से विवाह कर सकता है।
अतः ईसाई या यहूदी जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है मुस्लिम विधि के अन्तर्गत हिन्दू पत्नी से विवाह मान्य नहीं होगा।

7. **In which of the following cases the Supreme Court has held that marriages of all persons who are citizen of India belonging to various religions should be made compulsorily registrable in their respective states?**

निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सभी व्यक्तियों का विवाह, जो भारतीय नागरिक है चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी धर्म से हो अपने-अपने राज्य जहाँ उनका विवाह सम्पन्न हुआ है, का पंजीकरण कराना अत्यन्त आवश्यक है?

(a) M. Jaimoon v. M. Amman Ullah Khan and others/एम. जैमून बनाम एम. अमन उलाह खान एवं अन्य
(b) Khursid Bibi v. Mohd. Amin
खुर्शीद बीबी बनाम मोहम्मद अमीन
(c) Seema v. Ashwini Kumar
सीमा बनाम अश्विनी कुमार
(d) Shahnaj Bano v. Parvej Ahmad Khan
शहनाज बानो बनाम परवेज अहमद खान

BPSC (APO) 2013

Ans : (c) सीमा बनाम अश्विनी कुमार के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सभी व्यक्तियों का विवाह, जो भारतीय नागरिक है चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी धर्म से हो अपने-अपने राज्य जहाँ उनका विवाह सम्पन्न हुआ है, का पंजीकरण कराना अत्यन्त आवश्यक है।

8. Which one of the following is not essential for a valid marriage under Muslim Law?
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विधिमान्य विवाह के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक नहीं है?

(a) Offer and acceptance/प्रस्ताव और स्वीकृति
(b) Competent parties/सक्षम प्रक्षकार
(c) Fosterage/धात्रेय संबंध
(d) Free consent/स्वतंत्र सहमति

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (c) : मुस्लिम विधि में निकाह के निम्नलिखित आवश्यक शर्ते है—
1. सक्षम पक्षकार
2. स्वतन्त्र सम्मति
3. औपचारिकताएं
   (a) प्रस्ताव
   (b) स्वीकृति
   (c) प्रस्ताव और स्वीकृति एक हो बैठक में होना चाहिए।
4. प्रतिषिद्ध नातेदारी नहीं होना चाहिए

9. How many witnesses are essential at the time of marriage in Shia Law?
शिया मुसलमानों में विवाह के समय कितने गवाह होना आवश्यक है?

(a) No witness/कोई गवाह नहीं
(b) Two witnesses/दो गवाह
(c) One witness/एक गवाह
(d) Four witnesses/चार गवाह

BPSC (APO) 2011
Uttarakhand (J) 2006, 2009

Ans. (a) : शिया मुसलमानों में विवाह के समय गवाह (साक्षी) की आवश्यकता नहीं होती है। शिया मुसलमानों में विवाह-विच्छेद (तलाक) के समय गवाहों की आवश्यकता होती है। सुन्नी मुसलमानों में विवाह के समय दो गवाहों की आवश्कता होती है।

10. In Shia Muslim marriage how many witnesses are compulsorily required?
शिया मुस्लिम निकाह में कितने साक्षियों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है?

(a) One male and two females/एक पुरुष और दो स्त्रियाँ
(b) Two males/दो पुरुष
(c) No witness/कोई साक्षी नहीं
(d) Two females/दो स्त्रियाँ

Uttarakhand (J) 2016
29th BPSC (J) 2014

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. According to Shia law to execute the marriage presence of witness is
शिया विधि के अनुसार विवाह निष्पादन करने के लिए साक्षियों की उपस्थिति

(a) not necessary/आवश्यक नहीं है
(b) necessary/आवश्यक है
(c) required two witnesses/दो गवाह अपेक्षित है
(d) required two male witnesses/दो पुरुष गवाह अपेक्षित।

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. Under the following which is absolute incapacity for marriage?
निम्न में से किसमें विवाह के लिए पूर्ण असमर्थता है?

(a) Consanguinity/समरक्तता
(b) Affinity/विवाह-सम्बन्ध
(c) Fosterage/धात्रेय-सम्बन्ध
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में समरक्तता, विवाह सम्बन्ध, धात्रेय-सम्बन्ध आदि विवाह के लिए पूर्ण असमर्थता है क्योंकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत निषेध सम्बन्धों में विवाह को शून्य माना जाता है।

13. Which is a relative incapacity for marriage?
विवाह के सापेक्ष असमर्थता क्या है?

(a) Marriage with wife's sister when wife is alive/पत्नी की बहन से विवाह जबकि पत्नी जीवित है।
(b) Marriage with fifth woman in the presence of four wives/पाँचवी महिला से विवाह चार पत्नियों की उपस्थिति में।
(c) Absence of required number of witnesses at the time of marriage/विवाह के समय अपेक्षित उचित साक्षियो की अनुपस्थिति है।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : विवाह में सापेक्ष असमर्थता/सापेक्षिक/अस्थायी बाधायें निम्न हैं—(1) बिना साक्षियों के विवाह
(2) चार पत्नियों के रहते हुए पांचवी से विवाह
(3) इददत गुजारने वाली स्त्री के साथ विवाह
(4) धार्मिक भिन्नता के आधार पर विवाह
(5) अवैध संयोजन के अंतर्गत विवाह जैसे - पत्नी की बहन से विवाह।

14. Which of the following is a requisite for a valid marriage under Muslim Law?
निम्नलिखित में से कौन एक मुस्लिम विधि की वैध विवाह के लिए आवश्यक है?

(a) Consanguinity/रक्त सम्बन्ध
(b) Affinity/मुशारत (विवाह सम्बन्ध)
(c) Proposal and acceptance at the time of marriage/विवाह के समय प्रस्ताव एवं स्वीकृति
(d) Fosterage/धात्रेय सम्बन्ध

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (c) मुस्लिम विधि में निकाह हेतु आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं-
1. सक्षम पक्षकार
2. स्वतन्त्र सहमति
3. औपचारिकताएँ
(a) प्रस्ताव (इजब)
(b) स्वीकृति (कबूल)
(c) एक बैठक (One Sitting)
(d) दो साक्षी (सुन्नी विधि)
(e) प्रतिसिद्धि नातेदारी
जबकि रक्त संबंध, विवाह संबंध तथा धत्रेय संबंध मुस्लिम विवाह के पूर्ण निषेध है।

15. Essential requirements of a Muslim marriage are
एक मुस्लिम विवाह के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ हैं-

(a) Qabul only/कबूल केवल
(b) Ijab only/इजाब केवल
(c) Both Qabul and Ijab/कबूल और इजाब दोनों
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

16. For a valid Muslim marriage–
वैध मुस्लिम विवाह के लिए–

(a) Offer and acceptance must be at the same time/प्रस्ताव एवं स्वीकृति उसी समय होनी चाहिए
(b) Offer and acceptance must be at the same place/प्रस्ताव एवं स्वीकृति उसी स्थान पर होनी चाहिए
(c) Offer and acceptance must be at the same time and place/प्रस्ताव एवं स्वीकृति उसी समय एवं स्थान पर होनी चाहिए
(d) Offer and acceptance may be at different times and at different places/प्रस्ताव एवं स्वीकृति भिन्न समयों पर एवं भिन्न स्थानों पर हो सकती है

UP (HJS) 2009, 2012

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत वैध मुस्लिम विवाह (निकाह) के लिए प्रस्ताव (इजाब) तथा प्रतिग्रहण (कुबूल), मौखिक या लिखित हो सकता है, परन्तु इन्हें एक ही बैठक में होना चाहिए। एक ही बैठक का तात्पर्य यह है कि, प्रस्ताव और स्वीकृति सहकालिक (simutaneous) हो, अर्थात उनमें तारतम्यता (continuity) बनी रहे।

17. What is the effect of Muslim marriage where the age of the bride is below the age of puberty but consent was given by the guardian?
उस मुस्लिम विवाह का क्या प्रभाव है जहाँ वधु की आयु यौवनागम आयु से कम है किन्तु सहमति अभिभावक की ओर से दी गई है?

(a) The marriage is voidable/विवाह शून्यकरणीय है।
(b) The marriage is void/विवाह शून्य है।
(c) The marriage is irregular/विवाह अनियमित है।
(d) The marriage is unlawful/विवाह विधिविरुद्ध है।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (a) जब लड़का/लड़की विवाह के समय वयस्कता की आयु से कम हैं अर्थात् 15 वर्ष से कम हैं तो मुस्लिम विधि में संरक्षक की सहमति से निकाह सम्पन्न हो जाता है लेकिन वर व वधु को ख्यार-उल-बूलूग (वयस्कता का विकल्प) प्राप्त होता है अर्थात् 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वे विवाह को विखण्डित या अनुसमर्थन द्वारा इसकी पुष्टि कर सकते हैं।

18. A marriage of a Muslim, who is of sound mind and has attained puberty, is brought about without his consent. The marriage will be
एक मुस्लिम का विवाह, जो स्वस्थ्य चित्त का है और यौवनागम को प्राप्त कर लिया है, उसकी सम्मति के बिना विवाह होगा।

(a) Valid/विधिमान्य (b) Irregular/अनियमित
(c) Unlawful/विधि विरुद्ध (d) Void/शून्य

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) एक मुस्लिम जो स्वस्थचित है तथा वयस्क है, की सम्मति के बिना किया गया विवाह शून्य होगा, जब तक कि वह स्वतन्त्र सहमति से नहीं करता है।

19. Where the person who performed "Nikah" is dead, the proof of marriage will be given by the
एक व्यक्ति जिसने ''निकाह'' करवाया है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो निकाह का सबूत या साक्ष्य दिया जाएगा-

(a) Husband/पति द्वारा (b) Wife/पत्नी द्वारा
(c) Witness/साक्षी द्वारा (d) Guardian/संरक्षक द्वारा

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (c) : मुस्लिम विधि में निकाह को निम्नलिखित प्रकार से साबित किया जा सकता है—
(1) गवाह (जो निकाह के समय उपस्थित थे) द्वारा,
(2) निकाह नामा प्रस्तुत करके।

20. A Muslim man cannot marry/एक मुस्लित व्यक्ति किसके साथ विवाह नहीं कर सकता?

(a) a Jew/यहूदी महिला से
(b) a Christian/ईसाई महिला से
(c) an idolatress or a fire worshipper
बुत परस्त वाली अथवा अग्निपूजक महिला से
(d) both (A) and (B)/(a) और (b) दोनों

UGC (NET) December, 2011

Ans. (c) : सुन्ना विधि - एक सुन्नी पुरुष किसी मुस्लिम लड़की तथा किसी किताबिया लड़की से विवाह कर सकता है। केवल यहूदि और ईसाई ही किताबिया सम्प्रदाय के तहत आते है। अतः सुन्नी पुरुष किसी मुस्लिम, यहूदि और ईसाई लड़की से विवाह कर सकता है। जबकि शिया पुरुष सिर्फ मुस्लिम लड़की से ही विवाह कर सकता है।

21. A marriage under Muslim law between persons with fosterage relationship is:
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पोष्य सम्बन्धों वाले दो व्यक्तियों का विवाह है

(a) Sahid/सहीद
(b) Batil/बातिल
(c) Fasid/फासिद
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UGC (NET) June, 2014

Ans. (b) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पोष्य सम्बन्धों वाले दो व्यक्तियों का विवाह बातिल होता है। बातिल अथवा शून्य विवाह कोई विवाह ही नही है यह एक अवैध सम्बन्ध माना जाता है जिसकी निम्न परिस्थितियाँ है-
1. विवाह में सम्पूर्ण निषेध का उल्लघंन होने पर।
2. पति-पत्नी के बीच रक्त सम्बन्ध, निकटता तथा धात्रेय सम्बन्ध में से किसी एक के आधार पर निषिद्ध सम्बन्ध होने पर।

22. The absence of witnesses make a Muslim marriage:
गवाहों की अनुपस्थिति में मुस्लिम विवाहः

(a) Irregular under Sunni law, but void under shia law/सुन्नी कानून के अनुसार अनियमित परंतु शिया कानून के अनुसार निष्प्रभावी
(b) Irregular under Sunni and Shia Law/ शिया और सुन्नी कानून के अंतर्गत अनियमित
(c) Valid under Sunni law but irregular under Shia law/सुन्नी कानून के अंतर्गत वैध परंतु शिया कानून के अंतर्गत अनियमित
(d) Valid under Shia law, but irregular under Sunni law/शिया कानून के अंतर्गत प्रभावी परंतु सुन्नी कानून के अंतर्गत अनियमित

UGC (NET) June, 2015

Ans. (d) : गवाहों की अनुपस्थिति में मुस्लिम विवाह शिया कानून के अन्तर्गत प्रभावी परन्तु सुन्नी कानून के अन्तर्गत अनियमित होगा क्योंकि सुन्नी में विवाह के समय 2 साक्षी आवश्यक है। जबकि शिया विधि में विवाह के लिए गवाह की कोई आवश्यकता नहीं है।

23. In Muslim Law marriage contracted without witness is
मुस्लिम विधि में बिना गवाह (साक्ष्य) के होने पर विवाह

(a) void/वैध है।
(b) valid/शून्य है।
(c) invalid/अवैध है।
(d) irregular/अनियमित है।

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. Under Muslim Law, marriage with a woman, whose husband is alive, is:
मुस्लिम विधि के अंतर्गत, ऐसी महिला, जिसका पति जीवित है, की शादी-

(a) Valid/वैध
(b) Sahih/सहिह
(c) Void/शून्य
(d) Irregular/अनियमित

UGC (NET) December, 2019

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत यदि कोई ऐसी महिला से निकाह करता है जिसका पति जीवित है तो ऐसा निकाह शून्य होगा। महिला तलाक के बाद तथा इद्दत अवधि समाप्त होने के बाद पुनः विवाह कर सकती है।

25. It is necessary that Ijab and Qubul shall be completed in one meeting. The statement is:
इजाब और कबूल कि क्रिया के लिए आवश्यक है कि वह एक ही बैठक में हुई हो। यह कथन हैः

(a) True/सत्य
(b) False/असत्य
(c) Partly correct/आंशिक सत्य
(d) None of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं

Bihar (HJS) 2015

Ans. (a) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाह पूर्ण होने के लिए किसी धार्मिक या संस्कारगत औपचारिकता की अनिवार्यता नहीं रहती है। मुस्लिम विवाह के पूर्ण होने के लिए विधिक औपचारिकता मात्र यह है कि इसमें 'इजाब' अर्थात प्रस्ताव (Proposal) तथा 'कबूल' अर्थात् स्वीकृति (acceptance) **एक ही बैठक** में हुए हो।

26. Which of the following Muslim marriages will not be void:
निम्न में से कौन सी मुस्लिम शादियाँ शून्य नहीं होंगीः

(a) marriage with a woman prohibited by reason of consanguinity/रक्त सम्बन्ध के कारण प्रतिषिद्ध औरत से शादी
(b) marriage with a woman prohibited by reason of affinity/विवाह सम्बन्ध के कारण प्रतिषिद्ध औरत से शादी
(c) marriage with a coman prohibited by reason of fosterage /धात्रेय सम्बन्ध के कारण प्रतिषिद्ध औरत से शादी
(d) unlawful conjunction /अवैध मिलन

Bihar (HJS) 2016

Ans. (d) : मुस्लिम विधि की दोनों शाखाओं (शिया और सुन्नी) के अन्तर्गत निषिद्ध सम्बंधो (सम्पूर्ण निषेध) के अन्तर्गत विवाह शून्य होता हैं निषिद्ध सम्बंध के अन्तर्गत निम्न आते है-
1.रक्त सम्बंध
2.विवाह सम्बंध (निकटता)
3.धात्रेय सम्बंध
अवैध मिलन के कारण मुस्लिम शादियाँ शून्य नहीं होती है।

27. By which man a Muslim lady may legally marry?/एक मुस्लिम स्त्री किस पुरूष से वैध विवाह कर सकती है?

(a) Hindu/हिन्दु
(b) Muslim/मुस्लिम (मुसलमान)
(c) Kitabiya/किताबिया
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

29th BPSC (J) 2017

Ans. (b) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुस्लिम महिला, गैर-मुस्लिम पुरुष से निकाह नहीं कर सकती है। गैर-मुस्लिम से निकाह शून्य होगा।

28. Which of the following is absolute incapacity for marriage?
निम्नलिखित में कौन-सी विवाह के लिए पूर्ण अक्षमता (Incapacity) है?
(a) Consanguinity/रक्त सम्बन्ध
(b) Affinity/वैवाहिक सम्बन्ध
(c) Fosterage/धात्रेय सम्बन्ध
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

28th BPSC (J) 2014

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाह के निर्धारित अक्षमता (Incapacity/(निषेधो) को दो वर्गों में विभाजित किया गया है (i) सम्पूर्ण निषेध (ii) सापेक्ष निषेध। सम्पूर्ण निषेध के अन्तर्गत (A) रक्त सम्बन्ध Consanguinity) (B) निकटता (offinity) (c) धात्रेय सम्बन्ध (Forterage) होने के कारण दो व्यक्ति निषेध के अन्तर्गत आयेगें।इन कारणों से सम्पन्न विवाह शून्य होगा।

29. A Muslim can marry any number of wives not exceeding four. If a Muslim marries a fifth wife such a marriage shall be
एक मुसलमान चार से ज्यादा शादियाँ नहीं कर सकता। यदि एक मुसलमान पाँचवी शादी करेगा, तो ऐसी शादी होगी
(a) void/शून्य
(b) valid/वैध
(c) irregular/अनियमित
(d) Either (a) or (b)/या तो (a) या (b)

Uttarakhand (J) 2009, 2016
28th BPSC (J) 2014

Ans. (c) : मुस्लिम विधि चार विवाह तक की छूट देता है, इससे अधिक की नहीं, चार पत्नियों के रहते हुए किसी पाँचवी स्त्री से विवाह वर्जित है अतः पाँचवां विवाह अनियमित माना जायेगा, शिया विधि के अन्तर्गत पाँचवा विवाह शून्य माना जाता है।

30. A Muslim male already having four wives, has contracted a fifth marriage, This fifth marriage is
चार पत्नियों के रहते हुये, एक मुस्लिम पुरुष ने पाँचवीं शादी कर ली, यह पाँचवाँ विवाह हैः
(a) Valid/वैध
(b) Voidable/शून्यकरणीय
(c) Void/शून्य
(d) Irregular/अनियमित

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

31. Which one of the following is correct in respect of marrying a fifth wife while the four wives are alive?
चार पत्नियों के जीवित रहते पाँचवें पत्नी से विवाह करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
(a) Void under Shia Law/शिया विधि में शून्य है।
(b) Void in Shia and Sunni Law both/शिया एवं सुन्नी दोनों विधि में शून्य है।
(c) Irregular in Shia Law/शिया विधि में अनियमित है।
(d) Valid in Sunni Law/सुन्नी विधि में विधिमान्य है।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

32. A Shia Muslim, already having four wives, has contracted a fifth marriage. This fifth marriage is/चार पूर्व पत्नियों के होते हुए, एक शिया मुसलमान ने पांचवीं शादी कर ली। यह पांचवां विवाह है
(a) valid/विधिमान्य (b) voidable/शून्यकरणीय
(c) void/शून्य (d) irregular/अनियमित

Bihar (J) 2020

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

33. What is the age of Puberty for a Muslim marriage?
निकाह के लिए सक्षम आयु कितनी है।
(a) 9 years/9 साल (b) 12 years/12 साल
(c) 15 years/15 साल (d) 18 years/18 साल

27th BPSC (J) 2011

Ans. (c) : निकाह के लिए सक्षम आयु न्यूनतम 15 वर्ष है। इसे विवाह की आयु कहा जाता है। इसे यौवनावस्था की वय (Age of Puberty) भी कहते हैं।

34. A contract of marriage between A and B is made in joke and withoutany specific intention. Such marriage is valid under
A एवं B के बीच बिना विशिष्ट आशय के मजाक में विवाह होता है। ऐसा विवाह वैध हैः
(a) Hanafi Law/हनाफी विधि के अंतर्गत
(b) Shia Law/शिया विधि के अंतर्गत
(c) Shafi and Maliki Law
शफी और मलिकी विधि के अंतर्गत
(d) Hanbali Law/हनबली विधि के अंतर्गत

BPSC (APO) 2013

Ans : (a) A और B के बीच बिना विशिष्ट आशय के मजाक में विवाह होता है। ऐसा विवाह हनाफी विधि के अन्तर्गत मान्य है।

35. On the ground of fosterage a muslim marriages is-
धात्रेयपालन (फॉस्टेरेज) के आधार पर मुस्लिम विवाहः
(a) Void (Batil)/शून्य (बातिल) है
(b) Valid (Sahih)/विधिमान्य (सहीह)
(c) Irregular (Fasid)/अनियमित (फासिद) है
(d) Muta/मुता है

UGC (NET) December 2009
Uttarakhand (J) 2002

Ans. (a) : धात्रेयपालन के आधार पर मुस्लिम विवाह पूर्णतया शून्य माना जाता है क्योंकि यह निषिद्ध सम्बन्धों में आता है। कोई मुस्लिम पुरुष अपनी धाय मां के रक्त सम्बन्धियों तथा निकट सम्बन्धियों से विवाह नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए धाय मां की लड़की से विवाह का पूर्ण निषेध है।

36. **On the ground of Fosterage a Muslim Marriage is:**
धात्रेय पालक के आधार पर मुस्लिम विवाह
(a) voidable/शून्य करणीय है।
(b) void/शून्य है।
(c) nullity/अमान्य है।
(d) none of these/उपरोक्त में से कोई नहीं
Uttarakhand (J) 2006

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

37. **If a shia male marries with a Sunni female, the marriage will be:**
यदि एक शिया पुरुष एक सुन्नी महिला से विवाह करता है, तो विवाह होगा
(a) Batil/बातिल
(b) Sahih/सहीह
(c) Fasid/फासिद
(d) None of the above/उपर्युक्त में से सही नहीं
Uttarakhand (J) 2006

Ans. (b) : शिया विधि के अनुसार- शिया पुरुष एवं सुन्नी महिला का विवाह सहीह (विधिमान्य) होता है। शिया पुरुष का गैर मुस्लिम एवं किताबिया से विवाह शून्य माना जाता है।

38. **A Sunni Muslim marries with Kitabya girl, the Marriage is:**
एक सुन्नी मुस्लिम एक कितबिया लड़की से विवाह करता है। ऐसा विवाह है।
(a) Valid/वैध
(b) Void/शून्य
(c) Irregular/अवैध
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
Uttarakhand (J) 2006, 2008, 2011

Ans. (a) : एक सुन्नी मुस्लिम पुरुष द्वारा एक किताबिया लड़की से किया गया विवाह विधिमान्य है। इस्लाम किताबिया स्त्री से विवाह की अनुमति देता है। लेकिन एक मुसलमान स्त्री केवल एक मुसलमान से ही विवाह कर सकती है यदि वह किताबिया पुरुष से विवाह करती है तो वह विवाह विधिमान्य नहीं है।
जिस धर्म की उत्पत्ति एक धार्मिक पुस्तक से है उसे किताबिया कहा जाता है। यहूदी, ईसाई धर्म किताबिया के अन्तर्गत आते हैं।

39. **A muslim is prohibited to have two wives at a time, if these two wives are related to each other by/एक मुसलमान एक साथ दो पत्नियाँ रखने के लिए प्रतिषिद्ध है, यदि ये दोनों पत्नियाँ एक दूसरे से सम्बद्ध है**
(a) cosanguinity/रक्त संबंध द्वारा
(b) affinity/वैवाहिक सम्बंध द्वारा
(c) fosterage/धात्रेय पालन द्वारा
(d) all the above/उपरोक्त सभी
Uttarakhand (J) 2008, 2016

Ans. (d) : एक मुसलमान एक साथ दो पत्नियाँ रखने के लिए प्रतिषिद्ध है। यदि ये रक्त द्वारा सम्बन्धित हो, वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा या धात्रेय पालन द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित हो, क्योंकि यह प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आता है।

40. **A marriage between persons with consanguinity relationship under Muslim Law is**
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत रक्त-सम्बन्धों वाले व्यक्तियों के मध्य विवाह है-
(a) Sahih (correct)/सहीह
(b) Fasid/फासिद
(c) Batil/बातिल
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं
Uttarakhand (J) 2016

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत ऐसे पुरुष तथा महिला के मध्य निकाह नहीं हो सकता है, जो परस्पर निषिद्ध सम्बन्धों में हो। वैवाहिक निषेध पूर्ण या सापेक्ष हो सकता है। 'पूर्ण निषेध' आदेशात्मक है। इनके उल्लंघन में किया गया निकाह शून्य होगा। पूर्ण निषेध का आधार रक्त-सम्बन्ध, निकटता या धात्रेय सम्बन्ध है।

41. **A marriage of Sunni male with a Muslim female of any Sect is**
सुन्नी पुरुष का किसी सम्प्रदाय की मुस्लिम महिला से विवाह है
(a) Valid/वैध
(b) Void/शून्य
(c) Invalid/अवैध
(d) Voidable/शून्यकरणीय
Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : सुन्नी पुरुष का किसी भी सम्प्रदाय की मुस्लिम महिला से सम्पन्न विवाह वैध होता है। सुन्नी पुरुष द्वारा किसी अमुस्लिम या अकिताबिया महिला (यथा-यहूदी या ईसाई) से किया गया निकाह अनियमित होगा। शिया विधि में अमुस्लिम महिला से किया गया निकाह शून्य है।

42. **A muslim marriages with a non Kitabya the marriage is:**
मुस्लिम स्त्री जो कि नौन-किताबिया से विवाह करती है। यह विवाह
(a) Sahih/विधिमान्य है
(b) Batil/शून्य है
(c) Fasid/शून्य करणीय है
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं
UGC (NET) June, 2009

Ans. (c) : सुन्नी विधि के अन्तर्गत एक सुन्नी पुरुष को किसी मुस्लिम (किसी भी सम्प्रदाय की क्यों न हो) लड़की तथा किसी किताबिया लड़की से विवाह करने का पूर्ण अधिकार है लेकिन यदि किसी सुन्नी पुरुष ने एक ऐसी लड़की से विवाह किया है जो न तो मुस्लिम है और न ही किताबिया तो वह विवाह अनियमित या फासिद माना जायेगा। अर्थात् किसी सुन्नी पुरुष द्वारा गैर-मुस्लिम और गैर-किताबिया लड़की से विवाह न तो शून्य है और न ही पूर्णतया विधिमान्य।

43. **A marriage prohibited under the Mohammedan Law by reason of difference of religion, if done, is/मुस्लिम विधि में एक विवाह जो धर्म का अन्तर होने के कारण वर्जित है, यदि किया जाता है, तो**

(a) valid/वैध है

(b) voidable/शून्यकरणीय है

(c) irregular/अनियमित है

(d) void/शून्य है

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (c) : किसी सुन्नी पुरुष द्वारा किसी गैर मुस्लिम महिला के साथ विवाह अनियमित होगा तथा किसी शिया पुरुष द्वारा किसी गैर मुस्लिम महिला से विवाह शून्य होगा।

44. Marriage by a Muslim with his real sister is:
किसी मुसलमान का अपनी सगी बहन से विवाह कौन सा होगा?

(a) Void/शून्य (b) Voidable/शून्यीकरण

(c) Valid/वैध (d) Invalid/अवैध

27th BPSC (J) 2011

Ans. (a) : किसी मुसलमान का अपनी सगी बहन से विवाह शून्य है, क्योंकि यह मुस्लिम विधि के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध सम्बन्ध के अन्तर्गत आता है।

45. The Sunni Law does not recognize
सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती है

(a) Sahi (valid) marriage
सही (विधिमान्य) विवाह को

(b) Muta (temporary) marriage
मुता (अस्थाई) विवाह को

(c) Fasid (irregular) marriage
फासिद (अनियमित) विवाह को

(d) Batil (void) marriage
बातिल (शून्य) विवाह को

Bihar (J) 2020

Ans. (b) : मुता विवाह एक विशेष प्रकार का अस्थायी विवाह है, जिसे अथना अशारिया शिया विधि ही मान्यता देती है। एक निर्धारित अवधि के लिए किसी निश्चित धनराशि के बदले में स्त्री तथा पुरुष का संबंध ही मुता विवाह कहलाता है।

46. The Sunni Law does not recognise
सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती है -

(a) Sahi (valid) Marriage/सही (वैध) विवाह को

(b) Muta (Temporary) Marriage/मुता (अस्थायी) विवाह को

(c) Fasid (Irregular) Marriage/फासिद (अनियमित) विवाह को

(d) Batil (Void)Marriage/बातिल (शून्य) विवाह को

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

47. Under Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 the option of puberty is available to
डिजाल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरेज एक्ट, 1939 के अन्तर्गत यौनागम का विकल्प निम्नलिखित को प्राप्त है :

(a) the husband only/केवल पति को

(b) the wife only/केवल पत्नी को

(c) both the husband and wife/पति या पत्नी दोनों को

(d) both the husband and wife with prior approval of the guardian/अभिभावक की पूर्ण अनुमति से पति पत्नी दोनों को।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (b) मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 (7) में प्रावधान है कि महिला का विवाह यदि 15 वर्ष की आयु से पूर्व संरक्षक द्वारा किया गया था तथा महिला ने 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह को अस्वीकार कर दिया है (बशर्ते यह विवाह पूर्णता को प्राप्त न हुआ हो) तो महिला विवाह विच्छेद हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है।
नोट- इस धारा के अधीन आवेदन केवल मुस्लिम विवाहित महिला ही प्रस्तुत कर सकती है।

48. "Khiyar-ul-bulug" means
''खियार-उल-बुलूग'' का अर्थ है-

(a) Option of puberty/यौवनागम का विकल्प

(b) A form of dower/मेहर का एक प्रकार

(c) A form of valid marriage/वैध विवाह का एक प्रकार

(d) Infidelity/अविश्सनीयता

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (a) : ''खियार-उल-बुलुग'' का हिन्दी अर्थ है—यौवनागम का विकल्प। इसके अनुसार यदि किसी मुस्लिम लड़के या लड़की की शादी 15 वर्ष से कम आयु में उनके माता-पिता या अन्य किसी सरंक्षक द्वारा करा दिया जाता है, तो 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ऐसे लड़के या लड़की विवाह को अनुसमर्थन द्वारा कायम रख सकते है या विसम्मत व्यक्त कर समाप्त कर सकते है।
नोट:-मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2(7) के अनुसार यौवनागमन का विकल्प सिर्फ मुस्लिम विवाहित महिला को प्राप्त है।

49. In a Muslim marriage where the age of the bride is below the age of puberty but consent for marriage was given by the guardian, the marriage is
एक मुस्लिम विवाह में जहाँ वधू की आयु यौवनागमन की आयु से कम है किन्तु विवाह के लिए अभिभावक की ओर से सहमति दी गई है, ऐसा विवाह-

(a) Unlawful/विधि विरुद्ध है

(b) Voidable/शून्यकरणीय है

(c) Void/शून्य है

(d) Irregular/अनियमित है

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत संरक्षक द्वारा किये गये निकाह में पति या पत्नी को यौवनावस्था का विकल्प प्राप्त होता है। वयस्क होने पर वे निकाह को अनुमोदित या विखण्डित कर सकते है। अनुमोदन या विखण्डन से पूर्व ऐसे निकाह की स्थिति अनियमित (फासिद) होती है।

50. A Muslim minor wife can ceases her right to repudiate the marriage in case:/मुस्लिम अवयस्क पत्नी विवाह के निराकरण का अधिकार कब समाप्त करती है?

(a) when she attained the age of puberty/जब वह यौवनारंभ आयु प्राप्त कर ले
(b) when the marriage was consummated before age of puberty/जब वह यौवनारंभ आयु प्राप्त करने से पहले विवाह संसिद्धि हो जाये
(c) when she is less than 18 years of age/जब वह 18 वर्ष की आयु से कम हो
(d) none of the above/इनमें से कोई नहीं

UGC (NET) June, 2013

Ans. (b) : मुस्लिम अवयस्क पत्नी को कुछ दशाओं में अपने विवाह को ख्यार-उल-बुलूग के द्वारा समाप्त करने का अधिकार है। निम्नलिखित दशाओं में यह अधिकार प्राप्त है-
(i) जब वह यौवनारंभ आयु प्राप्त कर ले
(ii) जब वह 18 वर्ष की आयु से कम हो।
ख्यार-उल-बुलूग का प्रयोग अवयस्क पति एवं पत्नी दोनों को प्राप्त है। परंतु मुस्लिम अवयस्क पत्नी का विवाह के निराकरण का अधिकार तब समाप्त होता है, जब ऐसा विवाह उसके पिता या पिता के पिता द्वारा किया गया हो तथा यौवनारंभ आयु प्राप्त करने के पश्चात विवाह संसिद्ध हो जायें।

51. If a Muslim minor has been contracted in marriage in his minority by a guardian, such a person has a right on attaining majority to repudiate the marriage. This is known in Muslim Law as
यदि एक मुस्लिम अवयस्क का विवाह उसके संरक्षक द्वारा उसके अवस्यकता काल में कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अधिकार है कि वह वयस्कता प्राप्त कर लेने पर अपने विवाह को समाप्त कर दे। मुस्लिम विधि में इसको कहते हैं-
(a) Talaq-i-tafweez/तलाक-ए-तफवीज
(b) Talaq-ul-biddat/तलाक-उल-बिद्दत
(c) Khiyal-ul-bulugh/ख्याल-उल-बुलुग
(d) Talaq-uul-sunnat/तलाक-उल-सुन्नत

BPSC (APO) 2013

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

52. Among the Muslims, Sariri is the stage:
मुस्लिमों में सरीरी चरण हैः
(a) When the boy or the girl is below 10 years of age/जब लड़के या लड़की की उम्र 10 वर्ष से नीचे होती है।
(b) When the boy or the girl is above seven years but below fifteen years/जब लड़के या लड़की की उम्र सात वर्ष से ऊपर, लेकिन पंद्रह वर्ष से नीचे होती है
(c) When the boy or the girl is above fifteen years of age/जब लड़के या लड़की की उम्र पंद्रह वर्ष से ऊपर होती है
(d) When the boy or the girl is above 10 years of age/जब लड़के या लड़की की उम्र 10 वर्ष से ऊपर होती है।

UGC (NET) October, 2022

Ans. (b) : मुस्लिम विधि में सरीरी वह अवस्था है जिसमें लड़के या लड़की की आयु 7 वर्ष से अधिक परन्तु 15 वर्ष से कम हो। इस अवस्था में विवाह के लिए लड़के या लड़की की अनुमति (सम्मति) मान्य नही होती। परन्तु वैवाहिक अभिभावक द्वारा मान्य रूप में विवाह किया जा सकता है।
सगीर- यह वह अवस्था है जिसमें लड़के या लड़की की आयु 7 वर्ष से कम होती है। इस अवस्था में विवाह प्रारम्भतः शून्य होता है।
बुलूग- यह वह अवस्था है जिसमें लड़के या लड़की की आयु 15 वर्ष से अधिक होती है। इस अवस्था में वे अपनी इच्छा से विवाह कर सकते है।

53. What is recognition of Muta Marriage among Sunni Muslims?
सुन्नी मुसलमानों के मध्य मूता विवाह के सम्बन्ध में क्या मान्यता है?
(a) Valid/विधि मान्य
(b) Void/शून्य
(c) Invalid/अवैध
(d) Voidable/शून्यकरणीय

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (b) : मुता विवाह अस्थायी विवाह है। इसका प्रचलन प्रचलन इस्लाम पूर्व भी था। मोहम्मद साहब ने इसको इस्लाम विरुद्ध घोषित किया। यह शिया विधि के अथना अशारिया सम्प्रदाय में प्रचलित है। सुन्नी मुसलमानों में मुता विवाह शून्य है।

54. Sunni Muslims consider "Muta Marriage" as
सुन्नी मुसलमान 'मुता विवाह' को मानते है
(a) void/शून्य
(b) voidable/शून्यकरणीय
(c) valid/वैध
(d) invalid/अवैध

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अतंर्गत, मुता विवाह एक अस्थायी विवाह होता है, जिसे सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती है, क्योंकि उस विचार पद्धति के अनुसार विवाह की संविदा में विवाह की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार एक निश्चित और सीमित अवधि के लिए विवाह शून्य है, परंतु शिया विधि के अंतर्गत मान्य है।

55. 'Muta' form of marriage is recognized in
'मुत्ता' विवाह को मान्यता मिली है
(a) Hanafi School/हनफी शाखा में
(b) Ithna Asharia School/इथना अशारिया शाखा में
(c) Maliki School/मालिकी शाखा में
(d) Ismilia School/इस्माइलिया शाखा में

UGC (NET) June 2012, 2015
Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : शिया शाखा के अथना अशारिया स्कूल में मुता विवाह को मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा अन्य किसी मुस्लिम शाखा या उपशाखा में मुता विवाह को स्वीकार नहीं किया गया है। मुता विवाह का अर्थ है आनन्द हेतु किया गया निकाह। यह एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। समय पूर्ण होते ही विवाह अपने आप विच्छेदित हो जाता है तथा प्रतिफल का भुगतान कर दिया जाता है।

56. Muta Marriage is permitted under which of the following?
मुत्ता विवाह निम्नलिखित में से किसमें अनुमत हैं?

(a) In all branches of Hanafi School/हनफी शाखा की सभी उपशाखाओं में
(b) In only Ithana Asharia branch of Shia School/शिया शाखा की केवल इथना अशरिया शाखा में
(c) In only Maliki branch of Hanifi School/हनाफी शाखा की केवल मलिकी शाखा में
(d) In all the branches of Shia School/शिया शाखा की सभी शाखाओं में

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

57. Mutta marriage is allowed in which one of he following Schools of Muslim Law?
मुस्लिम विधि की निम्नलिखित में से किस एक शाखा में मुत्ता विवाह अनुमन्य है?

(a) Hanafi/हनाफी
(b) Ithna Ashari/इथना अशारी
(c) Ismailis/इस्लामी
(d) Hanabali/हनाबली

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

58. Muta marriage comes to an end by
मुत्ता विवाह का अन्त होता है

(a) Talaq/तलाक द्वारा
(b) Hiba-i-Muddat/हिबा-ए-मुद्दत द्वारा
(c) Talaq-i-Tafweez/तलाक-ए-तफवीज द्वारा
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (b) मुस्लिम विधि के अनुसार मुता विवाह नियत अवधि की समाप्ति पर या पारस्परिक सहमति से या पति-पत्नी में से किसी की मृत्यु द्वारा स्वतः विच्छेदित हो जाता है। मुता विवाह में तलाक की अवधारणा नहीं होती है, हां पति पत्नी को शेष अवधि का दान कर सकता है, जिसे हिबा-ए-मुद्दत कहते हैं।

59. During the term of 'Muta Marriage':
'मुत्ता विवाह' की अवधि के दौरान

(a) The wife has a right to divorce/पत्नी को तलाक देने का अधिकार है
(b) The husband has a right to divorce/पति को तलाक देने का अधिकार है
(c) Husband and wife both have a right to divorce/पति और पत्नी को तलाक देने का अधिकार है
(d) Neither the husband nor the wife has right to divorce/न ही पति और न ही पत्नी को तलाक देने का अधिकार है

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : 'मुत्ता विवाह' तलाक द्वारा समाप्त नहीं होता है। यह—
(1) किसी पक्ष की मृत्यु हो जाने पर, या
(2) विवाह की नियत अवधि के समापन पर, या
(3) विवाह की नियत अवधि के समापन से पूर्व ही विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष का परित्याग कर देने पर समाप्त हो जाता है।
'मुत्ता विवाह', आनन्द हेतु किया गया विवाह है। मुत्ता विवाह शिया विधि के अथना-असरिया शाखा में प्रचलित है।

60. Minimum period for Muta marriage is
मुता विवाह की न्यूनतम अवधि है-

(a) One month/एक माह
(b) One year/एक वर्ष
(c) Three months/तीन माह
(d) No minimum period/कोई न्यूनतम सीमा नहीं

UP (HJS) 2014

Ans. (d) : मुता का शाब्दिक अर्थ है 'आनन्द'। अतः मुता विवाह आनन्द हेतु किया गया विवाह है। मुता विवाह शिया विधि की अथवा अशनिया विचारधारा में ही मान्य है। मुता विवाह एक या दो दिन से लेकर कई वर्षों हेतु, यहाँ तक कि जीवन-पर्यन्त हेतु भी हो सकता है।
अतः मुता विवाह की कोई न्यूनतम अवधि नहीं है।

61. On consummation of a Muta Marriage, the wife is entitled to/मुता विवाह के विवाहोत्तर सहवार के होने पर पत्नी अधिकृत है-

(a) half dower/आधी मेहर की
(b) full dower/पूरी मेहर की
(c) double dower/दुगुनी मेहर की
(d) No dower/किसी मेहर की नहीं

UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (b) : मुता विवाह के विवाहोत्तर सहवार के होने पर पत्नी पूरी मेहर राशि पाने की हकदार होगी।

62. Nikah is a regular and permanent form of marriage among Muslims.
R. Mute is contractual form of marriage and is most uncommon in India.
मुस्लिमों में निकाह नियमित और स्थायी रूप का विवाह है।
R. मुता संविदात्मक रूप का विवाह है और भारत में सर्वाधिक अप्रचलित है।

(a) A and R above are correct/A और R दोनों सही है
(b) A is correct, R is false/A सही है और R मिथ्या है
(c) R is correct, but A is false/R सही और A गलत है
(d) Neither A is correct nor R is correct/न तो A सही है और न R सही है

UGC (NET) June, 2010

Ans. (a) : निकाह मुस्लिमों में सभी समुदायों के अन्तर्गत नियमित और स्थायी विवाह माना जाता है, वही मुता विवाह जिसका अर्थ 'आनन्द' है शिया समुदाय में प्रचलित है तथा यह विवाह संविदात्मक तथा अस्थायी होता है।

63. Muta marriag could not be dissolved
'मुत्ता विवाह' विघटित नहीं किया जा सकता है।
(a) Ipso facto by the efflux of the period/समय अवधि के पश्चात् स्वतः
(b) By death/मृत्यु के कारण
(c) By divorce/तलाक के कारण
(d) By Hiba-i-Mudat/हिबा-ए-मुदत द्वारा

UGC (NET) June, 2013 Paper-II

Ans. (c) : मुत्ता का शाब्दिक अर्थ आनन्द है। मुत्ता विवाह तलाक द्वारा समाप्त नहीं होता है। यह निम्नतः विघटित किया जा सकता है-
1. मृत्यु हो जाने पर, 2. अवधि के समापन पर
3. परित्याग कर देने पर, 4. हिबा-ए-मुद्दत द्वारा

64. A 'Muta' marriage is:
'मुता' शादी
1. A temporary marriage/एक अस्थाई शादी है
2. Recognized under Sunni Law/सुन्नी कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है
3. Recognized under Shia Law/शिया कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है
4. For a fixed period/एक निश्चित अवधि हेतु
Code:/कोड–
(a) II and IV only/केवल 2 और 4
(b) I, II, III and IV/1, 2, 3 और 4
(c) I, III and IV/1, 3 और 4
(d) II and III/2 और 3

UGC (NET) December, 2014

Ans. (c) : शिया विधि के अन्तर्गत मुता विवाह को मान्यता प्राप्त है, मुता शब्द का अर्थ है आनन्द के लिए, मुता विवाह एक नियत अवधि के लिए विवाह सम्बन्ध है और पुरुष द्वारा ऐसी स्त्री जो इस प्रकार का विवाह सम्बन्ध करती है कुछ पारितोषिक दिया जाता है। यह एक अस्थायी विवाह होता है।

65. What type of Muslim marriage is performed temporarily for enjoyment?
आनन्द के लिए जो निकाह अस्थाई किया जाता है वह कौन सा निकाह कहलाता है?
(a) Batil/बातिल (b) Sahih/सहीह
(c) Muta/मुता (d) Fasid/फासिद

27th BPSC (J) 2011

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

66. Which of the following statements(s) is/are correct in relation to 'muta' marriage?
मुता विवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
1. It is a temporary marriage
यह एक अस्थायी विवाह है।
2. It is recognized under Sunni law
यह सुन्नी विधि के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
3. It is recognised under Shia law
यह शिया विधि के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
4. It is marriage for a fixed period
यह नियत अवधि के लिए विवाह है।

Code/कूटः
(a) Only 1, 3 and 4 are correct
केवल 1, 3 और 4 सही है
(b) Only 2, 3 and 4 are correct
केवल 2, 3 और 4 सही है
(c) Only 4 are correct/केवल 4 सही है
(d) 1, 2, 3 and 4 all are correct
1, 2, 3 और 4 सभी सही है

UGC (NET) July, 2016 Paper-II

Ans. (a) : मुता विवाह, शिया विधि के अथवा अशारिया शाखा में मान्य है। यह एक अस्थाई विवाह है जो कि नियत समय के लिए होता है।

67. Give the correct answer with the help of code given below:
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिएः
'Muta' marriage is/मूता विवाह हैः
1. A temporary marriage/एक अस्थायी विवाह
2. Recognized under sunni law/सुन्नी कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त
3. Recognized under shia law/शिया कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त
4. A marriage for a fixed period/निश्चित अवधि के लिए विवाह
Code:/कूटः
(a) (4), (2), (1) and (3)/4, 2, 1 और 3
(b) (1), (3) and (4)/2, 3 और 4
(c) (1), (3) and (4)/1, 3 और 4
(d) (1), (2) and (4)/1, 2 और 4

UGC (NET) July, 2018 Paper-II

Ans. (c) : मूता विवाह शिया विधि के अथवा अशारिया शाखा के अधीन ही मान्य है। यह-
- अस्थायी विवाह होता है
- निश्चित अवधि के लिए होता है
- निश्चित धनराशि के बदले में विवाह होता है
- निश्चित अवधि के बाद मूता विवाह समाप्त हो जाता है

68. With whom a 'Shia' Muslim man is entitled to perform a temporary marriage, i.e. 'Muta'?
किस स्त्री के साथ एक 'शिया' मुस्लिम पुरूष अस्थायी विवाह अर्थात् वैध 'मुता' की संविदा का हकदार है?
(a) Muslim woman/मुस्लिम स्त्री के साथ
(b) Christian woman/ईसाई स्त्री के साथ
(c) Jewish or a fire-worshipping woman/यहूदी या अग्निपूजक स्त्री के साथ
(d) Any of the women stated above/उपर्युक्त में से किसी के भी साथ

29th BPSC (J) 2017

Ans. (d) : शिया मुस्लिम पुरुष अस्थायी विवाह अर्थात् वैध मुता विवाह की संविदा किसी मुस्लिम महिला, किताबिया (इसाई या यहूदी) या पारसी (अग्निपूजक) महिला से कर सकता है, किन्तु वह हिन्दू महिला से मुता विवाह की संविदा नहीं कर सकता है।

अध्याय -5

मेहर (Dower)

1. Dower in Muslim Law is-
मुस्लिम विधि में मेहर-
1. Dowery/दहेज है
2. An obligation imposed upon the husband as a mark of respect for wife/पति द्वारा पत्नी के प्रति आदर का कर्त्तव्य है
3. Consideration for marriage
विवाह का प्रतिफल है
4. A legal right of the wife
पत्नी का एक विधिक अधिकार है

Select the correct answer by using the code given below-
नीचे दिये कूट की सहायता से सही उत्तर लिखेंः
Code/कूटः
(a) 1, 3 and 4/1, 3 और 4
(b) 2 and 4/2 और 4
(c) 2, 3 and 4/2, 3 और 4
(d) 2 and 3/2 और 3

UGC (NET) December 2013
Uttarakhand (J) 2002

Ans. (c) : अब्दुल रहीम के अनुसार मेहर विधि द्वारा आरोपित पत्नी के प्रति सम्मान प्रकट करने का पति का दायित्व है।
- **मुल्ला** के अनुसार मेहर विवाह की संविदा का प्रतिफल है।
- 'मेहर' अनुयोज्य दावा है अतः यह पत्नी का एक विधिक अधिकार है।

2. Dower is/मेहर है
(a) essential incidence of marriage
विवाह का आवश्यक तत्व
(b) consideration to the marriage/विवाह का प्रतिफल
(c) mark of respect to the wife
पत्नी के सम्मान का सूचक
(d) all of the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2006, 2008

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. What minimum amounts is fixed for dower amongst Sunni Muslims?
सुन्नी मुसलमानों में कितना न्यूनतम मेहर निर्धारित किया गया है?
(a) 10 Dirhms/दस दिरहम
(b) 2 Dirhms/दो दिरहम
(c) 100 Dirhms/सौ दिरहम
(d) 5 Dirhms/पाँच दिरहम

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (a) : सुन्नी विधि में न्यूनतम मेहर सीमा 10 दिरहम है अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जबकि शिया विधि में अधिकतम मेहर सीमा 500 निर्धारित की गयी है।

4. Dower (Mehar) absolutely belongs to
दहेज (मेहर) पूर्णतः किसकी है?
(a) The wife/पत्नी का
(b) Wife's father/पत्नी के पिता का
(c) Wife's mother/पत्नी की माता का
(d) Partly to wife and partly to wife's parents/आधा पत्नी का तथा आधा पत्नी के माता पिता का

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (a) : मुस्लिम विधि में मेहर पर अधिकार पूर्णतः पत्नी का होता है। यह उसका व्यक्तिगत अधिकार किन्तु अनुयोज्य दावा है जो न्यायालय के माध्यम से ऋण स्वरूप पति से वसूल किया जा सकता है। मेहर का अधिकार निम्नलिखित आधार पर समाप्त नहीं होता है-
1. पत्नी द्वारा पति की हत्या,
2. पत्नी द्वारा आत्महत्या,
3. पत्नी द्वारा धर्म परिवर्तन,
4. दुराचरण/जारता,
5. पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद।

5. A "dower debt" is/एक 'मेहर ऋण' है
(a) a secured debt/एक प्रतिभूति ऋण
(b) an actionable claim/एक अनुयोज्य दावा
(c) a preferential debt/एक अधिमानी ऋण
(d) a mere right to sue/केवल वाद लाने का अधिकार

Uttarakhand (J) 2012, 2014

Ans : (b) कपूरचन्द बनाम खदरून्निशा (1950 SC) के वाद में धारित किया गया कि मेहर एक प्रतिभूति ऋण अर्थात् यह अनुयोज्य दावा है किन्तु अन्य ऋणदाताओं पर पत्नी को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

6. A Muslim wife's right to 'dower' can be claimed as
एक मुस्लिम पत्नी का ''मेहर'' का अधिकार मांगा जा सकता है-
(a) A preferential debt/एक प्राथमिक ऋण के रूप में
(b) An ordinary unsecured debt alongwith othe creditors/एक सामान्य असुरक्षित ऋण अन्य लेनदारों के साथ
(c) An ordinary debt but priority over other creditors/एक सामान्य ऋण किन्तु बाकी लेनदारों पर प्राथमिकता के साथ
(d) A secured debt/एक सुरक्षित ऋण के रूप में

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : मुस्लिम विधि में पत्नी के मेहर का अधिकार सामान्यतः असुरक्षित ऋण है तथा अन्य ऋणदाताओं के समतुल्य ही पत्नी की स्थिति होती है। **मैना बीबी बनाम वलील अहमद** (1925, P.C.) के वाद में न्यायालय ने धारित किया कि, असंदत्त मेहर में पत्नी पति की सम्पत्ति पर केवल धारणाधिकार रखती है, वह सम्पत्ति की स्वामिनी नहीं है, अतः उसका अन्तरण नहीं कर सकती है। **कपूर चन्द बनाम कदरून्निशा** (1952, S.C.) के वाद न्यायालय ने धारित किया कि, धारणाधिकार रखने वाली पत्नी को अन्य ऋणदाताओं पर प्राथमिकता नहीं प्राप्त होगी।

7. In which of the following case, the court held that "Dower is a sale price of woman"?
निम्न मामलों में से किसमें न्यायालय ने यह कहा है कि 'मेहर महिला का विक्रय मूल्य है''?

(a) Maina Bibi case/मैना बीबी का वाद
(b) Humara Bibi case/हुमेरा बीबी का वाद
(c) Subrunnisan case/सब्रुन्निसां का वाद
(d) Abdul Kadir case/अब्दुल कादिर का वाद

UGC (NET) September 2013
UGC (NET) December, 2013

Ans. (c) : सब्रुन्निसां बनाम सबदूशेख (1934) के मामले में न्यायालय ने धारित किया कि मेहर महिला का विक्रय मूल्य है। मेहर निकाह का अनिवार्य भाग है। यदि मेहर नियत न हो तो भी न्यायालय नियत कर सकता है। मेहर मुस्लिम पति का पत्नी के प्रति विधिक आभार है।

8. In Muslim Law:
मुस्लिम विधि में–

(a) Payment of Meher is necessary
मेहर देना जरूरी है।
(b) Payment of Meher is not necessary
मेहर का देना जरूरी नहीं है।
(c) Meher is to be paid on demand before marriage/माँगे जाने पर शादी से पहले दिया जाता है।
(d) Meher is determined after marriage
शादी के बाद मेहर तय की जाती है।

27th BPSC (J) 2011

Ans. (a) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत मेहर वह धनराशि अथवा सम्पत्ति है जिसे पत्नी पति द्वारा प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। मेहर मुख्यतः दो प्रकार का होता है-
(1) उचित मेहर (मेहर-ए-मिस्ल)
(2) निश्चित मेहर (मेहर-ए-मुसम्मा)
मेहर-ए-मुसम्मा भी दो प्रकार का होता है-
(i) तुरन्त देय मेहर (मेहर-ए-मुअज्जल) (Prompt Dower)
(ii) स्थगित मेहर (मेहर-ए-मुवज्जल) (Deffered Dower)

9. Maina Bibi v. Chaudhary Vakil Ahmed, 1925, PC is related with which topic under the Muslim Law?
***मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद,* 1925, PC वाद मुस्लिम विधि के किस विषय से सम्बन्धित है?**

(a) Marriage/विवाह (b) Divorce/तलाक
(c) Dower/मेहर (d) Gift/दान

BPSC (APO) 2012

Ans : (c) मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद का वाद मेहर से सम्बंधित है। इस वाद में प्रीवी कौंसिल ने कहा कि मेहर सिर्फ उत्तराधिकार योग्य होता है।

10. A Muslim marriage without dower is
बिना महर के एक मुस्लिम विवाह है

(a) valid/मान्य (b) void/शून्य
(c) irregular/अनियमित (d) voidable/शून्यकरणीय

Bihar (J) 2020

Ans. (c) : हेदाया के अनुसार विवाह में मेहर के भुगतान की विधिक अनिवार्यता मात्र पत्नी के प्रति आदर के प्रतिक के रूप में है, विवाह की वैधता के लिए इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। जिन विवाहों में मेहर का उल्लेख नहीं रहता वे भी पूर्णतया विधिमान्य होते है और विधितः पत्नी मेहर प्राप्त करने की अधिकारिणी रहती है।

11. A prompt dower is payable
तुरन्त मेहर का भुगतान किया जाता है

(a) at the time of marreiage itself/विवाह के समय ही
(b) on a fixed date/एक निश्चित समय पर
(c) when demanded by the wife
पत्नी के माँगें जाने पर
(d) partly at the time of marriage and partly at a fixed date/भागतः विवाह के समय एवं भागतः एक निश्चित समय पर

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (c) मुस्लिम विधि में मेहर दो प्रकार के होते हैं-
1. **मेहर-ए-मुसम्मा** (निश्चित मेहर)- यह दो प्रकार का होता है
(i) मुअज्जल मेहर- यह मांग पर तत्काल देय है (Prompt dower)।
(ii) मुवज्जल मेहर- यह मृत्यु, विवाह विच्छेद पर या किसी निश्चित घटना के घटित होने पर देय है (Differed dower)।
2. **मेहर-ए-मिस्ल** (अनिश्चित/उचित/प्रथागत मेहर)- यह मेहर न्यायालय द्वारा तय किया जाता है।

12. Under Muslim Law, a prompt dower is payable
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत 'तुरन्त मेहर' का भुगतान किया जाता है-

(a) at the timeof marriage/विवाह के समय
(b) when demanded by wife/पत्नी के माँगे जाने पर
(c) at the death of the husband/पति की मृत्यु पर
(d) at the time of divorce by the husband/पति द्वारा तलाक दिये जाने पर

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (b) : मुस्लिम विधि में, मुअज्जल या तत्काल देय मेहर निकाह पूर्ण होते ही या भविष्य में कभी भी पत्नी द्वारा माँगे जाने पर देय होता है। माँग किये जाने पर इसका तत्काल भुगतान आवश्यक है। भुगतान में विलम्ब होने पर पत्नी ब्याज वसूल सकेगी तथा वह पति को सहवास से भी वंचित रख सकती है (यदि पक्षकारों के मध्य पहले एक बार भी सहवास नहीं हुआ है)।
मुवज्जल या स्थगित मेहर विवाह-विच्छेद (पति की मृत्यु, तलाक) पर ही देय होता है।

13. Where it is not settled at the time of marriage that the dower is to be prompt or deferred, then according to Shia law/जहां विवाह के समय यह तय नहीं होता है कि मेहर शीघ्र या विलंबित देना है, तो शिया कानून के अनुसार :

(a) The whole is prompt/पूरा शीघ्र है
(b) The whole is deferred/पूरा विलंबित है
(c) Partially it is prompt and partially deferred आंशिक रूप से यह शीघ्र और आंशिक रूप से विलंबित है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan SET 2023

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

14. Which of the following statements is/are correct? निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है?

A. Dower is a consideration for the surrender of person by the wife./ मेहर (डॉवर) पत्नी द्वारा अपने आप को समर्पित किये जाने हेतु एक प्रतिफल है।
B. Dower is the technical Anglo-Mohammedan term for its equivalent 'Mahr' in Arabic./ डॉवर तकनीकी आंग्ल-मुस्लिम शब्द है, अरबी में जिसका समकक्ष शब्द 'मेहर' है।
C. Dower must be fixed at the marriage cermony otherwise marriage will be void./ महर (डॉवर) को विवाह समारोह में तय किया जाना चाहिए अन्यथा विवाह शून्य हो जाएगा।
D. Where no dower is expressly fixed at the marriage ceremony, the law confers the right of dower upon wife./ जहाँ विवाह समारोह में कोई मेहर (डॉवर) स्पष्ट रूप से तय नहीं किया जाता, वहाँ विधि द्वारा महर (डॉवर) का अधिकार पत्नी को प्रदान किया जाता है।

Choose the most appropriate answer from he options given below :
नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए-

(a) A and C only/ केवल A और C
(b) A, B and D only / केवल A, B और D
(c) A, B and C only / केवल A, B और C
(d) B and C only / केवल B और C

UGC (NET) March, 2023

Ans. (b) : मेहर पत्नी द्वारा अपने शरीर के समर्पण का प्रतिकर/प्रतिफल है। सामान्यतः मेहर की शशि का निर्धारण विवाह समारोह में होता है, लेकिन यदि विवाह के समय मेहर स्पष्ट रूप से तय नहीं किया गया है तो पत्नी उचित मेहर की अधिकारिणी होगी।

15. When in a muslim marriage 'Mehr' is unspecified, the wife is entitled to get
जब मुस्लिम विवाह में 'मेहर' अनिश्चित है, पत्नी हकदार होती है

(a) Mehr-i-Muajjal/मेहर-ए- मुअज्जल प्राप्त करने की
(b) Mehr-i-Muwajjal/मेहर-ए- मुवज्जल प्राप्त करने की
(c) Mehr-i-Mislमेहर-ए- मिस्ल प्राप्त करने की
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : मेहर-ए-मिस्ल को उचित मेहर या अनिश्चित मेहर कहा जाता है। यदि मेहर की राशि विवाह के समय निश्चित न की गई हो तब उस स्थिति में पत्नी उचित यानी अनिश्चित मेहर की हकदार होती है, चाहे विवाह कि संविदा इस शर्त पर हो, कि पत्नी मेहर की प्राप्ति के लिए कोई वाद दायर नहीं करेगी।

16. Mahar-e-Misl determined on what ground?
मेहर-इ-मिस्ल किस आधार पर निश्चित होता है?

(a) Personal characteristics of wife such as age, extra-ordinary beauty/पत्नी की निजी विशेषताएँ जैसे कि उसकी आयु असाधारण सुन्दरता
(b) Her father's family social status/उसके पिता के परिवार की सामाजिक प्रास्थिति
(c) Dower paid to women in her husband's family/मेहर जो कि उसके पति के परिवार में स्त्रियों को दी गयी हो
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : मेहर-ए-मिस्ल या उचित मेहर के निर्धारण में निम्नलिखित विचारणीय होगी—

1. पत्नी के व्यक्तिगत गुण,
2. पत्नी के पिता का सामाजिक स्तर, तथा
3. पत्नी के पितृ-कुल में मेहर की धनराशि के उदाहरण।

जब विवाह के समय पक्षकारों या उनके संरक्षकों द्वारा मेहर निश्चित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय मेहर की राशि का निर्धारण करती है, जिसे मेहर-ए-मिस्ल या उचित मेहर कहा जाता है।

17. Which one of the following is not a ground for determining a Meher-e-Misl?
निम्नलिखित में से कौन सा एक मेहर-ए-मिस्ल के निर्धारण हेतु आधार नहीं है?

(a) Age of a lady/महिला की आयु
(b) Charming beauty/मोहक सौन्दर्य
(c) Education and intellect/शिक्षा और प्रतिभा
(d) Before marriage, lady was a beloved girl friend/शादी से पूर्व महिला एक परम प्रिय मित्र थी।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) मुस्लिम विधि में मेहर-ए-मिस्ल का निर्धारण करने में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय है-

1. पत्नी की उम्र, सौन्दर्य, समृद्धि, समझदारी और सादाचार।
2. उसके पति के खानदान की सामाजिक स्थिति।
3. उसके पितृपक्ष की सम्बन्धिनी स्त्रियों को दिया गया मेहर।
4. उसके पति की आर्थिक स्थिति।
5. तत्कालीन परिस्थितियाँ।

18. A Muslim wife can relinquish her Mahr
मुस्लिम पत्नी अपनी मेहर कब त्याग सकती है?

(a) When she is minor/यह वह अवयस्क है
(b) When she has attained the age of puberty/यदि उसने तारुण्य की आयु प्राप्त कर ली है
(c) When she is not less than 18 years of age/यदि वह 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है
(d) When she is not less than 21 years of age/यदि वह 21 वर्ष से कम आयु की नहीं है

UGC (NET) June, 2012 Paper-III

Ans. (c) : मुस्लिम पत्नी स्वेच्छा से मेहर के अधिकार को छोड़ सकती है। मेहर की माफी पूर्णतः या अंशतः हो सकती है। विधिमान्य माफी के लिए निम्न बातें आवश्यक है-
(1) पत्नी वयस्क तथा स्वस्थचित्त हो
(2) मेहर का त्याग स्वेच्छा से होनी चाहिए
(3) मेहर का त्याग लिखित होना चाहिए।

19. When a Muslim wife can relinquish her 'Mehr'?
एक मुस्लिम पत्नी अपनी 'मेहर' कब त्याग सकती है?
(a) When she is minor/जब वह अवयस्क है
(b) When she is not less than 18 years of age जब वह 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है
(c) When she has attained the age of puberty जब वह यौवनागम को प्राप्त कर ली है
(d) When she is not less than 21 years of age जब वह 21 वर्ष से कम आयु की नहीं है

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. Widow's right of retention for non-payment of her dower is her:
मेहर के अदा न होने की स्थिति में विधवा की सम्पत्ति पर काबिज रहने का अधिकार उसका
(a) Personal right/व्यक्तिगत अधिकार है।
(b) Religious right/धार्मिक अधिकार है।
(c) Old tradition of Muslims मुसलमानों की प्राचीन परम्परा है।
(d) Right given under Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939/मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 द्वारा दिया गया अधिकार है।

Uttarakhand (J) 2006, 2008

Ans. (a) : मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद, 1925 P.C. के मामले में प्रिवि कौंसिल ने यह अवधारित किया कि मेहर के अदा होने की दिशा में विधवा का पति की सम्पत्ति पर काबिज रहने का अधिकार उसका व्यक्तिगत अधिकार है। इस सम्पत्ति का अन्तरण नहीं किया जा सकता है। विधवा सम्पत्ति को तब तक अपने कब्जे में रखने की अधिकारिणी है जब तक उसके मेहर का भुगतान नहीं हो जाता।

21. What are the wife's right when husband does not pay the dower?
पत्नी का क्या अधिकार है जब पति उसे मेहर न दे?
(a) Refuse consummation/पति के साथ सम्भोग करने से इन्कार करना।
(b) File suit for recovery of dower/मेहर की वसूली के लिए वाद दायर करना।
(c) Keep possession over dead husband's property/मृतक पति की सम्पत्ति पर कब्जा रखना।
(d) All the above/उपरोक्त सभी

28th BPSC (J) 2014
Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : पत्नी को पति मेहर की राशि अदा नहीं करता है तो उसे निम्न अधिकार प्राप्त है—पति के साथ सम्भोग करने से इन्कार करना, मेहर की वसूली के लिए वाद दायर करना, मृतक पति की सम्पत्ति पर कब्जा रखना।

22. Which one of the following is not the right of a wife on non-payment of Dower?
निम्नलिखित में से कौन सा एक मेहर का भुगतान न किये जाने पर पत्नी का अधिकार नहीं है?
(a) Refusal to cohabit/पति के साथ सम्भोग करने से इन्कार करना
(b) Right to dower as debt/ऋण के रूप में मेहर की धनराशि का अधिकार
(c) Right to retain her deceased husband's property/मृतक पति की सम्पत्ति पर कब्जा रखना
(d) Right to increase or decrease dower/मेहर में वृद्धि या कमी का अधिकार

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. Which one of the following is the leading case under the Mohammedan Law on widow's right to retain possession of her husband's property?/निम्नलिखित में से कौन-सा एक वाद मुस्लिम विधि के अन्तर्गत प्रमुख वाद है, जो विधवा मुस्लिम पत्नी को अपने पति की सम्पत्ति को अवरुद्ध करने का अधिकार देता है?
(a) Mohd. Sadiq vs. Fakhr Johan मुहम्मद सादिक बनाम फक्र जहाँ
(b) Mohd. Ahmed Khan vs. Shah Bano Begum/मुहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम
(c) Mohd. Mumtaz vs. Zubaida Jan मुहम्मद मुमताज बनाम जुबैदा जान
(d) Mst. Maina Bibi vs. Chaudhri Vakil Ahmed/मुसम्मात मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (d) : मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद (1925 PC) के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई विधवा जो अदत्त मेहर के बदले अपने पति की सम्पत्ति पर कब्जा बनाये रहती है, सम्पत्ति की स्वामी नहीं हो जाती है। उसे केवल इतना अधिकार है कि जब तक अदत्त मेहर का भुगतान न हो जाए तब तक वह कब्जा बनाये रखें।

24. After the death of the husband, a muslim wife can retain possession over her husband's properly until dower is paid. This is her right of
पति की मृत्यु पर एक मुस्लिम पत्नी अपनी पति की सम्पत्ति तब तक अधिपत्य में रख सकती है जब तक कि मेहर का भुगतान न कर दिया जाय। उसका यह अधिकार है:-
(a) pre-emption/हकशुका का
(b) recovery/वसूली का
(c) retention/धारणाधिकार का
(d) pledge/गिरवी का

BPSC (APO) 2013

Ans : (c) मुस्लिम पत्नी अपनी पति की मृत्यु पर मेहर का भुगतान होने तक पति की सम्पत्ति पर अधिपत्य रख सकती है। उसका यह अधिकार धारणाधिकार का है।

अध्याय -6

तलाक (Divorce)

1. Under the Shia Law, if the husband has capacity to speak but announces Talak in writing the Talak is-
शिया विधि के अन्तर्गत यदि पति बोलने की क्षमता रखता है और तलाक की लिखित घोषणा करता है तो ऐसा तलाक-
(a) Valid/विधिमान्य होता है
(b) Voidable/शून्यकरणीय होता है
(c) Void/शून्य होता है
(d) Valid barring certai circumstances/कुछ परिस्थितियों को छोड़कर विधिमान्य होता है

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (c) : शिया विधि के अन्तर्गत तलाक मौखिक होना अनिवार्य है लेकिन यदि पति किसी शारीरिक अक्षमता के कारण बोल नहीं पाता है तो वह लिखित तलाक दे सकता है किन्तु यदि वह बोलने की क्षमता रखते हुए भी लिखित तलाक देता है तो वह तलाक शून्य होगा।

2. "Quran provides a best procedure for divorce". Who made this statement?
''कुरान में तलाक का सबसे अच्छा तरीका बताया गया हैं।'' यह कथन निम्न में से किसका है?
(a) Justice Krishan Iyer/न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर
(b) Justice Ahmadi/न्यायमूर्ति अहमदी
(c) Justice Kuldeep Singh/न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह
(d) Justice Sagheer Ahmad/न्यायमूर्ति संगीर अहमद

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने अभिकथित किया कि कुरान में तलाक का सबसे अच्छा तरीका बताया गया है। यह भारतीय वकील और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं व इन्होंने 2002 में परिसीमन आयोग का नेतृत्व किया।

3. Under Sunni Law, if husband gives Talaq, under coercion, intoxication and joke. This Talaq is:
सुन्नी विधि में अगर पति दबाव, नशे में एवं मजाक में तलाक देता है, तो यह तलाक
(a) Valid/वैध है।
(b) Invalid/अवैध है।
(c) Void/शून्य है।
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (a) : सुन्नी विधि के अनुसार- यदि पति दबाव, नशे में एवं मजाक में तलाक देता है, तो यह तलाक मान्य है और वैध है तथा प्रभावी होगा।
शिया विधि के अनुसार- यदि पति दबाव में, नशे या मजाक में तलाक देता है तो ऐसा तलाक मान्य नहीं है और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

4. Under Muslim Law insanity is a ground for
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत उन्मत्तता एक आधार है
(a) getting the marriage as voidable/विवाह को शून्यकरणीय कराने का
(b) judicial separation/न्यायिक पृथक्करण का
(c) divorce/विवाह-विच्छेद का
(d) all of the above/उपरोक्त सभी का

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) मुस्लिम विधि के अनुसार ''उन्मत्तता'' विवाह विच्छेद तथा न्यायिक पृथक्करण का आधार है साथ ही साथ पक्षकार उन्मत्तता के आधार पर विवाह को न्यायालय द्वारा शून्य घोषित करा सकते हैं।

5. Which of the following is of the legal consequences of divorce under Muslim Law?
निम्नलिखित में से मुस्लिम विधि के तहत कौन सा तलाक का विधिक परिणाम है?
(a) The parties acquire the right to contract another marriage/पक्षकार दूसरे विवाह की संविदा करने के हकदार हो जाते है
(b) Cohabitation becomes unlawful/संभोग अवैध हो जाता है
(c) Mutual rights of inheritance ceases/उत्तराधिकार के पारस्परिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं।
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) मुस्लिम विधि में तलाक के पश्चात-
1. पति पत्नी के मध्य संभोग अवैध हो जाता है।
2. परस्पर उत्तराधिकार समाप्त हो जाता है।
3. पति से पत्नी मेहर प्राप्त करेगी।
4. पति उसी समय तथा पत्नी इद्दत बाद पुनः विवाह कर सकेंगे।

6. Khilwat or Sahida connotes
खिलवत् अथवा शहीदा बतलाती है
(a) valid retirement/मान्य निवृत्ति
(b) apostasy/धर्मत्याग
(c) consent under compulsion
विवशता के अधीन सहमति
(d) option of puberty/यौवनागमन का विकल्प

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत खिलवत् अथवा शहीदा मान्य निवृत्ति बतलाती है।

7. 'Tuhr' means
'तुहर' से अभिप्रेत है
(a) Period of Iddat/इद्दत की अवधि
(b) Period of menstruation/रजोधर्म की अवधि

(c) Date of marriage/विवाह की तिथि
(d) The period between two menstrual cycles दो रजोधर्म के मध्य की अवधि

UGC (NET) December 2013
Uttarakhand (J) 2018

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत तुहर से अभिप्रेत है, ''दो रजोधर्म के मध्य की अवधि।'' रजोधर्म का अर्थ है, 'मासिक धर्म'। इस प्रकार दो मासिक धर्मों के मध्य की अवधि जब महिला साफ व सुरक्षित (पाक) रहती है। मुस्लिम विधि के अनुसार, तलाक हमेशा केवल इसी समयावधि में दी जानी चाहिए जिसे तुहर काल कहा जाता है।

8. A Muslim can divorce his wife–
एक मुस्लिम अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है–
(a) Whenever he so desires without assigning any cause/बिना कोई कारण बताये, जब कभी वह ऐसा चाहता है
(b) Whenever he so desires but only with a cause/जब कभी वह ऐसा चाहता है, परन्तु केवल कारण के साथ
(c) Whenever he so desires without assigning any cause but only in the presence of the wife/बिना कोई कारण बताये, जब कभी वह ऐसा चाहता है परन्तु केवल पत्नी की उपस्थिति में
(d) either (b) or (c)/या तो (b), या तो (c)

UP (HJS) 2009

Ans. (a) : मुस्लिम विधि के अनुसार–
- स्वस्थचित्त तथा वयस्क मुस्लिम पति अपनी स्वतंत्र सहमति से तथा विधिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए, तलाक उद्घोषित कर सकता है।
- तलाक का आशय स्पष्ट होना चाहिए। आशय स्पष्ट न होने पर तलाक प्रभावी न होगा।
- तलाक, पत्नी को उसके नाम से सम्बोधित किया जाना चाहिए।
- तलाक उद्घोषणा की तिथि से प्रभावी होता है, परंतु इद्दतकाल, भरण-पोषण तथा मेहर के प्रयोजनों हेतु तलाक, पत्नी को तलाक की संसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

9. A Talaq can be effected–
तलाक प्रभावी हो सकता है–
(a) Orally by spoken words/मौखिक रूप से बोले गये शब्दों द्वारा
(b) in writing/लिखित में
(c) Only (a) and not (b)/केवल (a) एवं (b) नहीं
(d) Either (a) or (b)/या तो (a), या तो (b)

UP (HJS) 2009

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत सुन्नी विधि में तलाक लिखित, मौखिक या संकेतों द्वारा इंगित हो सकता है, जबकि शिया विधि में तलाक, मौखिक होना चाहिए। लिखित तलाक शून्य होगा। हाँ, बोलने में असमर्थ पति तलाक की लिखित उद्घोषणा कर सकता है।

10. In which of the following case, the Supreme Court held that "Triple Talaq" would be treated as a "Single Talaq" and not a valid talaq?
निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि ''तीन तलाक'' को ''एक तलाक'' माना जाएगा और वैध तलाक नहीं माना जाएगा?
(a) Bai Tahira Case/बाई ताहिरा केस
(b) Fazlun Bi Case/फजलुनबी केस
(c) Mohd. Ahmad Khan Case/मो. अहमद खान केस
(d) Shamim Ara Case./शमीम आरा केस

UGC (NET) November, 2017 Paper-II

Ans. (d) : शमीम आरा बनाम उ.प्र. राज्य, 2002 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि तीन तलाक को एक तलाक माना जायेगा और वैध तलाक नहीं माना जायेगा।

11. In which of the following case, the court held that, "Divorce is good in law through bad in Theology"?
निम्नलिखित में से किस केस में न्यायालय ने माना कि ''तलाक कानून में अच्छा है यद्यपित कि धर्मशास्त्र में बुरा है''?
(a) Shah Bano case/शाहबानो केस
(b) Bai Tahira case/बाई ताहिरा केस
(c) Shamim Ara case/शमीम आरा केस
(d) Sarabai case/साराबाई केस

UGC (NET) November, 2017

Ans. (d) : सारा बाई (सन 1905) के वाद में न्यायालय ने माना की तलाक कानून में अच्छा है यद्यपि की धर्मशास्त्र में बुरा है।

12. The pronouncement of divorce by a Muslim man would be invalid if:
एक मुस्लिम द्वारा तलाक की घोषणा अवैध होगी यदि विवाह होगाः
(a) pronounced under duress/विवाध्येता के तहत घोषणा
(b) pronounced under the state of voluntary intoxication /स्वैच्छिक मत्तता की दशा में घोषणा
(c) pronounced merely to satisfy his father /मात्र अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए घोषणा
(d) it will not be invalid in any case /यह किसी भी मामले में अवैध नहीं होगा

Bihar (HJS) 2016

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत वैध तलाक के निम्नलिखित आवश्यक तत्त्व है-
1. क्षमता-स्वस्थचित + यौवनावस्था की वय
2. स्वतंत्र सहमति
3. औपचारिकता-तलाक लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी (शिया विधि में तलाक का मौखिक होना अनिवार्य है)
4. तलाक के शब्द स्पष्ट हो।

हनफी विधि के अन्तर्गत तलाक चाहे स्वेच्छा से दिया गया हो किसी मजबूरी में प्रत्येक स्थित में विधि मान्य होता है। बल प्रयोग, अनुचित दबाव, धमकी, धोखे से या किसी अन्य प्रकार की मजबूरी में आकर दिया गया तलाक भी हनफी विधि में मान्य है।
परिहास में या स्वेच्छा से मद्यपान करके नशे की हालत में दिया गया तलाक भी हनफी-विधि में वैध है। शिया विधि के अन्तर्गत तलाक यदि सामान्य मानसिक स्थिति में तथा स्वेच्छा से न दिया गया हो तो शून्य माना जाता है।

13. **Whether a Muslim may give 'Talaq' in the state of intoxication or under pressure?**
क्या एक मुस्लिम पुरूष नशे या दबाव की हालत 'तलाक' दे सकता है?
(a) Yes, recognized under the 'Sunni' Muslim Law
हाँ, 'सुन्नी' मुस्लिम विधि में मान्य
(b) Yes, recognized under the 'Shia' Muslim Law
हाँ, 'शिया' मुस्लिम विधि में मान्य
(c) Yes, according to the 'Ismailiya' Law
हाँ, 'इस्माइलिया' विधि में मान्य
(d) Yes, according to the 'Usuli' Law
हाँ, 'उसूली' विधि के अनुसार

29th BPSC (J) 2017

Ans. (a) : सुन्नी विधि में विवशता, नशे, हंसी, खेल, मजाक या जिहवा की भूल से उच्चारित तलाक मान्य और प्रभावी होता है, जबकि शिया विधि में ऐसा तलाक अमान्य होता है।

14. **After divorce, a Muslim woman**
तलाक के पश्चात् एक मुस्लिम महिला
(a) can immediately marry/तुरंत शादी कर सकती है
(b) cannot remarry/दुबारा शादी नहीं कर सकती
(c) can marry only after completion of Iddat/इद्दत पूर्ण करने के पश्चात् ही शादी कर सकती है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

28th BPSC (J) 2014

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला इद्दत पूर्ण करने के पश्चात ही शादी कर सकती है। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत इद्दत उस अवधि को कहते हैं, जिसमें विवाह विच्छेद के पश्चात किसी विधवा या तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह करने पर प्रतिबन्ध रहता है।

15. **The most proper divorce is**
सर्वोत्तम तलाक है
(a) Hasan Talak/हसन तलाक
(b) Ahsan Talak/अहसन तलाक
(c) Talak-ul-Sunna/तलाक-उल-सुन्ना
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : मुस्लिम विधि के अनुसार अहसन तलाक, तलका का सर्वोत्तम मान्य प्रकार है, जिसमें केवल एक बार तलाक का उच्चारण किया जाता है तथा पत्नी इद्दत का पालन करती है। इद्दत के दौरान यदि तलाक वापस नहीं लिया जाता है, तो इद्दत की अवधि की समाप्ति पर तलाक पूर्ण हो जायेगा।

16. **In the "Ahsan Form" of talaq, the talaq is effective**
''अहसन प्रकार'' के तलाक में तलाक प्रभावी होता है-
(a) from the moment of pronouncement/घोषणा होने के क्षण से ही
(b) on the expiration of Iddat period/इद्दत की अवधि की समाप्ति पर
(c) on the third pronouncement/तीसरी घोषणा पर
(d) from the execution of writing of talaqnama/तलाकनामा के लिखित में निष्पादन से

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

17. **Which one of the following is the most approved form of divorce under Muslim Law?**
मुस्लिम विधि में निम्न में कौन सा सर्वाधिक अनुमोदित तलाक है?
(a) Talaq-e-Tafweez/तलाक-ए-तफवीज
(b) Talaq-e-Ahsan/तलाक-ए-अहसन
(c) Talaq-e-Hasan/तलाक-ए-हसन
(d) Talaq-e-Biddat/तलाक-ए-बिद्दत

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (b) : मुस्लिम विधि में सर्वाधिक अनुमोदित तलाक, **तलाक-ए-अहसन** है। इसमें पति को, पत्नी के तुहर काल (शुद्ध काल) में, केवल एक बार 'तलाक' शब्द उच्चारित करना होता है।
तलाक-ए-हसन में 'तलाक' का उच्चारण तीन भिन्न-भिन्न तुहर काल में किया जाना आवश्यक होता है।
ऐसी पत्नी जिसका मासिक धर्म बन्द हो चुका हो, के विरुद्ध तलाक शब्द कभी भी उच्चारित किया जा सकता है।
तलाक-ए-बिद्दत में, मुस्लिम पति एक ही समय पर 'तलाक' शब्द तीन बार उच्चारित (तलाक के आशय से) करता है। इसे तलाक-उल-राजे भी कहते है तथा यह अप्रतिसंहरणीय तलाक है। यह केवल सुन्नी विधि में मान्य है।
तलाक-ए-तफवीज में मुस्लिम पति अपनी तलाक देने की शक्ति को अपनी पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्योजित (delegate) कर देता है, परन्तु प्रत्यायोजन के बावजूद, मुस्लिम पति का तलाक देने का अधिकार बना रहता है। यह शिया तथा सुन्नी दोनों विधियों में मान्य है।

18. **The most proper or approved form of divorce among Muslims is/मुस्लिमों में सर्वाधिक समुचित या स्वीकृत तलाक का रूप हैः**
(a) Triple talak/तीन बार तलाक
(b) Ahsan talak/अहसन तलाक
(c) Hasan talak/हसन तलाक
(d) Talak-al-biddat/तलाक-अल-बिद्दत

UGC (NET) July, 2016 Paper-III

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

19. **Talaq e ashan' is;/ तलाक ए अहसन' हैः**
(a) Revocable during the tuhr which it has been pronounced/जिस अवधि के दौरान तुहर हो उसके दौरान प्रतिसंहरणीय
(b) Revocable until the next successive tuhr/अगले तुहर तक प्रतिसंहरणीय
(c) Revocable during the period of iddat/इद्दत की अवधि के दौरान प्रतिसंहरणीय
(d) Irrevocable/अप्रतिसंहरणीय

UGC (NET) December, 2015

Ans. (c) : तलाक-ए-अहसन एक प्रतिसंहरणीय तलाक है। इद्दत की अवधि के दौरान इस तलाक को वापस लिया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है-
(1) पत्नी के तुहर काल में केवल एक बार यह कहना होता है कि मैंने तुम्हें तलाक दिया।
(2) घोषणा के बाद पत्नी को इद्दत का पालन करना होता है। इद्दत के दौरान पत्नी-पति के बीच समझौता हो जाने पर तलाक निस्प्रभावी हो जाता है।

20. Which form of talaq is revocable during period of 'iddat'?
'इद्दत के समय' में कौन सी तलाक वापस ली जा सकती है?
(a) Talaq-i-Ahsan/तलाक-ए-एहसन
(b) Talaq-i-Hasan/तलाक-ए-हसन
(c) Triple Talaq/तीन तलाक
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2013 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. Talaq ahsan is
तलाक अहसन
(a) Irrevocable/निरस्त नहीं किया जा सकता
(b) Revocable during the tuhar in which it has been pronounced/उस तुहर में निरस्त किया जा सकता है जिसके दौरान यह दिया गया था
(c) Revocable until the next successive tuhar /अगले आने वाले तुहर तक निरस्त किया जा सकता है
(d) Revocable during the period of iddat/इद्दत की अवधि के दौरान निरस्त किया जा सकता है

UGC (NET) January, 2017 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. By the third pronouncement (utterancer) of 'Talaq' which kind of 'Talaq' becomes effective?
'तलाक' की तीसरी घोषणा (उच्चारण) में कौन-सी किस्म का 'तलाक' प्रभावी हो जाता है?
(a) Talaq-e-Hassan/तलाक-ए-हसन
(b) Talaq-e-Ashan/तलाक-ए-अहसन
(c) Talaq-e-Tafweez/तलाक-ए-तफवीज
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

30th BPSC (J) 2018
29th BPSC (J) 2017

Ans. (a) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत 'तलाक-ए-हसन' तलाक का अनुमोदित प्रकार है। इसमें, तीन बार 'तलाक' शब्द का उच्चारण करना होता है। पत्नी के तुहर काल (शुद्ध काल) में पति एक बार तलाक शब्द उच्चारित करता है तथा सहवास से दूर रहता है। अगले तुहर काल में, पति दूसरी बार तलाक शब्द उच्चारित करते हुए सहवास से दूर रहता है। तीसरे तुहर काल मे, पति द्वारा तीसरी बार तलाक शब्द उच्चारित करने के साथ ही तलाक पूर्ण, अन्तिम तथा अप्रतिसंहरणीय (complete, final and irrevocable) हो जाता है।

23. Talak-ul-biddat is-
तलाक-उल-विद्दत-
(a) Complete and irrevocable divorce
पूर्ण और अप्रतिसंग्रहणीय तलाक है
(b) Incomplete and irrevocable divorce
अपूर्ण और अप्रतिसंग्रहणीय तलाक है
(c) Complete and revocable divorce
पूर्ण और प्रतिसंग्रहणीय तलाक है
(d) None of these above/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (a) : तलाक-उल-विद्दत पूर्ण तथा अप्रतिसंहणीय तलाक है, जो केवल सुन्नी विधि में मान्य है। **शायरा बानो बनाम भारत संघ** 2017 में उच्चतम् न्यायालय ने तलाक-उल-विद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा तलाक-उल-विद्दत को अजमानतीय व संज्ञेय अपराध बना दिया गया है।

24. Talak-ul-Bidat is recognised by the:
तलाक-उल बिद्दत को मान्यता प्राप्त है
(a) Shias/शियाओं द्वारा
(b) Sunnies/सुन्नियों द्वारा
(c) Sufies/सूफियों द्वारा
(d) (a) and (c)/(a) और (c) द्वारा

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

25. In which of the following case the Supreme Court has held that the "three talaqs" would be treated as a "Single talaq" and not a valid talaq
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि तीन तलाक को ''एक तलाक'' माना जाएगा तथा यह वैध तलाक नहीं होगा-
(a) Mohd Ahmad Khan v. Shah Bano, AIR 1985 SC/मों. अहमद खान बनाम शाह बानो. ए.आई.आर-S.C.
(b) Bai Taheri v. Ali Hussain, AIR 1979 SC/बाई ताहिरा बनाम अजली हुसैन, ए.आई.आर-1979 S.C.
(c) Shamim Ara v. State of UP, AIR 2002 SCR/शमीम आरा बनाम उ.प्र. राज्य ए.आई. आर-2002 एस.सी.आर
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (c) : शमीम आरा बनाम उ.प्र. राज्य (2002 SC) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि तीन तलाक विवाह-विच्छेद का वैध तरीका नहीं है।
बाई ताहिरा बनाम अजली हुसैन (1979 SC) के वाद में न्यायालय ने धारित किया कि तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण का वैधानिक अधिकार है।
मों. अहमद खान बनाम शाह बानो (1955 SC) के वाद में न्यायालय ने धारित किया कि पत्नी को इद्दत के बाद भी भरण-पोषण का अधिकार है।

26. In which one of the following cases it was held that, 'only in case of triple Talaq, Halala is mandatory before remarrying to same husband?/निम्नलिखित में से किस एक वाद में यह अवधारित किया गया है कि 'केवल ट्रिपल तलाक के मामले में उसी पति से दुबारा शादी के लिये हलाला अनिवार्य है'?
(a) Mohd. Razak v. Mohd. Azmi/मो. रजाक बनाम मो. आजमी
(b) Mohd. Ghafoor v. Sabina/मो. गफूर बनाम सबीना
(c) Mrs. Sabah Adnan Sami v. Adnan Sami/श्रीमती सबाह अदनन सामी बनाम अदनान सामी
(d) Mohd. Akbaz v. Sabana/मो. अकबाज बनाम सबाना

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (c) : श्रीमती सबाह अदनन सामी बनाम अदनान सामी (2010) के वाद में यह अवधारित किया गया है कि 'केवल ट्रिपल तलाक के मामले में उसी पति से दुबारा शादी के लिये हलाला अनिवार्य है'।

27. 'Halala' is related with
''हलाला'' सम्बन्धित हैः
(a) Muslim women/मुस्लिम महिलाओं से
(b) Hindu women/हिन्दू महिलाओं से
(c) Schedule Caste and Schedule Tribes women अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से
(d) Refugee's women/शरणार्थियों की महिलाओं से

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : हलाला मुस्लिम महिलाओं से संबंधित है। हलाला प्रक्रिया के अंतर्गत एक तलाक शुदा पूर्व मुस्लिम दम्पत्ति आपस में फिर निकाह कर सकते है अन्यथा नहीं।

28. Shayara Bano v. Union of India (2017) case is related with/शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) का वाद सम्बन्धित है
(a) Triple Talaq/तिहरे तलाक से
(b) Muta marriage/मुता विवाह से
(c) Mehr/मेहर से
(d) Divorce/विवाह-विच्छेद से

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) का वाद तिहरे तलाक से सम्बन्धित है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से तलाक-ए-बिद्दत (एक साथ और एक ही समय तलाक की तीन उद्घोषणाएं) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

29. In which of the following case, the Court held that "Triple divorce' is not a Valid Talaq?
निम्न में से किस वाद में न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि ''तीन तलाक विधि मान्य नहीं है''?
(a) Zauddin v. Anwari Begum
जियाऊद्दीन बनाम अनवरी बेगम
(b) Mohammad Ahmad Khan v. Shah Bano
मुहम्मद अहमद खाँ बनाम शाहबानो
(c) Bai Tahira v. Ali Hussain
बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

UGC (NET) December, 2009

Ans. (d) : रहमतुल्ला बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. (2012) के वाद में सर्वप्रथम इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि तलाक-ए-बिद्दत (तीन-तलाक) अवैध है क्योंकि यह पवित्र कुरान के आदेशों के विपरीत है।

30. Which of the following refers to the irrevocable form of Talaq?/तलाक का अप्रतिसंहरणीय रूप निम्नांकित में से कौन-सा हैं?
(a) Talaq-ul-Ahsan/तलाक-उल-एहसान
(b) Talaq-ul-Hasan/तलाक-उस-हसन
(c) Talaq-ul-Biddat/तलाक-उल-बिद्दत
(d) Talaq-i-Tafweez/तलाक-इ-तफवीज़

UGC (NET) December, 2010

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत तलाक-उल-बिद्दत सुन्नी समुदाय में 'प्रचलित है, तथा यह एक प्रकार का अप्रतिसंहरणीय तलाक है। इस तलाक की विशेषता यह है कि एक ही बार उच्चरित कर दिये जाने पर तलाक पूर्ण हो जाता है ।

31. A Muslim has given Triple Talaaq to his wife and now wants to marry her again. He can do so
किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को तीन बार तलाक दिया और अब वह उसी से दुबारा शादी करना चाहता है। वह ऐसा
(a) without any restriction
बिना किसी रोकटोक के कर सकता है
(b) only on request of such wife
सिर्फ अपनी ऐसी बीबी के निवेदन पर कर सकता है
(c) cannot marry her/उससे शादी नहीं कर सकता
(d) only if such woman marry another man, the marriage is consummated and he has (second Husband) divorced her/ऐसा वह सिर्फ तभी कर सकता है जब ऐसी औरत किसी दूसरे आदमी से शादी करे, ऐसी-शादी में दोनों का सहवास हो और उसका दूसरा पति उसको तलाक दे

UGC (NET) December, 2014 Paper-III

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में यदि किसी मुसलमान ने अपनी बीबी को तीन बार तलाक दिया, अब वह उसी से दोबारा शादी करना चाहता है, तो वह ऐसा तभी कर सकता है, जब ऐसी औरत किसी दूसरे आदमी से शादी करे, ऐसी शादी में दोनों का सहवास हो और उसका दूसरा पति उसको तलाक दे। इसे प्रक्रिया को हलाला कहते है।

32. Talaq which cannot be revoked after pronouncement, is called:
तलाक की घोषणा के बाद जो तलाक रद्द न किया जा सके, उसे क्या कहते है–
(a) Talaq-ul-Bain/तलाक-उल-बैन
(b) Talaq-e-Tufweez/तलाक-ए-तफवीज
(c) Talaq-e-Iddat/तलाक-ए-इद्दत
(d) Talaq hasan/तलाक-हसन

27th BPSC (J) 2011

Ans. (a) : तलाक-उल-बैन (Talaq-e-Biddat) को तीन तलाक भी कहा जाता था। शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। The Muslim Women (Protection of rights on marriage) Act, 2019 द्वारा अब केन्द्रीय सरकार ने तीन तलाक को दण्डनीय अपराध बनाया है।

33. A Muslim woman guilty of illicit relationship is punishable for
अवैध सम्बंध रखने वाली मुस्लिम महिला दण्डनीय है
(a) Izl/इज्ल के लिए
(b) Zina/जिना के लिए
(c) Khula/खुला के लिए
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : यदि एक मुस्लिम महिला अवैध सम्बन्ध रखती है तो वह जिना के लिए दण्डनीय है। अगर कोई महिला या मर्द किसी अन्य व्यक्ति से अवैध सम्बन्ध बनाये तो वह जिना कहलाता है। हदीस और कुरान के अनुसार - अगर जिना करने वाले शादी शुदा हो तो खुले मैदान में पत्थर मारकर मार डाला जाये अगर कुँवरे हो तो 100 कोड़े मारे जाए। अतः महिला जिना हेतु दण्डनीय है न कि इज्ब या खुला के लिए।

34. If a muslim husband has falsely charged his wife with adultery, the process of retract is called
यदि मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर जारकर्म का झूठा दोषारोपण करता है, उस आरोप के खण्डन की प्रक्रिया को कहते है

(a) Zihar/जिहार
(b) Lian/लियान
(c) Ila/ईला
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत जब कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाये, किन्तु आरोप झूठा हो, वह लियान कहलाता है। वहां पत्नी को यह अधिकार हो जाता है कि वह दावा करके विवाह-विच्छेद करा ले।

35. Under Muslim law, 'Khula' and 'Mubarat' are:
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत 'खुला' एवं 'मुबारत' है-

(a) the forms of marriage/विवाह के प्रकार
(b) the forms of dissolution of marriage by agreement/सहमति से विवाह के विघटन के प्रकार
(c) the forms of repudiation of gift on attaining majority/वयस्कता प्राप्त होने पर दान निराकृत करने के प्रकार
(d) the forms of demanding pre-emption/हकशफा माँगने के प्रकार

UP (HJS) 2018
Rajasthan (J) 2013

Ans. (b) : मुस्लिम विधि में पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह-विच्छेद दो प्रकार से हो सकता है– 'खुला' 'दारा' अथवा 'मुबारत' दारा।
खुला (Khula)– खुला का शाब्दिक अथ है 'नस्त्र खोलना'। विधि की शब्दावली में खुला का अर्थ है पति की सहमति से, उसे (प्रति को) कुछ मुआवजा (compensation) देकर पत्नी दारा विवाह-विच्छेद।
खुला की आवश्यक शर्तें निम्न हैं–
1. पति तथा पत्नी स्वस्थचित्त तथा वयस्क (15 वर्ष के) हो,
2. दोनों की स्वतंत्र सहमति आवश्यक है,
3. प्रस्ताव तथा स्वीकृति विधिपूर्वक हो, प्रस्ताव पत्नी द्वारा किया जाता है,
4. पत्नी द्वारा पति को मुआवजा या क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ प्रतिफल का दिया जाना आवश्यक है। प्रतिफल कोई भी धनराशि या सम्पत्ति हो सकती है।

मुबारत (mubrat):– मुबारत में विवाह-विच्छेद पति तथा पत्नी दोनों की परस्पर सहमति द्वारा होता है लेकिन इसमें विवाह-विच्छेद के लिए दोनों समान रूप से इच्छुक रहते हैं। मुबारत शुद्ध रूप में परस्पर अनुबंध द्वारा विवाह-विच्छेद माना जा सकता है। किसी पक्ष को कोई प्रतिफल नहीं देना पड़ता, क्योंकि दोनों समान रूप से विवाह को भंग कर देने के इच्छुक रहते हैं। मुबारत के अनुबन्ध में विवाह-विच्छेद का प्रस्ताव पति या पत्नी किसी के द्वारा भी किया जा सकता है।

36. Under Muslim Law, a divorce by Khula is a divorce with the consent and at the instance of
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत 'खुला' द्वारा तलाक निम्न में से किसकी सहमति एवं पहल पर विवाह विच्छेद है?

(a) husband/पति की
(b) wife/पत्नी की
(c) kazi/काजी की
(d) husband and wife/दोनों पति एवं पत्नी की

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : मुस्लिम विधि में 'खुला' द्वारा तलाक पत्नी की पहल पर होता है। विधि की शब्दावली में खुला का मतलब है पति की सहमति से पति को कुछ मुआवजा देकर पत्नी द्वारा विवाह-विच्छेद। खुला का प्रस्ताव पत्नी द्वारा दिया जाता है। खुला विवाह विच्छेद का वह तरीका है, जिसमें पत्नी वैवाहिक बंधनों से अपने को निर्युक्त करने के लिए पहल करती है। छुटकारा पाने के लिए पत्नी अपने पति को कुछ न कुछ प्रतिफल देती है।

37. 'Khula' is a form of divorce by
'खुला' तलाक का रूप है–

(a) Sale/बिक्री द्वारा (b) Purchase/खरीद द्वारा
(c) Agreement/करार द्वारा (d) Coercion/प्रपीडन द्वारा

UGC (NET) June, 2013 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

38. Dissolution of Muslim marriage by agreement is known as
सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन क्या कहलाता है?

(a) Talaq in ahsan/तलाक इन अहसन
(b) Illa/इला
(c) Zihar/जिहार
(d) Khula/खुला

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

39. In Muslim Law when husband and wife both desire separation, the transaction is known as
मुस्लिम विधि में जब पति एवं पत्नी दोनों ही विवाह विच्छेद चाहते हों तो इस संव्यवहार को कहते है

(a) Mubaraat/मुबारात
(b) Talak-in-bain/तलाक-ए-बैन
(c) Muta/मुता
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (a) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुबारत पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह-विच्छेद का एक ढंग है। मुबारत-शुद्ध रूप से परस्पर अनुमति द्वारा विवाह-विच्छेद माना जाता है। मुबारत के अनुबंध में विवाह-विच्छेद का प्रस्ताव पति द्वारा भी किया जा सकता है और पत्नी द्वारा भी। दूसरे पक्षों द्वारा इसे स्वीकार कर लिये जाने पर विवाह-विच्छेद पूर्ण हो जाता है।

40. Under Muslim Law when wife and husband seek divorce on mutual consent. It is called
मुस्लिम विधि में जब पति और पत्नी परस्पर सहमति से तलाक चाहते हैं, यह कहलाता है-

(a) Mubarat/मुबारत
(b) Talaq-e-Tafavid/तलाक-ए-तफवीद
(c) Ila/इला
(d) All of these/ये सभी

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

41. In a 'mubarat' divorce under Muslim Law
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत, एक 'मुबारत' तलाक में-

(a) aversion is on the side of husband only
अरुचि केवल पति की तरफ से होती है
(b) aversion is on the side of wife only
अरुचि केवल पत्नी की तरफ से होती है
(c) aversion is mutual and on both the sides
अरुचि/घृणा पारस्परिक और दोनों तरफ से होती है
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

42. Divorce by Mutual Consent in Muslim Law is known as
मुस्लिम विधि में पारस्परिक सम्मति से किया गया विवाह-विच्छेद कहा जाता है।

(a) Lian/लिएन (b) Faskh/फरख
(c) Zihar/जिहर (d) Mubarat/मुबारत

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

43. Which one of the following is not a mode of Talaq?/निम्नलिखित में से कौन सा एक तलाक का तरीका नहीं है?

(a) Refusal of Maintenance/निर्वाह-वृत्ति देने से इन्कार
(b) Talaq-ul-Sunnat/तलाक-उल-सुन्नत
(c) Talaq-ul-Biddat/तलाक-उल-बिद्दत
(d) Ila/इला

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (a) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक के निम्न तरीके है–

1. तलाक-उल-सुन्नत	2. तलाक-उल-बिद्दत
3. इला	4. जिहार
5. तलाक-ए-तफवीज	6. खुला
7. मुबारत	8. लिआन

44. By which of the following way a Muslim marriage can be dissolved by a Muslim husband?
निम्नलिखित में से किस तरीके से मुसलमान पति द्वारा मुस्लिम विवाह विघटित किया जा सकता है?

(a) Talaq/तलाक (b) Ilia/इला
(c) Zihar/जिहार (d) Above all/उपर्युक्त सभी

UGC (NET) June, 2013 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

45. Implied and contingent Talaq is not approved by/विवक्षित और आकस्मिक तलाक को अनुमोदित नहीं करते

(a) Maliki/मलिकी
(b) Shia/शिया
(c) Shafei/सैफी
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (b) हनीफा बनाम पथुम्मल (1972) के वाद में निर्धारित किया गया कि आकस्मिक (समाश्रित) और विवक्षित तलाक को शिया विधि में अनुमोदित नहीं किया जाता है केवल अभिव्यक्त तलाक मान्य है, जबकि सुन्नी विधि में आकस्मिक, विवक्षित एवं प्रत्यायोजित तलाक मान्य है।

46. A Muslim woman can seek divorce if the husband is not traceable for a period of
एक मुस्लिम स्त्री तलाक ले सकती है यदि पति लापता है

(a) 7 years/7 वर्ष से (b) 5 years/5 वर्ष से
(c) 4 years/4 वर्ष से (d) 3 years/3 वर्ष से

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 के अनुसार यदि 4 वर्ष से पति लापता है और उनके सम्बन्धियों को इस बारे में कुछ नहीं पता है तो पत्नी न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकती है।

47. A right of divorce by "Lian" is available to the wife when the husband accuses the wife
एक पत्नी को ''लियान'' के आधर पर तलाक लेने का अधिकार प्राप्त है यदि पति पत्नी पर आरोप लगाता है-

(a) of re-embracing her initial faith/कि उसे प्रारम्भिक धर्म (फेथ) को पुनः अपना लिया है
(b) of cruelty/कि उसका व्यवहार क्रूरतपूर्ण है
(c) of conversion of other faith/कि उसने दूसरे धर्म से संपरिवर्तन कर लिया है
(d) of adultery/कि उसने जारकर्म का अपराध किया है

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : ''लियान'' से तात्पर्य है पति द्वारा पत्नी पर पुरुष गमन (जारकर्म) का झूठा आरोप लगाना। लियान के आधार पर पत्नी पति के विरुद्ध, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद की डिक्री हेतु सक्षम न्यायालय में वाद संस्थित कर सकती है।

48. In Muslim Law, Divorce by lien is a right available to the
मुस्लिम विधि में लियन द्वारा विवाह-विच्छेद का अधिकार प्राप्त है-

(a) Wife only/केवल पत्नी को
(b) Husband only/केवल पति को
(c) Both husband and wife/पति एवं पत्नी दोनों को
(d) Neither husband nor wife
न ही पति और न ही पत्नी को

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

49. **How much time of abstinence is required in "Ila form" to enforce dissolution of marriage under Muslim law**
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत ''इला रूप'' में विवाह विच्छेद को लागू करने के लिए प्रविरति का कितना समय आवश्यक होता है?
(a) 2 months/2 महीने का (b) 3 months/3 महीने का
(c) 4 months/4 महीने का (d) 6 months/6 महीने का
Uttarakhand (J) 2015

Ans. (c) : ''इला'' द्वारा तलाक में पति अल्लाह की कसम खा कर कहता है कि वह अपनी पत्नी से सहवास नहीं करेगा और ऐसा वह 4 माह तक (सहवास) करता है, तब विवाह स्वतः विच्छेदित हो जाता है, किन्तु शिया विधि में पत्नी को न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करनी होती है।

50. **Under Muslim Law the term "Faskh" is used to denote**
मुस्लिम विधि में ''फस्ख'' शब्दावली से अभिप्राय है-
(a) Restitution of conjugal rights/वैवाहिक सम्बन्धों का पुनर्स्थापन
(b) Dissolution of marriage by judicial decree at the instance of husband/न्यायिक आज्ञप्ति द्वारा पति की इच्छ पर विवाह विघटन
(c) Judicial separation/न्यायिक पृथक्करण
(d) Dissolution of marriage by judicial decree at the instance of wife/न्यायिक आज्ञप्ति द्वारा पत्नी की इच्छा पर विवाह विघटन
Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : ''फस्ख'' से तात्पर्य न्यायिक विवाह विच्छेद से है। अर्थात् पत्नी द्वारा न्यायालय से मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 2 में उल्लिखित आधारों में से किसी भी आधार पर तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकती है।

51. **A Muslim husband can delegate his right of Talaq to/क्या एक मुसलमान पति अपनी तलाक का अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है?**
(a) Any other person/किसी और व्यक्ति को
(b) Wife only/केवल पत्नी को
(c) Both (a) and (b)/दोनों (a) एवं (b) को
(d) None of the above/इनमें से किसी को नहीं
UGC (NET) June, 2013 Paper-III

Ans. (c) : एक मुसलमान पति अपनी तलाक का अधिकार अपनी पत्नी को और किसी अन्य व्यक्ति को भी प्रत्यायोजित कर सकता है।
इसे तलाक-ए-तफवीज कहते हैं। तलाक-ए-तफवीज का अधिकार पत्नी को देने के बाद भी मुस्लिम पति तलाक का प्रयोग कर सकता है।

52. **A Muslim husband has failed to have 'sexual intercourse' continuously for four months with wife. It could be a form of divorce and is called**
मुस्लिम पति अपनी पत्नी से चार माह तक लगातार लैंगिक मैथुन नहीं करता है। तलाक का यह प्रकार कहलायेगा–
(a) Ila/ईला (b) Mubarrah/मुवाराह
(c) Zihar/ज़िहार (d) Khula/खुला
UGC (NET) December, 2013 Paper-III

Ans. (a) : मुस्लिम पति अपनी पत्नी से चार माह तक लगातार लैंगिक मैथुन नही करता है तो यह तलाक इला कहलाएगा। यह तलाक का एक प्रकार हैं इसका प्रयोग मुस्लिम पत्नी कर सकती है।

53. **Divore by Zihar is a species of**
ज़िहार तलाक किसका प्रकार है?
(a) actual divorce/वास्तविक तलाक का
(b) inchoate divorce/प्रारंभिक तलाक का
(c) khula divorce/खुला तलाक का
(d) constructive divorce/रचनात्मक तलाक का
UGC (NET) December, 2014 Paper-II

Ans. (b) : जिहार तलाक- प्रारम्भिक तलाक का प्रकार है जिहार तलाक से तात्पर्य - आपित्तजनक तुलना इस विधि से विवाह विच्छेद करने के लिए पति अपने पत्नी की तुलना किसी ऐसी महिला से करता है जिससे विवाह करना उसके लिए निषिद्ध हो, जैसे माता तथा बहन।

54. **Match List-I with List-II and select the correct answer with the help of codes given below:**
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गये कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए–

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A.	Ijma/इजमा	1.	Cancellation of marriage/ विवाह का निरस्त्रीकरण
B.	Faskh only /फस्ख	**2.**	Opinion of one individual/केवल एक व्यक्ति की राय
C.	Mahr-ul-misl/महरूल-उल-मिस्ल	**3.**	Collective opinion of commentators/टिप्पणीकारों की सामूहिक राय
D.	Qiyas/कियास	**4.**	Customary dower/पारम्परिक मेहर

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	3	1	4	2
(b)	1	2	3	4
(c)	3	4	2	1
(d)	4	2	1	3

UGC (NET) December, 2014 Paper-II

Ans. (a) सुमेलित सूची निम्न है–

A	इजमा	टिप्पणीकारों की सामूहिक राय
B	फस्ख	विवाह का निरस्तीकरण
C	महरुल-उल-मिस्ल	पारम्परिक मेहर
D	कियास	केवल एक व्यक्ति की राय

55. **Abstinence from sexual intercourse for a period of four months persuant to a vow is called:**
चार माह की अवधि के दौरान सहवास से दूर रहने पर राजीकर्ता के शपथ/व्रत को कहा जाता है:
(a) Divorce in hasan form/हसन रूप में तलाक
(b) Divorce in ahsan form/अहसान रूप में तलाक
(c) Divorce by Zihar/जिहर द्वारा तलाक
(d) Divorce of Ila/इला द्वारा तलाक
UGC (NET) June, 2015 Paper-III

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में चार माह की अवधि के दौरान सहवास से दूर रहने पर शपथकर्त्ता के शपथ को इला द्वारा तलाक कहा जाता है। यह एक तलाक का तरीका है।
नोटः-इला की स्थिति में 4 माह तक पति को आत्मनियंत्रण रखना होता है। 4 माह तक सम्भोग न होने पर इस अवधि के पश्चात् हनफी विधि में स्वतः विवाह विच्छेद हो जाता है, जबकि शिया विधि तथा शफी विधि में पत्नी इसके पश्चात् दाम्पत्य अधिकार प्रत्यास्थापन का वाद ला सकेगी और पति चाहे तो सम्भोग द्वारा वैवाहिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित कर सकेगा।

56. Read the following propositions and answer with the help of codes given below:
निम्नलिखित प्रस्तावों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिएः
1. **Consent theory makes the divorce very easy/सहमति का सिद्धांत तलाक को सरल बनाता है।**
2. **Consent theory sometimes makes the divorce very difficult/सहमति का सिद्धांत कभी-कभी तलाक को अत्यन्त कठिन बनाता है।**

Codes:/कूटः
(a) 2 is correct, but 1 is incorrect
2 सही है, किन्तु 1 गलत है
(b) 1 and 2 both are incorrect
1 और 2 दोनों गलत है
(c) 1 is correct, but 2 is incorrect
1 सही है, किन्तु 2 गलत है
(d) 1 and 2 are both correct/1 और 2 दोनों सही है

UGC (NET) September, 2016 Paper-II

Ans. (d) : तलाक का सहमति का सिद्धान्त इस सिद्धान्त पर आधारित है कि पति-पत्नी को अपना विवाह पारस्परिक सहमति से विघटित करने का अधिकार होता है। यह सिद्धान्त तलाक को सरल बनाता है परन्तु कभी-कभी अत्यन्त कठिन भी बना देता है।

57. Zihar is a method of divorce of Muslim Law in which husband compares his wife with
जिहार, मुस्लिम विधि में तलाक का एक ऐसा तरीका है, जिसमें पति अपनी पत्नी की तुलना करता है–
(a) sister of his wife/पत्नी की बहिन से
(b) wife of her brother/पत्नी के भाई की पत्नी से
(c) his mother/अपनी माँ से
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2012

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

58. A muslim husband his e-mailed Talaq letter writing "I divorce you, I divorce you, I divorce you," without the signature of witnesses, Talaq will be
एक मुस्लिम पति ने गवाहों के हस्ताक्षरों के बिना ई मेल तलाक पत्र ''मैं आपको तलाक देता हूँ, मैं आपको तलाक देता हूँ, मैं आपको तलाक देता हूँ'' भेजा, यह होगाः
(a) Valid/वैध
(b) Voidable/शून्यकरणीय
(c) Void/शून्य
(d) Neither valid nor void or no talaq/न वैध न शून्य या कोई तलाक नहीं

UGC (NET) November, 2017 Paper-III

Ans. (a) : तलाक उल विद्दत अप्रतिसंहरणीय तलाक है। इस तलाक की विशेषता यह है कि एक ही बार उच्चारित कर दिये जाने पर तलाक पूर्ण हो जाता है पति तलाक की घोषणा एक वाक्य में कर सकता है या पत्नी के शुद्धकाल में पति एक बार में ही तलाक की तीन घोषणाएं एक साथ कर दे।
सायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) के मामले में उच्चतम न्यायालय में तलाक उल विद्दत (तीहरा तलाक) का समाप्त कर दिया।

59. Point out the incorrect answer : legal effects of divorce are
गलत उत्तर इंगित कीजिएः
मुस्लिम तलाक के प्रभाव हैः
(a) Cohabitation becomes illegal
समागम अवैध हो जाता है।
(b) The wife is required to observe Iddat
पत्नी को इद्दत का अनुपालन करना होता है।
(c) Divorced wife is not entitled to be maintained by her former husband/तलाक शुदा पत्नी अपने पूर्व पति से भरण-पोषण की हकदार नहीं रह जाती।
(d) Right to contract other marriage is accrued
दूसरा विवाह करने का अधिकार मिल जाता है।

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह-विच्छेद के निम्न विधिक प्रभाव है—
(1) समागम (सम्भोग) अवैध हो जाता है।
(2) पत्नी को निर्धारित अवधि तक इद्दत का पालन करना होता है।
(3) तलाकशुदा पत्नी भरणपोषण की हकदार होती है।
(4) पुनर्विवाह का अधिकार
(5) तलाक-शुदा पति-पत्नी का हलाला के उपरांत पुनर्विवाह का अधिकार।

60. A Sunni Muslim performs marriage during the period of 'Iddat', the marriage is
एक सुन्नी मुस्लिम 'इद्दत' की अवधि में विवाह करता है, तो वह विवाह हैः
(a) void/शून्य (b) valid/वैध
(c) irregular/अनियमित (d) voidable/शून्यकरणीय

Uttarakhand (J) 2009, 2018
UGC (NET) December 2009, 2018

Ans. (c) : एक सुन्नी मुस्लिम 'इद्दत' की अवधि में विवाह करता है, तो वह विवाह (निकाह) सुन्नी विधि में फासिद (अनियमित) तथा शिया विधि में बातिल (शून्य) हो जाएगा।

61. A Muslim widow remarries during the period of "iddat", the mariage is
एक मुस्लिम विधवा ''इद्दत काल'' में पुनः विवाह कर लेती है, तो विवाह है-
(a) Valid/मान्य
(b) Fasid/फासिद
(c) Batil/बातिल
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

62. A marriage with a woman undergoing iddat is
इद्दत में चल रही एक स्त्री के साथ विवाह है

(a) illegal/अवैधानिक
(b) irregular/अनियमित
(c) void/शून्य
(d) voidable/शून्यकरणीय

Uttarakhand (J) 2012, 2021

Ans : (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

63. After divorce a Muslim woman
तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला

(a) can not marry/पुनः विवाह नहीं कर सकती है।
(b) can remarry immediately/तुरंत पुनः विवाह कर सकती है।
(c) can marry only after completion of 'Iddat' period/इद्दत की अवधि गुजारने के पश्चात् विवाह कर सकती है।
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2009, 2012

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत तलाक के पश्चात् एक मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि व्यतीत करने के पश्चात् विवाह कर सकती है। सुन्नी विधि में यदि इद्दत के दौरान विवाह किया जाता है, तो ऐसा विवाह अनियमित तथा शिया विधि में शून्य होगा।

64. After divorce, a Muslim woman can validly remarry:/एक मुस्लिम औरत तलाक के बाद विधिमान्य तौर पर पुनर्विवाह कर सकती है-

(a) Immediately after divorce
तलाक के तुरन्त पश्चात्
(b) After observing the Iddat period
इद्दत काल समाप्त होने के पश्चात्
(c) Has to wait for one year
एक वर्ष की प्रतीक्षा के बाद
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

65. In case of Divorce, the period of iddat is
विवाह विच्छेद की दशा में इद्दत की अवधि होती है

(a) Four months/चार महिने
(b) three lunar months/तीन चन्द्र मास
(c) two lunar months/दो चन्द्र मास
(d) None ofthe above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : मुस्लिम विवाह विच्छेद की दशा में इद्दत की अवधि निम्न होती हैं–

1. तलाक द्वारा विवाह-विच्छेद - इद्दत अवधि 3 मासिक धर्म।
2. पति की मृत्यु द्वारा विवाह विच्छेद - इद्दत अवधि 4 माह 10 दिन।
3. गर्भावस्था के दौरान विवाह विच्छेद - इद्दत अवधि बच्चे के जन्म तक या गर्भपात तक।
4. अनियमित विवाह - इद्दत अवधि 3 माह।
5. मुता विवाह - इद्दत अवधि 2 माह तथा पति की मृत्यु होने पर 4 माह 10 दिन।

66. Iddat period, in case of a divorced woman, if she is subject to menstruation, means–
तलाकशुदा स्त्री के मामले में, यदि वह मासिक धर्म में हो, इद्दत की अवधि से अभिप्रेत है–

(a) Three menstrual courses after the date of divorce/तलाक की दिनांक से तीन ऋतुकाल
(b) Six months period after the date of divorce/तलाक की दिनांक से छः माह की अवधि
(c) Nine menstrual courses after the date of divorce/तलाक की दिनांक से नौ ऋतुकाल
(d) Nine months period after the date of divorce/तलाक की दिनांक से नौ माह की अवधि

Rajasthan (J) 2017

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

67. When is Iddat observed for three months:
इद्दत की अवधि तीन माह कब होती है।

(a) On the death of husband/पति की मृत्यु होने पर
(b) On the death of husband of pregnant woman/गर्भवती स्त्री के पति की मृत्यु होने पर
(c) On Divorce/तलाक होने पर
(d) On Invalid marriage/अमान्य विवाह होने पर

27th BPSC (J) 2011

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

68. Where the wife is not pregnnt, the period of iddat in case of death of husband is
पति की मृत्यु के मामले में (जबकि पत्नी गर्भवती नहीं है), इद्दत क समय है

(a) three months/तीन महीना
(b) three months and ten days
तीन महीना और दस दिन
(c) four months and ten days
चार महीना और दस दिन
(d) there is no iddat period in such cases
ऐसे मामलों में कोई इद्दत काल नहीं होता।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

69. A Muslim woman need to observe iddat in which of the following?
एक मुस्लिम स्त्री को इद्दत का पालन निम्नलिखित में से किस दशा में करना होता है?

(a) Muta marriage/मुत्ता विवाह में
(b) Irregular marriage/अनियमित विवाह में
(c) Valid marriage/वैध विवाह में
(d) All of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) एक मुस्लिम महिला को इदत्त का पालन विवाह-विच्छेद हो जाने के पाश्चात करना पड़ता है, चाहे वह वैध विवाह हो, अनियमित विवाह हो या मुता विवाह हो।

70. Under Muslim law, the marriage whether consummated or not, Iddat has to be observed in case of
मुस्लिम विधि में विवाहोत्तर संभोग हुआ हो अथवा नहीं, निम्नलिखित में से किस मामले में 'इद्दत' का अनुपालन करना होगा?
(a) Divorce by husband only
केवल पति द्वारा तलाक पर
(b) Death of husband only/केवल पति की मृत्यु पर
(c) Both divorce by husband and death of husband/पति द्वारा तलाक और पति की मृत्यु दोनों पर
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (b) : मुस्लिम विधि में केवल पति की मृत्यु पर मुस्लिम विधवा को इद्दत का अनुपालन (4 माह 10 दिन), चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो अथवा नहीं, करना होगा।

71. If a Muslim woman is pregnant and the marriage is dissolved by death of the husband, the period of 'iddat' is for:
यदि एक मुस्लिम महिला गर्भवती है और पति की मृत्यु के कारण विवाह भंग हो जाता है, 'इद्दत' की अवधि है:
(a) 3 months or unto delivery, whichever is longer/तीन माह या प्रसव तक, जो भी लंबा हो
(b) 3 months and 10 days, or unto delivery, whichever is longer/तीन माह और 10 दिन या प्रसव तक, जो भी लंबा हो
(c) 4 months and 10 days or unto delivery, whichever is longer/चार माह और 10 दिन या प्रसव तक, जो भी लंबा हो
(d) 3 months and 20 days or unto delivery, whichever is longer/तीन माह और 20 दिन या प्रसव तक, जो भी लंबा हो

UGC (NET) September, 2016 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

72. Where the marriage has not been consummated, Iddat has to be observed in case of:
जहाँ विवाह की संसिद्धि न की गई हो ऐसे किस मामले में इद्दत को अपनाना पड़ता है?
(a) Death/मृत्यु
(b) Divorce/तलाक
(c) Both death and divorce/मृत्यु और तलाक दोनों में
(d) Neither death nor divorce/मृत्यु और तलाक दोनों में ही नहीं

UGC (NET) June, 2011, 2014

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

73. Under which law, an old woman who had no more chance to become pregnant need not perform Iddat?
किस विधि के अन्तर्गत एक बुजुर्ग औरत जिसे गर्भवती होने का कोई अवसर नहीं है, इद्दत का पालन करना आवश्यक नहीं है-
(a) Shafii/शफई
(b) Shia/शिया
(c) Hanafi/हनफी
(d) Hanbali/हनबली

UP (HJS) 2016, 2018

Ans. (b) : शिया विधि, निम्नलिखित महिलाओं से इद्दत के पालन की अपेक्षा नहीं करती है–
1. ऐसी महिला जिसे कम आयु के कारण मासिक धर्म नहीं होता है, तथा
2. ऐसी महिला जिसे अधिक आयु के कारण या किसी अन्य कारण से मासिक धर्म रूक गया हो या अनियमित हो गया हो।

74. Object of serving iddat period is ......
इद्दत अवधि के पालन का उद्देश्य है-
(a) To ascertain whether the woman is pregnant of not/स्त्री गर्भवती है या नहीं इसे सुनिश्चित करना
(b) To ascertain the paternity of the child/बच्चे के पितृत्व को सुनिश्चित करना
(c) Both (a) and (b)/उपर्युक्त (a) एवं (b)
(d) None of the above/उपर्युक्त सभी

UP (HJS) 2014

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत इद्दत का शब्दिक अर्थ है 'गणना करना'। जिसका विधिक अर्थ है विवाह-विच्छेद के ठीक बाद की वह अवधि जिसमें विधवा या तलाकशुदा मुस्लिम महिला, पुनर्विवाह करने से प्रतिबन्धित है। इद्दत का उद्देश्य हैं–
(1) स्त्री गर्भवती है या नहीं इसे सुनिश्चित करना तथा
(2) बच्चे के पितृत्व को सुनिश्चित् करना।

75. Observance of 'Iddat' is necesary:
'इद्दत' का अनुपालन आवश्यक है:
(a) Where Cohabitation is lawful i.e. consummation of marriage/जहाँ पति-पत्नी की तरह साथ रहना विधि सम्मत है अर्थात् विवाह के बाद संभोग हो गया हो
(b) Where Cohabitation is unlawful i.e. ilicit intercourse and the pregnancy follows the illicit intercource/जहाँ पति-पत्नी की तरह साथ रहना अवैध है अर्थात् संभोग के बाद गर्भधारण हो गया हो
(c) In both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों में
(d) Only in (a) and not in (b)
केवल (a) में और (b) में नहीं

UGC (NET) December, 2015

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत इद्दत ऐसी अवधि है। जिसमें एक स्त्री जिसका विवाह तलाक या मृत्यु द्वारा विच्छेद हुआ हो को एकान्त में रहना तथा दूसरे पुरुषों से विवाह न करना आवश्यक होता है, इद्दत का पालन उस समय आवश्यक होता है, जबकी सम्भोग हो चुका हो। यदि सम्भोग नहीं हुआ हो और पति की मृत्यु के कारण विवाह का विघटन होता है तो उसे इद्दत का पालन करना अनिवार्य है परन्तु यदि विवाह का विघटन तलाक द्वारा हुआ है तो इद्दत का पालन करना आवश्यक नहीं है।

अध्याय -7

जनकता, धर्मजत्व और अभिस्वीकृति

(Parentage, Legitimacy and Acknowledgement)

1. In which of the following cases, the Supreme Court, has recognized the validity of adoption of a child even by a Muslim
निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम द्वारा भी बच्चे के दत्तक लेने की वैधता को मान्यता दी है?

(a) Shabnam Hasmi v. Union of India and others/शबनम हाश्मी बनाम भारत संघ व अन्य का
(b) Shabnam Bano v. Union of India/शबनम बानो बनाम भारत संघ का
(c) Roshnara Khatoon v. Union of India/रोशनारा खातून बनाम भारत संघ का
(d) Aisha Qureshi v. Asfaq Qureshi/आयशा कुरैशी बनाम अशफाक कुरैशी का

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (a) : शबनम हाश्मी बनाम भारत संघ व अन्य (2014 SC) में सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम द्वारा भी बच्चे के दत्तक लेने की वैधता को मान्यता दी है।

2. Which of the following statements is correct?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

(a) There is no statute in India which enables a Muslim to seek adoption/एक मुस्लिम को दत्तक ग्रहण पाने का भारत में कोई विधान नहीं है
(b) A Muslim woman can adopt a child/एक मुस्लिम महिला दत्तक ग्रहण कर सकती है
(c) A Muslim wife can adopt a child only with the consent of her husband/एक मुस्लिम महिला केवल अपने पति की सहमति से ही बच्चे को दत्तक ग्रहण कर सकती है
(d) A Muslim male or female can adopt a child invoking provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000/एक मुस्लिम पुरुष या महिला, किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधान की सहायता से एक बच्चे को दत्तक ग्रहण कर सकते हैं

Bihar (HJS) 2018

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में दत्तक ग्रहण मान्य नहीं है। कुरान ने दत्तक ग्रहण द्वारा किसी दूसरे की संतान को अपनी संतान बना लेने की प्रथा को गैर इस्लामी घोषित करके इसे बिल्कुल समाप्त कर दिया है।

लेकिन एक मुस्लिम महिला या पुरुष किशोर न्याय (बालको के देखरेख एवं संरक्षण) अधि. 2000 के अध्याय 8 (धारा 56-73) के प्रावधानों के अर्न्गत एक बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकते है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण करने का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है।

3. Adoption is unknown to
दत्तक ग्रहण लागू नहीं होता-

(a) Hindu Law/हिन्दू विधि से
(b) Muslim Law/मुस्लिम विधि में
(c) Christen Law/ईसाई विधि में
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2014

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. For the acknowledgement of paternity, the acknowledger must be at least
पितृत्व की अभिस्वीकृति के लिए, अभिस्वीकृति करने वाला होना चाहिए।

(a) ten years older than the person acknowledged/जिस व्यक्ति की अभिस्वीकृति की गई है उससे कम-से-कम दस वर्ष बड़ा
(b) twelve and a half years older than the person acknowledged/जिस व्यक्ति की अभिस्वीकृति की गई है उससे कम-से-कम बारह वर्ष और छह महीने बड़ा
(c) eighteen years older than the person acknowledged/जिस व्यक्ति की अभिस्वीकृति की गई है उससे कम-से-कम अठारह वर्ष बड़ा
(d) twenty-one years older than the person acknowledged/जिस व्यक्ति की अभिस्वीकृति की गई है उससे कम-से-कम इक्कीस वर्ष बड़ा

BPSC (APO) 2011

Ans : (b) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा पितृत्व की अभिस्वीकृति का अर्थ है, उसके द्वारा अपने को किसी सन्तान का पिता स्वीकार कर लेना। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत इसे इकरार-ए-नसब कहा जाता है, जिसकी मान्य शर्ते निम्न है-

(1) अभिस्वीकृति के लिए केवल पुत्र होना जरूरी नहीं बल्कि धर्मज पुत्र होना जरूरी है।
(2) पक्षकारो की आयु ऐसी होनी जरूरी है कि उनका पिता और सन्तान होना सम्भव हो।

बेली के मतानुसार स्वीकृतिकर्ता को कम से कम $12\frac{1}{2}$ वर्ष आयु में बड़ा होना चाहिए।

5. The difference of ages between the acknowledger and the acknowledged child must be at least/अभिस्वीकार करने वाले एवं अभिस्वीकृति किये बच्चे के मध्य आयु का अंतर होना चाहिए कम-से-कम

(a) 8 years/8 वर्ष का
(b) 10 years/10 वर्ष का
(c) 11 years/11 वर्ष का
(d) 12½ years/12½ वर्ष का

Bihar (J) 2020

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. Acknowledgement of paternity once made under Muslim Law जनकता से सम्बन्धित एक बार की गयी अभिस्वीकृति को मुस्लिम विधि के तहत

(a) cannot be revoked
प्रतिसंहरित (revoked) नहीं किया जा सकता है
(b) can be revoked/प्रतिसंहरित किया जा सकता है
(c) can be revoked by previous permission of capable judiciary/सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति से प्रतिसंहरित किया जा सकता है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

29th BPSC (J) 2017

Ans. (a) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत सामान्यतः जनकता से सम्बन्धित एक बार की गयी अभिस्वीकृति को प्रतिसंहरित (revoked) नहीं किया जा सकता है।

अध्याय -8

अवयस्कता एवं संरक्षकता

(Minority and Guardianship)

1. The legal guardian of a Muslim minor female is-
एक नाबालिक मुस्लिम लड़की का विधिक संरक्षक है-

(a) Father/पिता
(b) Grandfather/दादा
(c) Mother/माता
(d) Meternal Uncle/मामा

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (a) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत, एक नाबालिक मुस्लिम लड़की का संरक्षक उसका पिता होता है।

2. 'M', the mother of a Muslim minor daughter contracted her in marriage in the life time of the father who had become an apostate. The marriage is
'क' एक मुस्लिम अवयस्क पुत्री की माँ उसके पिता के जीवनकाल में पुत्री के विवाह की संविदा करती है जबकि ऐसा पिता धर्मत्याग कर चुका है। ऐसा विवाह है

(a) Bad in law/विधि के अन्तर्गत दूषित
(b) Irregular/अनियमित
(c) Valid/वैध
(d) Void/शून्य

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) मात्र धर्म परिवर्तन से पिता संरक्षकता से वंचित नहीं हो जायेगा। इस प्रकार पिता के होते हुए माता द्वारा अवयस्क पुत्री के विवाह की संविदा शून्य होगी।

3. Who is the natural guardian of a Muslim female child?/एक मुस्लिम महिला बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक कौन है?

(a) Father/पिता
(b) Mother/माता
(c) Grandfather/दादा
(d) Grandmother/दादी

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) मुस्लिम विधि में महिला बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक पिता होता है किन्तु यदि 5 वर्ष से कम आयु की बच्ची है तो संरक्षकता (हिजानत) माता के पास होती है।

4. Who will be Guardian of a minor under Muslim Law?
निम्नलिखित में कौन मुस्लिम विधि के अनुसार अवयस्क का संरक्षक होगाः

(a) Mother/माता
(b) Father/पिता
(c) Executor appointed by will upon death of father/पिता की मृत्यु होने पर वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक
(d) Grand father/पिता का पिता

27th BPSC (J) 2011

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. Who can be a guardian in minor's marriage in Sunni Law?
सुन्नी विवाह में अवयस्क का अभिभावक कौन हो सकता है?

(a) Mother in the presence of father/माता जबकि पिता उपस्थित है।
(b) Grand-mohter in the presence of mother/दादी जबकि माता उपस्थित है।
(c) Maternal uncle in the presence of real uncle/मामू जबकि सगा चाचा उपस्थित है।
(d) Father/पिता

UP (HJS) 2014
Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत वरीयताक्रम में निम्नलिखित व्यक्ति विवाह के संरक्षक माने जाते है—
(1) पिता,
(2) पिता का पिता,
(3) भाई,
(4) माता
(5) मामा/मौसी (खाला)
(6) न्यायालय

6. The right to contract a minor in marriage under Muslim Law, belongs, successively to
मुस्लिम विधि के अंतर्गत किसी अवयस्क को वैवाहिक अनुबंध में लेने का अधिकार क्रमशः किसे होता है?

1. Father/पिता
2. Mother/माता
3. Paternal grand father/दादा
4. Brother/भ्राता

Codes:/कूटः
(a) I, II, III, IV/1, 2, 3, 4
(b) I, III, IV, II/1, 3, 4, 2
(c) III, IV, I, II/3, 4, 1, 2
(d) II, III, IV, I/2, 3, 4, 1

UGC (NET) September, 2013 Paper-III

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. Under Muslim Law the following are guardians for marriage of a minor:
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत एक अवयस्क के विवाह के लिए निम्नलिखित संरक्षक हैः

(i) Father/पिता (ii) Mother/माता
(iii) State/राज्य (iv) Brother/भाई

Choose the correct order in which their guardianship accrues:
उपरोक्त संरक्षकता लागू किए जाने का सही क्रम चुनिएः

(a) (i), (ii), (iii), (iv) (b) (ii), (i), (iv), (iii)
(c) (i), (iv), (ii), (iii) (d) (iii), (iv), (ii), (i)

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) मुस्लिम विधि में अवयस्क के विवाह के लिए दिए गए विकल्पों में से संरक्षकों का क्रम है—
1. पिता,
2. भाई,
3. माता,
4. राज्य।

8. Under Muslim Law, in the matter of marriage, if there is a conflict between the views of minor and guardian, the law gives priority to
मुस्लिम विधि में, विवाह के मामले में यदि संरक्षक एवं अवयस्क के दृष्टिकोण में विवाद है, तब विधि प्राथमिकता देती है-

(a) Minor/अवयस्क को (b) Guardian/संरक्षक को
(c) State/राज्य को (d) Court/न्यायालय को

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : मुस्लिम विधि में अवयस्क को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार अवयस्क के विवाह के सम्बन्ध में संरक्षक के निर्णय (दृष्टिकोण) को प्राथमिकता दी जायेगी। अवयस्क को, व्यस्कता का वय प्राप्त होने पर अर्थात् 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर खियार-उल-बुलूग का अधिकार होगा।

9. In Sunni-te Law, the guardian of the minor's property is
सुन्नी विधि के अन्तर्गत अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक होता हैः

(a) mother/माता
(b) father/पिता
(c) Mother's mother/माता की माता
(d) father's father/पिता के पिता

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (b) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत अवयस्क की सम्पत्ति की संरक्षकता के हकदार होंगे—
1. पिता
2. पिता के वसीयतनामें द्वारा नियुक्त निष्पादक
3. पिता का पिता
4. पिता के पिता के वसीयतनामें द्वारा नियुक्त निष्पादक।
अतः सुन्नी विधि के अन्तर्गत अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक पिता होता है।

10. Who is natural guardian of the property of a minor under Muslim Law?
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत एक अवयस्क की सम्पत्ति का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है?

(a) Brother/भाई
(b) Mother/माता
(c) Father/पिता
(d) Uncle/चाचा

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. A Muslim mother is entitled to the custody of her female child until she attains
एक मुस्लिम माता अपनी बच्ची की अभिरक्षा की हकदार है, जब तक लड़की

(a) the age of 7 years/सात वर्ष की न हो जाए।
(b) puberty/यौवनागम को प्राप्त हो।
(c) age of 11 years/ग्यारह वर्ष की आयु तक।
(d) age of 15 years/पन्द्रह वर्ष की आयु तक।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (b) : सुन्नी विधि में एक मुस्लिम माता अपनी बच्ची की अभिरक्षा की हकदार है, जब तक वह यौवनावस्था (Puberty) की आयु प्राप्त नहीं कर लेती तथा पुत्र के मामलें में जब तक पुत्र 7 वर्ष का नहीं हो जाता। शिया विधि में माता 2 वर्ष की आयु तक लड़के की और 7 वर्ष तक की आयु की लड़की की अभिरक्षा (हिजानत) की हकदार है।

12. In the absence of mother, which of the following females has the first priority to have the custody of a Muslim child?
माँ की अनुपस्थिति में निम्न में से किस महिला को मुस्लिम बच्चे की अभिरक्षा के लिए प्राथमिकता है?

(a) Father's Mother/पिता की माँ
(b) Mother's Mother/माता की माँ
(c) Sisters/बहनें
(d) Maternal Aunt/मौसी

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (b) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत माता की अनुपस्थिति में 7 वर्ष से कम आयु के बालक एवं यौवनावस्था को प्राप्त न हुई बालिका की अभिरक्षा (हिजानत) का अधिकार निम्न क्रम में पहुँचता है—
1. माता की माँ, चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो
2. पिता की माँ, चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो
3. सगी बहन
4. सहोदरा बहन
5. सगी बहन की पुत्री
6. सहोदरा बहन की पुत्री
7. मौसी
8. बुआ।

13. When a Muslim mother loses her right of Hizanat (custody)?
एक मुस्लिम माता हिजानत (अभिरक्षा) का अधिकार कब खो देती है?
(a) By her apostasy/धर्म परिवर्तन द्वारा
(b) By her misconduct/दुराचरण द्वारा
(c) By marrying within degree of prohibited relationship/निषिद्ध रिश्ते में शादी करने पर
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) मुस्लिम विधि में माता निम्नलिखित स्थिति में हिजानत का अधिकार खो देती है-
1. जब अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही हो,
2. निषिद्ध रिश्तों में विवाह कर ली हो,
3. धर्म-परिवर्तन का ली हो,
4. बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हो।

14. According to Hanafi Law, a mother is entitled to the custody (Hizanat) of a male child till the age of
हनाफी विधि के अनुसार एक माता एक पुरुष बच्चे की अभिरक्षा (हिजानत) की हकदार रहती है-
(a) 12 years/12 वर्ष तक की आयु तक
(b) 18 years/18 वर्ष तक की आयु तक
(c) 7 years/7 वर्ष तक की आयु तक
(d) 21 years/21 वर्ष तक की आयु तक

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (c) : हनफी विधि से तात्पर्य है 'सुन्नी विधि'। सुन्नी विधि मे, हिजानत अर्थात् अभिरक्षा, यदि शिशु पुरुष है तो 7 वर्ष व स्त्री है तो उसकी यौनावस्था की वय तक माता की होगी। **जैनव बनाम गौस** के वाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने धारित किया कि माता द्वारा धर्म परिवर्तन से उसके हिजानत का अधिकार समाप्त नहीं होता है।

15. A Muslim illegitimate child is kept in the custody of
एक अधर्मज मुस्लिम बच्चे की संरक्षकता होती है
(a) Mother/माता के पास
(b) Paternal Grandmother/दादी के पास
(c) Both father and mother
पिता और माता दोनों के पास
(d) Neither father nor mother
न पिता न ही माता के पास

Uttarakhand (J) 2018
29th BPSC (J) 2017
28th BPSC (J) 2014
BPSC (APO) 2011

Ans. (a) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत अधर्मज सन्तान : विधितः किसी की सन्तान नहीं मानी जाती, न माता की, और न पिता की, किन्तु उसे 7 वर्ष की आयु तक माता की अभिरक्षा में छोड़ा जाता है और उसके बाद वह इस निर्णय के लिए स्वतंत्र होती/होता है कि वह किसके साथ रहेगी/रहेगा या दोनों से अलग रहेगी/रहेगा।

16. 'Hizanat' means
'हिजानत' से अर्थ है
(a) custody of mother upon child only
केवल बच्चे पर माता की अभिरक्षा
(b) custody of father upon child only
केवल बच्चे पर पिता की अभिरक्षा
(c) custody of brother upon child
बच्चे पर भाई की अभिरक्षा
(d) (a) and (b) both/(a) तथा (b) दोनों

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अनुसार हिजानत का अर्थ है, बच्चें पर माता एवं पिता की अभिरक्षा।
सामान्यतः माता की एक निश्चित शैशव-काल तक शिशु को अपने पास रखने का अधिकार (हिजानत) प्राप्त है। शिशु यदि पुत्र है तो 7 वर्ष तक तथा पुत्री है तो उसकी यौवनावस्था की वय (15 वर्ष) तक मां को इन्हें अपनी अभिरक्षा में रखने का अधिकार रहता है।
विवाह विच्छेद के पश्चात भी एक विधवा या तलाकशुदा माँ का अपने शिशु की हिजानत का अधिकार बना रहता है, बशर्ते उसका पुनःविवाह न हुआ हो।
माता की हिजानत के अधिकार का त्याग अथवा अध्यर्पण (Surrender) नहीं कर सकती है।

17. In muslim Law " Hizanat" Relate to:
मुस्लिम विधि में 'हिजानत' किस से सम्बन्धित है।
(a) Mother's custody of child
बच्चा माँ की अभिरक्षा में
(b) Brother's custody of child
बच्चा भाई की अभिरक्षा में
(c) Father's custody of child
बच्चा पिता की अभिरक्षा में
(d) Sister's custody of child
बच्चा बहन की अभिरक्षा में

UGC (NET) November 2017
UGC (NET) June, 2009

Ans. (a) : हिजानत (माता की अभिरक्षा) का अधिकार यदि शिशु यदि पुत्र है सात वर्ष यदि पुत्री है तो यौवनावस्था की उम्र (15 वर्ष) तक अभिरक्ष माता की होगी यह अधिकार कुछ शर्तों के अधीन है।

18. **Under the Shia school/what is the cronical order of persons entitled to the 'Hizanat' of a minor child?**
शिया मत के अनुसार एक अवयस्क बालक की 'हिजानत' व्यक्तियों के किस 'क्रोनिकल' क्रम में मिलेगी?

1. Father/पिता 2. Mother/माता
3. Grandfather/दादा 4. Grandmother/दादी

(a) 2, 1, 3, 4 (b) 2, 1, 4, 3
(c) 3, 2, 1, 4 (d) 4, 3, 2, 1

UGC (NET) June, 2014 Paper-III

Ans. (a) : शिया मत के अनुसार एक आवश्यक बालक की हिजानत व्यक्तियों के निम्न क्रोनिकल क्रम में होगी-
(1) माता (2) पिता (3) दादा (4) दादी

19. **In default of the mother and female relatives, the following persons ar entitled to the custody of a Muslim child :/माँ और स्त्री सम्बंधियों की चूक की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुस्लिम बालक की अभिरक्षा का हकदार है?**

1. **Nearest paternal grandfather/निकटतम पैतृक पितामह**
2. **Father/पिता**
3. **Full brother/सगा भाई**
4. **Consanguine brother etc/समरक्त भाई इत्यादि**

Amont the aforsaid the correct order of priority is :/पूर्वोक्त में से प्राथमिकता का सही क्रम है:

कूटः

(a) 1, 2, 3, 4 (b) 2, 1, 3, 4
(c) 4, 1, 2, 3 (d) 3, 2, 1, 4

UGC (NET) July, 2016 Paper-III

Ans. (b) : माँ और स्त्री सम्बन्ध में चूक की स्थिति में क्रमशः पिता, पैतृक पितामाह, सगा भाई व समरक्त भाई मुस्लिम बालक की अभिरक्षा का स्थान रखते है।

20. **The custody of a minor wife shall be with her**
एक अवयस्क पत्नी की हिजानत (अभिरक्षा) रहेगी

(a) husband/उसके पति के पास
(b) father/उसके पिता के पास
(c) mother/उसकी माता के पास
(d) father-in-law/उसके ससुर के पास

Bihar (J) 2020

Ans. (c) : नूर कादिर बनाम जुलैखा बीबी (1885) के वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति के विरुद्ध अवयस्क पत्नी की अभिरक्षा का अधिकार कन्या की माँ को प्राप्त है।

अध्याय -9

भरण-पोषण (Maintenance)

1. **Under Muslim Law, which one of the following is entitled for maintenance?**
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत निम्नलिखित मे से कौन भरण-पोषण के लिए हकदार है?

(a) A girl who lives separate from her father/एक लड़की जो अपने पिता से अलग रहती है।
(b) Son's widow from her father-in-law/पुत्र की विधवा अपने ससुर से।
(c) Wife absconded with some other person/पत्नी जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गयी है।
(d) A validity married Muslim girl who has not attained puberty/वैध रूप से विवाहित मुस्लिम लड़की जिसने यौवनागम नहीं प्राप्त कर लिया है।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) मुस्लिम विधि में अवयस्क विवाहित पुत्री अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है यदि उसका पति भरण-पोषण करने में असमर्थ है, साथ ही साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन भी वह वयस्कता की उम्र तक अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है।

2. **'A Muslim woman deserted by her husband without divorce is entitled to maintenance under Section 125 of the Criminal Procedure Code' has been declared by the Supreme Court in the case of**
'पति द्वारा तलाक के बिना ही अभियत्जन की गयी मुस्लिम पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण की अधिकारणी है।'' ऐसा उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित किस वाद में निर्णीत किया गया है?

(a) Chand Patel v. Bismillah Begum (2008)
चाँद पटेल बनाम बिस्मिलाह बेगम (2008)
(b) Mohd. Ahmad Khan v. Shah Bano (1985)
मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो (1985)
(c) Iqbal Bano v. State of U.P. (2007)
इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007)
(d) Shamim Ara v. State of U.P. (2002)
शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2002)

BPSC (APO) 2013

Ans : (a) चाँद पटेल बनाम बिस्मिलाह बेगम (2008) के मामले उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि 'पति द्वारा तलाक के बिना ही अभियत्जन (Deserted) की गयी मुस्लिम पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण की अधिकारणी है।''

3. **The case Bai Tahira V/s Ali Hussain Fidaali (AIR 1979 SC 362) is related with :**
बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन फिदाल्ली (ए आई आर 1979 एससी 362) का वाद निम्नलिखित में से संबंधित है-
(a) Maintenance/ भरण पोषण
(b) Adoption/ दत्तक
(c) Inheritance/ विरासत
(d) Option of Puberty/ ख्यारुल बुलूग

UGC (NET) March, 2023

Ans. (a) : बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन फिदाल्ली (1979) का मामला मुस्लिम पत्नी के भरण पोषण से संबंधित है।

अध्याय - 10
हिबा (उपहार) (Gift)

1. **Where a 'Hiba' is purported to be made with conditions or restrictions annexed as to it use and disposal**
जब कोई 'हिबा' इसके उपयोग एवं व्ययन के बारे में शर्तों या निर्बन्धनों के साथ किया गया है, तो–
(a) conditions and restrictions are valid and the 'Hiba' is valid/शर्ते एवं निर्बन्धन मान्य हैं और हिबा मान्य है
(b) conditions and restrictions are void and the 'Hiba' is valid/शर्ते एवं निर्बन्धन शून्य हैं और हिबा मान्य है
(c) Hiba is void/हिबा शून्य है
(d) conditions and restrictions are voidable at the option of the donee and the 'Hiba' is valid/शर्ते एवं निर्बन्धन दानग्रहीता के विकल्प पर शून्यकरणीय हैं और हिबा मान्य है

BPSC (APO) 2011

Ans : (b) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत दान यदि किसी प्रकार की शर्त सहित किया गया है, तो वह विधिमान्य होता है, परंतु शर्त शून्य मानी जाती है।
मुस्लिम विधि में दान वस्तुतः एक प्रतिफल रहित तथा शर्त-रहित स्वामित्व का हस्तांतरण होता है।

2. **Which of the following statements are correct?**
निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं?
A. Hiba (Gif) under Muslim Law, is the immediate and unqualified transfer of the corpus of the property without any return. / हिबा (दान) मुस्लिम विधि के अंतर्गत किसी वापसी के बिना संपत्ति की संग्रह निधि से तत्काल और अविशेषित हस्तांतरण है।
B. Under Muslim law, a gift of immovable properties can be made Verbally without recourse to a written document./ मुस्लिम विधि के अंतर्गत, अचल संपत्तियों का दान लिखित दस्तावेों के प्रयोग के बिना मौखिक रूप से किया जा सकता है।
C. A gift of life interest is valid. /जीवन हित का हिबा (दान) वैध है
D. A gift of life interest is enlarged into an absolute estate/ जीवन हित का कोई हिबा (दान) पूर्ण संपत्ति में विस्तारित किया जाता है।
E. The subject of gift may be corporeal only./ हिबा (दान) की विषय वस्तु केवल मूर्त हो सकती है।

Choose the most appropriate answer from the options given below:
नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए -
(a) A and E only/ केवल A और E
(b) B, C and D only/ केवल B, C और D
(c) A, B and C only/ केवल A, B और C
(d) C, D and E only/ केवल C, D और E

UGC (NET) March, 2023

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा किसी वापसी के बिना संपत्ति का तत्कालिक और अविशोषित अंतरण है। हिबा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्तियों को हो सकता है। अचल संपत्ति का हिबा मौखिक अंतरण द्वारा भी हो सकता है।

3. **What is the age of the majority for the purpose of making gifts under Muslim law?**
मुस्लिम विधि के तहत उपहार देने के उद्देश्य से वयस्कता की उम्र क्या है?
(a) Attainment of puberty/यौवनारम्भ
(b) Attainment of eighteen years
अठारह साल का होने पर
(c) Completion of twenty-one years, if under a certified guardian/इक्कीस वर्ष पूरे होने पर, यदि प्रमाणित अभिभावक के अधीन हो
(d) Both (b) and (c)/(b) और (c) दोनों

Rajasthan SET 2023

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत उपहार देने के उद्देश्य से वयस्कता की उम्र अठारह वर्ष है तथा यदि अवयस्क कोड ऑफ वार्ड्स के संरक्षण में हो तो वह 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वैध दान या हिबा कर सकता है।

4. **The essential condition of a Gift under Muslim Law is-**
मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान की आवश्यक शर्त है:
(a) Declaration of the gift by the donor
दानकर्ता द्वारा दान की घोषणा
(b) Acceptance of the gift by the donee
दानग्रहीता द्वारा दान का प्रतिग्रहण
(c) Delivery of possession of subject matter of the gift/दान की गई सम्पत्ति के कब्जे का परिदान
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अनुसार हिबा (दान) की आवश्यक शर्त है—
1. दाता द्वारा दान की घोषणा,
2. दानग्रहीता द्वारा प्रतिग्रहण,
3. सम्पति (वस्तु) का परिदान।

5. **Under Muslim Law a Muslim can make gift of his property upto the extent of**
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत कोई मुसलमान अपनी सम्पत्ति को किस सीमा तक दान कर सकता है?
(a) only 1/4 of his property/केवल सम्पत्ति के 1/4 भाग तक
(b) only 1/3 of his property/केवल सम्पत्ति के 1/3 भाग तक
(c) only 1/2 of his propertyकेवल सम्पत्ति के 1/2 भाग तक
(d) the entire property/सम्पूर्ण सम्पत्ति तक

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अनुसार कोई मुस्लिम अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का दान कर सकता है।

6. **Which one of the following statements regarding gift in Muslim law is correct?**
दान के सम्बंध में मुस्लिम विधि में निम्न कौन से कथन सत्य है?
(a) Gift can be made orally only
दान केवल मौखिक रूप से किया जा सकता है।
(b) Gift can be made only in writing
दान केवल लिखित रूप से किया जा सकता है।
(c) Gift can be made orally and in writing both ways/दान मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से किया जा सकता है
(d) None is correct/इसमें से कोई सही नहीं है।

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान की घोषणा मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी। दान की वैधता के लिए इसका लिखित या रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है।

7. **Which one of the following is not essential for a valid gift or Hiba under the Mohammedan Law?/निम्नलिखित में से कौन-सा एक वैध हिबा या दान के लिए मुस्लिम विधि में जरूरी नहीं है?**
(a) Declaration of gift/दान देने की घोषणा करना
(b) Acceptance of gift/दान की स्वीकृति
(c) Delivery of possession of the property by the donor to the donee/दानदाता द्वारा सम्पत्ति का कब्जा दानग्रहीता को देना
(d) Written documentary proof of the gift/दान सम्बन्धित लिखित दस्तावेज

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. **Which of the following is not an essential of a valid Hiba (gift)?**
निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध हिबा (दान) के लिये आवश्यक तत्व नहीं है?
(a) The Declaration (Ijab)/इजाब
(b) The Acceptance (Qubul)/कबूल
(c) Taking of Possession (Qubza)/कब्जा
(d) Writing and Registration/लिखित तथा रजिस्ट्री

Uttarakhand (J) 2011, 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. **Which one of the following conditions is not essential for a valid gif (Hiba) under Muslim Law?/मुस्लिम विधि के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन वैध दान (हिबा) के लिए आवश्यक नहीं है?**
(a) Registration/पंजीकरण
(b) Acceptance/स्वीकृति
(c) Delivery of possession/कब्जे का परिदान
(d) Declaration/घोषणा

Rajasthan (J) 2015
Rajasthan (DJC) 2012
Uttarakhand (J) 2012

Ans : (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. **In which of the following cases has the Supreme Court ruled that under the Muslim Law gift of immovable property fulfilling essential ingredients of a valid gift i.e., declaration of gift by donor, acceptance of gift by donee and delivery of possession, even if reduced into writing does not require compulsory registration?**
निम्न में से किस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विनिर्णित किया है कि मुस्लिम विधि के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्ति का दान, जिसमें वैद्य दान के सभी आवश्यक तत्व जैसे दानदाता द्वारा दान की उद्घोषणा, दानग्रहिता द्वारा दान ग्रहण की स्वीकृति एवं कब्जे का परिदान, यदि लिखित में भी किया गया है तो भी लिखत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है ?
(a) Hafeeza Bibi and others v. Shaikh Farid and other, (2011) 5 SCC 654/हफीज़ा बीबी व अन्य बनाम शेख फरीद व अन्य (2011) 5 SCC 654
(b) Abdul Basit v. Mohd. Abdul Kadir Chaudhary and other, (2014) 10 SCC 754/ अब्दुल बासित बनाम मो. अब्दुल कादिर चौधरी व अन्य (2014) 10 SCC 754

(c) Abdul Gani Bhat v. Islamia College Governing Board, (2011) 12 SCC 640/ अब्दुल अब्दुल गनी भाट बनाम इस्लामिया कॉलेज गवर्निंग बोर्ड (2011) 12 SCC 640
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (J) 2016

Ans. (a) : हफीजा बीबी व अन्य बनाम शेख फरीद व अन्य (2011 SCC) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि मुस्लिम विधि के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्ति का दान, जिसमें वैध दान के सभी आवश्यक तत्व जैसे, दानदाता द्वारा दान की उद्घोषणा, दानग्रहीता द्वारा दान ग्रहण करने की स्वीकृति एवं कब्जे का परिदान, यदि लिखित में भी किया गया है तो भी लिखत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।

11. Under the Muslim Law, in the gift there are following parties, namely-
मुस्लिम विधि में दान में, पक्षकार होते हैं–
(a) donor and a witness/दाता व एक साक्षी
(b) a witness only/एक साक्षी मात्र
(c) relative only/सम्बन्धी ही केवल
(d) donor and donee/दाता व अदाता

BPSC (APO) 2012

Ans : (d) मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान में दाता और अदाता पक्षकार होते है।

12. Which statement regarding gift under Muslim law is correct one?
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत दान के सन्दर्भ में कौन सा वचन सत्य है?
(a) Gift can be made orally/दान केवल मौखिक रूप से किया जा सकता है।
(b) Gift can only be made in writing/दान केवल लिखित रूप में ही किया जा सकता है।
(c) Gift can be made orally and in writing or in both ways/मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से किया जा सकता है।
(d) None is correct/इनमें से कोई नहीं है।

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : कमरून्निसा बीबी बनाम हुसैनी बीबी 1880 All HC के वाद में धारित किया गया कि हिबा मौखिक तथा लिखित दोनों हो सकती है, अगर अन्य शर्तें पूर्ण होती हैं तो हिबा वैध होगा।

13. A Muslim makes a death-bed-gift of his half property to his son. What will be the effect of this gift?
'अ' एक मुस्लिम व्यक्ति मृत्यु शैय्या पर अपने लड़के को अपनी सम्पत्ति का आधा भाग दान में देता है। इस दान का क्या प्रभाव होगा?
(a) valid/मान्य हैं।
(b) invalid/अमान्य है।
(c) void/शून्य है।
(d) none of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : मुस्लिम वैयक्तिक विधि के अनुसार मृत्युशैय्या (मर्ज-उल-मौत) का दान वसीयत की श्रेणी में आता है। इस विधि के अन्तर्गत वसीयत का नियम यह है कि वसीयतकर्ता अपनी सन्तान से भिन्न किसी भी व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति का एक तिहाई सन्तानों की सम्मति के बिना वसीयत कर सकता है परन्तु अपनी सन्तान को वसीयत सामान्यतया नहीं कर सकता है, चाहे वह सम्पत्ति का एक छोटा सा अंश ही क्यों न हो, जब तक कि अन्य सन्तानों की सम्मति न ले ली गयी हो।

14. Which one of the following gifts is not void under Muslim law?
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत निम्न में से कौन सा दान शून्य नहीं है?
(a) A gift by a pardanashin lady परदानशीन महिला द्वारा दिया गया दान
(b) A gift to an unborn person/अजन्मे बच्चे को दिया गया दान
(c) A gift to a dead person/मृतक व्यक्ति को दिया गया दान
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (a) : मुस्लिम विधि के अनुसार परदानशीन महिला द्वारा दिया गया दान मान्य है किन्तु अजन्मे बच्चे के पक्ष में किया गया दान शून्य होगा, लेकिन यदि अजन्मा व्यक्ति 6 माह के भीतर जन्म ले लेता है, तो दान मान्य होगा। मृत व्यक्ति को दिया गया दान शून्य होगा।

15. Hiba of future property in Muslim Law is
मुस्लिम विधि में भावी सम्पत्ति का हिबा
(a) Invalid/अवैध है।
(b) Valid/वैध है।
(c) Valid under certain conditions/कुछ शर्तो के अधीन वैध है।
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Uttarakhand (J) 2011, 2016

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में ऐसी सम्पत्ति का हिबा, जिसका अस्तित्व नहीं है या भावी सम्पत्ति का हिबा शून्य होगा।
मोहम्मद बक्श बनाम हुसैनी बीबी (1888, 15 1A 81) के वाद में यह धारित किया गया कि भावी सम्पत्ति का हिबा या ऐसी सम्पत्ति का हिबा जो वर्तमान समय में अस्तित्व में नहीं है, शून्य होगा।

16. Under Muslim Law, if the donee dies before acceptance of gift, then the gift is
मुस्लिम विधि में यदि दान प्रतिग्रहण करने से पूर्व ही आदाता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा दान होता है-
(a) Void/शून्य
(b) Voidable/शून्यकरणीय
(c) Valid/मान्य
(d) Convertible into will/वसीयत में परिवर्तित

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (a) : मुस्लिम विधि में यदि दान प्रतिग्रहण करने से पूर्व ही आदाता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा दान शून्य होता है। वैध हिबा की अपेक्षाएँ निम्नलिखित है—
1. हिबाकर्त्ता सक्षम होना चाहिए तथा उसे हिबा की विषय-वस्तु में स्वत्व धारक होना चाहिए

2. हिबा करने की स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए
3. हिबा का प्रतिग्रहण होना चाहिए तथा
4. हिबा की विषय-वस्तु के कब्जे का परिदान होना चाहिए।

उपरोक्त में से किसी शर्त के अपूर्ण रह जाने पर हिबा शून्य होगा।

17. In Muslim Law gift in favour of an unborn person except under certain cases or conditions is /मुस्लिम विधि में अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया गया दान कुछ परिस्थितियों अथवा शर्तों को छोड़कर होता है :

(a) Void/शून्य
(b) Valid/वैध
(c) Voidable/शून्यकरणीय
(d) Valid if accepted by mother
वैध जब माँ द्वारा स्वीकार्य हो

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : मुस्लिम विधि में अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया गया दान (हिबा) शून्य होता है, परन्तु हिबा की तिथि से 6 माह के भीतर गर्भस्थ शिशु जन्म ले लेता है, तो वह सक्षम दानग्रहीता माना जाता है।

18. A gift in favour of an unborn child is
अजन्मे बच्चे के पक्ष में किया हिब्बा है

(a) valid/विधिमान्य (b) irregular/अनियमित
(c) voidable/शून्यकरणीय (d) void/शून्य

Bihar (J) 2020

Ans. (d) :

19. Which of the following gifts is not valid?
निम्नलिखित उपहरों में से कौन-सा वैध नहीं है?

(a) Gift in future/भविष्य उपहार
(b) Conditional gift/सशर्त उपहार
(c) Gift based on wagering contract or contingent contract/बाजी के समझौते या अनिश्चित समझौते पर आधारित उपहार
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

29th BPSC (J) 2017

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित वैध हिबा (Gift) नहीं है—
1. भविष्य में किसी वस्तु का हिबा,
2. बाजी के समझौते या अनशिचित समझौते पर आधारित हिबा,
3. भावी हिबा,
4. अजन्मे व्यक्ति को हिबा जब तक उसका जन्म हिबा की तारीख से 6 माह के भीतर न हो जाए।

सशर्त हिबा (Conditional Gift) - हिबा सशर्त या अशर्त हो सकता है। शर्त से तात्पर्य 'उत्तरीवर्ती शर्त' से है, जो शून्य होती है। अतः उसका पालन या अपालन हिबा की वैधता को प्रभावित नहीं करता है तथा दानग्रहीता का स्वत्व अप्रभावित रहता है।

20. If A makes a Hiba of a certain property to B with a condition that B shall not transfer the property, then
यदि A अपनी कुछ सम्पत्ति का हिबा B को कर देता है इस शर्त के साथ कि B सम्पत्ति को हस्तान्तारित नहीं करेगा, तोः-

(a) Hiba is void and condition is valid
हिबा शून्य है तथा शर्त वैध है
(b) condition is void and Hiba is valid
शर्त शून्य है तथा हिबा वैध है
(c) neither condition nor Hiba is valid
न ही शर्त न ही हिबा वैध है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2013

Ans : (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. Principle of 'Musha' is recognized by
'मुशा' का सिद्धान्त मान्य हैः

(a) Shia Law/शिया विधि में
(b) Hanafi Law/हनफी विधि में
(c) Maliki Law/मालिकी विधि में
(d) Shafei Law/शाफई विधि में

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : ''मुशा का सिद्धान्त'' केवल हनफी विधि में मान्य है तथा केवल हिबा पर लागू होता है। यह सिद्धान्त विक्रय, विनिमय, पट्टा तथा अन्य सम्पत्ति अन्तरण पर लागू नहीं होता है।

22. "Musha" under Muslim Law means
मुस्लिम विधि में ''मुशा'' का अर्थ है-

(a) An undivided share in the property/सम्पत्ति में अविभाजित अंश
(b) Share in a joint property after partition/संयुक्त सम्पत्ति में विभाजन के पश्चात् अंश
(c) Compensation in lieu of share in the property/सम्पत्ति के अंश के बदले में प्रतिकर
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (a) : ''मुशा'' का अर्थ, सम्पत्ति में अविभाज्य अंश से है। मुस्लिम विधि की हनफी शाखा में मान्यता प्राप्त है। **शेख मो. मुमताज बनाम जुवैदा जान** (1889, P.C.) के वाद में न्यायालय ने धारित किया कि वर्तमान समय से मुशा का सिद्धान्त मान्य नहीं है।

23. The term 'Musha' under Muslim Law means
'मुशा' शब्द का मुस्लिम विधि के अन्तर्गत अर्थ हैः

(a) divided property/विभाजित सम्पत्ति
(b) joint property/संयुक्त सम्पत्ति
(c) separate property/निजी सम्पत्ति
(d) undivided share in property
अविभाजित सम्पत्ति में हिस्सा

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. Which of the following is not correct under Muslim Law/मुस्लिम विधि के अतंर्गत निम्न में से कौन सही नहीं है?

(a) In a gift Transaction delivery of possession is necessary, in a Will it is not required/दान के अंतरण में कब्जे का परिदान आवश्यक है, वसीयत में यह अपेक्षित नहीं

(b) Doctrine of Mushaa is also applicable in case of disposition by Will/वसीयत द्वारा व्ययन में भी मुसा का सिद्धांत लागू होता है

(c) Right of Donor to a gift is unrestricted but right of making a bequest is limited in two ways/दान में दानकर्ता का अधिकार अप्रतिबंधित है लेकिन वसीयतकर्ता का अधिकार दो प्रकार से सीमित है

(d) After completin, a gift cannot be revoked unless by a formal decree of a court, a will may be revoked at any time after making of it/एक दान पूर्ण होने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता सिवाय न्यायालय के औपचारिक डिक्री के, एक वसीयत बनाने के बाद किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है

UGC (NET) December, 2019 Paper-II

Ans. (b) : मुशा का शब्दिक अर्थ है 'संयुक्त सम्पत्ति का अविभाज्य हिस्सा' (Undivided share in a joint property)। मुशा शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द 'शूयूअ्' से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, 'असमंजस' या विभ्रांति (Confusion)।
मुशा का सिद्धांत मुस्लिम विधि में दान (Gift) पर लागू होता है, वसीयत (Will) पर नहीं।

अध्याय - 11
वसीयत (Wills)

1. Under Muslim Law a will may be made of:
मुस्लिम विधि में वसीयत की जा सकती है

(a) only one fourth of the property
केवल एक चौथाई सम्पत्ति की

(b) only one third of the property
केवल एक तिहाई सम्पत्ति की

(c) only one half of the property
केवल आधी सम्पत्ति की

(d) the entire property/समस्त सम्पत्ति की

Uttarakhand (J) 2006, 2016

Ans. (b) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पुरुष और स्त्री दोनों वसीयत कर सकते हैं। लेकिन एक मुसलमान अपनी सम्पत्ति का एक तिहाई भाग से अधिक की वसीयत नहीं कर सकता है। शरीयत के अनुसार- एक मुसलमान जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो और 18 वर्ष या अधिक का हो वसीयत कर सकता है। एक मुसलमान अपनी सम्पत्ति का एक तिहाई भाग से अधिक सम्पत्ति का वसीयत अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में करता है तो यह तभी मान्य होगा जब अन्य उत्तराधिकारी इस पर अपनी सहमति दे दे।

2. Under Muslim law, a Muslim can make a Will of his property upto the extent of
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत कोई मुसलमान अपनी सम्पत्ति की वसीयत किस सीमा तक कर सकता है?

(a) one fourth of the property/1/4 सम्पत्ति की

(b) one third of the property/1/3 सम्पत्ति की

(c) one half (½) of the property/1/2 सम्पत्ति की

(d) the entire property/सम्पूर्ण सम्पत्ति की

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. Bequest of 'Life Interest' in Muslim law is
मुस्लिम विधि में 'आजीवन हित' की वसीयत

(a) Valid/मान्य होती है

(b) Void/शून्य होती है

(c) Voidable/शून्यकरणीय होती है।

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (a) : मुस्लिम विधि में "आजीवन हित" का वसीयत मान्य होता है लेकिन निहित अवशेष का वसीयत मान्य नहीं है अर्थात् आजीवन हित वसीयत द्वारा A के जीवन काल के लिए दिया जाता है और तत्पश्चात निहित अवशेष B को दिया जाता है तो A के पक्ष में आजीवन हित का वसीयत मान्य है किन्तु B के पक्ष में निहित अवशेष का वसीयत मान्य नहीं है।

4. The Rule of 'Rateable Abatement' applies in
'आनुपातिक ह्रास' का नियम लागू होता है

(a) Wasiyat/वसीयत में (b) Hiba/हिबा में

(c) Sadqa/सदका में (d) Ariat/अरियत में

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (a) : 'आनुपातिक ह्रास' का नियम वसीयत के मामले में लागू होता है। यदि वसीयतकर्ता 1/3 से अधिक सम्पत्ति का वसीयत करता है तथा बाद में उत्तराधिकारी सहमति नहीं देता है तो वसीयती के अंशों में आनुपातिक कटौती कर दी जायेगी अर्थात् सम्पत्ति को 1/3 में से सभी वसीयती को आनुपातिक रूप में वितरण किया जायेगा।

5. A sickman makes a bequest, and being unable to speak from weakness gives a nod with his head, and he dies without regaining the power of speech, the bequest is

एक बीमार व्यक्ति जो कमजोरी के करण बोलने में असमर्थ है एक वसीयत करता है और सहमति व्यक्त करता है तथा फिर बोलने की शक्ति को पुनः प्राप्त किए बिना ही मर जाता है ऐसी वसीयत है-

(a) Void/शून्य
(b) Irregular/अनियमित
(c) Valid/मान्य
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (c) : बीमारी के आधार पर या बोलने की समर्थता के आधार कोई वसीयत शून्य/अविधिमान्य नहीं होगा, वैध वसीयत की निम्नलिखित शर्ते है—
(1) वसीयतकर्ता का सक्षम होना,
(2) वसीयत करने का आशय,
(3) स्वतन्त्र सहमति,
(4) वसीयत की विषय वस्तु तथा
(5) विधिक औपचारिकताएं।

6. Under Muslim Law, a bequest can validly be made to a child in womb, so long it is born from the date of will within the period of
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत, एक गर्भस्थ शिशु के पक्ष में एक वैध रूप से वसीयत की जा सकती है यदि वह बच्चा जन्म लेता है वसीयत की तिथि से-

(a) 3 months/3 महीने की अवधि के भीतर
(b) 6 months /6 महीने की अवधि के भीतर
(c) 9 months /9 महीने की अवधि के भीतर
(d) 10 months /10 महीने की अवधि के भीतर

Uttarakhand (J) 2015
Rajasthan (DJC) 2012

Ans. (b) : मुस्लिम विधि में वसीयती (वसीयत ग्रहिता) का धर्म, आयु, लिंग तथा मानसिक स्थिति महत्वहीन है बशर्ते वह अस्तित्व मे होना चाहिए। गर्भस्थ शिशु को किया गया वसीयत मान्य होगा, यदि वह 6 माह के भीतर जन्म ले लेता है। शिया विधि में 10 माह के भीतर जन्म लेना अनिवार्य है।

7. A bequest may be made to a child in the womb provided it is born, from the date of the will, within/एक गर्भस्थ बच्चे को वसीयत की जा सकती है बशर्ते उसका जन्म वसीयत करने के

(a) 6 months/6 माह में हो जाता है
(b) 8 months/8 माह में हो जाता है
(c) 9 months/9 माह में हो जाता है
(d) 10 months/10 माह में हो जाता है

Bihar (J) 2020

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. Executor of a will of a Muslim may be
एक मुस्लिम की वसीयत का निष्पादक हो सकता है-

(a) A Muslim only/केवल एक मुस्लिम
(b) A Christian only/केवल एक ईसाई
(c) A Hindu only/केवल एक हिन्दू
(d) Either a Muslim, Hindu or Christian/मुस्लिम, ईसाई अथवा हिन्दू कोई भी

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में, एक मुस्लिम वसीयत का निष्पादक कोई भी (मुस्लिम, ईसाई अथवा हिन्दू) व्यक्ति हो सकता है।

9. In favour of who among the following a bequest by a Muslim is valid?/मुस्लिम विधि में निम्नलिखित में से किस नातेदार के हित में वसीयत वैध है?

(a) A son/एक पुत्र
(b) A widow/एक विधवा
(c) A grandson in case of a predeceased son एक पूर्व-मृत पुत्र के बेटे के पक्ष में
(d) All of them/इनमें से सभी

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (c) : मुस्लिम विधि में पूर्व-मृत पुत्र के बेटे के पक्ष में वसीयत वैध है।

10. In Islam, a person owing property has
इस्लाम में एक व्यक्ति जो सम्पत्ति का स्वामी है–

(a) the unqualified capacity to execute will/उसके पास वसीयत निष्पादित करने की असीमित क्षमता है
(b) the capacity to execute a will only in the absence of legal heirs/वह वसीयत तब ही निष्पादित कर सकता है जब उसके कोई विधिक वारिस नहीं हैं
(c) the capacity to execute a will only when he has the legal heirs/वह वसीयत तब ही निष्पादित कतर सकता है जब उसके कोई विधिक वारिस हैं
(d) no capacity to execute a will/उसके पास वसीयत निष्पादित करने की कोई क्षमता नहीं है

BPSC (APO) 2011

Ans : (b) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत एक व्यक्ति जो सम्पत्ति का स्वामी है, सम्पत्ति को ऐसे व्यक्ति जो उसका विधिक उत्तराधिकारी न हो के पक्ष में सम्पूर्ण सम्पत्ति का एक तिहाई (1/3 भाग) ही वसीयत कर सकता है। एक तिहाई से अधिक सम्पत्ति की अवस्था में उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक है।

11. Which 'Wasiyat' is invalid in Muslim Law?
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत कौन 'वसीयत' अवैध है?

(a) Wasiyat made in favour of religious school/वसीयत जो कि धार्मिक स्कूल के पक्ष में है।
(b) Wasiyat made to the killer of legator/वसीयत कर्ता के हत्यारे के पक्ष में गई वसीयत।
(c) Wasiyat made for charity/खैरात के लिए की गई वसीयत।
(d) Wasiyat made to a non-muslim/गैर-मुस्लिम को की गई वसीयत।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (b) : यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु वसीयत ग्राही द्वारा आशय पूर्वक की जाती है या दुर्घटनापूर्वक हुई है, तो सुन्नी विधि के अनुसार हत्यारे को दी गयी वसीयत अमान्य होगी। शिया विधि में यदि हत्या जान-बूझकर की गयी हो तो हत्यारे को दी गयी वसीयत अमान्य है, परन्तु बिना आशय के वसीयतकर्ता की हत्या हो जाती है, तो वसीयत मान्य है। जबकि धार्मिक स्कूल के पक्ष में, खैरात के पक्ष में, गैर-मुस्लिम के पक्ष में की गई वसीयत मान्य होगी।

अध्याय - 12

वक्फ (Waqf)

1. **Wakf can be made by-**
वक्फ किया जा सकता है:
(a) A Muslim only/केवल मुसलमान द्वारा
(b) A Hindu only/केवल हिन्दू द्वारा
(c) Both Hindu and Muslim/हिन्दू और मुसलमान दोनों के द्वारा
(d) Neither by Hindu nor by Muslim/न तो हिन्दू द्वारा और न ही मुसलमान द्वारा

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (c) : वक्फ हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों द्वारा किया जा सकता है। वक्फ का शाब्दिक अर्थ है बांधना/रोकना जबकि विधिक अर्थ स्थायी समर्पण है। इसका आधार मो. साहब का सुन्नत है तथा इसका उद्देश्य धर्म पूर्त, परोपकार तथा आध्यात्मिक लाभ है।

2. **A creates a waqf of Rs. 40,000 for 25 years in Muslim Law. The waqf is:**
मुस्लिम विधि में 'अ' 25 वर्ष के लिए 40,000 रुपयों का वक्फ करता है। यह वक्फ
(a) void/शून्य है (b) invalid/अमान्य है
(c) valid/मान्य है (d) voidable/शून्यकरणीय

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (a) : मुस्लिम विधि की 'मुसलमान वक्फ प्रमाणीकरण अधिनियम, 1913' की धारा 2 खण्ड (1) के अनुसार वक्फ स्थाई रूप से दिया जाने वाला दान है अतः कोई भी वक्फ जो निश्चित अवधि के लिये दिया गया हो वह शून्य होगा।

3. **'Doctrine of Cypres' is releated with**
'यथा सम्भव सामीप्य' का सिद्धान्त सम्बन्धित है
(a) Marriage/विवाह (b) Mehar/मेहर
(c) Waqf/वक्फ (d) Hiba/हिबा

Uttarakhand (J) 2009, 2011

Ans. (c) : जहां मुस्लिम विधि में किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु वक्फ का सृजन किया गया है। यदि वह उद्देश्य, किन्हीं कारणों से असम्भव हो जाता है तो उसी उद्देश्य से मिलता जुलता कोई दूसरा उद्देश्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति हेतु कार्य किया जायेगा। इसी को ''यथासमीप्य का सिद्धान्त'' कहते हैं।

4. **Who cannot be appointed as "Mutawalli" of a wakf?**
वक्फ के ''मुतवल्ली'' के रूप में कौन नियुक्त नहीं किया जा सकता?
(a) Waqif/वाकिफ
(b) Waqif's son/वाकिफ का पुत्र
(c) A woman/एक महिला
(d) A non-Muslim where religious acts are to be performed/गैर मुस्लिम जहाँ धार्मिक कार्य सम्पादित किए जाते है।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) मुस्लिम विधि के अनुसार मुतवल्ली कोई भी व्यक्ति हो सकता है। स्वयं वाकिफ, उसके बच्चे, स्त्री या गैर मुस्लिम भी मुतवल्लि हो सकता है किन्तु यदि वक्फ धार्मिक प्रकृति है तो गैर मुस्लिम मुतवल्ली नहीं हो सकता है।

5. **Which one of the following is not legal incident of 'waqf'?**
निम्न में से कौन सा 'वक्फ' का विधिक तत्व नहीं है?
(a) Irrevocability/अखण्डनीयता
(b) Perpetuity/शाश्वतता
(c) Inalienability/अहस्तातंरणीयता
(d) Universal/सार्वभौमिकता

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत वैध वक्फ की तीन प्रसंगतियाँ है—
1. **शाश्वतता**—वक्फ की सम्पत्ति सदैव स्थायी रूप से निश्चित कर दी जाती है।
2. **अप्रतिसंहरणीयता (अखण्डनीयता)**—वक्फ की सम्पत्ति को पुनःप्रतिसंहण नहीं किया जा सकता।
3. **अहस्तातंरणीयता**—वक्फ की गयी सम्पत्ति अहस्तातंरणीय हो जाती है।

''वक्फ से तात्पर्य इस्लाम धर्म में आस्थावान किसी व्यक्ति द्वारा किसी सम्पत्ति का मुस्लिम विधि के धार्मिक, पुण्य अथवा पूर्त प्रयोजन हेतु स्थाई समर्पण से है।

6. **Which one of the following is not correct with reference to Legal incidence of Wakf?**
वक्फ के विधिक परिणाम के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
(a) The wakif ceases to have any interest in it/वाकिफ का उसमें कोई हित नहीं रहता है
(b) The property ceases to be heritable/सम्पत्ति विरासत योग्य नहीं रह जाती

(c) The wakf becomes irrevocable/वक्फ प्रतिसंहरणीय हो जाता है
(d) The wakf has right to alter the Wakf/वाकिफ को अधिकार होता है कि वक्फ को बदल सके

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : वक्फ का अर्थ, इस्लाम में आस्थावान किसी व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति का स्थायी समर्पण है जिसका उद्देश्य धार्मिक, पूर्त या खैराती होता है।
एक बार सम्पत्ति का वक्फ कर दिया जाता है तब वह सम्पत्ति खुदा (अल्लाह) में निहित हो जाती है और वाकिफ का सम्पत्ति में से हित समाप्त हो जाता है तथा सम्पत्ति विरासत योग्य नहीं रह जाती है। वसीयती वक्फ प्रतिसंहरणीय होता है।
वाकिफ का सम्पत्ति में से हित समाप्त होने के कारण वाकिफ को अधिकार नहीं होता है कि वह वक्फ को बदल सके।

7. In case of a Wakf, the Wakf property vests in the/एक वक्फ में वक्फ सम्पत्ति निहित होती है

(a) Wakif/वाकिफ में
(b) Mutawalli/मुतावली में
(c) Almighty/अल्लाह में
(d) Beneficiaries/हिताधिकारियों में

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (c) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत वक्फ की सम्पत्ति अल्लाह में निहित होती है। वक्फ से तात्पर्य है इस्लाम में आस्थवान किसी व्यक्ति द्वारा किया गया किसी भी सम्पत्ति का एक ऐसा स्थायी समर्पण जो किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो जो मुस्लिम विधि के अन्तर्गत, धार्मिक पुण्यशील अथवा खैराती कार्य के रूप में मान्य हो।

8. Creating a "Waqf" means dedication of property to
एक 'वक्फ' को बनाने का अर्थ है सम्पत्ति का सम्पूर्ण-

(a) State/राज्य को
(b) Himself/स्वयं को
(c) Family members/परिवार को
(d) God/ईश्वर को

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. After declaration of Wakf, the property becomes vested in
वक्फ की घोषणा के पश्चात् सम्पत्ति निहित हो जाती है

(a) God/खुदा में
(b) Wakif/वाकिफ में
(c) Mutwalli/मुतवली में
(d) Jointliy on all of the above
संयुक्त रूप के उपर्युक्त सभी में

BPSC (APO) 2013

Ans : (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. Under the Muslim Law, a Waqf may not be created in favour of
मुस्लिम विधि में 'वक्फ' नही किया जा सकता है–

(a) a school/एक स्कूल के पक्ष में
(b) Muslim priest/मुस्लिम महन्त के पक्ष में
(c) Idol/एक मूर्ति के पक्ष में
(d) family member/परिवार के सदस्यों के पक्ष में

BPSC (APO) 2012

Ans : (c) मुस्लिम विधि के अनुसार वक्फ का निर्माण निम्न प्रयोजनों हेतु नहीं किया जा सकता है–
(1) किसी मंदिर, चर्च का निर्माण या देख-रेख हेतु।
(2) शराब की दुकान, जुआधर या सूफर माँस की दुकान निर्माण या देख-रेख हेतु।
(3) किसी अजनबी को लाभान्वित करने की व्यवस्था हेतु।
(4) वकिलों को लाभान्वित करने हेतु।
(5) केवल धनवान व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु।

11. Which one of the following is not the valid object of Waqf under Muslim Law?
निम्नलिखित में से कौन-सा मुस्लिम विधि के अन्तर्गत एक वक्फ का वैध उद्देश्य नहीं है?

(a) Celebrating the birth of Ali Murtaza/अली मुर्तजा के जन्म दिवस को मनाना
(b) Grant to an Idgah/ईदगाह के लिये धन अनुदान देना।
(c) Payment of money to Fakirs/फकीरों को धन का भुगतान करना।
(d) A waqf in favour of utter strangers/एक पूर्ण अजनबी के हक में किया गया वक्फ

Uttarahkand (J) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. A Wakf cannot be created for
एक वक्फ का सृजन नहीं किया जा सकता

(a) celebrating the birth of Ali Murtaza
अली मुर्तजा का जन्म दिवस मनाने हेतु
(b) construction of a church
गिरजाघर के निर्माण हेतु
(c) maintenance of a Khanqah
एक खानकाह के रखरखाव हेतु
(d) construction of a bridge
एक पुल के निर्माण हेतु

Bihar (J) 2020

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

अध्याय - 13

हक शुफा (Pre-Emption)

1. One of the following, has no right of preemption in Muslim Law:
मुस्लिम विधि में निम्नलिखित में से एक पूर्वक्रय (शूफा) का अधिकार नहीं रखता है।
(a) Shafi-i-Khalit/शफी-ए-खलीत
(b) Shafi-i-Sharik/शफी-ए-शरीक
(c) Shafi-i-Jar/शफी-ए-जार
(d) Shafi-i-Meherban/शफी-ए-मेहरबान

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में पूर्वक्रयाधिकारी को तीन वर्गों में विभाजित किया गया हैं। वरीयता क्रम में पूर्व-क्रयाधिकारियों के तीन वर्ग निम्नलिखित हैं—(1)शुफा-ए-शरीक, (2) शुफा-ए-खालित, (3) शुफा-ए-जार। अतः शफी-ए-मेहरबान पूर्व क्रय का अधिकार नहीं रखता है।

2. Who under the Mohammedan Law can claim right of preemption?/मुस्लिम विधि में पूर्वक्रय की माँग कौन कर सकता है?
(a) Shafi-i-Sharik (a co-sharer in the property)/ शफी-ए-शरीक (सम्पत्ति में एक सह-अंशधारक)
(b) Shafi-i-Khalit (a participator in immunities and appendages)/शफी-ए-खालित (एक सहभागीदार, संलग्न सम्पत्ति में)
(c) Shafi-i-Jar (an owner of contiguous immovable property)/शफी-ए-जार (एक जुड़ी हुई सम्पत्ति का मालिक)
(d) All of them/इनमें से सभी

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. What is right of 'pre-emption'?
'शुफा' का अधिकार क्या है?
(a) A right to seek eviction of tenant and get vacant possession/किराएदार से मकान खाली करने एवं खाली मकान का कब्जा पाने का अधिकार।
(b) A right to purchase property in preference to other person/किसी सम्पत्ति को क्रय करने के लिये वरीयता का अधिकार।
(c) A right to presume adversely/प्रतिकूल उपधारणा का अधिकार।
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (b) : 'शुफा' का अधिकार किसी सम्पत्ति को क्रय करने के लिए वरीयता का अधिकार। दूसरे शब्दों में "किसी भवन या भूमि के पड़ोसी को, उस भवन या भूमि पर किसी अजनबी की तुलना में श्रेष्ठर (Superior) अधिकार है। 'पूर्व क्रयाधिकार' व 'शुफा' का उद्देश्य, किसी अजनबी के पड़ोस में बसने से होने वाली सम्भावित असुविधा को टालना है।

4. Which one of the following is the right of pre-emption?
निम्नलिखित में से कौन सा एक हक शुफा (अग्रकिया) अधिकार है?
(a) A right to seek eviction of tenant and get possession/एक किरायेदार को खाली करवाकर कब्जा लेने का अधिकार
(b) A right to purchase property in preference to other person/दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा वरीयता क्रम से सम्पत्ति क्रय करने का अधिकार
(c) A right to purchase property at low price/कम कीमत में सम्पत्ति क्रय करने का अधिकार
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2016
28th BPSC (J) 2014

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. Under Muslim Law the right of 'Shufaa' is firstly available to
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत 'शुफा' का अधिकार प्रथमतः उपलब्ध हैः
(a) Shafi-i-Jar/शफी-इ-जार को
(b) Shafi-i-Khalil/शफी-इ-खलील को
(c) Shafi-i-Sharik/शफी-इ-शरीफ को
(d) None of the above/उपरोक्त में से किसी को नहीं

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (c) : सुन्नी विधि के अनुसार निम्नलिखित 3 प्रकार के शफी होते हैं-
1. शफी-ए-शरीक (सह-अंशधारी)
2. शफी-ए-खलील (सुविधाओं के सहभोगी)
3. शफी-ए-जार (संलग्न सम्पत्तियों के स्वामी)
शफी-ए-शरीक को शुफा के अधिकार में प्राथमिकता दी जाती है।
नोट- शिया विधि में केवल शफी-ए-शरीक को मान्यता प्राप्त है शेष को नहीं।

6. **Govind Dayal v. Inayatulah (1885) - All 775 (FB) is a leading case on which of the following?/**
गोविन्द दयाल बनाम इनायतुल्लाह निम्नलिखित में से किस पर अग्रनिर्णय वाद है?
(a) Waqf/वक्फ
(b) Pre-emption/अग्र-क्रय
(c) Wills/वसीयत
(d) Guardianship/अभिभावकत्व

Uttarakhand (J) 2012, 2019

Ans : (b) गोविन्द दयाल बनाम इनायतुल्ला (1885 ALL) के वाद में न्यायमूर्ति महमूद ने धारित किया कि क्रेता हिन्दू था फिर भी उसके विरुद्ध पूर्व क्रयाधिकार का दावा मान्य है।

अध्याय - 14
विरासत (Inheritance)

1. **Under Sunni Law in the matter of inheritance, what is share of son in his father's property except land after death of father?**
सुन्नी विधि में विरासत के सन्दर्भ में पुत्र को पिता की मृत्यु के पश्चात् पिता की सम्पत्ति (भूमि को छोड़कर) में कितना भाग होता है?
(a) 1/3 of the property/सम्पत्ति का 1/3
(b) 1/2 of the property/सम्पत्ति का 1/2
(c) 3/4 of the property/सम्पत्ति का 3/4
(d) There is no specific share/कोई निश्चित भाग नहीं होता है

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : सुन्नी विधि के अन्तर्गत पुत्र का पिता की मृत्यु के पश्चात् पिता की सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं आती है, में कोई निश्चित भाग नहीं है। सुन्नी विधि के अन्तर्गत अवैध सन्तानों को पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है।
गर्भस्थ शिशु यदि जीवित पैदा होता है तो वह उत्तराधिकारी हो सकता है।

2. **In Sunni Law of Inheritance, the total number of sharers is/सुन्नी मुस्लिम विरासत विधि के अन्तर्गत सम्पूर्ण अंशधारियों की संख्या है**
(a) 10
(b) 15
(c) 13
(d) 12

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (d) : सुन्नी मुस्लिम विरासत विधि के अन्तर्गत सम्पूर्ण अंशधारियों की संख्या 12 होती है।

3. **Where there are one or more daughters, son's daughters and there is no son or son's son. The share of father in inheritance under Muslim Law would be**
जब एक व्यक्ति एक या एक से अधिक पुत्रियाँ, पुत्र की पुत्रियाँ और बिना पुत्र या पुत्र के पुत्र के मर जाता है, तो उसके पिता का मुस्लिम उत्तराधिकार के अन्तर्गत भाग होगा।
(a) 1/6 only/1/6 केवल
(b) 1/6+ Residue/1/6+शेष
(c) Residue/शेष
(d) Excluded from any right/कोई अधिकार नहीं (अधिकार से अपवर्जित)

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पिता का मुस्लिम उत्तराधिकार के अन्तर्गत निम्न भाग होगा-
(i) सन्तानों अथवा पुत्र की सन्तानों की अनुपस्थिति में पिता अवशिष्टग्राही बन जाता है।
(ii) सन्तानों अथवा पुत्र की सन्तानों की उपस्थिति में पिता का हिस्सा 1/6 होता है।

अध्याय - 15

उत्तराधिकार (Succession)

1. **A son in Muslim Law is entitled to:**
मुस्लिम विधि में एक पुत्र निम्नालिखित का अधिकारी है।
(a) 1/2 of the property/1/2 सम्पत्ति
(b) 3/4 of the property/3/4 सम्पत्ति
(c) all the property/समस्त सम्पत्ति
(d) is a residuary heir/अवशिष्ट उत्तराधिकारी है।

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में एक पुत्र पिता की सम्पत्ति का अवशिष्ट अधिकारी होगा। अन्य लोग उत्तरजीविता के आधार पर अपना अंश प्राप्त करने के लिए अधिकारी होगें क्योंकि मुस्लिम विधि में दो प्रकार के उत्तराधिकारी होते हैं। (1) हिस्सेदार- हिस्सेदार की 12 श्रेणियाँ हैं ये सभी अपना निश्चित अंश प्राप्त करते हैं। (2) अवशिष्टग्राही- पुत्र अवशिष्ट ग्राही की सूची में आता है। हिस्सेदारों को अवंटन के पश्चात बची सम्पत्ति हो उत्तराधिकारी धारण करता है वह अवशिष्ट ग्राही है।

2. **Which of the following statement is not correct with regard to Muslim Law?/मुस्लिम विधि के संदर्भ में कौन-सा वक्तव्य सही नहीं है?**
(a) Nephew gets twice the share of niece/भतीजे को भतीजी की अपेक्षा दुगुना हिस्सा मिलता है।
(b) Son gets twice the share of a daughter/बेटे को बेटी की अपेक्षा दुगुना हिस्सा मिलता है।
(c) Brother gets twice the share of a sister/भाई को बहन की अपेक्षा दुगुना हिस्सा मिलता है।
(d) Widower gets twice the share of a widow/विधुर को विधवा की अपेक्षा दुगुना हिस्सा मिलता है।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार का निर्धारण के चार इस्लामिक विधि स्रोतों पर आधारित है-
(1) पवित्र कुरान, (2) सुन्नत, (3) इज्मा और (4) कियास।
मुस्लिम विधि में दो प्रकार के उत्तराधिकारी होते हैं- (1) अंशधारक और (2) अवशिष्टग्राही। अंशधारकों की संख्या 12 है।
(1) पत्नी का हिस्सा - यदि बच्चे है तो 1/8, यदि बच्चे नहीं है तो 1/4 अंश।
(2) पति का हिस्सा - यदि बच्चे है तो 1/4, यदि बच्चे नहीं है तो 1/2 अंश।
(3) पुत्री का हिस्सा - केवल एक पुत्री है तो 1/2, एक से अधिक है तो 2/3 अंश।
(4) पुत्र और पुत्री का हिस्सा - पुत्र, पुत्री से दुगुना प्राप्त करेगा।

3. **Who is a primary heir under Sunni Law?/सुन्नी विधि के अन्तर्गत कौन प्राथमिक वारिस है?**
(a) True grandfather/अपना दादा
(b) True grandmother/अपनी दादी
(c) Full sister/अपनी सगी बहन
(d) None of them/इनमें से कोई नहीं

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अन्तर्गत अपना दादा, अपनी दादी, अपनी सगी बहन प्रथम वारिस नहीं होते हैं।

4. **The maximum shares of mother and widow under Sunni Law of inheritance may be**
माता और विधवा का सुन्नी उत्तराधिकार विधि के अन्तर्गत अधिकतम भाग हो सकता है-
(a) $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{4}$/$\frac{1}{3}$ और $\frac{1}{4}$
(b) $\frac{1}{6}$ and $\frac{1}{2}$/$\frac{1}{6}$ और $\frac{1}{2}$
(c) $\frac{1}{8}$ and $\frac{1}{4}$/$\frac{1}{8}$ और $\frac{1}{4}$
(d) $\frac{1}{8}$ and $\frac{1}{2}$/$\frac{1}{8}$ और $\frac{1}{2}$

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : सुन्नी उत्तराधिकार विधि के अन्तर्गत माता का अधिकतम हिस्सा 1/3 तथा विधवा का अधिकतम हिस्सा 1/4 होता है।

अध्याय -16

विविध (Miscellaneous)

1. An offence punishable under the Muslim women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 shall be:/मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध होगाः

(a) Non-cognizable and non-compoundable
अ-संज्ञेय और अशमनीय
(b) Non-cognizable and compoundable
अ-संज्ञेय और शमनीय
(c) Cognizable and compoundable
संज्ञेय और शमनीय
(d) Cognizable and non-compoundable
संज्ञेय और अशमनीय

UPHESC 2021

Ans. (c) : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और शमनीय है।

2. Where a muslim male and a muslim female contract their marriage under the Special Marriage Act, 1954, muslim personal law-
जब एक मुस्लिम पुरुष और एक मुस्लिम महिला विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अपने विवाह की संविदा करते हैं तो मुस्लिम वैयक्तिक विधिः

(a) Applies to such marriage
ऐसे विवाह पर लागू होती है
(b) Does not apply/लागू नहीं होती है
(c) Applies with some modifications
कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होती है
(d) Applies with the Indian Contract Act
भारतीय संविदा अधिनियम के साथ लागू होती है

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (b) : जब एक मुस्लिम पुरुष और एक मुस्लिम महिला विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अपने विवाह की संविदा करते हैं तो इस प्रकार के विवाह पर मुस्लिम वैयक्तिक विधि लागू नहीं होती है। ऐसे विवाह पर विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू होगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत किसी भी धर्म या सम्प्रदाय के दो व्यक्तियों के बीच विवाह को सम्मिलित किया जा सकता है।

3. A Muslim female can perform a valid marriage with non-Muslim under
एक मुस्लिम महिला किसी गैर-मुस्लिम के साथ विधिमान्य विवाह कर सकती है इसके अधीन

(a) Special Marriage Act, 1954
विशेष विवाह अधिनियम, 1954
(b) Hindu Marriage Act, 1955
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
(c) Muslim Law/मुस्लिम विधि
(d) Christian Marriage Act, 1872
ईसाई विवाह अधिनियम, 1872

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : एक मुस्लिम महिला किसी गैर-मुस्लिम के साथ विधिमान्य विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन कर सकती है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि किन्हीं दो व्यक्तियों का विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि विवाह के समय निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती है-
1. किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित न हो,
2. कोई भी पक्षकार चित-विकृति के कारण विधिमान्य सम्पत्ति देने में असमर्थ न हो, या किसी मानसिक विकार से पीड़ित न हो,
3. पुरूष ने 21 तथा स्त्री ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो,
4. पक्षकारों में प्रतिषिद्ध कोटी की नातेदारी नहीं है।

4. Which of the following is not personal matter within the meaning of Section 2 of Shariat Act, 1937?
शरीयत अधिनियम, 1937 की धारा 2 के अन्तर्गत निम्न कौन सा मामला वैयक्तिक नहीं है?

(a) Wakf/वक्फ
(b) Guardianship/संरक्षकता
(c) Pre-emption/पूर्व क्रयाधिकार (शूफा)
(d) Maintenance/भरण पोषण

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व क्रयाधिकार (शुफा) वैयक्तिक मामला नहीं है जबकि वक्फ, संरक्षकता, भरण-पोषण आदि वैयक्तिक मामला हैं।

5. The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 gives a right of judicial divorce, on any of the grounds mentioned in it, to:
मुस्लिम विवाह विखंडन अधिनियम, 1939 न्यायिक तलाक का अधिकार इसमें दिए गए आधारों पर प्रदान करता है।

(a) Both husband and wife/पति और पत्नी दोनों को
(b) Husband only/केवल पति को
(c) Wife only/केवल पत्नी को
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 के अनुसार- मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी। इस प्रावधान से स्पष्ट है कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 में न्यायिक तलाक का अधिकार केवल पत्नी को है।

6. The provisions of the dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 give right of Judicial divorce to/मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के प्रावधान निम्न में से किसको तलाक का अधिकार प्रदान करता है?

(a) husband only/केवल पति को
(b) wife only/केवल पत्नी को
(c) both husband and wife/पति एवं पत्नी दोनों को
(d) none of the above/उपरोक्त में से किसी को नहीं

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 specifies certain grounds of divorce which are available to
मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 विवाह विघटन के कुछ आधारों को विनिर्दिष्ट करता है, जो उपलब्ध है-

(a) Husband as well as wife/पति और पत्नी दोनों को
(b) Husband only/केवल पति को
(c) Wife only/केवल पत्नी को
(d) None of them/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. The Dissolutions of Muslim Marriage Act, 1939 is based on the following school of Muslim Law:
मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 निम्नलिखित में से मुस्लिम विधि के किस विचारधारा पर आधारित है?

(a) Hanafi school/हनाफी विचारधारा
(b) Shafi school/शफी विचारधारा
(c) Maliki school/मलिकी विचारधारा
(d) Zaidi school/जैदी विचारधारा

Uttarakhand (J) 2006, 2008, 2014

Ans. (c) : मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 मालिकी विचारधारा पर आधारित है। मालिकी स्कूल सुन्नी इस्लाम के भीतर न्यायशास्त्र के चार प्रमुख मदहबों में से है। इसकी स्थापना मलिकी स्कूल प्राथमिक स्रोतों के रूप में कुरान और हदीसों पर निर्भर करता है। अन्य इस्लमी फिकों के विपरीत, मलिकी फिक्ह भी मदीना के लोगो की आम सहमति को इस्लामी कानून का वैध स्रोत मानते हैं।

9. Which of the following modifies the application of Muslim Law?
निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को संशोधित किया है?

(a) Shariat Act, 1937/शरियत अधिनियम, 1937
(b) Muslim Marriage Dissolution Act, 1939/मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939
(c) Muslim Woman (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986/मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को शरियत अधिनियम, 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 इत्यादि द्वारा संशोधित किया गया।

10. Which of the following Muslim Laws applies in India?
निम्नलिखित में से कौन-सी मुस्लिम विधि भारत में लागू होती है?

(a) Muslim Penal Law/मुस्लिम दण्ड विधि
(b) Muslim Law of Evidence/मुस्लिम साक्ष्य विधि
(c) Muslim Law of Sales of goods/मुस्लिम माल विक्रय विधि
(d) Muslim Women (Protection of Rights o Divorce) Act, 1986/मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986

UP (HJS) 2014
Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 भारत में लागू है। जिसमें 7 धारायें और दो शपथ-पत्र के प्रारूप शामिल है। जबकि मुस्लिम दण्ड विधि, मुस्लिम साक्ष्य विधि, मुस्लिम माल विक्रय विधि लागू नहीं है।

11. Which of the following is not a ground of divorce under the 'Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939?
निम्नलिखित में से कौन सा 'मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939' के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद का आधार नहीं है?

(a) Absence of husband for four years or more/पति का चार या उससे अधिक समय के लिए लापता होना।
(b) Imprisonment of husband for two years/पति को दो वर्ष का कारावास की सजा होना।
(c) Failure of husband to maintain his wife/पति का पत्नी के भरण-पोषण करने से असफल रहना।
(d) Impotency of husband/पति की नपुंसकता।

UGC (NET) June 2010
Uttarakhand (J) 2009

Ans. (b) : मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद के आधार निम्न है—
(1) पति का 4 या उससे अधिक समय से लापता होना,
(2) पति द्वारा दो वर्षों से भरण-पोषण करने में असफलता या उपेक्षा
(3) पति को सात वर्ष का कारावास
(4) वैवाहिक उत्तरदायित्व के पालन में असफलता
(5) पति का नपुंसक होना
(6) पति का दो वर्षों से पागल हो जाना या कृष्ठ या उग्र रतिज रोग से पीड़ित
(7) यौवनावस्था का विकल्प
(8) क्रूरता का व्यवहार
(9) कोई अन्य कारण (लियान)
जबकि पति को यदि दो वर्ष का कारावास हो जाये, वह विवाह विच्छेद का आधार नहीं होगा अर्थात् विकल्प (b) सही उत्तर है।

12. **Under Muslim Law, a married woman shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of marriage on the ground that 'whereabout of husband have not be known for a period of four years' as provided under the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 in**
मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिये इस आधर पर डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी कि 'उसके पति का पिछले चार वर्ष में ठौर-ठिकाना ज्ञात नहीं है', जैसा कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की निम्न धारा में प्रावधानित किया गया है-
(a) Section 2(i)/धारा 2 (i)
(b) Section 2(ii)/धारा 2 (ii)
(c) Section 2(iii)/धारा 2 (iii)
(d) Section 2(iv)/धारा 2 (iv)

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

13. **Dissolution of Muslim Marriage Act came into force in**
मुस्लिम विवाह विघटन-अधिनियम प्रवर्तन में आया–
(a) 1933 में (b) 1937 में
(c) 1939 में (d) 1941 में

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (c) : मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, 17 मार्च 1939 को लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 6 धाराएँ हैं।

14. **Shariat Act, 1937 came into operation on**
शरियत अधिनियम, 1937 कि तारीख से लागू हुआ।
(a) 7th January, 1937/7 जनवरी, 1937
(b) 7th July, 1937/7 जुलाई, 1937
(c) 7th June, 1937/7 जून, 1937
(d) 7th October, 1937/7 अक्टूबर, 1937

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (d) : मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) अधिनियम 1937, 7 अक्टूबर 1937 को लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 6 धाराएं हैं तथा यह जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत में लागू है।

15. **Shariat Act, 1937 contains only**
शारियत अधिनियम, 1937 में कितनी धाराएँ है?
(a) 12 Sections/12 धाराएँ
(b) 6 Sections/6 धाराएँ
(c) 15 Sections/15 धाराएँ
(d) 9 Sections/9 धाराएँ

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : मुस्लिम व्यैक्तिक विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 में कुल 6 धाराऐं है। यह मुस्लिम व्यक्तियों के धार्मिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक आचरणों का संहिताकरण है। धारा 2 में उल्लिखित मामलों में केवल मुस्लिम विधि ही लागू होगी न कि सामान्य विधि।

16. **Which one of the following is not a ground of divorce under the Special Marriage Act?**
निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद का आधार नहीं है?
(a) Conversion/धर्म परिवर्तन
(b) Cruelty/क्रूरता
(c) Adultery/जारकर्म
(d) Desertion/अभित्यजन

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (a) विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 27 के अनुसार विवाह विच्छेद के निम्नलिखित आधार हैं-
1. जारता।
2. अभित्यजन।
3. 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दण्ड।
4. क्रूरता।
5. विकृत चितत।
6. कुष्ठ रोग।
7. मृत्यु की उपधारणा।
नोट- विशेष विवाह अधिनियम के तहत धर्म परिवर्तन विवाह विच्छेद का आधार नहीं है।

17. **Under the Muslim Woman (Protection of Rights on Divorce) Act, the option to be governed by the provision of Section 125 Cr. P.C. may be given by the parties**
मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों की संरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत पक्षकारों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुबन्धों को शासित होने को विकल्प चुन सकते है
(a) either jointly or separately/संयुक्त या पृथक रूप से
(b) separately/पृथक रूप से
(c) jointly/संयुक्त रूप से
(d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों की संरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत पक्षकारों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुबन्धों से प्रशासित होने के लिए तलाकशुदा महिला और उसका पूर्ण पति संयुक्तः या पृथक रूप से शपथपत्र द्वारा या लिखित रूप में घोषणा कर सकते हैं।

18. **A Muslim divorced woman can apply directly to the Wakf Board when there is no relative to support her. This was held in which one of the following cases?**
एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उसकी मदद करने हेतु किसी सम्बन्धी के ना होने की दशा में वह वक्फ बोर्ड के समक्ष आवेदन कर सकती है। यह निम्न में से किस वाद में निर्णीत किया गया है?
(a) Yusuf v. Sowramma/युसूफ बनाम सोवरम्मा
(b) A.A. Abdullah v. A.B. Mohmuna Syed Bhai/ ए.ए. अब्दुला बनाम ए.बी. मोहमुना सैयद भाई
(c) Secretary, T.N. Wakf Board v. Syed Fatima Nachi/सचिव, टी.एन. वक्फ बोर्ड बनाम सैयद फातिमा नाची
(d) Mohd. Ahmad Khan v. Shah Bano Begum/मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) सचिव, टी0एन0 वक्फ बोर्ड बनाम सैयद फातिमा नाची, के मामले में यह निर्णीत किया गया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उसकी मदद करने हेतु किसी सम्बन्धी के ना होने की दशा में वह वक्फ बोर्ड के समक्ष आवेदन कर सकती है।

19. A Muslim wife may sue for divorce under the provision of the Dissolution of Muslim Marriage Act, if the husband has been insane for a period of
एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत वाद दायर कर सकती है, यदि उसका पति उन्मत रहा होः

(a) 1 year/1 वर्ष तक (b) 2 year/2 वर्ष तक
(c) 3 year/3 वर्ष तक (d) 5 year/5 वर्ष तक

Uttarakhand (J) 2018
UGC (NET) June 2014
UPHESC 2014

Ans. (b) : मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 2(vi) के अनुसार, मुस्लिम पत्नी इस आधार पर विवाह-विच्छेद (तलाक) की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकती है, कि उसका पति 2 या अधिक वर्षो से पागलपन (उन्मत) या कुष्ठ रोग या उग्र रतिज रोग से ग्रसित है।

20. Under the Waqf Act, 1995 the power of Tribunal to determine disputes regarding Auqof is given in which of the following section?/वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत औकाफ से सम्बन्धित विवादों का अवधारण करने की अधिकरण की शक्ति का प्रावधान निम्नलिखित धाराओं में से किसमें किया गया है?

(a) Section 6/धारा 6 में (b) Section 9/धारा 9 में
(c) Section 7/धारा 7 में (d) Section 10/धारा 10 में

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 7 में ओकाफ से संबंधित विवादों का अवधारण करने की अधिकरण की शक्ति से संबंधित प्रावधान दिया गया है।

21. Under the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 option of puberty is available to
मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत यौवनागमय का विकल्प किसे प्राप्त है?

(a) The husband only/केवल पति को
(b) The wife only/केवल पत्नी को
(c) Husband and wife both/पति एवं पत्नी दोनों को
(d) Husband and wife both with approval of guardian/पति एवं पत्नी दोनों को अभिभावक की स्वीकृत से

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत 'यौवनागम का विकल्प' केवल पत्नी को प्राप्त है। अधिनियम की धारा 2 (vii) में इससे सम्बन्धित प्रावधान है। मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित कोई स्त्री जिसका विवाह पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले उसके पिता या अन्य संरक्षक ने किया था और विवाहोत्तर संभोग न हुआ हो तो अठारह वर्ष की आयु प्राप्त होने से पूर्व ही उसे अपने विवाह को निराकरण करने का विकल्प होता है, इसे ही यौवनागम का विकल्प कहते हैं।

22. Under the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 a Muslim marriage may be dissolved in which of the following?
मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत एक मुस्लिम विवाह का निम्नलिखित में से कैसे विच्छेद हो सकता है?

(a) By the husband alone by pronouncing talak/केवल पति द्वारा तलाक बोलकर
(b) By the wife pronouncing reverence of relationship/केवल पत्नी द्वारा विवाह-विच्छेद ऐलान करके
(c) By the court on the ground of mutual consent/आपसी सहमति से न्यायालय द्वारा
(d) By the court in a petition filed by the wife/पत्नी द्वारा याचिका फाइल करने पर न्यायालय द्वारा

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 के अनुसार मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए इस धारा के अधीन दिये गये किसी एक या अधिक आधारों पर डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी। ऐसी डिक्री पत्नी द्वारा याचिका फाइल करने पर न्यायालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

23. Match List-I and List-II with the help of code given below:
सूची-I और सूची-II को सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिएः

List-I/सूची-I	List-II/सूची-II
A. Danial Latifi v. Union of India/ डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ	**1. Triple talaq तीन तलाक**
B. Shamim Ara v. State of U.P. शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	**2. Maintenance of Muslim divorced woman/मुस्लिम तलाक शुदा औरत का भरण-पोषण**
C. Mukker Rathod v. State of Kerala मुकर राथोर बनाम केरल राज्य	**3. Dower/मेहर**
D. Husain Ara v. Zubaida Begum हुसेन आरा बनाम जुवेदा बेगम	**4. Oral gift/मौखिक दान**

Codes/कूटः

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	1	2	3	4
(c)	2	3	4	1
(d)	2	4	3	1

UGC (NET) June, 2009

Ans. (a) : (A) डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ (2001) - मुस्लिम तलाकशुदा औरत का भरण पोषण
(B) शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2002 सुप्रीम कोर्ट) - तीन तलाक
(C) मुक्कर राथोर बनाम केरल राज्य - मौखिक दान
(D) हुसैन आरा बनाम जुवेदा बेगम - मेहर

24. Match an item in List-I with correct answer in List-II using the codes given below:
सूची-I और सूची-II को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिएः

सूची-I	सूची-II
A. Gujarat Women's Workers Associtio v. Union of India/गुजरात वुमन्स वर्कर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ	1. Dower/मेहर
B. Humara Bibi v. Zubaida Bibi/हमीरा बीबी बनाम जुबेदा बीबी	2. Triple Divorce तीन तलाक
C. Anxuari Begum v. Ziauddin/अनवरी बेगम बनाम जियाउद्दीन	3. Uniform Civil Code समान व्यवहार संहिता
D. Bai Tahira v. Ali Hussain Fisslli/बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन फीसाली	4. Maintenance भरण-पोषण

Codes:/कूटः

	A	B	C	D
(a)	1	4	2	3
(b)	1	2	3	4
(c)	3	1	2	4
(d)	2	3	4	1

UGC (NET) December, 2013 Paper-II

Ans. (c) : सुमेलित सूची निम्न है–

सूची-I	सूची-II
A. गुजरात वुमन्स वर्कर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ	1. समान व्यवहार संहिता
B. हमीरा बीबी बनाम जुबेदा बीबी	2. मेहर
C. अनवरी बेगम बनाम जियाउद्दीन	3. तीन तलाक
D. बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन फीसाली	4. भरण-पोषण

25. Read Assertion (A) and Reason (R) and with the help of codes given below select the correct explanation.
कथन (A) तथा कारण (R) को पढ़िये और नीचे दिये हुय कूटों की सहायता से सही स्पष्टीकरण को निर्दिष्ट कीजिये–

Assertion (A): The Muslim Women (Protection of Divorce Rights) Act, 1986 brought changes like limit the period of maintenance to Muslim divorcee till 'iddat' period and in case of no relatives the liability on Wakf Boards.

कथन (A): मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 में मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी को इद्दत अवधि तक ही भरण-पोषण होगा एवं अगर कोई नातेदार नहीं है तो यह दायित्व वक्फ बोर्ड पर होगा।

Reason (R): The Changes were brought under Muslim's pressure.

कारण (R): मुसलमानों के दबाव में यह बदलाव किया गया है

Codes:/कूटः
(a) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) (A) is correct, but (R) is false/(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(d) (A) is false, but (R) is true/(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

UGC (NET) December, 2013 Paper-III

Ans. (a) : मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 के अनुसार मुस्लिम तलाक शुदा पत्नी को इद्दत की अवधि तक भरण पोषण देना होगा तथा यदि कोई नातेदार नहीं होगा तो धारा 4 के खण्ड 2 के अनुसार यह दायित्व वक्फ बोर्ड पर होगा।
उपरोक्त अधिनियम 1986, मो. अहमद खान बनाम शायरा बानो के निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए संसद द्वारा पारित यह अधिनियम पूर्ण रूप से मुस्लिम समुदाय के दबाव के कारण किया गया।

26. Read Assertion (A) and Reason (R) and with the help of codes given below select the correct explanation.
कथन (A) तथा कारण (R) को पढ़िये और नीचे दिये हुय कूटों की सहायता से सही स्पष्टीकरण को निर्दिष्ट कीजिये–

Assertion (A): The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 brought different grounds for dissolution of marriage and based on Maliki schools.

कथन (A): मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1939 में विघटन के विभिन्न आधार मालिकी स्कूल पर आधारित है।

Reason (R): The DMM Act, 1939 is brought on the opinion of Ulema (Ijma).

कारण (R): डी.एम.एम. विधि, 1939 मुस्लिम विद्वानों (इज़मा) की राय पर आधारित है।

Codes:/कूटः
(a) (A) and (R) are true, (R) is correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(b) (A) and (R) are true, but (R) is not correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(c) (A) is correct, but (R) is false/(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है

(d) (A) is false, but (R) is true/(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

UGC (NET) December, 2013 Paper-III

Ans. (a) : मुस्लिम महिला विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 में विवाह विघटन की डिक्री के (I) से (IX) तक आधार दिये है जो कि मालिकी स्कूल पर आधारित है। यह अधिनियम मुस्लिम विद्वान की राय (इजमा) पर आधारित है।

27. The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1936 makes available the following grounds of divorce to a muslim woman married under muslim law:
मुस्लिम विधि के तहत विवाहित एक मुस्लिम महिला को मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939, तलाक के निम्नलिखित आधार उपलब्ध कराता है:

1. **Seven years imprisonment of the husband**
   पति को 7 वर्ष का कारावास
2. **No maintenance by husband for 2 years**
   दो वर्ष से पति द्वारा भरण-पोषण न करना
3. **Whereabouts of the husband are not known for a period of 4 years**
   चार वर्ष से पति का पता-ठिकाना न मालूम होना
4. **Failure of husband to perform martial obligation for a period of 3 years/तीन वर्ष से पति का विवाह बन्धन निभा पाने की असफलता**

Codes:/कूट:

(a) 3, 2 and 4/3, 2 और 4
(b) 1, 2, 3 and 4/1, 2, 3 और 4
(c) 2, 3 and 1/2, 3 और 1
(d) 1, 2 and 4/1, 2 और 4

UGC (NET) June, 2015

Ans. (b) : मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 की धारा 2 में तलाक के निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किया गया है जो निम्न है।
(1) पति का सात वर्ष का कारावास - धारा 2(iii)
(2) दो वर्ष से पति द्वारा भरण-पोषण न करना - धारा 2(ii)
(3) चार वर्ष से पति का लापता न होना - धारा 2(i)
(4) तीन वर्ष पति का वैवाहिक दायित्व पूरा करने में असफलता - धारा 2 (iv)

28. Match List - I with List - II in the light of Section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 and select the correct answer using the codes given below:
मुस्लिम विवाह का विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 की रोशनी में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए–

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A.	**Imprisonment of Husband पति का कारावास**	**1.**	**Sec. 2(vii)/ धारा 2(vii)**
B.	**Option of Puberty/ किशोरावस्था का विकल्प**	**2.**	**Sec. 2(iii)/ धारा 2(iii)**
C.	**Husband missing/ पति लापता**	**3.**	**Sec. 2(v)/ धारा 2(v)**
D.	**Impotency of / Husband पति की नपुंसकता**	**4.**	**Sec. 2(i)/ धारा 2(i)**

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	1	2	3	4
(c)	4	2	1	3
(d)	3	1	2	4

UGC (NET) December, 2014

Ans. (a) : मुस्लिम विवाह का विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 में निम्नलिखित सुमेलित है-

पति का कारावास	धारा 2(iii)
किशोरावस्था का विकल्प	धारा 2(vii)
पति लापता	धारा 2(i)
पति की नपुंसकता	धारा 2(v)

29. Match the items of List-I with the items of List-II and choose the correct answer from the code given below
मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के आलोक में सूची-I का मिलान सूची-II से करें और नीचे दिए गये कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर दें–

	List-I/सूची-I (Provision/उपबंध)		**List-II/सूची-II (Section/धारा)**
A.	Notice to heirs of The husband when His where abouts are Not known जब पति का अतापता नहीं हो तो उसके वारिसों को नोटिस भेजना	1.	Sec. 4 धारा 4
B.	Effects of Conversion to Another faith अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के प्रभाव	2.	Sec 3 धारा 3
C.	Rights to dower not to be affected मेहर का अधिकार प्रभावित नहीं होगा	3.	Sec 2(v) धारा 2(v)
D.	Impotence of the Husband as a ground of divorce तलाक के आधार के रूप में पति की नपुंसकता	4.	Sec.5 धारा 5

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	1	3	4	2
(b)	2	1	4	3
(c)	4	2	1	3
(d)	3	1	4	2

UGC (NET) December, 2015

Ans. (b) : मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के प्रावधानों का सही मिलान निम्नवत है-

(a) जब पति का अतापता नहीं होता उसके वारिसो को नोटिस भेजना - धारा 3
(b) अन्य धर्म में सम्परिवर्तित होने का प्रभाव - धारा 4
(c) मेहर का अधिकार प्रभावित नहीं होगा - धारा 5
(d) तलाक के आधार के रूप में पति की नपुंसकता -धारा 2(iv)

30. Read Assertion (A) Reason (R) and give (shariat) Application Act, 1937 makes. Muslim Law applicable expressly to all Muslims.
अभिकथन (A) तथा तर्क (R) को पढ़े तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दें:

Assertion (A): The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 makes. Muslim Law applicable expressly to all Muslims.
अभिकथन (A): मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शरीयत) एप्लिकेशन अधिनियम, 1937 मुस्लिम विधि को सभी मुस्लिमों पर अभिव्यक्त रूप से लागू करता है।
Reason (R): The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 has abrogated the customs and restored to Muslims their own personal law in almost all cases.
कारण (R): मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शरीयत) एप्लिकेशन अधिनियम, 1937 ने प्रथाओं को समाप्त किया और मुस्लिमों को लगभग सभी मामलों में अपनी वैयक्तिक विधियों को लागू करने पर बल देने को कहा।

Codes:/कूटः
(a) (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(b) (A) is true but (R) is false
(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(c) (A) is false but (R) i true
(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है
(d) Both (A) and (R) are false
(A) और (R) दोनो असत्य है

UGC (NET) December, 2015

Ans. (a) : मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम 1937 की धारा 2 के अनुसार-निर्वसीयती उत्तराधिकार, स्त्रियों की विशेष सम्पत्ति जिसमें विरासत द्वारा मिली या संविदा या दान या स्वीय विधि के किसी अन्य उपबंध के अधीन प्राप्त हुई स्वीय सम्पत्ति आती है। विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, मेहर, संरक्षकता, दान, न्यास तथा न्यास सम्पत्ति और वक्फ से सम्बन्धित (कृषि भूमि से सम्बद्ध प्रश्नों के सिवाय) सभी प्रश्नों में तत्प्रतिकूल किसी रुढ़ि या प्रथा के होते हुए भी किसी ऐसे मामले में जहाँ पक्षकार मुसलमान है वहाँ विनिश्चय का नियम मुस्लिम स्वीय विधि होगा। यह अधिनियम सभी मुसलमानों पर समान रूप से लागू है।

31. Read Assertion (A) and Reason (R) and answer using the code given below:
Assertion (A): The Shariat Act, 1937 makes Muslim law applicable expressly to all Muslims.
Reason (R): The Act has abrogated almost all the customs (except relating to agricultural land) applicable to Muslims.
अभिकथन (A) तथा कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर उत्तर का दीजिए:
अभिकथन (A): शरिअत अधिनियम, 1937 मुस्लिम विधि को स्पष्ट रूप से सभी मुस्लिमों पर लागू करता है।
कारण (R): इस अधिनियम ने मुस्लिमों के लिए लागू लगभग सभी प्रथाओं (कृषि भूमि से संबंधित को छोड़ कर) को निराकृत कर दिया है।

Code/कूटः
(a) (A) is right but (R) is wrong
(A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(b) Both (A) and (R) are wrong
(A) दोनों (R) गलत है
(c) (R) is right but (A) is wrong
(A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है
(d) Both (A) and (R) are right and (R) is the correct reason of (A)/(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है

UGC (NET) July, 2016

Ans. (d) : शरिअत एक्ट, 1937 स्पष्ट रूप से सभी मुस्लिमों पर लागू होता है तथा यह अधिनियम मुस्लिमों के लागू सभी प्रथाओं को समाप्त कर दिया है सिवाय कृषि भूमि के। (धारा 2)

32. Under the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986, besides the former-husband of Muslim woman, the following relatives etc. are also liable to pay maintenance to her :/मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डायवोर्स) एक्ट, 1986 के अधीन मुस्लिम महिला के पूर्व पति के अलावा निम्नलिखित सम्बन्धी इत्यादि भी उसे भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैः

1. **Children/बच्चे**
2. **Other relatives/अन्य सम्बन्धी**
3. **State Wakf Board/राज्य वाक्फ बोर्ड**
4. **Parends/माता-पिता**

Give the correct order of liability of the above with the help of codes given below:/नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपर्युक्त के उत्तरदायित्व का सही क्रम बताइये:

Code:/कूट:

(a) 4, 2, 3, 1 (b) 1, 3, 2, 4
(c) 1, 2, 4, 3 (d) 1, 4, 2, 3

UGC (NET) July, 2016 Paper-III

Ans. (d) : मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डायवोर्स) एक्ट, 1956 के तहत भरण पोषण के जिम्मेदार पूर्व पति के अलावा बच्चे, माता-पिता अन्य सम्बन्धी फिर राज्य वक्फ बोर्ड है।

33. The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 is applicable to all kinds of property exept
द मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 निम्नांकित में किसके अलावा सभी प्रकार की सम्पत्ति पर लागू होता है?

(a) Agricultural land, testamentary succession and Charities other than wakfs/कृषि भूमि, वक्फ को छोड़कर वसीयती उत्तराधिकार और धर्मार्थ कार्य
(b) Testamentary succession and charities other than wakfs only/केवल वक्फ को छोड़कर वसीयती उत्तराधिकार और धर्मार्थ कार्य
(c) Agricultural land and testamentary succession only/केवल कृषि भूमि और वसीयती उत्तराधिकार
(d) Agricultrual land than charities other than waksfs only/केवल कृषि भूमि और वक्फ को छोड़कर धर्मार्थ कार्य

UGC (NET) January, 2017 Paper-II

Ans. (a) : मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 की धारा 2 'मुसलमानों को स्वीय विधि का लागू होना' वर्णित करता है। इस धारा के अनुसार यह अधिनियम कृषि भूमि, वक्फ को छोड़कर वसीयती उत्तराधिकार और धर्मार्थ कार्य पर लागू होता है।

34. If any person against whom an order has been made under Section 3(3) of the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986, fails without sufficient cause to comply with the order, the Magistrate may sentence such person to imprisonment for a term which may extend to
यदि मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) ऐक्ट, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आदेश दिया गया है, बिना पर्याप्त कारण के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को कारावास की सजा दे सकता है जिसकी अवधि हो सकती है:

(a) one year/एक वर्ष
(b) one year or until payment if sooner made/एक वर्ष या भुगतान करने तक यदि यह जल्दी कर दिया जाता है
(c) one month or until payment if sooner made/एक माह या भुगतान करने तक यदि यह जल्दी कर दिया जाता है
(d) one month/एक माह

UGC (NET) September, 2016 Paper-III

Ans. (b) : यदि मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) ऐक्ट, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आदेश दिया गया है बिना पर्याप्त कारण के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष की या यदि पहले ही संदाय कर दिया जाता है तो संदाय तक की हो सकेगी, दण्डदिष्ट कर सकेगा।

35. Section 2 of the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 makes available the following grounds of divorce to a wife:
मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 पत्नी को तलाक देने के लिए निम्नलिखित आधार उपलब्ध कराता है:

1. **Seven years or upward imprisonment to the husband/पति को सात वर्ष या अधिक का कारावास**
2. **Continued impotence of the husband/पति की स्थायी नपुंसकता**
3. **Insanity of the husband for the last one year/विगत एक वर्ष से पति का पागलपन**
4. **Four years absence of the husband/पति का चार वर्षों से अनुपस्थित होना।**

Codes:/कूट:

(a) 1, 2 and 4 are correct, but 3 is incorrect
1, 2 और 4 सही है किन्तु 3 गलत है
(b) 2, 3 and 4 are correct, but 1 is incorrect
2, 3 और 4 सही है किन्तु 1 गलत है
(c) 1, 2, 3and 4 are correct/1, 2, 3 और 4 सही है
(d) 3 is correct, but 1, 2 and 4 are incorrect
3 सही है किन्तु 1, 2 और 4 गलत है

UGC (NET) July 2016
UGC (NET) September, 2016

Ans. (a) : मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 पत्नी को तलाक देने के निम्नलिखित आधार देती है-
(1) चार वर्ष तक पति का लापता होना
(2) दो वर्ष तक भरण पोषण देने में पति की असफलता
(3) सात वर्षों तक पति को कारावास
(4) पति द्वारा तीन वर्षों तक वैवाहिक दायित्वों का पालन न कर पाना
(5) पति की नपुंसकता
(6) पति का दो वर्षों तक पागलपन, कुष्ठ रोग तथा रतिजन्य रोग
(7) पत्नी द्वारा यौवनावस्था का विकल्प
(8) पति की क्रूरता
(9) मुस्लिम विधि में मान्य कोई अन्य आधार

36. **A wife under Muslim Law is entitled to obtain decree of dissolution of marriage on the ground of:**
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत एक पत्नी के विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पाने का अधिकार का आधार हैः
(a) Failure on the part of the husband to perform marital obligations for a period of three years /पति द्वारा 13 वर्षों की अवधि तक वैवाहिक दायित्वों का पालन करने में असफल होना
(b) Cruelty of husband /पति द्वारा क्रूरता
(c) Insanity of husband /पति का पागलपन
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Bihar (HJS) 2018

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

37. **Which of the following is not a ground of divorce under section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939?**
मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 के अंतर्गत निम्न में से कौन तलाक का आधार नहीं है?
(a) 7 years imporisonment to the husband
पति का 7 वर्ष का कारावास
(b) Failure of the husband to pay maintenance for the last two years/पिछले दो वर्षों के दौरान पति द्वारा गुजारा भत्ता दे पाने की असमर्थता
(c) Where abouts of the husband have not been known for a period of 3 years/तीनों वर्षों तक पति गुमशुदा रहा हो
(d) Failure of the husband to perform, without reasonable cause, his marital obligations for a period of three years/तीन वर्षों तक, बिना किसी समुचित कारण के, पति द्वारा अपने वैवाहिक दायित्वों के निर्वहन की विफलता

UGC (NET) January, 2017 Paper-III

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

38. **Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:**
सूची-I और सूची-II को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए–

List-I/सूची-I	List-II/सूची-II
A. Nijhawan v. Nijhawan/निझावन बनाम निझावन	1. Dowry/दहेज
B. Daniel Latifi v. Union of India डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ	2. Uniform civil code/ समान नागरिक संहिता
C. Husain Ara v. Zubaida Begum/ हुसैन आरा बनाम जुबैदा बेगम	3. Cruelty/क्रूरता
D. Gujarat Woman Workers Association Case/गुजरात वूमेन कामगार एसोसिएशन केस	4. Maintenance भरण-पोषण

Code:/कोड–

	A	B	C	D
(a)	3	4	1	2
(b)	1	3	2	4
(c)	3	2	1	4
(d)	2	4	3	1

UGC (NET) November, 2017 Paper-III

Ans. (a) :
(a) निझावन बना निझावन –क्रूरता
(b) डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ – भरण-पोषण
(c) हुसैन आरा बनाम जुवैदा बेगम - दहेज
(d) गुजरात वुमेन कामगार – समान नागरिक संहिता एसोशियसन वाद

39. **The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 brought various grounds for dissolution of marriage based on the principles of:**
मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर विवाह के विघटन के विभिन्न आधारों को प्रस्तुत कियाः
(a) Shia School/शिया मत
(b) Hanafi School/हनाफी मत
(c) Shafai School/शैफई मत
(d) Maliki School/मालिकी मत

UGC (NET) November, 2017 Paper-III

Ans. (d) : मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 में विवाह के विघटन के विभिन्न आधारों को प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है। यह आधार मालिकी मत के सिद्धान्त पर आधारित है।

40. **Which of the following is an essential condition in Marz-ul-Maut**
मर्ज-उल-मौत के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी शर्त आवश्यक है?
(a) A malady which makes it impossible for the patient to move/मर्ज जिसमें रोगी के लिए हिलना-डुलना भी संभव न हो
(b) It must be continued for more than a year
यह लगातार एक वर्ष से अधिक बना रहे
(c) There must be apprehension of death
जहाँ मृत्यु की आशंका हो
(d) A malady which causes problem with heart
मर्ज जिससे दिन की समस्या उत्पन्न हो

UGC (NET) June, 2019

Ans. (c) : एक ऐसा रोग (मर्ज) जिससे रोगी के मन में यह धारणा बन जाय कि उसकी मृत्यु अवश्यभावी है तथा उसी बीमारी से रोगी की मृत्यु हो जाए, मर्ज उल मौत कहलाती है। यह किसी रोग विशेष का नाम नहीं है, कोई भी रोग मर्ज उल मौत माना जा सकता है, बशर्ते रोगी के मन में इस बात की धारणा बन जाय की जीवित रहना जब असम्भव है।

41. Under the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986, a divorced woman shall be entitled to/मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक तलाकशुदा स्त्री को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगेः

A. A reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the 'iddat' period by her formed husband/उसके पूर्व पति द्वारा 'इद्दत' की अवधि के अंदर उसे एक तर्कसंगत और न्यायोचित भरण पोषण की राशि देनी होगी

B. Maintainance of children by her former husband for a period of three year/तीन वर्ष तक बच्चों का भरण-पोषण पूर्व पति द्वारा किया जाएगा

C. Get maintenance from her relatives even after her remarriage/स्त्री द्वारा पुनर्विवाह के बाद भी उसे अपने सगे- संबंधियों से भरण-पोषण प्राप्त होगा

D. All the properties given to her at any time only by her husband/किसी भी समय उसके पति द्वारा दी गयी सभी सम्पत्ति उसकी होगी

E. An amount equal to the sum of 'Maher' or dower agreed to be paid to be paid to her at the time of marriage or at anytime thereafter according to Muslim law/मुस्लिम विधि के अनुसार 'मेहर' या 'डावर' की सहमत राशि के बराबर राशि उक्त स्त्री को विवाह के समय या विवाह के पश्चात् कभी भी देना होगा

Choose the correct answer from the options given below/ नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:

(a) A and E only/केवल A और E
(b) A, B, and E only/केवल A, B और E
(c) B, C and E only/केवल B, C और E
(d) A and B only/केवल A और B

UGC (NET) June, 2020
Rajasthan (DJC) 2018

Ans. (a) : मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1)(a) के अनुसार, तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति द्वारा इद्दत अवधि के अन्दर उचित और न्याययुक्त व्यवस्था तथा भरण-पोषण किये जाने और इसके लिए भुगतान पाने की अधिकारिणी होगी।
धारा 3(1) (c) के अनुसार, मुस्लिम विधि के अनुसार अपने विवाह के समय भुगतान के लिए तय किये गये मेहर के धन के बराबर धनराशि अथवा जो इसके पश्चात् किसी समय देय हो, को पाने की अधिकारिणी होगी।

42. Match List I with List II under
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए

List I/ सूची-I	**List II/सूची-II**
Provision प्रावधान विवाह	Section under Muslim Woman Protection of Rights on Marriage Act, 2019 धारा (मुस्लिम महिला पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2019)
A. Punishment for pronouncing talaq तलाक देने के लिए दंड	I. Section 3 I. धारा 3
B. Offences to be cognizable, compoundable etc. संज्ञेय शमनीय अपराध इत्यादि	II. Section 7 II. धारा 7
C. Custody for minor children अप्राप्तवय बालकों/ बालिकाओं की अभिरक्षा	III. Section 4 III. धारा 4
D. Talaq to be void and illegal तलाक को निरस्त और अविधिमान्य करना	IV. Section 6 IV. धारा 6

Choose the correct answer from the options given below:
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्र का चयन करें।

(a) A - I; B - II; C - III; D - IV
(b) A - III; B - II; C - IV; D - I
(c) A - II, B - IV; C - III; D - I
(d) A - IV; B - I; C – III; D - II

UGC (NET) June, 2020 Paper-II

Ans. (b) : सही सुमेलित है –

सूची I	**सूची II**
प्रावधान	मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत धारा
A. तलाक की उद्घोषणा के लिए दण्ड	धारा 4
B. अपराधों का संज्ञेय, शमनीय आदि होना	धारा 7
C. अवयस्क संतानों की अभिरक्षा	धारा 6
D. तलाक का शून्य और अवैध होना	धारा 3

43. Rashid Ahmad and Anr. Vs. Anisa Khatun and Ors. (AIR 1932 PC 25) is an authoritative pronouncement of Privy Council on the subject:
रशीद अहमद एवं अन्य बनाम अनीसा खातून एवं अन्य (AIR 1932 PC 25) प्रिवी काउणसिंल का निम्न में से किस विषय पर अधिकारिक निर्णय है–

(a) Inheritance under Muslim Law
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकार
(b) Legitimacy of divorce/तलाक की विधि सम्मतत्ता

(c) Right of a Muslim to execute Hiba for this property/एक मुल्लिम का अपनी सम्पत्ति का हिबा निष्पादन का अधिकार

(d) Muslim women right to maintenance
मुस्लिम महिला का भरण पोषण का अधिकार

Rajasthan (DJC) 2015

Ans. (b) : रशीद अहमद एवं अन्य बनाम अनीसा खातून (1932) का मामला तलाक की विधि-सम्मतता से संबंधित है। न्यायालय ने कहा है कि तलाक देते समय पत्नी का उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। पत्नी की अनुपस्थिति में दिया गया तलाक भी विधिमान्य माना जाता है।

44. According to Section 4 of the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939, apostasy from Islam of a Muslim wife/मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 4 के अनुसार एक मुस्लिम पत्नी का धर्म परिवर्तन करना

(a) will dissolve her marriage ipso facto
स्वयमेव उसके विवाह का विच्छेद कर देता है

(b) will not dissolve her marriage ipso facto/स्वयमेव उसके विवाह का विच्छेद नहीं करता

(c) dissolves her marriage and she loses her claim of dower/उसका विवाह-विच्छेद कर देता है और वह मेहर से अपना दावा खो देती है

(d) dissolves her marriage but she does not lose her claim of dower/उसका विवाह-विच्छेद कर देता है किन्तु मेहर का उसका दावा नहीं खोता है

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (b) : मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 4 के अनुसार किसी विवाहित मुसलमान स्त्री द्वारा इस्लाम धर्म का त्याग या इस्लाम से भिन्न किसी धर्म से उसके संपरिवर्तन से स्वमेव उसके विवाह का विघटन नहीं होगा, परन्तु ऐसा त्याग या सम्परिवर्तन के पश्चात वह स्त्री धारा 2 में उल्लिखित आधारों में से किसी भी आधार पर अपने विवाह के विघटन के लिए डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी, परन्तु इस धारा के उपबन्ध किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित किसी ऐसे स्त्री को लागू नहीं होंगे जो अपने भूतपूर्व धर्म को अंगीकार कर लेती है।

45. According to Section 4 of the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939, apostasy from Islam of a Muslim wife:
मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 4 के अनुसार एक मुस्लिम पत्नी का धर्म परिवर्तन करनाः

(a) Will dissolve her marriage ipso facto
स्वयंमेव उसके विवाह का विच्छेदन कर देता है

(b) Will not dissolve her marriage ipso facto/स्वयंमेव उसके विवाह का विच्छेदन नहीं करता है

(c) dissolves her marriage and she loses here claim on Mehar/उसका विवाह-विच्छेद कर देता है और वह मेहर से अपना दावा खो देती है

(d) dissolves her marriage, but she does not lose her claim of Mehar/उसका विवाह-विच्छेद कर देता है, किन्तु वह मेहर पर वह दावा नहीं खोती है।

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

46. Which of the following modifies the application of Muslim Law?
निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि के लागू होने को संशोधित करता है

(a) Muslim Marriage Dissolution Act, 1939
मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939

(b) Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986/मुस्लिम स्त्री (तलाक के पश्चात अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986

(c) Shariat Act, 1937/शरीयत अधिनियम, 1937

(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

28th BPSC (J) 2014
BPSC (APO) 2011

Ans. (d) : मुस्लिम विधि में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986, शरीयत अधिनियम 1937 स्पेशल विवाह अधिनियम 1954 मुस्लिम विधि को लागू होने को संशोधित करता है।

47. The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act was enacted in
मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम पारित हुआ थाः

(a) 1996 में (b) 1946 में
(c) 1966 में (d) 1986 में

BPSC (APO) 2013

Ans : (d) मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 ई. में पारित हुआ था। राष्ट्रपति की अनुमति 19 मई, 1986 को प्राप्त हुआ था। इसमें कुल 7 धाराएं है।

48. The Shariat Act, 1937 came into operation on
शरीयत अधिनियम, 1937 लागू हुआ–

(a) 7 January, 1937/7 जनवरी, 1937 को
(b) 7 May, 1937/7 मई, 1937 को
(c) 7 August, 1937/7 अगस्त, 1937 को
(d) 7 October, 1937/7 अक्टूबर, 1937 को

BPSC (APO) 2011

Ans : (d) शरियत अधिनियम, 1937, 7 अक्टूबर 1937 को लागू हुआ।

49. Which section of the Wakf Act, 1995 bars jurisdiction of Civil Court?
वक्फ अधिनियम, 1995 की कौन-सी धारा दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को रोकती है?

(a) Section 81/धारा 81 (b) Section 83/धारा 83
(c) Section 85/धारा 85 (d) Section 87/धारा 87

BPSC (APO) 2011

Ans : (a) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 81 दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को रोकती है।